खण्ड-406, अंक-3
बुधवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1914
(6 मई, 1992 ई0)

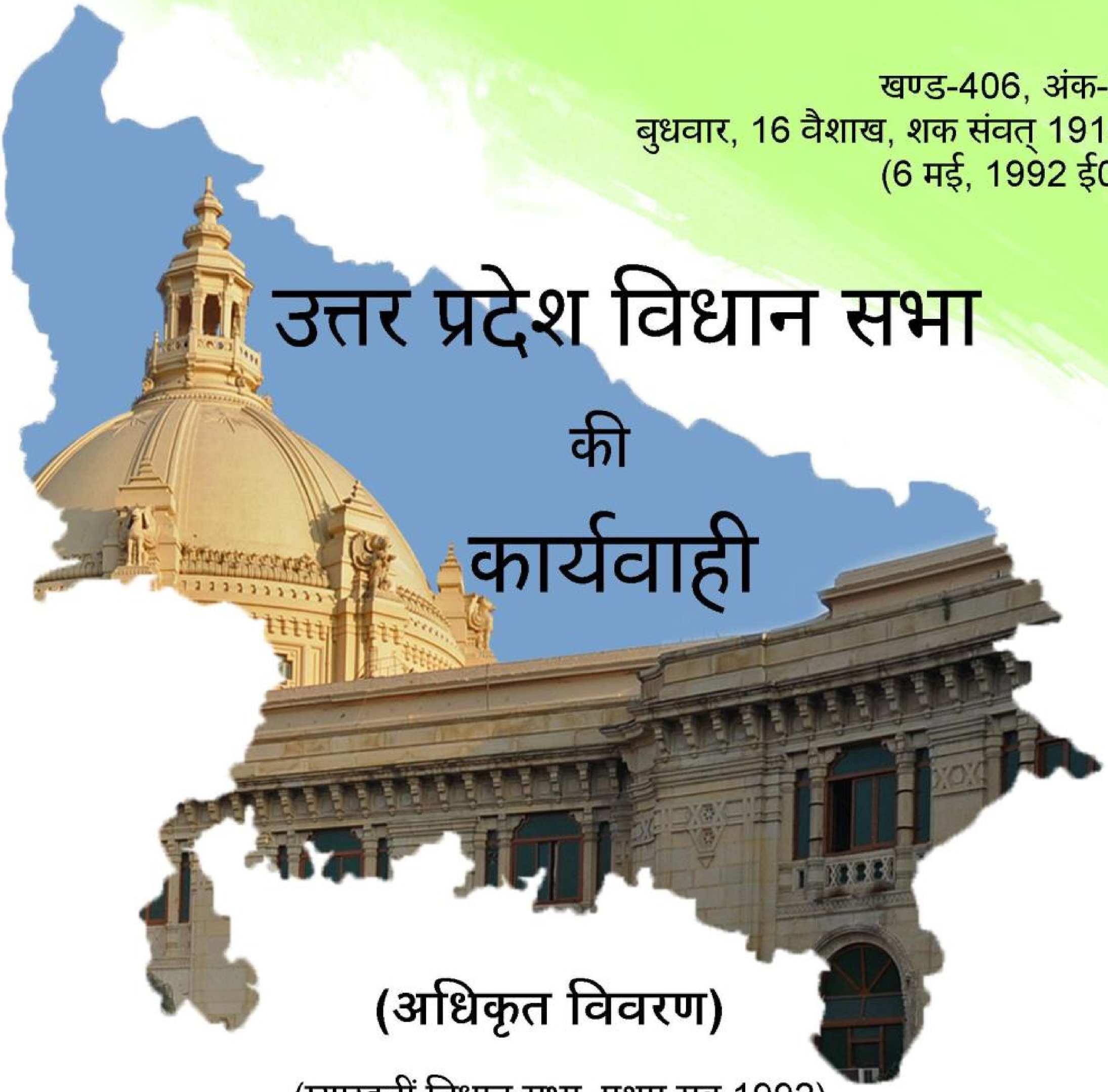

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश के पूर्वांचल में डीजल के अभाव की ओर सदन का ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव	1–3
प्रश्नोत्तर	3–109
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	
देहरादून के विकास नगर डाक पत्थर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र में महराजगंज से देवारा शहीद मार्ग के रुके हुये कार्य को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
आगरा में एड्स रोग की रोकथाम के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
बरेली में भीषण पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
जनपद बांदा में बांदा तिन्दवारी मार्ग के बीच उसरा नाले तथा तिंदवारी-बबेरू मार्ग पर मडरा नदी पर पुल बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
मुजफ्फरनगर के बघरा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना एवं विकास योजनाओं में सरकारी धन का दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
बेराजगार बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) की नियुक्तियां न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (पटल पर रखा गया)	112
दण्ड प्रक्रिया उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	113
दिनांक 30 मार्च, 1992 को श्री राम लखन वर्मा सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के संबंध में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य ..	113
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) अनुदान संख्या11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) .. (स्वीकृत)	114–171
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या 60–वन विभाग (स्वीकृत) ..	171–196
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग (जारी)	196–218

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन की दीर्घा में नारे लगाने वाले व्यक्तियों को जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	218–219
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	219–220
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 95– उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	220–224
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	224
जनपद गाजीपुर के थाना मरहद चौकी मरेहू के अन्तर्गत पुलिस की गोली से छात्र प्रमोद कुमार सिंह की मृत्यु विषयक नियम 51 की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	224–226
जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीन की पुलिस चौकी असावर (दुविहा) की श्रीमती जानकी देवी के साथ हुये बलात्कार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	226–227
जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील के परगनाधिकारी कार्यालय में अहलमद के साथ हुयी मारपीट के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	227–228
जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	228–231
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, कुमायूं मंडल के कार्यालय को अल्मोड़ा के चौखुटियां में स्थापित करने की मांग विषयक श्री बची सिंह रावत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	231–232
दिनांक 26 फरवरी, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 नत्थी (ग) के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	232–234
दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 नत्थी (घ) के संबंध में कतिपय मा० सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	234
नत्थियां	235–241

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 मई, 1992

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अंगद सिंह यादव, श्री	आजमगढ़
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	मऊ
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अवध पाल सिंह, श्री	एटा
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
कृष्ण स्वरूप, श्री	बदायूं
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
घुरहू, श्री	बलिया
जगदीश मुनि आचार्य, श्री	हरिद्वार
जगदीश सिंह, श्री	सहारनपुर
जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
तीरथराज, श्री	सोनभद्र
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी
तेजपाल, श्री	हरिद्वार
त्रिवेनी, श्री	फैजाबाद
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
दौलतराम, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह, श्री	मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रमोद कुमार, श्री	पीलीभीत
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम गोयल, श्री	आगरा
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बृजराज त्रिपाठी, श्री	बहराइच
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर
मदन भैया, श्री	मेरठ
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
महावीर सिंह, श्री	हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मारकण्डेय, श्री	बलिया
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
रामकुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्यारे आजाद, श्री	महराजगंज
राम प्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विजेन्द्र सिंह, श्री	मथुरा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिवकुमार बैरिया, श्री	कानपुर
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम, श्री	जालौन
शमी उल्ला, श्री	गोण्डा
सुखदेव, श्री	आजमगढ़
सुधीर, श्री	बलिया
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ़
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
सोम नाथ शुक्ल, डा०	कानपुर देहात
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
सोमारु राम, श्री	जौनपुर
स्वामी नाथ यादव, श्री	देवरिया
हनुमंत सिंह, श्री	गोण्डा
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरद्वार दुबे, श्री	आगरा
हर नरायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 मई, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 25 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रदेश के पूर्वांचल में डीजल के अभाव की ओर सदन का ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि आज जो भी विषय है हमारे एजेण्डा में, उसके अतिरिक्त आज प्रदेश में बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, गेहूं की मड़ाई चल रही है और गेहूं की मड़ाई में आज पूरे प्रदेश में डीजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और डीजल उपलब्ध न होने के कारण आज मड़ाई बाधित हो गयी है और यह पिछले 15 दिनों से, मान्यवर, यह स्थिति इस प्रदेश में इतनी गम्भीर उत्पन्न हो गयी है कि इससे बढ़कर दूसरा कोई महत्वपूर्ण मसला हो नहीं सकता है । मैं पूर्वांचल की तरफ गया था वहां 10 रुपये लीटर ब्लैक से डीजल मिल पा रहा है लेकिन टंकियों पर डीजल उपलब्ध नहीं है । गुप्ता जी क्या देख रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके दल के लोग क्या बताते हैं । मान्यवर, डीजल न मिलने से बड़ी विषम स्थिति प्रदेश में पैदा हो गयी है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने इस मसले पर ध्यान आकर्षण किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं कल पूर्वांचल गया था, मैं उधर से आ रहा था तो जितने पेट्रोल पम्प हैं उसमें खाली का बोर्ड लगा है और चोर बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग में इस सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में डीजल ब्लैक के भाव बेचा जा रहा है । एक तरफ खराब मौसम के कारण मड़ाई का कार्य शीघ्र पूरा होना है और दूसरी तरफ छात्रों की परीक्षायें चल रही हैं उसमें डीजल और मिट्टी का तेल न उपलब्ध होने के कारण उनको असुविधा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

कल आप इस विषय को उठा लें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने जो कोटा है उसमें एक लीटर की कमी नहीं की है, जो हर साल देती रही है वह उपलब्ध करा दिया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संरक्षण में चोर बाजारी कराकर कृत्रिम संकट पैदा कर रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आप कल इस विषय को उठा लें । शासन भी अपना उत्तर देने के लिये तैयार रहेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चोर बाजारी कराने के लिये कृत्रिम संकट पैदा किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे आप कल उठा लें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, पहले हमें सुन लें । मैं अपनी बात कह रहा हूं मैं बनारस गया था लहरतारा के आगे बढ़ते ही डीजल का संकट मिला ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल इस समस्या को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उठा लें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह किसानों के लिये मड़ाई का सीजन है, डीजल का संकट न पैदा करें और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं स्वयं प्रस्ताव कर रहा हूं । यह बहुत गम्भीर स्थिति है । किसानों की मड़ाई का कार्य चल रहा है । डीजल से ही काम चलता है, बिजली पहले से ही नहीं आ रही है । हम लोग प्रस्ताव करते हैं कि सरकार से कोई संगत उत्तर या आश्वासन आना चाहिये सदन उठने के पहले सरकार इसकी गारण्टी दे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जहां तक आपने इसे कहा है कि कल इसे लेंगे, अगर संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर दिलायेंगे तो चर्चा का विषय हो जायेगा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)– –

निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारी जानकारी है डीजल और मिट्टी के तेल के बारे में इससे पहले भी आदरणीय सदन में प्रश्न उठा था, मैंने जानकारी दी थी, किसी तरह की कोई शार्टेज नहीं है ।

विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से (घोर व्यवधान) ... वितरण की पूरी व्यवस्था की जा रही है । मिट्टी का तेल और डीजल मिलता कहां से है, कल पूरी जानकारी आदरणीय सदन में दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

(मा० संसदीय कार्यमंत्री को सम्बोधित करते हुये)

मैंने नेता विरोधी दल से इस विषय को सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उठाने के लिये कह दिया है। आप पूरी जानकारी ले लें। ताकि कल जब यह विषय सदन में आये तो आप पूरी जानकारी दे सकें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चोर बाजारी में कहीं कोई कमी नहीं है, सही दाम का संकट है। चोर बाजारी और कालाबाजारी से डीजल उपलब्ध है (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और मा० माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने अभी डीजल की चोर बाजारी की बात उठाई, मैं आभारी हूंगा यदि वे मुझे जानकारी दे देंगे कि उनको डीजल की चोर बाजारी की जानकारी कहां की मिली है, हम कार्यवाही करके सदन को अवगत करा देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर कहीं की कोई बात है तो आप जानकारी दे दें मंत्री जी को, उन्होंने तो कह दिया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में संकट है, यह पहली सरकार है जो अंधी है, गूंगी है और बहरी है। इसे सामने का संकट दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठ जायें, यह कोई बात नहीं है, अब मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, देवरिया के बारे में बताना चाहता हूं वहां डीजल की किल्लत है, मिट्टी के तेल की किल्लत है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रविवार को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों के एवज में प्रतिकर अवकाश दिये जाने की मांग

**1–श्री छोटे लाल मिश्र तथा श्री नरेन्द्र सिंह, (मैनपुरी) (अनुपस्थित)–

क्या सरकार रविवार को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों के एवज में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार की अवकाश संबंधी सामान्य नीति यही है कि छुट्टियों की संख्या में यथासम्भव वृद्धि न की जाय। सार्वजनिक अवकाश अवसर विशेष के लिये ही स्वीकृत किया जाता है और वह अवसर रविवार के दिन पड़ने से उसका उद्देश्य सिद्ध हो जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नहीं हैं ।

**2–श्री बी० आर० वर्मा–

(मंत्री के अनुरोध पर स्थगित किया गया)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मध्य गंगा नहर को हाथरस ब्रान्च के शीर्ष से यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बनाकर आगरा नहर से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

*1–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 1989 के 2सरे बुधवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत बताया गया था कि "मध्य गंगा नहर को हाथरस ब्रान्च के शीर्ष से यमुना पर एक्विडिक्ट बनाकर आगरा नहर से जोड़े जाने के संदर्भ में तकनीकी परीक्षण एवं दक्षता अंकन हेतु सर्वे आदि का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ।" क्या यह कार्य अब तक पूर्ण हुआ अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट यथाभांति सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ? क्या इस सर्वेक्षण में इस तथ्य की समीक्षा की गयी है कि अपर गंगा कैनाल का पानी जो हरियाणा होकर आगरा नहर में दिया जाता है उसे सीधा मध्य गंगा कैनाल के द्वारा अपने प्रदेश में होकर ही आगरा नहर को दिया जाना संभव हो सकेगा अथवा नहीं ? क्या टिहरी बांध परियोजना में यमुना पर जो एक्विडिक्ट बनाया जाना प्रस्तावित है उसी एक्विडिक्ट का निर्माण कराये जाने में क्या आपत्ति है ? क्या इसी एक्विडिक्ट से अपर गंगा कैनाल के पानी को उत्तर प्रदेश के सीमा क्षेत्र से होकर आगरा नहर में दिये जाने वाली क्या कोई अन्य योजना भी सम्भव है ? यदि हां, तो योजना क्या है और नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (ओम प्रकाश सिंह)–

मध्य गंगा नहर में हाथरस ब्रान्च के शीर्ष से यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बनाकर आगरा नहर से जोड़े जाने के संदर्भ में तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया । ऊपरी गंगा नहर का पानी, जो हरियाणा होकर, आगरा नहर में दिया जाता है, उसे सीधी मध्य गंगा नहर के द्वारा, उत्तर प्रदेश में होकर ही, आगरा नहर को दिया जाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

प्रस्तावित टिहरी बांध जल उपयोग परियोजना में यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बनाया जाना प्रस्तावित है । इस परियोजना का भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली स्तर पर परीक्षण चल रहा है तथा परियोजना के अनुमोदन के उपरान्त ही एक्विडिक्ट के निर्माण संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

प्रस्तावित एक्विडिक्ट से ऊपरी गंगा कैनाल से पानी को उ० प्र० के सीमा क्षेत्र से होकर आगरा नहर के लिये ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से देहरा रेगुलेटर तक लाया जा सकता है जहां से टिहरी परियोजना में प्रस्तावित समानान्तर फीडर निकालने का प्राविधान है ।

उपर्युक्तानुसार ।

वर्ष 1991-92 में ग्रामों के विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य पूर्ण न होने का कारण

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री बलराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91-92 में कितने ग्रामों के ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य था और क्या आधा लक्ष्य भी अभी पूरा नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कुल कितने ग्रामों का लक्ष्य प्रश्नगत वर्ष में था और 91-92 का मात्र एक माह अवशेष रहने पर लक्ष्य पूरा कराने का क्या कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

वर्ष 1991-92 में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 1550 था ।

जी हां ।

ग्रामीण विद्युतीकरण नई दिल्ली से स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप वित्तीय संशाधन प्राप्त न होने से मूल लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकी है । इस परिस्थितिवश योजना आयोग भारत सरकार से लक्ष्य कम करके 750 करने का अनुरोध किया गया । जिसके विरुद्ध 702 लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, 1550 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य का ये आधा भी पूरा नहीं कर पाये हैं । उत्तर में लिखा है ग्रामीण विद्युतीकरण नई दिल्ली से स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप वित्तीय संसाधन प्राप्त न होने से मूल लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी है । मान्यवर, यह नई दिल्ली पर आरोप लगा रहे हैं बार-बार जो संशोधित लक्ष्य तय किया था 750 का उसको भी पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य आर० ए० सी० से प्राप्त धन के आधार पर किया जाता है । 75 करोड़ से अधिक रुपया प्रश्नगत वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्राप्त होना था । आर० ई० सी० से उसके एवज में केवल 20 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ जिसके कारण विद्युतीकरण का कार्य पिछड़ा है । परन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों को उपलब्ध कराकर 30 करोड़ रुपया निजी नलकूपों के लिये 12 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये दोनों ही संदर्भ में 42 करोड़ रुपया ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अपने संसाधनों से इस प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार उपलब्ध कराया है । जिसके कारण उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, जो 1550 का लक्ष्य तय किया था, उसे पूरा नहीं कर पाये फिर जो संशोधित लक्ष्य था वह क्यों नहीं पूरा हुआ ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, उत्तर तो दे दिया, मान्यवर, जो संसाधन उपलब्ध होने थे । आर० ई० सी० से और अन्य कामर्शियल बैंकों द्वारा वह संसाधन उपलब्ध नहीं हो सके थे जिसके कारण यह रह गया था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह कहा गया है कि संसाधन उपलब्ध नहीं हुये जो पिछली साल का कोटा निर्धारित किया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण का हरिजन बस्तियों की विद्युतीकरण का वह 1200 था । 1200 गांवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य नहीं रखा । कारण क्या है, कदाचित मुझे जो जानकारी है जो आपने जवाब दिया है वह सही जवाब नहीं है, क्योंकि जो पैसा आपको मिला था वह पैसा आपने खर्च कर दिया वेतन बांटने में और इसीलिये बारह सौ गांव के बदले केवल तीन सौ गांवों का विद्युतीकरण पिछले वर्ष हो सका है और आप कहते हैं कि पैसा नहीं मिला तो क्या माननीय जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो डिफाल्टर है और वहां आर० ई० सी० और पी० सी० एफ० से पैसा नहीं मिल रहा है और इसीलिये इस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या यह सही है कि इस साल विद्युतीकरण के कार्य को जो करना है और दूसरा इसकी क्या गारण्टी है कि जब तक पुराना पैसा अदा नहीं करेंगे तो आपको इस वर्ष के लिये किस प्रकार पैसा मिल पायेगा ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जी का यह कहना सही नहीं है कि केवल तीन सौ गांवों का विद्युतीकरण प्रश्नगत वर्ष में हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 703 गांवों का विद्युतीकरण प्रश्नगत वर्ष में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की बस्तियों के संबंध में जो माननीय नेता विराधी दल ने कहा है मैं बताना चाहता हूं कि 792 अनुसूचित जाति की बस्तियों का भी विद्युतीकरण किया गया है इसके अतिरिक्त माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा कि वहां की जो देनदारियां हैं उसके संदर्भ में यह कहना चाहता हं कि यह सही है कि आर० ए० सी० का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर बकाया है पर यह बकाया अनेकों वर्षों से चला आ रहा है और जितना मूलधन है उसका उससे अधिक ब्याज है । हमें उसके परिप्रेक्ष्य में जब वहां से धन प्राप्त नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों द्वारा 42 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया और दस-ग्यारह करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने उपलब्ध कराया जिसके कारण उक्त कार्य सम्पादित किया गया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो जानकारी चाहता हूं । एक तो माननीय नेता विरोधी दल ने जो पूछा है उसका बिल्कुल गलत उत्तर आया है तो क्या माननीय मंत्री जी मुझे बताने की कृपा करेंगे कि उन 702 गांवों का जो विद्युतीकरण हुआ है, उसकी लिस्ट वे माननीय अध्यक्ष के सामने या इस सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे और दूसरा यह कि केन्द्रीय विद्युत मंत्री और केन्द्रीय सरकार का एक पत्र और उसके बाद दो अनुस्मारक आये हैं कि आपको जो पैसा आर० ई० सी० के लिये दिया गया था उसका उपयोग आपने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये न करके अन्य मदों के लिये किया है तो क्या उस पत्र को यहां पर सुनाने की कृपा करेंगे ? और दूसार यह कि उत्तर प्रदेश में शतप्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य आपने रखा था उसे कब तक आप पूरा कर लेंगे क्या कोई वर्ष बतायेंगे और इस संबंध में आपने क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, आर० ई० सी० के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उपलब्ध कराये गये धन को कहीं अन्यत्र खर्च करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मैंने यह कहा कि बीस करोड़ आर० ई० सी० के द्वारा

प्राप्त हुआ है और हमने जो इस मद में कार्य किया है । उसमें लगभग 74 करोड़ रुपये खर्च किया गया है उसके पश्चात् किसी अन्य मद में खर्च करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है ।

मान्यवर, इस बात को स्वीकार करने में हमको कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में बहुत अधिक पिछड़ापन है, जबकि यह प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और ग्रामीण विद्युतीकरण के संदर्भ में इसका उन्नीसवां स्थान है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार जो विद्युतीकरण किया जाता है, उसके अनुसार भी इस प्रदेश में केवल 73 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है । मान्यवर, जो पिछड़ा लम्बा अंतराल का बैकलाग रहा है, उसको पूरा करने के लिये हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, आर० ई० सी० से अनुरोध किया है और योजना आयोग से अनुरोध किया है । जहां तक लक्ष्य का प्रश्न है, वह आर० ई० सी० के द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मंत्री जी मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, सदस्यों की चिन्ता में अपनी चिन्ता जोड़ते हुये अनुरोध कर रहा हूं कि लक्ष्य केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है...

श्री अध्यक्ष–

आपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण करने के लिये कोई सीमा निर्धारित की अथवा नहीं, यह बता दीजिये ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें । लक्ष्य जो निर्धारित होता है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं होता है, यह काम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, वहां के प्लानिंग विभाग द्वारा किया जाता है और जो पिछले वर्षों में लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसके अनुसार पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है या नहीं और कब तक पूरा कर देंगे, यह पूछा जा रहा है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैं वही तो बता रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं पहले ही कह रहा था कि मंत्री जी की समझ में थोड़ा कम आता है । मैं जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या लक्ष्यहीन सरकार है यदि नहीं है तो उसके द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो उसे कब तक पूरा करा देंगे । यदि नहीं किया है, तो वह बता दें ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि लक्ष्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रदेश सरकार द्वारा नहीं ...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, ऐसा नहीं होता है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री मो० रिजवानुल हक–

मै माननीय मंत्री के उत्तर के संदर्भ में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद में वर्ष 91-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 13 गांवों को रखा गया था, क्या एक भी गांव में विद्युतीकरण साल के अन्त तक हुआ है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में निजी नलकूपों का .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न ग्रामीण विद्युतीकरण का है, निजी नलकूपों का नहीं है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, सी० ई० ए० की परिभाषा के अनुसार जिन गांवों के कोने पर भी निजी नलकूप का कनेक्शन दे दिया जाता है, उसे विद्युतीकृत माना जाता है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कोई लम्बी चौड़ी बहस में नहीं जाना चाहता हूं वह कृपया यह बता दें कि कमिश्नरियों में एक जिले में कितना लक्ष्य था और कितना प्राप्त किया गया । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं इस संबंध में क्या वस्तुस्थिति है वह जनता के सामने आ जाय । मैं कोई अनर्गल बात नहीं करता हूं यह घुमाफिरा कर बात कर रहे हैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें । जवाब क्या है सवाल क्या है यह आप देख लें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मुरादाबाद का बता रहा हूं एल० टी० गैस बिछाकर 5 लक्ष्य रखा था जिसके विपरीत 4 में प्रगति हुई सी० ई० ए० की परिभाषा एल० टी० गैस से भी इस प्रकार 4 का विद्युतीकरण हो चुका है (व्यवधान) मेरी पूरी बात सुन लें । आपका समाधान हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा कर लें, थोड़ा सा धैर्य रखें उत्तर आ जाने दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, दो तरह से लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, एक तो जिन गांवों का किसी प्रकार से विद्युतीकरण नहीं हुआ उसके लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । दूसरा एंटीमेन्स से जिन गांवों का नहीं हुआ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप केवल मुरादाबाद का बता दें कि कितने गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था और कितना पूरा हूआ, केवल इतना ही बता दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

5 में से 4 का किया गया है एंटीमेन्स बिछा कर (व्यवधान)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं एक प्रश्न मुझे पूछ लेने दें ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं ग्रामीण हरिजन विद्युतीकरण योजना के संबध में शासन की नीति एवं लक्ष्य

*3–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं ग्रामीण हरिजन विद्युतीकरण योजना के संबंध में शासन की नीति एवं कार्य योजना क्या है ? प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलेवार उपरोक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकरण हेतु कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत शासन की नीति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के समस्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने की है । अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का ही अंग है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1992-93 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिये प्रस्तावित परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । अतः राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आज जिस प्रकार प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं उससे लग रहा है कि वह कोई क्लास ले रहे हों । मैंने जो प्रश्न किया है उसमें पूछा है क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं ग्रामीण हरिजन विद्युतीकरण योजना के संबंध में शासन की नीति एवं कार्य योजना क्या है जिसके उत्तर में आपने कहा है कि संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के समस्त ग्रामों को विद्युतीकृत करने की है और अनुसूचित जाति की बस्तियां भी उसके अन्तर्गत हैं । तो उन्होंने नीति नहीं बताई ।

आगे मैंने पूछा है प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलेवार उपरोक्त योजनान्तर्गत विद्युतीकरण हेतु कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपने 1991-92 का नहीं बताया और 1992-93 पर उसे छोड़ दिया है । मैंने 1991-92 वित्तीय वर्ष में जिलेवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको पूछा है और उसमें उन्होंने कितना पूर्ति किया है तथा इलाहाबाद जनपद में कितना लक्ष्य था और उसको कितना पूरा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न में, किस वर्ष के बारे में प्रश्न किया, यह नहीं है । लेकिन आपने 91-92 के अन्त में प्रश्न किया है आपका प्रश्न 21-3-92 का है, (व्यवधान) चूंकि आपने प्रश्न किया है कि क्या योजना है, तो 31 मार्च, के बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है, तो उसके संदर्भ में उत्तर दिया है । उत्तर के संदर्भ में आप अनुपूरक प्रश्न कर लीजिये ।

क्या मंत्री जी 91-92 की आपके पास सूचना है ?

श्री रवि कान्त गर्ग–

एन्टीमेन्स के अन्तर्गत सहारनपुर में 2 के एवज में 21 कुल संख्या 1500 के एवज में 702 और अनुसूचित जातियों की बस्तियों में 792 का मैंने बताया है । इलाहाबाद में 10 के एवज में 19 एन्टीमेन्स से और सी० ई० ए० से ए०टी० मेन्स में 4 के एवज में 7।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, 1991-92 में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया जिलेवार ? मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम यदि इसमें सूची संलग्न कर दी गयी होती कि कितना लक्ष्य निर्धारित था जिलेवार और कितना पूरा किया गया है, तो बड़ा अच्छा होता । विद्युतीकरण जो 91-92 में निर्धारित किया गया है और 92-93 में जो भी निर्धारित कर दिया गया है तो क्या दोनों वर्षों के लक्ष्यों को आप इस सत्र में पूरा कर देंगे ? और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये आपने क्या कार्यनीति बनाई है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

सूची को यदि माननीय सदस्य देखना चाहेंगे तो मेरे पास है उपलब्ध करा दूंगा । दूसरे लक्ष्य के विषय में मैंने निवेदन किया कि सरकार की नीति सभी गांवों में विद्युतीकरण की हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है और केन्द्रीय संस्था की जो इस संबंध में नीति है उसके कारण से दिक्कत आ रही है । उत्तर प्रदेश सरकार इस संदर्भ में पूरी तरह से चिन्तित है और इसके लिये प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप यह बतायें कि माननीय सदस्य ने आपसे क्या प्रश्न किया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

कि 91-92 तथा 92-93 के लक्ष्यों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ? मैंने उसको बताया है और मैंने उसकी दिक्कतों को माननीय सदन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है और यह भी कहा है कि शासन इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहा है ।

(व्यवधान)

(नत्थी "ग" ता० प्र० सं० 1. लिये जाने पर और कृषि मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी नाथ यादव–

आप यह बतायें कि आपने इस प्रश्न में व्यवस्था क्या दी है ?

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में छात्रों का प्रवेश जाति के आधार पर रोके जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को किसी प्रतियोगिता में बिना आरक्षण का लाभ लिये हुये शामिल होने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में मेरिट के आधार पर एम० एस-सी० कृषि प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु चयनित छात्रों को प्रवेश देने से जाति के आधार पर रोका जा रहा है यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं, छात्रों का प्रवेश जाति के आधार पर नहीं रोका जा रहा है । दिनांक 21-3-92 को विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद् ने इस प्रकरण की जांच कराने एवं तब तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची स्थगित रखने का निर्णय लिया है । जांचोपरान्त यथा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न के पहले पार्ट का जवाब दिया जी हां, और दूसरे में कहा है जी नहीं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रवेश रोका गया है उसका आधार क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, प्रवेश रोका नहीं गया है बल्कि अभी उसको स्थगित किया गया है और यह निर्णय जांच कराने की दृष्टि से विद्युत परिषद् ने लिया है तथा जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जांच का बिन्दु क्या है ? दूसरा प्रश्न क्या विद्युत परिषद् का अधिकार क्षेत्र चांसलर के अधिकार क्षेत्र से ज्यादा है ? प्रवेश पहले रोका गया था और पुनः क्या शासन ने निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश तत्काल दिया जाय ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

वहां से जो सूचना आयी, उसके बाद जो नियमानुसार चयनित हुये है, मेरिट के आधार पर, जिनको प्रवेश मिलना चाहिये उनके संबंध में निर्देश भेज दिये गये हैं । लेकिन उसके बादे कुछ बिन्दु उठाये गये, इसलिये जांच तक विद्युत परिषद् ने प्रवेश स्थगित कर दिया है । विद्युत परिषद् को पूरा अधिकार है कि वहां किस प्रकार की व्यवस्था हो वैसी वह व्यवस्था करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आरक्षण की नीति निर्धारण का अधिकार शासन को है और आरक्षण के अतिरिक्त मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी बैठ सकते हैं और उसके आधार पर प्रवेश हुआ । अभ्यर्थी दोनों में बैठ सकते हैं । अभ्यर्थी आरक्षण का कोटा नहीं भी ले सकते हैं । जो नीति बनी है क्या विद्युत परिषद् उसको बदल सकती है ?

दूसरा प्रश्न जांच का बिन्दु क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, जहां तक नीति का सवाल है तो नीति हमारी सही है और उसके अनुसार उनको प्रवेश मिलना चाहिये । लेकिन कुछ जांच के बिन्दु हैं, इसलिये स्थगित किया है । मान्यवर, कुछ पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों ने निर्दिष्ट कालम 10 में वांछित सूचना को छिपाया है । दूसरे आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है वह सही नहीं है । तीसरे कुछ विद्यार्थियों ने खेलकूद का प्रमाण पत्र दिया था जो संदिग्ध प्रतीत होता है और चौथे एक ने कहा है कम गुणवत्ता को चयनित किया है । तो यह चार बिन्दु हैं जिनकी जांच होनी थी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर जो दिया है वह तथ्यों से अलग है जो कहा है कि कालम 10 में सत्यता छिपाई है, तो उसमें कहा है कि किस श्रेणी में आप प्रवेश चाहते हैं, तो सामान्य श्रेणी में उसने लिखा है, तो उसने क्या छिपाया है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

दूसरी बात मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कही कि दो छात्रों की बात थी । एक छात्र ने खेलकूद का सर्टिफिकेट लगाया था जिस पर संदेह था और दूसरे एक छात्र के बारे में कहा है कि उसने अपनी भूमि का कोई प्रमाण पत्र नहीं लगाया था । मान्यवर, 44 में से दो का प्रवेश स्थगित किया जा सकता था बाकी लोगों ने क्या गलती की थी जो प्रवेश निरस्त कर दिया । दूसरा प्रश्न यह है कि जब चांसलर को निर्देश आ गया तो चांसलर के निर्देश के बाद विद्युत विभाग को इसे रोकने का कोई अधिकार ही नहीं रह जाता । आप स्वयं ज्ञाता हैं ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मैंने कहा है कि उसमें कुछ विवाद खड़ा हो गया तो विद्युत परिषद् ने जांच के आदेश कर दिये हैं । इसे स्थगित कर दिया गया है । रोका नहीं गया है । जांच के उपरान्त कर दिया जायेगा । चांसलर की ओर से नीति का निर्देश हुआ था । नियमों के अनुसार हो रहा था लेकिन कुछ विवाद होने के कारण उसकी जांच कराई जा रही है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस सूचना के साथ जानना चाहता हूं कि जितनी यूनीवर्सिटी हैं हमारे प्रदेश या देश में उनमें एक एकेडिमिक काउंसिल होती है । प्रदेश अपनी सारी सिफारिशें और मंशा यूनीवर्सिटी को भेज देता है । उनके रूल्स को फ्रेम करने की जिम्मेदारी एकेडिमिक काउंसिल की होती है । हमारे यहां कितना आरक्षण का कोटा है हम उस यूनिवर्सिटी के चांसलर को या वाइस चांसलर को देते हैं । उसके बाद उसके रूल्स फ्रेम होते हैं । इसकी जिम्मेदारी एकेडिमिक कांउसिल की होती है । क्या आपने जो मंशा जाहिर की थी उसी के अनुसार रूल्स फ्रेम हुये थे । यदि उसी के अनुसार हुये थे तो आपकी तरफ से क्या निर्देश गया और उनके जाने का क्या औचित्य था ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि जो निर्देश आ गया कि जो नीति है, मेरिट के आधार पर स्वतंत्र रूप से बैठेगा, वह लिया जायेगा । आरक्षित कोटा अलग रहेगा । यह सपष्ट नीति थी लेकिन चूंकि कुछ विवाद आ गया जिसकी वजह से जांच का प्रश्न आ गया नीति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हुआ है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । एकेडिमिक काउन्सिल ने रूल्स बना दिये तो मूल प्रश्न यह है कि जब नियम बन गये, उसके हिसाब से दाखिला हो गया तो अब दाखिला हो जाने के बाद किस आधार पर इसे रोका गया और किस आधार पर जांच हुई .....

श्री गंगा भक्त सिंह–

मैं बता चुका हूं कि कुछ बिन्दु विवाद के वहां थे जिनके संबंध में जांच कराई गयी । नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री राम अवतार शाक्य–

मान्यवर, प्रदेश के संबंध में यह माननीय लालजी वर्मा का प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्मिक विभाग का शासनादेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में जिन्हें मेरिट के आधार पर प्रवेश पर प्रवेश दिया जाता है तो वह आरक्षण कोटे में शामिल नहीं होंगे वह सामान्य माने जायेंगे । यह शासनादेश शासन की नीति है । तो क्या कार्मिक विभाग के इस शासनादेश का परिपालन किया गया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

यह मैं कह चुका हूं कि नियमों का उल्लंघन किये जाने की कोई बात नहीं है । शासनादेश के अनुसार चयन हुआ है इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मेरिट के आधार पर आ रहा है उसको लिया जायेगा, जो कोटे में हैं, उनको लिया जायेगा । कुछ विवाद हो जाने के कारण जांच के लिये स्थगित किया गया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

आपके मध्य से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी सामान्य कोटे के अन्तर्गत अगर वह अपना साक्षात्कार देना चाहता है या उस परीक्षा में बैठता है तो उस अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य कोटे में लेने की नीति है या आरक्षण कोटा में लेने की नीति है ?

दूसरा सवाल मान्यवर, जो जांच कर रहे हैं उसकी क्या कोई निर्धारित तिथि है, कब तक वह जांच पूरी करके उसको जारी कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ जी का एक नीतिगत पहलू है जो लोग मेरिट में आ गये हैं जिनको मेरिट में ले लिया गया है कोटे के नाम पर तो क्या मेरिट में आये लोगों को कम कर देंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

उनको कम करने का कोई सवाल नहीं है नीति के अनुसार निर्देश और संकेत दिये गये हैं, जो बिन्दु उठा दिये गये हैं उनको स्थगित कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो नीतिगत पहलू था माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट उसका उत्तर दे दिया गया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही होगी तो जांच कब तक पूरी कर लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

क्या मंत्री जी आप सीमाबद्ध या सीमा समय की घोषणा करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जांच जैसे ही पूरी होगी उसको भेज देंगे ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है 44 मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मेरिट के बारे में मंत्री जी ने कहा उसे कम मेरिट वाले छात्रों का प्रवेश हो गया जो सामान्य श्रेणी के थे माननीय मंत्री जी आपके चेम्बर में मेरिट लिस्ट रख दें उसको आप देख लें । मान्यवर, एकाडमी कौंसिल ने प्रवेश पर रोक नहीं लगायी है । एकाडमी कौंसिल के अनुसार एप्रूबल देकर यह हुआ है यह विवादित बिन्दु केवल तीन छात्रों के बारे में है । अगर तीन छात्रों के विवाद का विवादित बिन्दु है तो तीन छात्रों के प्रवेश पर रोक लग सकती है बाकी छात्रों का क्यों नहीं कर रहे हैं । दूसरी बात जब चांसलर के निर्देश हो गये हैं कि प्रवेश किया जाये तो चांसलर का तो अन्तिम निर्देश होता है इसमें विद्युत परिषद् संशोधन या प्राविधान नहीं कर सकता है । जब चांसलर का निर्णय हो गया तो एकाडमी कौंसिल उसको लटकाने का काम क्यों कर रही है ? तीन छात्रों का विवाद है 44 छात्रों में से, तो शेष छात्रों का प्रवेश क्यों नहीं किया जा रहा है ?

दूसरी बात पहले प्रवेश सूची जारी हुई वह एकाडमी कौंसिल के एप्रूबल के बाद जारी हुई ?

तीसरी बात क्या चांसलर के निर्देश के बाद एकाडमी कौंसिल कोई प्राविधान कर सकती है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

इसमें निर्णय के विरोध का प्रश्न नहीं उठता है एकाडमी कौंसिल ने कहा कि सूची आ गयी है इसमें शिकायतें हो गयीं हैं । शिकायतें हुईं तो इसको स्थगित कर दिया गया । जांच हो जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विद्यार्थियों का पूरा साल बरबाद हो रहा है केवल 3 छात्रों के बारे में जांच हो रही है । इनके लिए 41 छात्रों का भविष्य क्यों नष्ट कर रहे हैं, इनका प्रवेश क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सरकार पिछड़ी जाति के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है । जानबूझकर जातिवाद के आधार पर उनको प्रताड़ित करने का काम विश्वविद्यालय में किया जा रहा है । यह कहते हैं कि सरकार ट्रान्सपैरेन्ट है और काम उससे अलग हट कर उसके विरोध में कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी की इच्छानुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ ज्यादती हो रही है । अनुसूचित जाति के छात्रों का जीवन

एकेडेमिक काउंसिल अपने चहेतों के द्वारा खराब कर रही है । मंत्री जी के इस गलत निर्णय और ज्यादती के कारण मैं सदन का वाक आउट करता हूं ।

(मा० लालजी वर्मा सदन से चले गये ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही बात है केवल 3 छात्रों के कारण बाकी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं । सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है, आश्वासन दे दें कि कितने दिनों में आप जांच करा लेंगे आप बाकी छात्रों के साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं, 3 छात्रों के खिलाफ जांच चल रही है । उसकी बिना पर दूसरे छात्रों को दाखिला न दिया जाय यह कहां का इन्साफ है ? इसका उत्तर आना चाहिए । यह छात्रों का उत्पीड़न और उनके साथ ज्यादती की बात है, यह बिल्कुल अन्याय की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा को देखते हुए यदि आप इसमें शीघ्रता करा दें जो ज्यादा उचित होगा ।

(शोर)

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से एक सुझाव है, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि केवल 3 स्थानों पर विवाद है । बाकी जो 41 स्थान हैं उनके बारे में आप सूची निर्गत करा दें और बाकी 3 स्थान छोड़ दिये जायं और जब जांच हो जाय तो उसके आधार पर निर्णय ले लें । विवाद केवल 3 का है और 41 छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है । यह न मुझे उचित लगेगा न माननीय मंत्री जी को उचित लग रहा होगा, जिन 41 छात्रों के बारे में विवाद नहीं है उनकी सूची आप निर्गत करा दें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, इस संबंध में मैं जानकारी करूंगा और जैसा उचित होगा, कार्यवाही करूंगा ।

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार छात्रों का उत्पीड़न कर रही है ।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

(शोर)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सिर्फ 3 छात्रों के संबंध में जांच चल रही है । माननीय मंत्री जी के उत्तर से एक तथ्य और स्पष्ट हो गया कि कुलाधिपति के निर्णय के बावजूद एकेडेमिक काउंसिल ने यह काम किया है । मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय वर्मा जी ने कहा कि 41 छात्रों के प्रवेश के संबंध में कार्यवाही करें और बाकी जिन 3 छात्रों के विरुद्ध जांच चल रही है उनको रोक दीजिये । दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी यह बताने की

कृपा करें कि यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत कुलाधिपति के निर्णय के बाद एकेडमिक काउंसिल को कितने प्राविधानों के अन्तर्गत यह अधिकार है कि वह सारी जांच रोक कर अपनी शंकाओं के समाधान के लिए समय लेगी, यह बताने का कष्ट करें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, इन 3 विद्यार्थियों का ही प्रश्न नहीं है, मैंने पहले ही दिया है कि कुछ पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी जो उसमें आते हैं, कितने हैं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है.....(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यूनीवर्सिटीज ऐक्ट अलग होता है, उसमें चांसलर के निर्णय के बाद क्या अधिकार है एकेडेमिक काउंसिल को कि इस तरह की कार्यवाही करें । माननीय लालजी वर्मा जी की बात सही है । यह पिछड़े छात्रों का मामला है फैजाबाद में कई बार अन्याय हो चुका है । क्या बात है कि इन पिछड़े छात्रों को रोककर उनके साथ अन्याय की प्रक्रिया जारी की गयी है । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । आप या तो इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें या इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें । मैं इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

प्रदेश सरकार द्वारा नई चीनी मिलों के लाइसेंस हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजे गये मांग-पत्र एवं उसका ब्यौरा

*2–श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा श्री हरिवंश सहाय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कितनी चीनी मिलों के लाइसेंस हेतु केन्द्रीय सरकार को मांग-पत्र भेजा गया है और उनकी क्षमता क्या होगी ? प्रस्तावित चीनी मिलों हेतु कितनी पूंजी का विनियोजन होगा और उसके लिए क्या सरकार द्वारा व्यवस्था कर ली गयी है ? क्या प्रस्तावित चीनी मिलों के लिए स्थानों का चयन भी कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी चयनित स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

प्रदेश के 87 विभिन्न स्थलों के लिए 176 उद्यमियों के आवेदन-पत्र राज्य सरकार की संस्तुति सहित केन्द्रीय सरकार को विचार हेतु भेजे गये हैं । प्रत्येक चीनी मिल 2500 टी० सी० डी० क्षमता की होगी ।

चीनी मिल लगाने हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी तथा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सामग्री के मूल्यों में जिस प्रकार का उतार चढ़ाव दृष्टिगोचर हो रहा है उसके कारण किसी भी चीनी मिल हेतु पूंजी विनियोजन के ठोस आंकड़े दिया जाना सम्भव नहीं है । सरकार द्वारा पूंजी निवेश विनियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रस्तावित चीनी मिलें निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्थापित की जानी है ।

जिन उद्यमियों द्वारा चीनी मिलें लगाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये हैं उन्होंने स्थल भी अपने प्रार्थना पत्र में इंगित किया है लेकिन वर्तमान में इन स्थलों की स्थिति इसलिये अनिश्चित है क्योंकि जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण परीक्षण के उपरान्त किसी स्थल के लिये आशय पत्र जारी न कर दिया जाय तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उद्यमियों द्वारा जिस स्थल के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है उसी स्थल पर नई चीनी मिल लगेगी अथवा नहीं । प्रश्न में वर्णित सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। †

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, इस प्रश्न का बड़ा अजीब जवाब दिया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शासन ने अपनी नीति प्रस्तुत की कि 50 चीनी मिल लगायेंगे और माननीय वित्त मंत्री ने 50 चीनी मिल लगाने का संकल्प अपने अभिभाषण में दोहराया। आज स्थिति भिन्न है। आपकी सरकार ने चीनी मिल न लगाकर प्राइवेट चीनी मिल लगाने की बात कही। इसका आधार क्या है। जो संस्तुति की है, उसका आधार क्या है। क्या नीति में परिवर्तन कर दिया है क्योंकि अब तक शासन की नीति थी, प्राइवेट चीनी मिलों को लाइसेंस देने का आधार नहीं है, अब किस आधार पर लक्ष्य को पूरा करेंगे क्योंकि प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है कि चीनी मिल लगायेंगे कि नहीं, लाइसेंस तो ले सकते हैं, तो किस आधार पर लक्ष्य को दोहराया कि 50 चीनी मिल लगायेंगे ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, सरकार की कोई नीति बदली नहीं है। प्रश्न केवल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 50 चीनी मिल लगाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर जैसा कि पूर्व में कहा कि उत्तर प्रदेश में 32 परसेंट ड्राल है, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि उसे बढ़ाकर 50 परसेंट करने के लिये 50 चीनी मिलों के लिये लाइसेंस दिया जाय। जहां तक निजी चीनी मिल लगाने की बात है, मैं बताना चाहता हूं कि ड्राल परसेन्टेज कैसे ठीक हो, हमारे पास जो यूनिट्स, सरकारी या कोआपरेटिव क्षेत्र में हैं वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, उनका विस्तारीकरण करने के बारे में हमारी सरकार खुद चिंतित है कि अपने संसाधनों से उन चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ायें, इस पर सरकार विचार कर रही है। दूसरे जो निजी क्षेत्र में देने की बात है, उसका दृष्टिकोण यह है कि चूंकि आर्थिक कमी है और प्रायः यह देखा गया है कि वित्तीय संस्थाओं से पैसा समय से नहीं मिलता जिसके कारण हमारा चीनी उद्योग का काम नहीं हो पाता, इसलिये सरकार ने निर्णय किया है कि निजी क्षेत्र में 50 चीनी मिल लगानी है और कोआपरेटिव और दूसरी चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में जो 32 परसेंट ड्राल है उसको बढ़ाकर 50 परसेंट किया जाय।

श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, यह प्रश्न के बिल्कुल विपरीत है और नीति के विरुद्ध है। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि केन्द्र सरकार से 50 चीनी मिलों के लाइसेंस की मांग की है, इसमें प्राइवेट चीनी मिलें नहीं हैं यानि सरकार लगायेगी, प्राइवेट चीनी मिल की संस्तुतियों का बजट भाषण में या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में समावेश नहीं कर सकते। आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका उल्लेख कैसे किया, अगर नहीं लगाना चाहते थे ? माननीय वित्त मंत्री अगर सरकारी आधार पर चीनी मिल नहीं लगाना चाहते थे तो अपने भाषण में कैसे इसका समावेश किया ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और जिस प्रश्न का उत्तर जानने की माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीति का स्पष्ट उल्लेख है। यह कहीं भी प्राविधान नहीं है, यह नियमों के अन्तर्गत है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 32 प्रतिशत ड्राल हैं, इसको 50 पर कैसे बढ़ाया जाय, इसलिये हमारी सरकार ने इस विषय पर चिन्ता की थी, वहां पर किसानों का शोषण

हो रहा था, जहां राष्ट्रीय क्षति हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार की सोच है कि ड्राल परसेंटेज को बढ़ाना है इस बात का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी के उत्तरों से स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार कोई चीनी मिल नहीं लगाने जा रही है, अपने वायदे से मुकर रही है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि घोर आर्थिक संकट है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि चीनी निगम के पास फिक्स्ड डिपाजिट 50 करोड़ रुपये है, उससे एक चीनी मिल लगायें और पिछली सरकार ने जो 10 हजार रुपये का कर्ज माफ किया था, इससे गन्ना संघ को 50 करोड़ रुपये मिला है, इन दोनों धनराशियों से एक पूर्व में और एक पश्चिम में चीनी मिल लगाने का कष्ट करेंगे ? इससे सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं पहुंचेगा।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सहाय जी ने जो कहा है, एक तो वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरिवंश सहाय जी, आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न नहीं सुना। मान्यवर, मेरा कहना है कि इनके पास दो जगह पैसा है, एक तो चीनी निगम के पास 50 करोड़ रुपये फिक्सड डिपाजिट का है और दूसरा 10 हजार रुपये कर्जा माफी वाला, गन्ना संघ के पास 50 करोड़ रुपये हैं, इसमें दो चीनी मिल, एक पूर्व में और एक पश्चिम में लगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर, प्रश्न मैं समझ नहीं पाया दुबारा बता दें।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि चीनी निगम के पास फिक्सड डिपाजिट का 50 करोड़ रुपया है और दूसरे गन्ना संघों का जो 10 हजार का ऋण माफ किया गया था, उसका 50 करोड़ रुपया है। इस रकम से दो चीनी मिलें लगायी जा सकती हैं और इस सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आयेगा।

श्री हनुमंत सिंह–

मान्यवर, ऐसा है कि हरिवंश सहाय जी पुराने सदस्य हैं, गन्ना संघ का क्या काम है और उनका क्या कार्य क्षेत्र है और किस प्रकार से ऋण की माफी की गयी है वह जानते हैं आज जिस स्तर पर पैसा मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है, उस पैसे से खाद का वितरण होना चाहिये तो उस पैसे को इस कार्य के लिये डाइवर्स करना उचित नहीं है और जहां तक चीनी निगम के पास पैसा होने का सवाल है, वह वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है और उन चीनी मिलों का नवीनीकरण और विस्तारीकरण किया जाता है इसलिये इस पैसे से चीनी मिल लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र बहेड़ी ब्रह्मनान जिला मुरादाबाद में एक चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव था, और उसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसे कब तक लगा देंगे ?

श्री हनुमंत सिंह–

जिन चीनी मिलों को लगाया जाना प्रस्तावित है, उसकी सूची पटल पर रख दी गयी है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, एन० डी० तिवारी जी ने उसका उद्घाटन किया था अपने कार्यकाल में लेकिन वह चीनी मिल नहीं बन रही है और वहां की जनता को दुख पहुंचा रहा है । इसका उत्तर आप दिलवा देंगे कि मिल बनायी जायेगी या नहीं ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बजट भाषण माननीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, उसमें कहा गया है कि 50 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में लगेंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह संकल्प क्या पूंजीपतियों द्वारा दिये गये आश्वासन के फलस्वरूप दिया गया है, क्या ऐसा भी है कि माननीय सदन के समक्ष जो बजट भाषण पढ़ा जाये वह किसी पूंजीपति के आश्वासन पर रखा जाये । क्या जो संकल्प लिया है वह किसी दूसरे के आसरे पर लिया है या अपने निजी संसाधनों पर लिया है ?

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, बहेड़ी ब्रह्मनान में माननीय मंत्री जी ने चीनी मिल लगाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है । इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मो० रिजवानुल हक सदन त्याग कर चले गये)

श्री हनुमंत सिंह–

राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की जो नीति होती है, उसका उल्लेख रहता है । सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश में 50 चीनी मिलें लगायी जायेंगी और केन्द्र सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि जिससे यहां पर 50 चीनी मिलें लगाई जा सकें । मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि 50 चीनी मिलें लगायी जायेंगी ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि मुरादाबाद ब्लाक अस्मोली के अन्तर्गत ग्राम अस्मोली में एक चीनी मिल की योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शासन से स्वयं यह स्वीकार किया कि समय-समय पर जो पूंजीपति चीनी मिल लगाते हैं उसमें किसानों का शोषण होता है और इसलिये इस सरकार ने 42 चीनी मिलों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार किया है और इसलिये केन्द्रीय सरकार भी चीनी मिलों में पूंजीपतियों के प्रवेश को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं कर रही है तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश सरकार से जानना चाहता हूं कि कब तक किसानों से दुश्मनी निभाते रहेंगे आज पूरे उत्तर प्रदेश में 30 प्रतिशत गन्ने की पेराई हो

रही है उसको बढ़ाने के लिये क्या आज की स्थिति में एक भी चीनी मिल सहकारिता के क्षेत्र में तत्काल सरकार अपने पैसे से लगाने का विचार रखती है या नहीं ? मान्यवर, बड़ा स्पष्ट सा प्रश्न है कि आज की तारीख में, चूंकि पूंजीपतियों की चीनी मिलों से गन्ना किसानों का शोषण होता है और आपकी सरकार गन्ना किसानों का मात्र 30 प्रतिशत गन्ने की पेरायी करा रही है तो उसको बढ़ाने के लिये क्या एक भी चीनी मिल सहकारिता के क्षेत्र में प्रदेश सरकार अपने पैसों से लगाने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, ऐसा लगाता है कि जो सम्मानित सदस्य ने सवाल पूछा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह सरकार जिस समय शासन में आयी उसी समय से पेराई क्षमता थी उसको बढ़ाकर 34 हजार टन प्रतिदिन करके इस सरकार ने अतिरिक्त सृजन किया है ताकि गन्ना किसानों के गन्ने की अधिक पेराई की जा सके । इसके साथ ही साथ जो हमारी सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के लाइसेंस प्राप्त हुये हैं उसमें धुरियापार और जेवर का कार्य कैसे पूरा कराया जाय इस पर सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस तरह से न करिये क्या मेरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया अगर आप उससे संतुष्ट हो गये तो कोई बात नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात तो सुनें, आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आप सिर्फ इसका उत्तर पूछ लेते.....

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में लिखकर दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं लिखकर दे रहा हूं आप चर्चा करा लें ।

(बुधवार दिनांक 6 मई, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जनपद लखीमपुर खीरी के गिरजा बेराज के दाहिने अफल्कस बांध के किनारे सिपेज ड्रेन की सफाई का मामला

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के गिरजा बैराज के दाहिने अफल्कस बांध के किनारे-किनारे सिपेज ड्रेन की सफाई कितने वर्षों से नहीं हुई है ? क्या यह सत्य है

कि उक्त ड्रेन की सफाई न होने के कारण स्थानीय जनता को नुकसान व अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो अब तक सफाई न कराये जाने के क्या कारण हैं ? इस हेतु कौन दोषी है तथा ड्रेन की सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत सीपेज ड्रेनेज का कार्य वर्ष 1990 नहर बन्दी के दौरान कराया गया था । 1991 में ड्रेन की सफाई नहीं कराई गयी ।

जी हां ।

सीमित धनावंटन एवं कार्य हेतु नहर बन्दी की सीमित अवधि के कारण सफाई नहीं करायी जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रेन की सफाई का कार्य इस वर्ष अप्रैल,, मई मास में कराया जाना प्रस्तावित है ।

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

(दिनांक 28-4-92 को ता० प्र० सं०–9 द्वारा उत्तरित)

*3–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

*4–श्री राम स्वरूप वर्मा–

(दिनांक 11-3-92 को अता० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित)

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

(मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में हुये घाटे पर प्रभावी नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कठोर कार्यवाही का किया जाना

*6–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् कितने रुपये के प्रतिवर्ष घाटे में है ? क्या यह सच है कि इस घाटे का कारण एक मुख्य अभियन्ता के स्थान पर दर्जनों मुख्य अभियन्ता होना, शक्ति भवन मुख्यालय में अफसरों की तादात बढ़ते जाना और फील्ड कर्मचारियों की तादात का घटते जाना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि 1971 में कुल कितने फील्ड कर्मचारी थे ? कुल कितने मुख्य अभियन्ता थे ? अब कितने फील्ड कर्मचारी हैं और कितने मुख्य अभियन्ता हैं ? सरकार घाटे को दूर करने और सेवा को जनोपयोगी बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टंडन)–

दिनांक 31-3-91 को समाप्त होने वाले वर्ष तक उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के वर्ष 1990-91 के अन्तर्गत लेखों के अनुसार कुल संचयी घाटा 553.89 करोड़ रुपये है ।

जी नहीं ।

वर्ष 1971 में समस्त फील्ड कर्मचारियों की कुल संख्या 40155 एवं मुख्य अभियन्ताओं की 3 व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं की 3 अर्थात् कुल 6 थी । वर्तमान समय में समस्त फील्ड कर्मचारियों की कुल संख्या 105270 एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–1 की 25 व मुख्य अभियन्ता स्तर–2 की 50 अर्थात् कुल 75 हैं ।

परिषद् में हो रहे घाटे को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :–

आठवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय एवं जल विद्युत क्षमता में सुधार अपेक्षित है तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके फलस्वरूप लाइन हानियों में कमी होने की सम्भावना है । चोरी रोकने के लिये सचल दस्तों व सतर्कता विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है । और स्वैच्छिक प्रकटन योजना पर प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है ।

प्रशासनिक एवं अन्य प्रयत्नों से घाटे पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कठोर कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त जनवरी, 1992 से परिषद् ने विद्युत दरों में वृद्धि की है जिससे परिषद् के नकद घाटे में कमी आयेगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का घाटा 553 करोड़ रुपये से ज्यादा है । मैंने प्रश्न के साथ सुझाव दिया था कि 1971 से लेकर अब तक लगातार फील्ड कर्मचारियों की संख्या का अनुपात घटता जा रहा है और राज्य स्तर पर मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों का अनुपात बढ़ता जा रहा है । पहले चीफ इंजीनियर स्तर के 6 थे अब बारह गुना से ज्यादा हो गये हैं, मुख्य अभियन्ता 75 हैं, जबकि फील्ड कर्मचारी दो गुना के लगभग बढ़े और मुख्य अभियन्ता बारह गुना बढ़ गये । जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कमी को दूर करने का कोई उपाय करेगी ? क्या मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी जो बढ़ रहे हैं उनको फील्ड में व्यवस्थित किया जायेगा ? परिषद् में हो रहे घाटे को दूर करने के उपाय जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताये हैं उसके अनुसार पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इसकी स्पष्ट व्याख्या जानना चाहता हूं । दूसरी बात भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

सबसे पहले चीफ इंजीनियर की संख्या के विषय में कह रहा हूं चीफ इंजीनियरों की संख्या में वृद्धि, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों और आवश्यकताओं के अनुरूप हुई है । यह जो संख्या 1978 में जो थी वही आज भी है । 78 के बाद से कोई भी नया पद सृजित नहीं किया गया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने इस पर पुनर्विचार की बात कही थी । 78 की कोई और सरकार थी इस समय की और सरकार है । इससे मतलब नहीं है । मैं जानना चाहता कि मुख्य अभियन्ता 75 जो बैठे हैं और उपभोक्ता बढ़े हैं तो आपने अधिकारी भी बढ़ाये हैं । क्या फील्ड कर्मचारी बढ़ायेंगे और जो मुख्य अभियन्ता यहां बैठे हैं उन्हें फील्ड में भेजेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

1971 में फील्ड कर्मचारी 40155 थे जो कि वर्तमान समय में 105270 हैं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

जैसा हृदय नारायण जी ने कहा, मुख्य अभियन्ताओं की संख्या 75 है और उपभोक्ताओं की संख्या कई गुना बढ़ी है जब अधिकारियों की संख्या बढ़ी है और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है तो फील्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिये । आपने फील्ड कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाकर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई है । क्या उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई संख्या के मुताबिक फील्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ? जो मुख्य अभियन्ता और अधिकारी यहां मुख्यालय पर बैठे हैं और जो फाइलों को देखते हैं क्या उन्हें फील्ड में भेजने का काम करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैंने अवगत कराया था कि फील्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है । इसका एक दूसरा पहलू भी है । ओवर स्टाफिंग की बात भी कही जाती थी । 1978 से इस संबंध में कड़ाई से पालन किया गया । नये पदों के सृजन पर रोक लगाई गयी । फील्ड कर्मचारियों की कमी की वजह से अगर कोई कठिनाई होती है तो हम ठेके पर भी काम कराते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय हुआ ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी/मऊ में विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना के संबंध में

* 7–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या तीस हजार से ऊपर है ? यदि हां, तो क्या वहां विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से होती है ? क्या यह सही है कि दस हजार विद्युत उपभोक्ताओं पर एक विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना का मानक है ? यदि हां, तो कार्यभार कम करने एवं उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये जनपद बांदा के उप जिला कर्वी से कर्वी/मऊ तहसीलों के लिये विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना के साथ-साथ, अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति वहां पर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी नहीं, बांदा जनपद में केवल 26735 विद्युत उपभोक्ता हैं तथा वहां नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति होती है ।

जी नहीं, विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना के लिये 2500 विद्युत उपभोक्ताओं का मानक है ।

जी नहीं । चूंकि बांदा जनपद में 26,735 विद्युत उपभोक्ता ही हैं । अतः मानक के अनुसार केवल एक ही वितरण खण्ड का औचित्य है । कर्वी/मऊ दोनों तहसीलों में कुल मिलाकर विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या केवल 8446 ही है, इसलिये कर्वी तथा मऊ तहसीलों को मिलाकर बांदा जनपद में एक नये खण्ड की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

---

* नोट :–नत्थी ''घ'' के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड राजगढ़ स्थित समसपुर लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में

*8–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड राजगढ़ स्थित समसपुर लिफ्ट कैनाल का सर्वे लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था ? यदि हां, तो उक्त लिफ्ट कैनाल के निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? उस पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ? उसका निर्माण पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1982 में सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था ।

पम्प नहर की परियोजना "चुना मूसाखण्ड लिंक नहर परियोजना" के नाम से केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को अगस्त 1989 में स्वीकृति हेतु भेजी गयी है । परियोजना की स्वीकृति अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को प्रदेश में गन्ने के वर्तमान मूल्य के अनुरूप भुगतान किया जाना

*9–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ने का वर्तमान मूल्य क्या है और जनपद बस्ती की चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों को कितने मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित किया गया है :–

वितरण	गन्ना मूल्य दर प्रति कुन्तल	
	मिल गेट पर	वाह्य क्रय केन्द्रों पर
1–शीघ्र पकने वाली जातियां	48.00	45.00
2–सामान्य जातियां	45.00	42.00

जनपद बस्ती की चीनी मिलों द्वारा किसानों को उपरोक्त दर पर ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ।

अयोध्या में ध्वस्त राम की पैड़ी में क्षति के लिये दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही

*10–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "राम की पैड़ी" अयोध्या के कुछ भाग के ध्वस्त हो जाने के क्या कारण थे ? राम की पैड़ी बनने के कितने दिनों बाद यह क्षति हुई ? इस क्षति के लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण क्षति हुई । तीन माह बाद ।

इस क्षति के लिये निम्नांकित अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं :–

1–श्री आर० एल० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता,

2–श्री बी० के० यादव, सहायक अभियन्ता,

3–श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय, सहायक अभियन्ता,

4–श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता,

5–श्री अरुण कुमार, अवर अभियन्ता ।

इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–श्री खालिद गौरी–

(दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त)

*12–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

(दिनांक 1-4-92 को ता० प्र० सं०–12 द्वारा उत्तरित)

जनपद जालौन की तहसील कालपी के बीहड़ क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाने की केन्द्र सरकार की ई० ई० सी० योजना प्रस्तावित

*13–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के खण्ड विकास महोबा तथा बदौरा डाकूग्रस्त तथा बीहड़ क्षेत्रों की बीहड़ भूमि को समतल करने तथा मेंड़बन्दी करके कृषि योग्य बनाने हेतु सरकार की ई० ई० सी० योजना पिछली सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में लागू किया जाना प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अब तक कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विकास के लिये ई० ई० सी० योजना लागू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां । जुलाई, 1991 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है ।

योजना लागू होना भारत सरकार तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्वीकृति पर निर्भर करता है । योजना स्वीकृत होने पर ही कार्यान्वित की जायेगी ।

सिंचाई विभाग में आई० आई० टी० कानपुर के माध्यम से चयनित सहायक अभियन्ताओं के विनियमितीकरण का मामला

*14–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या–3540/दो-86/23/सिं०-2/23-85, दिनांक 5-6-86 एवं 4250/2-86/23/सिं०-2/23-85, दिनांक 7-10-86 के द्वारा सिंचाई विभाग में आई० आई० टी० कानपुर की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के द्वारा चयनित एवं तदर्थ रूप से नियुक्त

56 सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) का विनियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया ? जबकि विनियमितीकरण शासनादेश 1989 के अन्तर्गत इनका विनियमितीकरण वर्ष 1986 से कर दिया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो लम्बित प्रकरण को न निपटाने के लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं, तथा उन्हें दण्डित क्यों नहीं किया गया ? विनियमितीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश संख्या-3340/दो-86/23-सिं०2-23-85, दिनांक 5-8-86 (न कि प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 5-6-86), संख्या-3671/दो-86-23-सिं-2/23-85, दिनांक 19-9-86 एवं संख्या 4250/ दो-86-23-सिं-2/23-85, दिनांक 17-10-86 द्वारा सिंचाई विभाग में आई० आई० टी० कानपुर, के माध्यम से चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों में से अब तक वर्तमान में 55 (न कि 56) अभ्यर्थी सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, जिनका विनियमितीकरण अभी तक इसलिये नहीं किया गया है क्योंकि वे शासकीय अधिसूचना संख्या-15-18-86-कार्मिक-1 (1), दिनांक 7-8-1989 के अधीन बनी "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रांतर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989", के पात्रता क्षेत्र में नहीं आते हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*15–श्री विजय सिंह राणा–

(दिनांक 8-4-92 को अता० प्र० सं० 162 द्वारा उत्तरित)

सरकारी नलकूपों पर कार्यरत कूप चालकों के वेतन वृद्धि का मामला

*16–श्री कुंवर सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सरकारी नलकूपों पर कार्यरत कूप चालकों को मात्र 300 रुपये वेतन दिया जाता है ? क्या कूप चालकों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

अब अंशकालीन नलकूप चालकों की व्यवस्था को पुनरीक्षित करते हुये इनका नाम "नलकूप सहायक" किया गया है तथा इनके मानदेय की धनराशि रुपये 299.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर 550.00 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है । साथ ही नलकूप सहायकों को प्रोत्साहन भत्ता भी स्वीकृत किया गया है ।

जिला इलाहाबाद में प्रतापपुर स्थित इफ्को उर्वरक कारखाने हेतु अधिग्रहीत किसानों की जमीन के एवज में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिये जाने की मांग

*17–श्री भोला सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य तथा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद के विधान सभा के प्रतापपुर स्थित इफ्को उर्वरक कारखाने हेतु जो भूमि किसानों की अधिग्रहीत की गयी थी उसमें से भूमिहीन किसानों के

हर परिवार के एक सदस्य को नियमतः रोजगार दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन्हें कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में कार्यरत गन्ना सहकारी समितियों का वर्ष 1991-92 में दिये गये कमीशन का प्रकरण

*18–श्री हरिवंश सहाय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कार्यरत गन्ना सहकारी समितियों का कमीशन वर्ष 1991-92 में कम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कमी करने का कारण क्या है ?

श्री हनुमंत सिंह–

वर्ष 1990-91 में पूर्व सरकार द्वारा गन्ना सहकारी समितियों का कमीशन बढ़ाने पर निर्णय लिया गया था, लेकिन यह निर्णय पेराई सत्र 1990-91 में लागू नहीं किया जा सका और गन्ना समितियों को 50 पैसे प्रति क्विंटल गन्ना कमीशन ही प्राप्त हुआ ।

उच्चतम स्तर पर गन्ना सहकारी समितियों के कमीशन के मामले पर विस्तृत छान-बीन कर तथा गन्ना सहकारी समितियों के कार्यकलापों एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1991-92 के लिये गन्ना समितियों का कमीशन प्रचलित दर 50 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 70 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया जाय ।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद, के अन्तर्गत सिरौली गौसपुर से पालपुर तक शारदा सहायक नहर द्वारा सीपेज के पानी से किसानों की क्षति

*19–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत सिरौली गौसपुर से पालपुर तक शारदा सहायक नहर द्वारा सीपेज के पानी से हर वर्ष करीब 2000 किसानों के परिवार प्रभावित होते हैं ? क्या सरकार सीपेज के पानी की समस्या का कोई निदान कर रही है एवं उक्त प्रभावित किसानों को कोई मुआवजा दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद के अन्तर्गत सिरौली गौसपुर से पालपुर तक शारदा सहायक की समानान्तर दरियाबाद शाखाओं के कि० मी० 47.00 से 76.400 के बीच मात्र 30 हेक्टेयर क्षेत्र सीपेज से प्रभावित होता है ।

प्रभावित भागों में सीपेज की समस्या के निदान हेतु शाखाओं की लाइनिंग किया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रभावित क्षेत्र में खरीफ तथा जायद की फसलें होती हैं अतएव मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्या

*20–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत का लगातार 20 घण्टे की आपूर्ति की सरकार ने कोई घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या सरकार की उस घोषणा का क्रियान्वयन हुआ है ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 घण्टे बिजली की आपूर्ति का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को 24 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, जिसके लिये पूर्ण प्रयास किया जाता है । परन्तु जब विद्युत की मांग विद्युत उपलब्धता के सापेक्ष अधिक होती है तब प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये शहरी क्षेत्रों में विद्युत कटौती की जाती है । अतः यह सम्भव है कि शहरी क्षेत्रों को निर्धारित मात्रा से कम विद्युत प्राप्त होती हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों को तीन फेस विद्युत आपूर्ति दिन अथवा रात्रि के समय साप्ताहिक चक्रीय कार्यक्रम के आधार पर 14.00 घण्टे प्रतिदिन का प्राविधान है और उसे पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है । सायंकाल 18.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6.00 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों को बत्ती एवं पंखे के लिये दो फेस विद्युत आपूर्ति का भी प्राविधान है । वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों को इससे अधिक विद्युत आपूर्ति कर पाना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लिये सम्भव नहीं है क्योंकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का भार इतना अधिक है कि उसको एक साथ विद्युत आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ के हाथरस नगर की वर्ष 1991 की जनसंख्या के मानक के अनुरूप विद्युत ग्रेडेशन का प्रस्ताव

1–श्री राम सरन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाथरस, जनपद अलीगढ़ की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कितनी है ? उक्त हारथरस क्षेत्र जनपद अलीगढ़ में उक्त हिसाब से हाथरस का विद्युत ग्रेडेशन क्या है ? क्या यह सत्य है कि इसे अपग्रेडेड नहीं किया गया ? विद्युत अपग्रेडेशन के मानक क्या हैं ? हाथरस को विद्युत अपग्रेडेड कब किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

हाथरस जनपद अलीगढ़ की जनसंख्या 1991 की जनगणना के आधार पर 1,13,653 है । हाथरस नगर जनपद अलीगढ़ की विद्युत आपूर्ति जिला मुख्यालय स्तर पर की जाती है । विद्युत आपूर्ति हेतु इसे जिला मुख्यालय से ऊपर अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में विद्युत आपूर्ति स्तर का निर्धारण 1981 की जनगणना के आधार पर किया जाता है । जो नगर वास्तव में जिला मुख्यालय है या जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 60,000 से 2.5 लाख के बीच है, उन सभी नगरों को जिला मुख्यालय स्तर दिया जाता है क्योंकि हाथरस नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 93,047 थी, इसलिये इसे जिला मुख्यालय स्तर दिया गया है । अभी तक 1991 की जनगणना के सम्पूर्ण आंकड़े प्राप्त नहीं हुये हैं, इसलिये विद्युत आपूर्ति स्तर का निर्धारण 1981 की जनगणना के आधार पर ही चल रहा है । जब 1991 जनगणना के आंकड़े पूरे प्रदेश के प्राप्त हो जायेंगे तो विद्युत आपूर्ति हेतु इसे आधार मानकर अन्य नगरों के साथ हाथरस नगर के वर्गीकरण पर भी विचार किया जा सकेगा ।

जिला अलीगढ़ में मुरसान ब्लाक के अन्तर्गत बर्द्धवारी नाम की किसी माइनर का निर्माण प्रस्तावित न होना

2–श्री राम सरन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाथरस क्षेत्र जिला अलीगढ़ में मुरसान ब्लाक, के अन्तर्गत वर्ष 1977 में बर्द्धवारी माइनर का सर्वेक्षण मांट, खण्ड मथुरा के अधिकारियों द्वारा कराकर वर्ष 1990 तक माइनर निर्माण का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त माइनर अब तक क्यों नहीं बनाई गयी है ? अब यह माइनर कब तक बन जायेगी ? इस माइनर निर्माण हेतु क्या विभागीय कार्यवाही चल रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हाथरस क्षेत्र जिला अलीगढ़ में मुरसान ब्लाक के अन्तर्गत बर्द्धवारी माइनर नाम की किसी माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है और न ही वर्तमान में इस नाम की माइनर के निर्माण संबंधी कोई आश्वासन लम्बित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अलीगढ़ के राजकीय नलकूप संख्या 90 व 91 एच० जी० की गूलों का निर्माण तथा उसके नलकूप निर्माण खण्ड से नलकूप सामान्य खण्ड को हस्तांतरण किये जाने का मामला

3–श्री राम सरन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाथरस क्षेत्र जिला अलीगढ़ के राजकीय नलकूप संख्या 90 व 91 एच० जी० की गूलों का निर्माण तथा इनके नलकूप निर्माण खण्ड से नलकूप सामान्य खण्ड को हस्तान्तरण की प्रक्रिया अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों ? नलकूप संख्या 86 एच० जी० का पुनरोद्धार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने से पूर्व चालू करने के लिये क्या कार्यवाही कब-कब की गयी ? क्या एयर कम्प्रेसर चलवाकर परीक्षण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

90 एच० जी० पर निर्माण एवं हस्तांतरण की क्रिया पूर्ण है । 91 एच० जी० का यांत्रिक हस्तान्तरण ऊर्जीकरण के पश्चात् सामान्य खण्ड को किया जा चुका है परन्तु जल वितरण प्रणाली का हस्तान्तरण अवशेष है ।

राजकीय नलकूप संख्या 91 एच० जी० पर पाइप लाईन का निर्माण गत वर्षों में पूर्ण किया गया है परन्तु पाइप लाइन एलीवेटेड टेक से नहीं जुड़ी है तथा आउटलेट्स अपूर्ण है जिसके कारण इसकी टेस्टिंग करके जन वितरण प्रणाली का हस्तांतरण निर्माण खण्ड से सामान्य खण्ड को किया जाना शेष है जो माह जून, 1992 तक पूर्ण हो जायेगा ।

जी नहीं ।

नलकूप के जल का रासायनिक परीक्षण सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा कराने पर नलकूप के कमाण्ड में सामान्यतः दोषी बोयी जाने वाली फसलों के लिये अनुपयुक्त बताया गया । साथ ही इस नलकूप का जल नलकूप जाली के लिये सआरी है और पर्यटेच्छादन का गुण रखता है ।

वित्तीय वर्ष 92-93 में जनपद योजना में धन उपलब्धता के आधार पर नये नलकूपों का निर्माण किया जा सकता है ।

इण्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 92-93 में नलकूप लगाये जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में दिनांक 1-11-91 से 31-1-92 तक बिजली के बकाये बिलों की वसूली गयी धनराशि का विवरण

4-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद से दिनांक 1-11-91 से दिनांक 31-1-92 के बीच कितनी धनराशि बिजली के बकाये आदि की वसूली हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

देवरिया जनपद में दिनांक 1-11-91 से 31-1-92 के बीच 181.22 लाख रुपये की धनराशि बिजली बिलों तथा बकाये के विरुद्ध वसूल की गयी ।

जनपद लखीमपुर खीरी में श्री संकठा प्रसाद कुरील चपरासी विद्युत वितरण खंड (तृतीय) का माह 10/90 के वेतन का मामला

5–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री संकठा प्रसाद कुरील, चपरासी, विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), लखीमपुर खीरी को माह 10/90 का पूरा वेतन अब तक न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या उक्त कर्मचारी छुट्टी पर था ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस कर्मचारी की वार्षिक बढ़ोत्तरी वर्ष 1991 में नहीं दी गयी ? क्या उसके सभी बकाये रोके गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री संकठा प्रसाद कुरील, चपरासी विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) लखीमपुर खीरी को माह 10/90 का पूरा वेतन अब तक इस कारण नहीं दिया जा सका है कि श्री संकठा प्रसाद कुरील को इस माह की विभिन्न छुट्टियों की तिथियों में ड्यूटी करने के आदेश दिये गये थे परन्तु उन्होंने ड्यूटी नहीं की । अतः कार्य नहीं तो वेतन नहीं के आधार पर उन्हें इन तिथियों का वेतन नहीं दिया गया ।

जी नहीं, क्योंकि उपर्युक्तानुसार ड्यूटी लगाने के बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी नहीं की ।

जी हां, क्योंकि उक्त कर्मचारी को वर्ष 1990-91 में कटे हुये वेतन के संबंध में ड्यूटी न करने के तथा आदेशों की अवहेलना करने के लिये आरोप पत्र दिया गया है । विभागीय कार्यवाही पूरी होने पर कन्टीन्यूएशन सर्टिफिकेट निर्गत किये जाने के बारे में निर्णय हो पायेगा तथा तभी वार्षिक बढ़ोत्तरी पर भी निर्णय हो सकेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड 41 में श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता द्वारा निर्मित किये गये नाले का नाम तथा खर्च किये गये धन की विस्तृत जानकारी तथा मस्टर रोल द्वारा कराये गये कार्य का भुगतान न किये जाने का मामला

6–श्री तेज भान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ शारदा सहायक खंड–41. रायबरेली ने अपनी कार्यादेश पुस्तिका–92 के कार्यादेश संख्या–1 से 50 तक और

कार्यादेश पुस्तिका 101 के कार्यादेश संख्या–1 से 50 तक किस नाले और किस कार्य पर किये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि प्राक्कलन संख्या जिसके अन्तर्गत यह कार्य कराया गया उक्त प्राक्कलन किस दिनांक को स्वीकृत किया गया व किस दिनांक को कार्यादेश हुआ ? निर्मित नाले का नाम क्या है और उस पर क्या कार्य हुआ है ? किस अवर अभियन्ता के द्वारा माप अंकित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या अब माप की जायेगी ? किस संख्या के कार्यादेश का भुगतान हो चुका है ? कितने रुपये का कार्यादेश हुआ ? किस संख्या के कार्यादेश की कितनी धनराशि का भुगतान होना शेष है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में वांछित कार्यादेश संख्या व निर्गत करने का दिनांक विवरण पत्र संख्या 1 व 2 के कालम 2 में नाले का नाम कालम 3 में प्राक्कल स्वीकृत करने का दिनांक कालम 4 में, कार्यों का विवरण कालम 5 में तथा अंकित करने वाले अवर अभियन्ता का नाम कालम 6 में दर्शाया गया है, जिसे माननीय सदस्य महोदय मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

जांच की जा रही है । जांच पूर्ण हो जाने के उपरान्त माप की कार्यवाही की जायेगी ।

कार्यादेश के भुगतान की धनराशि के संबंध में विवरण पत्र संख्या 1 व 2 के कालम 8 में कितने रुपये का कार्यादेश हुआ, के बारे में विवरण पत्र संख्या 1 व 2 के कालम 7 में तथा भुगतान की शेष धनराशि के संबंध में सूचना विवरण पत्र संख्या 1 व 2 के कालम 9 में अंकित की गयी हैं, जिसे माननीय सदस्य महोदय मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

7–श्री तेजभान सिंह–.

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली के अन्तर्गत मस्टर रोल संख्या, 799, 822, 823, 640, 634, 806, 638, 798, 629, 603, 632 और 801 जो माप पुस्तिका संख्या 200 (एल) के पृष्ठ संख्या 77 (बी) से 83 (ए) तक अंकित हैं, का भुगतान हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अगर भुगतान हुआ तो क्या एक साथ हुआ है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? अगर हर मस्टर रोल का भुगतान अलग-अलग हुआ है, तो किस-किस दिनांक को ? क्या उपरोक्त मस्टर रोल में कुछ मस्टर रोल अभी भुगतान के लिये शेष हैं ? यह मस्टर रोल भुगतान के लिये शेष क्यों हैं ? उपरोक्त मस्टर रोल किस वर्ष के, किस माह में बनाये गये हैं और किस अवर अभियन्ता के द्वारा बनाये गये ? किस अवर अभियन्ता के द्वारा भुगतान कराये गये हैं ? भुगतान के समय उपरोक्त नालों का चार्ज किस अवर अभियन्ता के पास था ? क्या सहायक अभियन्ता चतुर्थ श्री गर्ग ने स्वयं मौके पर जाकर उपरोक्त कार्यों की माप चेक की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड–41 रायबरेली उपरोक्त कार्यों से संतुष्ट हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक खण्ड 41 रायबरेली के केवल मस्टर रोल संख्या 823, 640 एवं 638 का ही भुगतान हुआ है । प्रश्नगत मस्टर रोल के जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

जनपद इलाहाबाद में सिंचाई विभाग में कार्यरत श्री अनिल कुमार मिश्र की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग

8–श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-11-90 को अनिल कुमार मिश्रा (मृतक आश्रित) निवासी इलाहाबाद को सिंचाई विभाग में सेवा में लिये जाने विषयक विभागीय अधिकारियों की संस्तुति सहित मुख्य मंत्री को मूल रूप में प्रश्नकर्ता की प्रबल संस्तुति सहित कोई आवेदन दिया गया था ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य मंत्री के पत्र सी०एम०वि०को० एम०–2/19–141/गो० (5)/90 दिनांक 30 नवम्बर, 1990 पर क्या कार्यवाही की

गयी ? बिलम्ब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 के तहत मृतक का पौत्र, नियुक्ति का पात्र नहीं है, तदनुसार प्रार्थी को पत्र दिनांक 22-1-1992 द्वारा सूचित कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से आज तक बाढ़ सुरक्षा, बांध निर्माण आदि में किये गये व्यय की जानकारी

9–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में 1989 से आज तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत कराने पर कितनी धनराशि किस-किस खण्ड को किस-किस कार्य के लिये आवंटित की गयी है ? क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जपनद महराजगंज की ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण न किये जाने की जानकारी

10–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बांसपार कोटी, लक्ष्मीपुर पिपरालाला, विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज, ग्राम सभाओं में पिछले 5 साल से बिजली के खम्भे खड़े हैं, लेकिन इन गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जनपद महराजगंज के प्रश्नगत ग्रामों का जनपद विद्युत सलाहकार समिति द्वारा विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया है । बिजली के खम्भे ग्रामवासियों ने डम्प स्टोर से उठाकर स्वतः खड़े कर लिये हैं, तथा इस बात की जांच कराई जायेगी ।

उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण इनके विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन कराने एवं संसाधन उपलब्ध होने पर किया जा सकता है ।

जनपद रायबरेली में शारदा सहायक खण्ड 41 के अन्तर्गत चतुर्थ उपखण्ड से माप पुस्तिका गायब होने की जांच

11–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-41 के अन्तर्गत चतुर्थ उपखण्ड के माप पुस्तिका संख्या 169 (एस०) गायब हैं ? क्या यह सत्य है कि इस माप पुस्तिका में श्री धर्मपाल गर्ग,

सहायक अभियन्ता, चतुर्थ द्वारा फर्जी भुगतान अंकित किया गया था ? क्या माप पुस्तिका संख्या 169 (एस०) को गायब होने की जांच कराई गयी है ? क्या चतुर्थ उपखण्ड शारदा सहायक खण्ड-41 से और भी माप पुस्तिकायें गायब हैं ? यदि हां, तो माप पुस्तिका संख्या 169 (एस०) गायब होने के संबंध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक खण्ड 41 रायबरेली के अन्तर्गत चतुर्थ उपखण्ड से माप पुस्तिका संख्या 169 (एस०) के गायब होने की कोई सूचना अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त नहीं हुई है । सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता उपखण्ड से संबंधित समस्त माप पुस्तिकायें प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया परन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है । प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

जांचोपरान्त ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पायेगी ।

जांच कराई जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को चतुर्थ उपखण्ड से किसी माप पुस्तिका गायब होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई । माप पुस्तिका संख्या 169 (एस०) गायब होने के संबंध में जांच कराई जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में महुला गढ़वाल बांध में कार्यरत सीजनल श्रमिकों के भुगतान की मांग

12–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में महुला गढ़वाल बांध पर कार्यरत सीजनल कर्मचारियों की ड्यूटी कब से कब तक रहती है ? क्या इसका अनुपालन वर्ष 91 में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके द्वारा अब तक दी गयी ड्यूटी का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनका वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केवल वर्षाकाल में सीजनल श्रमिक रखे जाते हैं, वर्ष 1991 में सीजनल श्रमिक दिनांक 15-6-91 से 30-9-91 तक कार्य पर रहे । धन की कमी के कारण आंशिक भुगतान किया गया है, धन उपलब्ध होते ही शेष का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद सिद्धार्थनगर में बली नामक विकास खण्ड का न होना

13–श्री शिवलाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बली को सिंचित करने वाली सरयू नहर की खुदाई में रुकावट के कारण क्या हैं ? उक्त योजना से सिंचाई कब तक उपलब्ध की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर में बली नाम का कोई विकास खंड नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण संसाधन की उपलब्धता

14–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा धरुआर, पोस्ट बली, जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युतीकरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युतीकरण आधी ग्राम सभा में ही किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पूरी ग्राम सभा में विद्युतीकृत होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1981 में किया गया था ।

वर्तमान समय में ग्राम के दो टोले (ग्राम) 25 के०बी०ए० ट्रान्सफार्मर के द्वारा विद्युतीकृत हैं ।

पूरे ग्राम का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जा सकता है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बरगदवा विकास खण्ड बढ़नी में विद्युतीकरण

15–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरगदवा, विकास खण्ड बढ़नी, तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर में किस सन् में विद्युतीकरण किया गया था ? क्या उक्त ग्राम में विद्युत का लाभ जनता को शासन के आदेशानुसार मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1984 में किया गया था ।

विद्युत का लाभ जनता को शासन के आदेशानुसार दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं । गांव के अन्दर की कुछ क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक किया जा रहा है ।

*16–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 8-4-92 को अता० प्र० सं० 124 तथा अता० प्र० सं० 142 द्वारा उत्तरित]

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पदों पर डिप्लोमाधारी मैकेनिकल इन्जीनियरिंग की तैनाती एवं प्रोन्नति का मामला

17–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पदों पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमाधारी व्यक्तियों की तैनाती किन परिस्थितियों में की गयी है ? क्या इन पदों के लिये शैक्षिक योग्यता एम० एस-सी० कृषि अथवा कृषि अभियंत्रण स्नातक ही नियत है ?

श्री गंगाभक्त सिंह–

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 से भूमि संरक्षण अधिकारी/प्राविधिक अधिकारी के पदों पर मैकेनिकल इन्जीनियरिंग के डिप्लोमाधारी कर्मियों की भी प्रोन्नति एवं तैनाती शासनादेश संख्या 7905/12-1-80-409/78, दिनांक 24 फरवरी, 1981 में निहित प्राविधानों के अनुसार की गयी है ।

जी नहीं ।

जनपद रायबरेली में शारदा सहायक खण्ड-41 के अन्तर्गत श्री धर्मपाल गर्ग सहायक अभियन्ता द्वारा कतिपय ड्रेनों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच

18–श्री तेज भान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-41, रायबरेली के अन्तर्गत श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता चतुर्थ ने बेला गुसेसी आबादी ड्रेन पर कार्यादेश संख्या 1/92 दिनांक 1-8-90 को निर्गत किया था या दिनांक 1-4-91 को ? क्या उक्त सहायक अभियन्ता, ने अपने पत्र संख्या 279/डब्लू–1, दिनांक 20-8-91 में यह लिखा है, कार्यादेश संख्या 1/92 अपरिहार्य कारणवश निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो वह अपरिहार्य कारणवश निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो वह अपरिहार्य कारण क्या थे और कार्यादेश संख्या 1/92 किस दिनांक को निरस्त किया गया है ? क्या श्री गर्ग ने बेला गुसेसी आबादी ड्रेन पर कार्यादेश संख्या 11/92 किसी दूसरे ठेकेदार के नाम भी निर्गत किया है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों कार्यादेशों से संबंधित सूचना, अधिशासी अभियन्ता, शा० स० ख० 41, रायबरेली के पास है ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री धर्मपाल गर्ग सहायक अभियन्ता चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड 41 रायबरेली द्वारा कार्यादेश संख्या 01/92 दिनांक 1-8-90 निर्गत किया गया है । पूर्व तिथि (बैकडेटिंग) के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच की जा रही है ।

सहायक अभियन्ता का प्रश्नगत पत्र अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । श्री गर्ग सहायक अभियन्ता शारदा खण्ड 41 को सम्बोधित पत्र संख्या–1/कैम्प, दिनांक 1-4-91 जो उन्होंने दिनांक 18-9-91 को स्वयं अधिशासी अभियन्ता को दिया, द्वारा सूचित किया है कि वर्षा एवं खेत की बुआई की वजह से नई ड्रेन (बेला मुसेसी आबादी) एवं ठेकेदार की असमर्थता की वजह से कार्य करना संभव नहीं था जिससे कार्यादेश संख्या 1/92 निरस्त करना पड़ा । कार्यादेश की कार्यालय प्रति पर दिनांक अंकित नहीं है ।

जी हां । श्री गर्ग सहायक अभियन्ता के द्वारा कार्यादेश संख्या 11/92 दिनांक 4-4-91 बेला मुसेसी आबादी ड्रेन के कार्य हेतु अर्जुन सिंह ठेकेदार को निर्गत किया है यह प्रकरण भी श्री गर्ग सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जा रही जांच में सम्मिलित है । अभी जांच जारी है ।

जनपद रायबरेली के शारदा सहायक खंड 41 के अन्तर्गत भुसैला ताल नाले पर सहायक अभियन्ता चतुर्थ द्वारा अभिलेखों में किये गये कार्यादेश व अनुबन्ध की जानकारी

19–श्री तेज भान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली के अन्तर्गत भुसैला ताल नाले पर सहायक अभियन्ता चतुर्थ शा०स०ख० 41, रायबरेली ने 1-4-91 के बाद अब तक कितने कार्यादेश व अनुबन्ध निर्गत किये हैं ? इसमें से कितने कार्यादेश और अनुबन्ध की पैमाइश श्री के० एल० कोहली, अवर अभियन्ता ने अपनी माप पुस्तिका में किस दिनांक को अंकित की है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त श्री के० एल० कोहली और श्री राम चन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता ने चतुर्थ उप खण्ड, शारदा सहायक खण्ड 41 से संबंधित राही ब्लाक के नालों के कितने कार्यादेश और अनुबन्धों की पैमाइश दिनांक 1-4-91 से अब तक अपनी माप पुस्तिकाओं पर अंकित की है ? कार्यादेश व अनुबन्ध संख्या,

मांप पुस्तिका संख्या, पृष्ठ संख्या आदि के विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक खंड 41 रायबरेली के अन्तर्गत भुसैला ताल नाले पर सहायक अभियन्ता चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड 41, रायबरेली से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार दिनांक 1-4-91 के बाद अब तक 20 कार्यादेश व 10 अनुबन्ध किये हैं ।

वांछित विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्य द्वारा देखा जा सकता है ।

राही ब्लाक के नालों पर श्री के० एल० कोहली, अवर अभियन्ता द्वारा 2 अनुबन्ध एवं 15 कार्यादेशों का तथा श्री राम चन्द्र प्रसाद, अवर अभियन्ता द्वारा 7 कार्यादेशों का मापन दिनांक 1-4-91 से अब तक अंकित किया गया है ।

वांछित विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्य द्वारा देखा जा सकता है

उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में कार्यरत नियमित सींचपालों एवं नलकूपों चालकों के वेतन का मामला

20–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में कार्यरत नियमित सींचपालों एवं नलकूप चालकों को 950 से 1500 रुपया का वेतनमान शासन ने दिया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सही है कि कार्य प्रभारित सींचपालों तथा नलकूप चालकों को भी उक्त वेतनमान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नियमित सींचपालों तथा नलकूप चालकों को दिनांक 1-1-86 से 950-1500 का वेतनमान दिया गया है ।

कार्य प्रभारित सींचपालों तथा नलकूप चालकों को उक्त वेतनमान अभी नहीं दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद में अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल प्रथम के अधीन कार्यरत श्री भरत सिंह, भंडारपाल की मृत्यु के उपरान्त अवशेषों के भुगतान का मामला

21–श्री अखिलेश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण नलकूप मण्डल प्रथम, फैजाबाद के अधीन भण्डारपाल पद पर कार्यरत रहते हुये श्री भरत सिंह का स्वर्गवास दिनांक 7-1-91 को हो गया है ? यदि हां, तो क्या उनके समस्त अवशेषों (देयकों) का भुगतान जो कि नलकूप खण्ड बहराइच/नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद द्वारा भुगतान होना था, उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त के संदर्भ में मंत्री जी को स्पीड पोस्ट पत्र डी 1404/9727714, दिनांक 7-2-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि इनके विरुद्ध राजकीय सामग्री की हानि तथा अन्य सरकारी देयों की वसूली होनी है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अपर गन्ना आयुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके की गयी प्रोन्नति एवं दवाओं की खरीद में घोटाले विषयक शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

22–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का अपर गन्ना आयुक्त के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके गलत एवं अनियमिततापूर्ण प्रोन्नति करने, दवाओं की खरीद में घोटाला करने आदि आरोपों से संबंधित पत्र जुलाई, 91 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में बाईपास पर लगाये गये नलकूपों से प्राप्त सिंचाई व राजस्व की जानकारी

23–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद जनपद सीतापुर में बाई पास के निकट स्थित राजकीय नलकूप को क्या किसी व्यक्ति विशेष के बाग में लगाया गया है । यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे राजस्व की वसूली व सिंचाई होती है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त नलकूप को किसी व्यक्तिगत बाग में लगाये जाने के कारणों की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गत 5 वर्षों में आकड़े के औसत के अनुसार सिंचाई प्रतिवर्ष 58 हे० व अर्जित राजस्व रुपये 4,540.87 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

24–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला देवरिया में श्री जगदीश सिंह पूर्व सी० डी० आई० (एम) पडरौना पर गबन का आरोप

25–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि श्री जगदीश सिंह पूर्व सी० डी० आई० (एम) पडरौना, जिला देवरिया ने पडरौना केन यूनियन से 4 लाख रुपया लूटे जाने की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस में दर्ज किया है ? क्या यह सत्य है कि पुलिस ने विवेचना के बाद उक्त घटना को लूट या चोरी की घटना न पाकर गबन का मामला पाया है व घटना में श्री जगदीश सिंह को ही जिम्मेदार माना है ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना चोरी या लूट की न होकर, गबन का मामला है ? यदि हां, तो उसमें सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश सिंह सी० डी० आई० (एम) ने पडरौना केन यूनियन जिला देवरिया में पदासीन होने के पूर्व बेतालपुर व कप्तानगंज केन यूनियनों में भी लाखों रुपये की रकम, लूटे जाने की रिपोर्ट लिखायी थी, जोकि गलत पायी गयी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उन मामलों में कौन सी कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सत्य है कि श्री जगदीश सिंह पूर्व सी० डी० आई० (एम) पडरौना के विरुद्ध 4 लाख रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है एवं उनके विरुद्ध विवेचना हो रही है ? यदि हां, तो क्या इसके बावजूद उन्हें पुरस्कृत करते हुए नैनीताल में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला देवरिया के कृषि अधिकारी श्री राम सजीवन यादव के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के संबंध में शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही

27–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी देवरिया श्री राम सजीवन यादव के विरुद्ध बिन्दुवार दो शिकायती पत्र दिनांक 16-7-91 व 9-9-91 उन्हें दिये गये हैं । यदि हां, तो उनके विरुद्ध जांच हेतु आदेश पारित हुए हैं । क्या उक्त जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की कोई जांच हुई । यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

प्रथम दृष्ट्या कतिपय आरोपों के संबंध में दोषी पाये जाने के परिणाम स्वरूप उनका स्थानान्तरण जिला कृषि अधिकारी, देवरिया के पद से प्रक्षेत्र प्रबन्ध अधिकारी, मेरठ के पद पर कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा चांदा के अन्तर्गत डिवाई रजबहा माइनर की खुदाई व सफाई में किये गये व्यय की जानकारी

28–श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा से होकर कितनी चौड़ी डिवाई रजबहा माइनर, कितने किलोमीटर की परिधि में निकाली गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1991 में रजबाहों डिवाई माइनरों की कितनी बार सफाई हुई ? कितना-कितना धन व्यय हुआ ? कितनी घनफिट मिट्टी निकाली गयी व किसके माध्यम से ? क्या उनके नाम व पतों के साथ माइनरों के विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1991 में नहरों की सफाई केवल अभिलेखों में ही की गयी ? क्या पानी हेड से टेल तक पहुंचा नहीं । क्या किसानों की फसल सूखने के बावजूद भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत लगायें गये नलकूपों की संख्या तथा खराब पड़े नलकूपों व उनके ठीक किये जाने एवं नये नलकूप लगाये जाने की जानकारी

29–श्री फतेहबहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितनी राजकीय नलकूपें लगाई गयीं हैं ? विकास खण्डवाइज उनकी संख्या क्या है ? उनमें से कितने कूप खराब हैं व कितनी चल रही है ? कितने नलकूपों की मोटर बिना स्टार्टर से चल रही है ? कितनी नलकूपों की पक्की नाली बनी है ? कितनी का नाली बनाना शेष है ? आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी राजकीय नलकूप और लगाये जाने की योजना है ? क्या शासन ब्लाक भदैयां के, कमनगढ़ ओदरा, भोंवा आदि ग्रामों में इन्डोडच की नलकूप लगाने की योजना जनहित में बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 803 नलकूप लगाये गये हैं ।

विकास खण्डवार निर्मित नलकूपों की संख्या संलग्न है ।

47 नलकूप खराब है, जिसमें से 33 परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं तथा 14 असफल हैं जिनका पुनः निर्माण विचाराधीन है ।

756 नलकूप चलित हैं, जिसमें से सप्ताहान्त 16-4-92 के अनुसार 45 नलकूप यांत्रिक दोष तथा 33 नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द है ।

32 नलकूपों की मोटर बिना स्टार्टर के चल रही है ।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड, उत्तर प्रदेश

710 नलकूपों पर गूल अथवा जल वितरण प्रणाली पूर्ण है तथा 30 नलकूपों पर आंशिक रूप से निर्मित हैं ।

16 नलकूपों पर पाइप लाइन पूर्ण रूप से बनाना शेष है तथा 30 नलकूपों पर आंशिक रूप से शेष है ।

नलकूप के जल का नमूना की रासायनिक परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर जल सिंचन के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

नलकूप के जल का नमूना की रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जल सिंचन के लिये अनुपयुक्त पाया जाना ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ पर 235)

30–श्री स्वामी नाथ यादव–

(8वें सोम० में अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद के नगरीय क्षेत्र में सिविल लाइन स्थित राजकीय आवासों व राजकीय कालोनी में विद्युत कनेक्शन हेतु बकाये की वसूली

31–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के नगरीय क्षेत्र फैजाबाद में पड़ने वाले मुहल्ला सिविल लाइन स्थित राजकीय आवासों व राजकीय कालोनियों में रहने वाले किन-किन लोगों के विद्युत कनेक्शनों हेतु उपभोक्ताओं पर विद्युत परिषद् का कितना-कितना विद्युत मूल्य बकाया है । उक्त बकाया की वसूली के लिये राज्य विद्युत परिषद् के सक्षम और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड देवां उरगड़िया की माइनरों द्वारा सिंचाई करने वाले कृषकों से शुल्क लिया जाना एवं माइनरों में ली गयी भूमि का मुआवजा न दिया जाना

32–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के विकास खण्ड देवां की तासपुर माइनर माधवपुर माइनर एवं विकास खण्ड उरगड़िया माइनर, जुग्गौर माइनर, सफेदाबाद माइनर द्वारा कृषकों की आरांजी की आबपासी (सिंचाई) करके शुल्क लिया जा रहा है ? क्या उक्त माइनरों में ली गयी कृषकों की भूमि का मुआवजा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

समस्त भूमि के प्रतिकर का भुगतान नहीं दिया गया है । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर में बफर गोदाम, राजकीय कृषि बीज भण्डार सैदपुर, सादात जकानियां व जमनियां में पड़े ताले के संदर्भ में जांच

33–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी गाजीपुर ने अपने कार्यालय से पत्र संख्या 2443/4-कृषि–लेखा/91-92 दिनांक 30-1-92 द्वारा जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर, कृषि रक्षा अधिकारी गाजीपुर, अपर जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर तथा संयुक्त कृषि निदेशक/प्रसार/वाराणसी मण्डल, वाराणसी व कृषि निदेशक/पूर्ति अनुभाग, उ० प्र०, लखनऊ को भेजा है ? यदि हां, तो क्या उसमें बफर गोदाम गाजीपुर, राजकीय कृषि बीज भण्डार, सैदपुर, रा० कृषि बीज भण्डार, सादात व जखनियां, जमानियां का ताला खोलने हेतु लिखा गया था ? क्या तहसीलदार गाजीपुर तहसील सैदपुर, अवर तहसीलदार सैदपुर, जखनियां तथा तहसीलदार जमानिया, गाजीपुर को ताला खोलने तथा गोदामों में सामानों की लिस्ट बनाने और डी० ए० पी० का नमूना लेने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त बफर गोदाम तथा बीज भण्डारों को कितने दिनों बन्द रखा गया ? क्या इस बीच में फर्टिलाइज़र की बिक्री वहां पर हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार बतायेगी कि अब तक ताला खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या खाद के नमूने लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वहां पर उपलब्ध स्टाक की लिस्ट बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

बफर गोदाम गाजीपुर 10-1-92 से 9-2-92 तक राजकीय बीज भण्डार सैदपुर 10-1-92 से 3-2-92 तक राजकीय बीज भण्डार जमानियां 10-1-92 से 4-2-92 तक राजकीय कृषि भंडार सादात, 10-1-92 से 5-2-92 तक तथा राजकीय बीज भण्डार जखनियां 10-1-92 से 6-2-92 तक बन्द रहे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ताला खोल दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त प्रकरण जांच के अधीन होने के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

जनपद गाजीपुर में जिला कृषि अधिकारी के पत्र पर संयुक्त कृषि निदेशक/प्रसार वाराणसी द्वारा उत्तर रूप में आख्या की मांग

34–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने एक अ० शा० पत्रांक 2300/4–कृषि लेखा दिनांक 13-1-91 संयुक्त कृषि निदेशक/प्रसार/वाराणसी मण्डल, वाराणसी को लिखा था, जिसका उत्तर संयुक्त कृषि निदेशक ने अ० शा० पत्रांक 4606, 20 जनवरी, 1992 के द्वारा देकर

जिला कृषि अधिकारी से बिन्दुवार आख्या मांगी थी ? यदि हां, तो क्या जिला कृषि अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पत्र तथा आख्या व संयुक्त निदेशक के पत्र की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अ० शा० पत्रांक 2300/4–कृषि लेखा, दिनांक 13-1-92 को लिखा गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्ण प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण पत्र एवं आख्या सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

जनपद गाजीपुर के जिला कृषि अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की मांगी गयी आख्या एवं जांच

35–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, उ० प्र० में पूर्ति अनुभाग ने अपने पत्रांक/ए० एस० ओ० दिनांक लखनऊ, फरवरी, 92 के अनुसार संयुक्त कृषि निदेशक/प्रसार/वाराणसी मंडल से जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर के बारे में अ० शा० पत्र पृष्ठ संख्या 4606 दिनांक 20-1-91 एवं निदेशालय के पत्रांक ए–3620/ ए० एस० ओ० दिनांक 23-1-92 के संदर्भ में आख्या 31-1-92 तक भेजने हेतु लिखा है । यदि हां, तो क्या यह सही है कि आख्या अभी तक नहीं आयी है ? उक्त पत्रों में क्या-क्या प्रमुख बिन्दु थे ? क्या सरकार बिन्दुवार प्रश्नों की जांच व आख्या का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

पुरानी खाद से नई दरों पर बिक्री कराने, उसकी अन्तर धनराशि को जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर द्वारा व्यक्तिगत हित साधन में उपयोग कराने तथा जिन बीज भंडारों पर पुराने मूल्य की उवर्रक उपलब्ध है, उसे बिना किसी कार्यवाही के सील कराने के प्रमुख बिन्दु हैं ।

सम्पूर्ण प्रकरण जांच के अधीन होने से सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

36–श्री दीप लाल भारती–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद देवरिया के उ० प्र० राज्य चीनी मिल इकाई, खड्डा में गन्ने का भाड़ा न दिये जाने का मामला

37–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र०रा० चीनी निगम इकाई खड्डा, देवरिया के संबंध में तीन वर्ष पूर्व से ही गाड़ी भाड़ा देने का आदेश था ? यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष 1990-91 से

ही गाड़ी भाड़ा देना शुरू किया गया है। यदि पिछले वर्ष से ही गाड़ी भाड़ा देना शुरू किया गया है तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि अब तक मात्र 70 हजार कुन्तल का ही भाड़ा 2 रुपये प्रति कुन्तल की दर से किसानों को दिया गया है जबकि पिछले वर्ष उक्त चीनी निगम की इकाई को उक्त क्षेत्रों का एक लाख, चौबीस हजार कुन्तल गन्ना आपूर्ति किया गया है ? इस प्रकार 54 कुन्तल गन्ने का गाड़ी भाड़ा न देने का औचित्य क्या है।

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1990-91 में नारायणी नदी के दूसरे पार से नाव द्वारा गन्ना आपूर्ति पर रुपये 2.00 प्रति कुन्तल भाड़ा दिया गया है।

नारायणी नदी के उस पार से आये हुए केवल अनुबन्धित 70 हजार कुन्तल गन्ने पर ही रुपये 2.00 प्रति कुन्तल यातायात अनुदान दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

38–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल कितनी प्रतिशत सिंचित भूमि है ? क्या यह भी बतायेंगे कि कितनी भूमि सिंचाई योग्य नहीं बन सकी है ? अवशेष भूमि को सिंचित बनाने हेतु क्या उपाय हो रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय सिंचाई साधनों से लगभग 8.4 प्रतिशत सिंचित भूमि है।

लगभग 1.4 लाख हे० कृषि योग्य भूमि में राजकीय साधनों से सिंचित सुविधा अभी तक नहीं दी जा सकी है।

स्रोतों में जल की उपलब्धिता एवं तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से साध्य होने पर योजना तैयार कर स्वीकृतियों उपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर सिंचन सुविधा में विस्तार किया जा रहा है।

जनपद चमोली के कर्ण प्रयाग नगर में पुलपार, अलकनन्दा नदी के पानी से लगातार कटाव से पुजारी गांव को बचाये जाने की मांग

39–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद चमोली के कर्ण प्रयाग नगर में पुल पार अलकनन्दा नदी के पानी से लगातार कटाव के कारण पुजारी गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ? यह कटाव रोकने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अलकनन्दा नदी के बायें तट पर ग्राम पुजारी गांव के नीचे नदी से कटाव हो रहा है, जिससे ग्राम पुजारी गांव के भवन इत्यादि भी प्रभावित हो सकते हैं।

कार्यालय का सर्वेक्षण आगामी वर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात् कराना प्रस्तावित हैं जिसके आधार पर कटाव से निरोधक योजना तैयार की जायेगी। योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन एवं धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव हो सकेगा।

जनपद महराजगंज में श्री लल्लन सिंह, पेड गन्ना ग्राम सेवक पुत्र श्री बंशी सिंह की सेवा निवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी आदि अवशेषों की मांग

40–श्री ज्ञानेन्द्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लल्लन सिंह पुत्र श्री बंशी सिंह ग्राम धनगड़ी जनपद महराजगंज केन यूनियन, पिपराइच, गोरखपुर में सोसाइटी पेड गन्ना ग्राम सेवक थे ? यदि हां, तो क्या दिनांक 31-7-88 को वे रिटायर कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनका सेलेक्शन ग्रेड, ग्रेच्युटी अन्तर, 152 दिन का अवकाश वेतन, बोनस का अन्तर आदि देय बाकी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त सोसायटी के पेड गन्ना ग्राम सेवकों को यह सारी सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या यह सारी अवशेष सुविधायें श्री लल्लन सिंह को प्राप्त होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

जी हां।

सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य नहीं है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुराने वेतन के अनुसार ग्रेच्युटी, बोनस तथा 152 दिन का अवकाश वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने के फलस्वरूप ग्रेच्युटी तथा बोनस का अन्तर देय है। नियमानुसार देय सुविधायें उपलब्ध होती हैं।

जी हां।

स्व० श्री सिंह की पत्नी ने ग्रेच्युटी तथा बोनस के अन्तर के भुगतान के संबंध में उप श्रमायुक्त, गोरखपुर के न्यायालय में याचिका दायर कर दिया है जिसमें ग्रेच्युटी की अधिक मांग न्यायालय में की गयी है। याचिका के निस्तारित होते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड के अधीन 1986-87 में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरण का परीक्षण

41–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड उन्नाव के अधीन दिनांक 2-7-86 से 17-7-87 तक तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा भ्रष्ट आचरण करके लाखों रुपये के राजस्व की हानि करने के संबंध में श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, उपराजस्व अधिकारी एवं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपने पत्र संख्या पी–24/पी एफ–2 दिनांक 6-4-88 जो कि प्रमुख अभियन्ता ई–4(ख) सिंचाई विभाग, लखनऊ को

सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, उपराजस्व अधिकारी के शिकायती पत्र दिनांक 6-4-88 की जांच आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है जो कि परीक्षणाधीन है ।

विद्युत उपभोग का शुल्क एकत्र करने के लिये शिविरों का आयोजन किये जाने की मांग

42–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत बेचने के बाद विद्युत उपभोग का शुल्क एकत्र करने के लिये विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि यदि गांव-गांव जाकर विद्युत बिलों के भुगतान एकत्र करने की व्यवस्था की जाये तो विद्युत बिलों का भुगतान नियमित एवं मासिक होने से सरकारी आय में वृद्धि होगी ? कृषकों व अन्य ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को जिला मुख्यालयों पर 20 से 40 किमी० तक न आना पड़े इस हेतु यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

विद्युत उपभोग का शुल्क एकत्र करने की सुविधा जिला मुख्यालयों के अलावा कई उपस्थानों एवं कार्यालयों जो मुख्यालय पर स्थित नहीं है, पर भी उपलब्ध है ।

गांव-गांव जाकर विद्युत बिलों के भुगतान एकत्र करने की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है इसमें उपभोक्ता के साथ धोखा-धड़ी एवं एकत्रित पैसे से सुरक्षा की समस्या होगी । शुल्क एकत्र करने के लिये अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की आवश्यकता होगी एवं परिषद् पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा ।

उपभोक्ताओं की अधिकाधिक सुविधा हेतु स्थानीय स्तर पर शिविरों का भी आयोजन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में नलकूप विभाग के अभियन्ताओं द्वारा फर्जी कार्य दिखाकर 20 लाख रुपये के गोलमाल की शिकायत तथा कृत कार्यवाही

43–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नलकूप विभाग के अभियन्ताओं द्वारा फर्जी फार्मों की व फर्जी बिल बाउचर और मस्टर रोल के आधार पर खरीद फरोख्त और नाली गूल सफाई कार्य दिखाकर लगभग 20 लाख रुपये का गोलमाल किये जाने की शिकायत जनपद फैजाबाद के भा० ज० पा० नेता श्री शिव कुमार पाण्डेय द्वारा प्रेषित कराये गये शिकायती पत्र दिनांक 30-10-91 के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब करायी गयी है ? क्या शिकायत से संबंधित लोगों के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-10-91 नहीं बल्कि उनके पत्र दिनांक 17-12-91 के साथ हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स दिनांक 30-10-91 की पेपर कटिंग प्राप्त हुई थी जिसमें नलकूप खण्ड–2, फैजाबाद में 20 लाख रुपये का गोलमाल किये जाने की शिकायत की गयी है । इसके अलावा नलकूप खण्ड–2, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री शिवकुमार पाण्डेय का एक अन्य शिकायती पत्र दिनांक 9-8-91 भी शासन में प्राप्त हुआ था । उपर्युक्त दोनों पत्रों पर प्रमुख अभियन्ता (यां) को जांच हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके संबंध में प्रमुख अभियन्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, प्रथम फैजाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा यह निर्देश दिये गये हैं कि नियमानुसार शिकायतों की पुष्टि हेतु शिकायतकर्ता को अवसर दिया जाय तथा जांच रिपोर्ट उस अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित होनी नहीं चाहिये जिसके विरुद्ध आरोप हों बल्कि जांच कर्ता को स्वयं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये । जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में बी० एच० ई० एल० एन० सी० एल०, एन० टी० पी० सी० की भांति अधीक्षण अभियन्ताओं की संयुक्त अन्तर्वरिष्ठता सूची बनाये जाने की मांग

44–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् बी० एच० ई० एल०, एन० सी० एन०, एन० टी० पी० सी० की भांति अधीक्षण अभियन्ताओं की संयुक्त अन्तर्वरिष्ठता सूची क्यों नहीं बनाई गयी ? क्या यह सही है कि कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति करके परिषद् सदस्य तक बनाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अन्तर्वरिष्ठता सूची कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत (अधिनियम)आपूर्ति 1946 की धारा 79 (सी) के अधीन परिषद् को अपने सेवकों के सेवा विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है । तद्नुसार परिषद् ने विभिन्न संवर्गों के सेवा विनियम बनाये हैं तथा अन्तर्वरिष्ठता सूचियां प्रभावी सेवा विनियमों के अनुसार ही बनाई गई हैं ।

विद्युत परिषद् के सदस्य पद पर विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा–5 के अनुसार नियुक्ति की जाती है न कि प्रोन्नति । यह पद संवर्गीय पद नहीं है और नियमानुसार राज्य सरकार अपने विवेक से किसी भी उपयुक्त व सुयोग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्ति कर सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के केन प्रखण्ड में दीन दयाल योजना के अन्तर्गत लगाये गये मस्टर रोल कर्मचारियों का विवरण एवं उनकी जांच

45–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन प्रखण्ड बांदा जनपद बांदा में वर्तमान समय में कितने व्यक्ति मस्टर रोल पर विभाग में कार्यरत हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं एवं दीन दयाल योजना के अन्तर्गत किन-किन बेरोजगार ग्रामों के किन-किन नवयुवकों को रोजगार में मस्टर रोल पर लगाया गया है ? क्या यह सत्य है कि मस्टर रोल पर क्षेत्र से बाहर के लोगों को लगाकर अपने गृह जनपद में लोगों को अपने आवास पर सेवा हेतु लगाया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी विद्युत वितरण खंड के अधीन ट्रक संख्या यू० एस० क्यू०–625 के बिना स्थाई ड्राइवर के चलाये जाने का मामला

46–श्री लाखी राम जोशी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड, टिहरी के अधीन ट्रक संख्या यू० एस० क्यू० 625 पिछले सात आठ माह से बिना स्थायी ड्राइवर के चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब तक वह ट्रक आठ माह में 30 हजार कि० मी० चल चुका है ? क्या ट्रक की लागबुक में पेज संख्या 1 से 32 तक कहीं भी ड्राइवर का नाम जानबूझकर लागबुक में अथवा विभागीय रिकार्ड में अंकित करने हेतु कौन दोषी है, ड्राइवर का नाम लागबुक में न दर्शाने के क्या कारण हैं ? क्या इस समय ट्रक ड्राइवर द्वारा नियमित रूप से कार्य वहां पर किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त ट्रक ड्राइवर श्री दरमियान सिंह राणा को कब तक नियमित नियुक्ति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न में इंगित ट्रक अंतरिम व्यवस्था के ड्राइवर द्वारा चलाया जा रहा था अतः उसके हस्ताक्षर नहीं कराये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । वैसे भी परिषद् में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

47–श्री यदुनाथ सिंह–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा खराब मशीनों की खरीद की जांच व मांगी गयी आख्या

48–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा खराब मशीनों की खरीद के बारे में सदस्य, विधान परिषद् का पत्र संख्या 739/87 राज्य मंत्री विद्युत के कार्यालय में ता० 22-12-87 को प्राप्त हुआ था । यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जांचोपरान्त जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, संदर्भित पत्र में लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) में वर्ष 1986 से क्रय की गयी लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की बिलिंग मशीनें अभियन्ताओं की लापरवाही से खराब होकर पड़े रहने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी :––

(क) लखनऊ विद्युत उपक्रम ने निर्धारित कार्य के लिये 1976 से कितने-कितने रुपयों की मशीनें कहां-कहां से किसकी सिफारिश पर खरीदी गयीं ।

(ख) क्या यह खरीद प्रदेश के बाहर के व्यापारियों से की गयी थी या अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी थी ।

(ग) प्रदेश के बाहर के व्यापारियों से कितने रुपयों की खरीद की गयी थी ऐसी खरीद का क्या औचित्य था । क्या ऐसी खरीद प्रदेश के अन्दर के व्यापारियों से नहीं की जा सकती थी । यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) प्रदेश के अन्दर से बिक्री कर विभाग से अपंजीकृत व्यापारियों से कितने रुपयों की खरीद की गयी थी इस खरीद का क्या औचित्य था । इस पर कितना रुपया बिक्री कर बनता है ।

(ङ) इस खरीद पर कितना गारन्टी पीरियड था । ये मशीनें कब से खराब हुईं ।

(च) गारण्टी पीरियड के पश्चात् इन मशीनों की मरम्मत के लिये कितना रुपया खर्च करना पड़ा ।

(छ) मशीनें खराब होने के पश्चात् बिल्डिंग का कार्य किस प्रकार किया गया ।

(ज) इन मशीनों की खरीद हेतु कौन-कौन अभियन्ता जिम्मेदार हैं । उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी वे कब-कब सेवा निवृत्त होंगे ।

मामले में विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई से जांच कराई गयी जो पर्याप्त नहीं पायी गयी । मामले में पुनः जांच कराई जा रही है ।

प्रश्नकर्ता श्री यदुनाथ सिंह का दिनांक 22-7-87 का शासन/परिषद् में अप्राप्त पत्र

49–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या 71 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 9050 दिनांक 11-5-89 माननीय अध्यक्ष के मार्फत से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र संख्या 545 में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी है ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, दो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० सदस्य का पत्र संख्या 9050 दिनांक 11-4-89/दिनांक 11-5-89 मा० अध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त न होकर सीधे ही प्राप्त हुआ था जिसके साथ मा० सदस्य द्वारा पत्र संख्या 545 के स्थान पर उक्त पत्र संख्या 9050 की ही कार्बन प्रति संलग्न की गयी थी संदर्भित पत्र 545 की प्रति विधान सभा सचिवालय से मांगे जाने पर विधान सभा सचिवालय द्वारा माननीय सदस्य को वापस किये जाने की सूचना दी गयी तदुपरान्त मा० सदस्य से भी उप सचिव, ऊर्जा के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 573 एम० एस०पी०–1/89-23-दिनांक 19-8-89 द्वारा पत्र की प्रति मांगी गयी थी जो कि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया की छोटी गण्डक नदी पर बेलवा घाट तथा कप्तानगंज पर पक्के पुल बनाये जाने की प्रस्तावित योजना को लागू किये जाने की मांग

50–श्री दीप लाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की छोटी गंडक नदी पर बेलवा घाट तथा कप्तानगंज पर पक्के पुल के निर्माण हेतु पूर्व सरकार के समय से कोई योजना प्रस्तावित है ? अगर हां, तो कब से ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश शासन द्वारा गन्ना पेराई सत्र 1989 से 92 हेतु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य एवं ढुलाई के निर्धारण का विवरण

51–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 90-91 से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 36 रुपये प्रति कुन्तल और गन्ना क्रय केन्द्रों पर ढुलाई 50 पैसा प्रति कुन्तल 3 वर्ष 1989-90 में गन्ने का मूल्य 38 रुपये प्रति कुन्तल तथा ढुलाई डेढ़ रुपये प्रति कुन्तल वर्ष 90-91 में गन्ने का मूल्य 41 रुपये प्रति कुन्तल ढुलाई 2 रुपये प्रति कुन्तल और अब वर्ष 91-92 के सत्र में गन्ने का मूल्य 45 रुपये प्रति कुन्तल तथा ढुलाई किस हिसाब से एकाएक 3 रुपये कुन्तल हुई है ? वर्ष 91-92 में ढुलाई 3 रुपये बढ़ाने का औचित्य क्या है ? क्या गन्ने की ढुलाई दर कम होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रदेश शासन द्वारा गन्ना पेराई सत्र 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 हेतु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :—

वर्ष	शीघ्र पकने वाली जातियां		सामान्य जातियां	
	मिल गेट पर	वाह्य क्रय केन्द्रों पर	मिल गेट पर	वाह्य क्रय केन्द्रों पर
1	2	3	4	5
1989-90	41.00	39.00	38.00	36.00
1990-91	44.00	42.00	41.00	39.00
1991-92	48.00	45.00	45.00	42.00

वर्ष 1991-92 में वाह्य क्रय केन्द्रों एवं गेट के मूल्य में 3 रुपये प्रति कुन्तल का अन्तर मिलों द्वारा क्रय केन्द्रों से गेट तक गन्ने की ढुलाई व्यय को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

गन्ने की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक संसाधनों के मूल्य को देखते हुए मूल्य में 3 रुपये प्रति कुन्तल के अन्तर को कम किया जाना उचित नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक भदैया में पखरौली नाला (ड्रेन) पर सिंचाई विभाग खण्ड 49 द्वारा निर्माणाधीन पुल को पूर्ण किये जाने की मांग

52–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेला सदा, शंकर पुर, ब्लाक भदैया, सुल्तानपुर में पखरौली नाला (ड्रेन) और सिंचाई विभाग खण्ड 49 सुल्तानपुर द्वारा कोई पुल बनना है ?

यदि हां, तो पुल कितने वर्षों से बन रहा है ? क्या यह सही है कि पुल के दोनों तरफ की दीवार बना दी गयी है ? यदि हां, तो पुल के ऊपरी भाग को कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पुल का निर्माण वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ किया गया है ।

जी हां, पुल के दोनों अवटमेंट बन चुके हैं ।

पूर्व निर्माण आर० एल० आई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत हुआ था जिस पर धन आवंटन नहीं हो रहा है । शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में नियोजन के अनुसार प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में वर्ष 1982 से जनवरी, 1992 तक वर्षवार टेम्पोरेरी कनेक्शन तथा प्राप्त राजस्व की जानकारी

53–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में वर्ष 1982 से जनवरी, 1992 तक वर्षवार टेम्पोरेरी कनेक्शन में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? कहां-कहां पर टेम्पोरेरी कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि इसमें लगातार राजस्व हानि हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री से ऐसे सभी स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे जहां वर्ष 1982 से जनवरी, 1992 तक विवाह तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु अस्थायी कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सोनभद्र आनपारा तापीय परियोजना के "ब" परियोजना पर कार्यरत मुख्य अभियन्ता (सिविल) के कार्यों की सी० आई० एस० एफ० द्वारा कथित जांच पर आरोप

54–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आनपारा तापीय परियोजना जिला सोनभद्र के "ब" परियोजना पर कार्यरत मुख्य अभियन्ता (सिविल) के कार्यक्रमों को जानने के प्रयास, सी० आई० एस० एफ० के गुप्तचर संगठनों द्वारा प्रतिदिन की जाती है ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से ? क्या विद्युत परिषद् द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखनऊ में डब्लू/इन्द्रलोक विस्तार दिनांक 26-6-91 द्वारा आवंटित आवासों में अवैध कब्जे को रोकने तथा उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यालय का प्रयास तथा की गयी कार्यवाही

55–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के पत्र संख्या 453–अनुभाग–10/46बी-1, डब्लू/इन्द्रलोक विस्तार, दिनांक 26-6-91 द्वारा आवंटित आवासों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्होंने अवैध रूप से वहां पर कब्जे किये हैं ? किन-किन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवैध कब्जेधारी लोगों से पैनेल रेंट के कितने रुपये परिषद् ने वसूल किये व कब से ? क्या यह सही है कि अवैध कब्जेधारी कर्मचारियों को बाद में अधिकारियों की मिलीभगत से आवास आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

ऐसे पांच कर्मचारी हैं, जिनका विवरण संलग्नक "क" में दिया गया है ।

उपरोक्त सभी कर्मचारियों के विरुद्ध परिषद् द्वारा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति हेतु पैनेल रेन्ट की वसूली के लिये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध मार्च, 1992 तक लगाये गये पैनल रेन्ट की धनराशि का विवरण भी संलग्नक "क" में दिया गया है ।

जी नहीं ।

समस्त कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम के आधार पर परिषद् की आवास आवंटन समिति के निर्णयानुसार ही आवास आवंटित किये गये हैं । जैसा कि संलग्नक "ख" से स्पष्ट है केवल 3 कर्मचारी ऐसे हैं जो वरिष्ठता क्रम के आधार पर विधिवत् आवंटन के पूर्व अनाधिकृत रूप से परिषदीय आवास में रह रहे थे । इन सभी कर्मचारियों से अवैध अध्यासन की अवधि हेतु पैनल रेन्ट वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 236 पर)

मैनपुरी जनपद में वर्ष 1989 से लाइसेन्स प्राप्त चीनी मिल को लगाये जाने एवं अरमसराय गन्ना क्रय केन्द्र के पुनः स्थापना की मांग

56–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मैनपुरी जनपद में चीनी मिल का एक लाइसेंस सन् 1989 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कब तक उक्त चीनी मिल लगना प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि गत वर्ष विधान सभा क्षेत्र भोगांव (मैनपुरी) में ग्राम अरमसराय में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किया गया था ? यदि हां, तो इस वर्ष उसे क्यों बन्द रखा गया ? क्या सरकार गन्ना क्रय केन्द्र पुनः स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां । सहकारी क्षेत्र में एक लाइसेंस स्वीकृत हुआ था ।

पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की स्वीकृति के अभाव में चीनी मिल स्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

जी हां ।

कम गन्ना उपलब्धता के कारण ।

प्रश्नगत क्रय केन्द्र चीनी मिल कायमगंज का अभ्यर्पित केन्द्र है जो मिल अन्तिम रूप से 9-4-92 को बन्द हो गयी है, अतः वर्तमान सत्र में उक्त स्थान पर केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली गढ़वाल में सिंचाई योग्य भूमि की जानकारी तथा गैरसैण ब्लाक में बने नहरों में पानी की अपर्याप्तता

57–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल में कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई योग्य है ? अभी तक विभाग में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित कर ली है ?क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गैरसैण ब्लाक में लाखों रुपयों से बनी अनेक नहरों का निर्माण तो पूरा हो गया है, लेकिन नहरों में जल प्रवाह नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद चमोली में एक समय में लगभग पांच प्रतिशत क्षेत्र बोया जाता है । सिंचाई योग्य भूमि के आंकड़े विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त ही ज्ञात होना सम्भव होगा । बोये गये क्षेत्र का लगभग ढाई प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई, सिंचाई विभाग द्वारा की जा चुकी है ।

गैरसैण विकास खण्ड में 34 नहरों में से लगभग 50 प्रतिशत नहरें चालू हालत में हैं । शेष नहरें जल की उपलब्धता न होने अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में नहीं चल रही हैं । क्षतिग्रस्त नहरों को धन की उपलब्धता के अनुसार मरम्मत करा कर चालू हालत में लाना प्रस्तावित है ।

जनपद हमीरपुर में श्री श्रीपन, जूनियर मीटर टैस्टर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण की मांग

58–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर में तैनात जूनियर मीटर टैस्टर, श्री श्रीपन के विरुद्ध दिनांक 7-1-92 को प्रश्नकर्ता की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी पर लगाये गये आरोपों की जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारी का जनहित में स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आरोपों के विरुद्ध जांच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानान्तरण आदेश दिनांक 18-4-1992 को हमीरपुर सेक्शन से महोबा सेक्शन के लिये जारी कर दिये गये हैं ।

विद्युत चोरी रोकने हेतु वर्तमान में सरकार की व्यवस्था एवं म० सं० 448/112, नगरिया, ठाकुरगंज, जिला लखनऊ में अनेक मीटर लगाये जाने की मांग

59–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत चोरी रोकने हेतु सरकार वर्तमान में क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या शासन तटस्थ है ? क्या इसी संदर्भ में सरकार यह भी बतायेगी कि मकान संख्या 448/112, नगरिया, ठाकुरगंज, लखनऊ में नियमित मीटर रीडिंग की जाती है ? क्या इसका विद्युत बिल प्रेषित होता है ? यदि हां, तो माह जनवरी, 92 में कितना बिल प्रेषित हुआ है ? यदि नहीं, तो मकान मालिक द्वारा अपने घर में 8–10 मीटर लगाकर लगभग इतने ही परिवारों को मासिक शुल्क लेकर बिजली सप्लाई करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, बलिया में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा उन्हें स्थायीकरण किये जाने की मांग

60–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी/सरकारी चीनी कार्य स्थलों में क्या वेतन मण्डल के अनुसार भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो सहकारी चीनी मिल, जिला बलिया में कार्यरत दैनिक/अस्थायी कर्मचारियों को 21.00 रुपये प्रति दिन क्यों दिया जा रहा है ? क्या दैनिक वेतन भोगियों को 15, 16 वर्षों से निरन्तर कार्यरत रहने के बाद भी अब तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

सहकारी चीनी मिल रसड़ा, बलिया में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों को रुपये 21.00 प्रतिदिन की मजदूरी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, मिल के प्रबन्धतंत्र तथा जिलाधिकारी/प्रशासक के मध्य हुई वार्ता के अनुसार दी जा रही है ।

स्थाईकरण की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश द्वारा स्थगित है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा नहर को वर्ष 1985 से प्रतिवर्ष सुधार के लिये दी गयी धनराशि का टी० ए० सी० से जांच कराये जाने की मांग

61–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बानगंगा नहर को वर्ष 1985 से आज तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुधार के लिये आवंटित की गयी ? आवंटित धनराशि से किस-किस स्थान पर कार्य कराया गया ? क्या सरकार टी० ए० सी० भेजकर कार्यों का मूल्यांकन करायेगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

62–श्री शिवलाल मित्तल–

[दिनांक 1-4-92 को अता० प्र० सं० 18 द्वारा उत्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में लगे नलकूपों की संख्या तथा अतिरिक्त नलकूप लगाने की मांग

63–श्री शिवलाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत कुल कितने नलकूप कहां-कहां लगाये गये ? क्या नौगढ़ क्षेत्र की तुलना में वहां पर कम नलकूप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक नलकूप लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत कुल 20 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

नौगढ़ क्षेत्र में 30 राजकीय नलकूप निर्मित हैं । तदोपरान्त इण्डोडच नलकूप परियोजना के 57 नलकूप लगाये जाने के कारण अन्तर हुआ है ।

जनपद प्लान में धन उपलब्धता के आधार पर तथा जिला स्थल चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त ही नलकूपों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 237 पर)

जनपद सोनभद्र में अनुसंधान एवं नियोजन खंड राबर्ट्सगंज के सहायक अभियन्ता श्री अशोक कुमार ओझा को अतिरिक्त कार्य भार सौंपा जाना

64–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री अशोक कुमार ओझा, सहायक अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र को कार्यकारी पद पर चन्द्र प्रभा प्रखंड, वाराणसी के उपखंड द्वितीय का कार्यभार अनुसंधान के कार्यभार के साथ सौंपा गया है ? क्या 100 कि०मी० की दूरी पर कार्यरत व्यक्ति को दूसरा कार्यभार भी दे दिये जाने की व्यवस्था उचित है ? क्या शासन में ही कार्यरत किसी सहायक अभियन्ता को उक्त कार्यभार कम शासकीय व्यय पर सौंपा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री शक्तिनाथ पाण्डेय, सहायक अभियन्ता (सिविल) की मध्य सत्र में प्रोन्नति के फलस्वरूप चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी उपखण्ड द्वितीय, जो राबर्ट्सगंज से लगभग 55 कि०मी० दूर है, को कार्यभार

अन्तरिम व्यवस्था के रूप में श्री अशोक कुमार ओझा, सहायक अभियन्ता को उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त जनहित में सौंपा गया है ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय उपरोक्त पद पर नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ?

जनपद सोनभद्र में श्री ओझा, सहायक अभियन्ता सिंचाई पर प्रतिबन्धित पद स्थापना के रहते अस्थाई पद स्थापना के अधिकार के फलस्वरूप दोहरे चार्ज के आरोप की सी० आई० डी० या सी० बी० आई० से जांच की मांग तथा उनको प्रदत्त 5 लाख रुपये के प्रयोग की जानकारी

65–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रतिबन्धित पदस्थापना में रहते हुए कोई सहायक अभियन्ता कार्यकारी/निर्माण कार्य नहीं करा सकता है ? यदि हां, तो क्या श्री ओझा सहायक अभियन्ता को प्रतिबन्धित के साथ-साथ कार्यकारी पद पर दोहरा चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह नियमानुसार है ? क्या मंत्री जी मुख्य अभियन्ता, सोन की संदिग्ध कार्य प्रणाली की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रतिबन्धित पद स्थापना से संबंधित शासनादेश को परिवर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्ति में मुख्य अभियन्ता सोन द्वारा भारी अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० या सी० बी० आई० जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

66–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रतिबन्धित संगठन से कार्यकारी संगठन में अस्थायी पद स्थापना का अधिकार, मुख्य अभियन्ता सोन को है ? यदि नहीं, तो मुख्य अभियन्ता सोन के विरुद्ध इस अनियमितता के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? क्या कार्यकारी पद/लाभ के पद के साथ श्री ओझा, सहायक अभियन्ता के प्रतिबन्धित अवधि की गणना निर्धारित पद स्थापना में की जायेगी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रतिबन्धित पद स्थापना का विशेष वेतन लाभ भी उक्त सहायक अभियन्ता को सरकार देगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

67–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतिबन्धित संगठन में रहते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी कार्मिक की पद स्थापना कार्यकारी अथवा लाभ के पद पर इसके पूर्व कभी की गयी है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा यदि नहीं, तो श्री ओझा, सहायक अभियन्ता को ऐसी पदस्थापना देने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि श्री ओझा, सहायक अभियन्ता को ऐसी पदस्थापना देने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि श्री ओझा, सहायक अभियन्ता की पद स्थापना अपने पूर्व कार्यभार के साथ-साथ कार्यकारी कार्यभार पर माह नवम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में की गयी है और दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में उक्त सहायक अभियन्ता को 5 लाख रुपये कार्य करने के लिये दिये गये, जिसका भुगतान सहायक अभियन्ता द्वारा माह दिसम्बर, 1991 में ही कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार 5 लाख रुपये से कराये गये कार्य की बिजलेंस/टी० ए० सी० से जांच कराकर कार्य का सत्यापन करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, कार्य की आवश्यकतानुसार इस प्रकार की अन्तरिम व्यवस्था सक्षम अधिकारी द्वारा की जाती रही है ।

समय-समय पर कार्य हित में सक्षम अधिकारी द्वारा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं, दिसम्बर माह में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी पूर्व में आवंटित धनराशि में से लगभग रुपया 4.70 लाख अवशेष बचा था जिसमें से लगभग रुपये 2.20 लाख का उपयोग दिसम्बर माह में श्री ओझा द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों आदि के भुगतान हेतु किया गया ।

कार्यों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतएव जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

68–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

(दिनांक 8-4-92 को अता० प्र० सं० 58 द्वारा उत्तरित)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौथाणा पट्टी पर विद्युतीकरण की व्यवस्था का न किया जाना

69–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौथाणा पट्टी में विगत 20 वर्षों से बिजली के पोल खड़े किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या वहां विद्युत लाइन खींची गयी ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि इस कारण से सारा क्षेत्र आज भी अन्धकारमय है ? यदि हां, तो इन पोलों पर कब तक लाइन खींची जायेगी ? कब तक विद्युत आपूर्ति वहां हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । यह वर्ष 1972 में चौथाणा पट्टी, जनपद पौड़ी (ग) के ग्राम बुगीधार के ग्राम के विद्युतीकरण के लिये एक 11 के० वी० लाइन मासी स्याल्डे देघाट बुगीधार का निर्माण कार्य किया जा रहा था । इस लाइन का अधिकतर भाग पूर्ण हो चुका था, केवल बुगीधार (पट्टी चौथाणा) तक लाइन का निर्माण नहीं हो सका है ।

प्रश्नगत 11 के० वी० लाइन के अपूर्ण भाग को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है, यदि ग्राम बुगीधार का विद्युतीकरण हेतु चयन जिला ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1992-93 के लिये चयनित कर लिया जाता है ।

राज्य चीनी निगम की इकाइयों और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में सरकारी आदेशों के अनुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति का मामला

70–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना विविध संख्या 556 (एच० आई०)/36-2-115(एच० आई०)-89, दिनांक 31 जनवरी, 1991 सामान्य की धारा 14(ग) के अन्तर्गत जारी आदेश, जिसमें निर्देश दिया गया था कि राज्य में समस्त वैकुअम चीनी कारखाने सरकारी अधिसूचना संख्या 3158(एच० आई०)/36-2-115(एच० आई०)-89, दिनांक 15 जुलाई, 1982 में निर्धारित शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना को लागू करेंगे, का पालन इकाई स्तर पर किया जा रहा है ? क्या राज्य चीनी निगम की इकाइयों और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में उक्त सरकारी आदेशों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इन आदेशों के परिपालन के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है । अतः सरकार द्वारा इन आदेशों के परिपालन में सम्प्रति किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खलीफतपुर, ब्लाक तहबरपुर में आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण प्रस्ताव होने के बावजूद भी विद्युतीकरण न होने से दोषी अधिकारी को दण्डित किया जाना

71–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खलीफतपुर, ब्लाक तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ में आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो विद्युत

वितरण खण्ड (प्रथम) जनपद आजमगढ़ द्वारा गत अगस्त, 1990 में ही अवर अभियन्ता, श्री राम अवध राम द्वारा स्टोर से विद्युतीकरण के लिये जरूरी सामानों की प्राप्ति के बाद भी उक्त गांव का विद्युतीकरण अब तक क्यों नहीं कराया गया ? क्या कार्य के लिये दिये गये विभाग के सामानों को निजी नलकूपों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस कार्य के लिये अवर अभियन्ता श्री राम अवध राम को आवश्यक सामान स्टोर द्वारा दिया गया है । उनके द्वारा इस कार्य को पूरा नहीं किया गया इस बारे में उन्हें बार-बार निर्देश–चेतावनी दी गयी । श्री राम अवध राम, अवर अभियन्ता, माह अगस्त, 1991 में ट्रान्सफर होकर विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मऊ में चले गये । परन्तु आज तक चार्ज हैण्ड ओवर नहीं किया गया ।

चूंकि एकाउन्ट भी अभी नहीं दिया गया है । इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सामान कहां लगाया गया । उक्त अवर अभियन्ता का 1-5-91 से 16-8-91 तक का वेतन रोका गया है। इसके अतिरिक्त भी कठोर कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

शारदा सहायक जनपद सीतापुर में सीपेज से निपटने के लिये लाइनिंग का अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना

72–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक जनपद सीतापुर में सीपेज से निपटने के लिये लाइनिंग का कार्य अवशेष रह गया है ? यदि हां, तो इस अवशेष कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अवशेष कार्य को आगामी [illegible]र्षों में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, हमीरपुर में कार्यरत श्री प्रेम बाबू कटियार, पर्यवेक्षक पर उनकी पत्नी अतरकुंवर द्वारा अपने पति पर दूसरी शादी किये जाने का आरोप

73–श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (म० क्षे०) उ० प्र० लखनऊ को श्रीमती अतरकुंवर पत्नी प्रेमबाबू कटियार, पर्यवेक्षक, राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, हमीरपुर का दिनांक 29-5-1989 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त पत्नी ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो पार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच कराई गई । जांच के दौरान यह पाया गया कि इस प्रकरण में एक वाद तृतीय अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानपुर (देहात) के न्यायालय में चल रहा था जो उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-7-90 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

जनपद मऊ एवं बलिया में बिजली की आपूर्ति

74–श्री घुरहू–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ एवं जनपद बलिया में बिजली के तार लुंज-पुंज अवस्था में हैं, जिससे आये दिन तार टूटने से उपभोक्ताओं को परेशानी और जनता को जानमाल का खतरा बना रहता है ? क्या सरकार उन बिजली के तारों को टाइट करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जनपद मऊ एवं बलिया में विद्युत आपूति सुचारु रूप से हो रही है । जब कभी भी तार टूटने या ढीला होने की सूचना मिलती है तो उसे ठीक करने एवं बदलने की व्यवस्था वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तुरन्त की जाती है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र ददरोल के ग्राम भूरसण्डी में विद्युत तारों की चोरी के उपरान्त पुनः विद्युतीकरण किये जाने की मांग

75–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र ददरोल के ग्राम भूरसण्डी का विद्युतीकरण वर्षों पूर्व हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या विद्युतीकरण सरकारी अभिलेखों में ही हो चुका है ? क्या मौके पर उसका कार्यान्वयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । वहां पर कब तक विद्युत प्रदान की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मार्च, 1976 में कर दिया गया था ।

ग्राम में खम्भे गाड़ कर लाइन बिछाई गयी थी किन्तु किसी ग्रामवासी ने कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं किया । अन्तराल में लाइन की चोरी हो जाने के कारण एवं संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत ग्राम में पुनः विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी । इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्नगत ग्राम को पुनः विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है और संसाधन उपलब्ध होते ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है ।

जनपद देवरिया के वर्तमान में बोये गये गन्ने का तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मिलों द्वारा की गयी पेराई एवं भुगतान का विवरण

76–श्री विश्वनाथ–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्तमान सत्र में कुल कितने एकड़ गन्ना बोया गया है ? अब तक कितना गन्ना निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मिलों द्वारा पेरा जा चुका है ? कितने गन्ने का भुगतान किया गया है और कितना शेष है ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार देवरिया जनपद में वर्तमान सत्र 1991-92 में लगभग 3.25 लाख एकड़ क्षेत्र में गन्न बोया गया है ।

दिनांक 15-4-1992 तक लगभग 270.00 लाख कुन्तल गन्ना पेरा जा चुका है ।

दिनांक 15-4-1992 की स्थिति के अनुसार 11819.37 लाख रुपया देय गन्ना मूल्य के विरुद्ध 6666.21 लाख रुपया का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किया जा चुका है तथा 5153.16 लाख रुपया शेष है ।

जी हां । विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 238 पर)

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर में राजकीय नलकूप सं० 84 हेतु अधिग्रहीत भूमि का विवरण एवं मुआवजे की स्थिति

77–श्री अनिल कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर, सीतापुर में लगा राजकीय नलकूप नं०–84, किस व्यक्ति की जमीन अधिग्रहीत करके किस वर्ष में लगाया गया था ? क्या उस व्यक्ति को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु कितनी जमीन अधिग्रहीत करके राजकीय नलकूप निर्मित कराया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय नलकूप संख्या 84 सीतापुर समूह सर्वश्री लल्लू पुत्र श्री देवी एवं श्री राम औतार पुत्र श्री गुरुदयाल के खेतों में वर्ष 1974 में लगाया गया था ।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रगति में है जिससे अभी इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है ।

उक्त प्रयोजन हेतु श्री लल्लू की कुल 0.20 एकड़ तथा श्री राम औतार की कुल 0.14 एकड़ भूमि ली गयी है ।

प्रदेश में आटा चक्कियों द्वारा आटा पिसाई का रेट बिजली की मीटर रीडिंग के आधार पर तय करने के संबंध में

78–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आटा चक्कियों द्वारा आटा की पिसाई का कोई रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बिजली की खपत के अनुपात में प्रति किलो आटा की पिसाई की दर निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

बिजली की दर मीटर रीडिंग के आधार पर तय की जाती है । सरकार द्वारा आटा पिसाई की दर निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कतिपय गांवों में विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति 11 के० वी० की लाइन संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर

79–श्री दीनानाथ सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जिला टिहरी गढ़वाल के ग्राम मुख्यालय गांव खुरमोला, डांगी, घोरपुर, हैरवालगांव, दीनगांव, मुख्य ओनालगांव, घण्डियालगांव आदि में विगत 10 वर्षों से बिजली के खम्भे–तार लगे हैं किन्तु आज तक बिजली आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? खम्भे-तार खींचने में खर्च हुए सरकारी धन के अपव्यय का औचित्य क्या है ? सरकार कब तक उपरोक्त गांवों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम मुख्यालय गांव खुरमोला, डांगी, घोरपुर, हैरवलगांव, दीनगांव, ओनालगांव को विगत वर्षों में विद्युतीकृत किया जा चुका है ।

उपरोक्त ग्रामों के लिये निर्मित 11 के० वी० लाइन में तार खींचना शेष है । यह कार्य वित्तीय वर्ष 90-91 एवं 91-92 में संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण नहीं किये जा सके । वर्ष 92-93 में आवश्यक निर्माण सामग्री की उपलब्धता के अनुरूप अवशेष कार्य पूर्ण करने के प्रयास किया जायेगा । इसके पश्चात् सभी गांवों में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है ।

जनपद बाराबंकी के भू० पू० विधायक द्वारा कृषि रक्षा इकाइयों पर नीति संबंधी शिकायत एवं वर्तमान वितरण व्यवस्था की अनियमितताओं को दूर किये जाने की मांग

80–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बाराबंकी में कृषि रक्षा इकाइयों से न कराये जाने संबंधी, भूतपूर्व विधायक श्री राम चन्द्र बख्श सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 5-2-92 जो कि मुख्य मंत्री उ० प्र० को सम्बोधित है तथा कृषि मंत्री उ० प्र० शासन को पृष्ठांकित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? क्या यह सही है कि कीटनाशक दवाइयों की अधिकांश की बिक्री गैर तकनीकी जानकारी के केन्द्रों से करने के कारण किसान व विक्रेता दोनों की अनभिज्ञता से दवाओं का समुचित प्रयोग नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या कृषि रक्षा दवाइयों की बिक्री/तकनीकी जानकारी प्राप्त एजेन्सी, कृषि रक्षा इकाई द्वारा करने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान वितरण व्यवस्था में अनियमितता की गयी है ? क्या इस अनियमितता की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

मा० भूतपूर्व विधायक के उक्त शिकायती पत्र में नीति संबंधी शिकायत की गयी थी । शासन द्वारा कृषि रक्षा रसायनों के वितरण की समीक्षा करने के उपरान्त वर्ष 1992 में कृषि रक्षा रसायनों के वितरण की नई नीति लागू कर दी गयी है ।

जी नहीं । पी० सी० एफ० एवं एग्रो संस्था के संबंधित कर्मचारियों को कृषि रक्षा रसायनों के भण्डारण/वितरण के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया ।

वर्ष 1992 से पूर्व की भांति कृषि, सहकारिता एवं एग्रो द्वारा सभी कृषि रक्षा रसायनों का वितरण किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केवल पी० सी० एफ० की संस्था में फैजाबाद तथा मैनपुरी जनपद में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। प्रबन्ध निदेशक, पी० सी० एफ० को तुरन्त जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत 1981 से कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों की संख्या एवं विनियमित किये गये कर्मचारियों में श्री राजाराम यादव को विनियमितीकरण से वंचित रखना

81–श्री सुखबीर सिंह गहलौत, श्री मनव्वर हसन तथा श्री चरन सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद, श्री बी० आर० वर्मा तथा श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण मण्डल, आजमगढ़ के अन्तर्गत 1981 में कुल कितने कर्मचारी मस्टर रोल में कार्यरत थे ? क्या वे आज भी मस्टर रोल पर बने हुए हैं ? इनमें से कितने कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है ? क्या नियमित किये गये कर्मचारियों में श्री राजाराम यादव पुत्र राम सूरत यादव, श्रमिक विद्युत वितरण खण्ड, आजमगढ़ से मस्टर रोल सूची में वरिष्ठ कर्मचारी है ? यदि हां, तो क्या कनिष्ठ कर्मचारी को वरिष्ठ कर्मचारी से पहले नियमित कर दिया गया है ? क्या श्री राजाराम यादव पुत्र श्री राम सूरत यादव विद्युत वितरण खण्ड आजमगढ़ को भी नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण मण्डल आजमगढ़ के अन्तर्गत 1981 में कुल 224 मस्टर रोल कर्मचारी विभिन्न खण्डों में कार्यरत थे उसमें से 69 मस्टर रोल कर्मचारी आज भी इस मण्डल के विभिन्न खण्डों में कार्यरत हैं। शेष मस्टर रोल व्यक्तियों को गोरखपुर क्षेत्र के विभिन्न मण्डलों में आवंटित कर दिया गया है।

224 मस्टर रोल कर्मचारियों में से 26 मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है।

जी नहीं।

संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत कर्मचारियों का नियमितीकरण अवैध किया गया जिसके लिये उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

परिषद् में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है जिसके हटाये जाने के बाद ही इनके नियमितीकरण पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

श्रमिक बस्ती ऐशबाग में विद्युत के करेन्ट से हुई मृत्यु तथा खान अब्दुल बदूद खां स० वि० परिषद् के पत्र पर कृत कार्यवाही

82–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1985 के पांचवें बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–3 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 796 पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मृतकों के माता पिता को अभी तक राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और मदद कब तक दी जायेगी।

श्री लालजी टण्डन–

संदर्भित पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिस पर जिलाधिकारी, लखनऊ से जांच रिपोर्ट मांगी गयी थी । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है, जिसे अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं । जाँच रिपोर्ट प्राप्त होते ही परीक्षणोपरान्त नियमानुसार मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद अल्मोड़ा में श्री चन्द्र लाल शाह, कत्थूर बाजार, बागेश्वर की ग्राम घखगड़ी पट्टी तल्ला कत्थूर (बस स्टेशन के पास) की जमीन को विद्युत विभाग द्वारा खाली किये जाने के न्यायालय के आदेश

83–श्री कृष्ण चन्द्र तथा श्री उची सिंह रावत, श्री मुन्ना चौहान तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय के आदेशानुसार श्री चन्द्र लाल शाह पुत्र स्व० श्री नाथ लाल साह, कत्थूर बाजार, बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा की ग्राम घखगड़ी पट्टी तल्ला कत्थूर (बस स्टेशन के पास) बागेश्वर की जमीन विद्युत विभाग ने खाली कर दी है ? यदि नहीं, तो न्यायालय के आदेशानुसार कब तक भूमि खाली कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि का किराया, स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति को बराबर दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक अवशेष धनराशियों का भुगतान उसे कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण भूमि खाली नहीं की जा सकी ।

भूमि तीन माह के अन्दर खाली कर दी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां कुछ समय का किराया शेष है ।

अवशेष धनराशि का भुगतान भी तीन माह के अन्दर कर दिया जायेगा ।

जनपद मेरठ की सरधना तहसील पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाने की मांग

84–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या न्याय एवं विधि मंत्री को जानकारी है कि मेरठ मुख्यालय की सरधना के अतिरिक्त सभी तहसीलों पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित हो चुका है ? यदि हां, तो सरधना तहसील पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित कराना क्या सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मेरठ की केवल मवाना एवं बागपत तहसीलों पर मुन्सिफ न्यायालय कार्यरत हैं । अन्य तहसीलों पर मुन्सिफ न्यायालय स्थापित नहीं है ।

प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर भवन की उपलब्धता के संबंध में आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड विछिया नवाबगंज के कतिपय गांवों को विद्युत आपूर्ति किये जाने का आश्वासन

85–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड विछिया के ग्राम मऊ सुल्तानपुर व विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम देवी जगदीशपुर की लम्बे अर्से से बाधित विद्युत आपूर्ति में कौन से

कारण हैं तथा उक्त गांव में विद्यत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित की जा रही है ? क्या यह सही है कि मऊ सुल्तानपुर के 40 व्यक्तियों ने रुपया 25 प्रति घर की विद्युत कनेक्शन हेतु काफी दिनों पूर्व जमा किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को तत्काल विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत ग्राम के विद्युत लाइन के तार चोरों द्वारा काट दिये गये हैं इसलिये विद्युत आपूर्ति में कुछ बाधा उत्पन्न हुई है ।

जी हां ।

संसाधन उपलब्ध होते ही प्रार्थियों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा सकते हैं ।

86–श्री सुखदेव प्रसाद–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर जिला मुजफ्फरनगर के कार्यों की शिकायतों से सम्बद्ध प्रभारी सहायक अभियन्ता सहित अन्य दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

87–श्री चरन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरु के अता० प्र० सं० 50 के उत्तर में वर्णित गम्भीरतम् अनियमितताओं में वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये आदेशों का पत्रांक दिनांक व विन्दुवार विवरण की पूर्ण जानकारी क्या है ? क्या उक्त आदेशानुसार किसी अनियमितता पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत मामले से संबंधित प्रमुख अभियन्ता द्वारा दिये गये आदेश का पत्र संख्या 1036/जां०अ०/2019, दिनांक 21-2-90 है । उक्त आदेश का बिन्दुवार विवरण अत्यन्त विस्तीर्ण है जिसे प्रश्नकर्ता महोदय मेरे कार्यालय कक्ष में देख सकते हैं ।

जी हां ।

इस प्रकरण में एक प्रभारी सहायक अभियन्ता 3 सहायक अभियन्ता, 5 अवर अभियन्ता, 5 जिलेदार, 6 सीच पर्यवेक्षक, 5 सींचपाल व उप राजस्व अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाये गये उनमें से एक अवर अभियन्ता, 3 सीच पर्यवेक्षक एवं 4 सींचपालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । एक सींचपाल तथा एक सींच पर्यवेक्षक दिवंगत हो चुके है । प्रभारी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप पत्र स्वीकृत करके जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी जिसकी आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है और परीक्षणाधीन है । अन्य सहायक अभियन्ताओं/कर्मियों तथा उप राजस्व अधिकारी के विरुद्ध अभी कार्यवाही प्रचलित है । अनियमितताओं पर की गयी कार्यवाही उनसे संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम की सूचना अत्यन्त विस्तीर्ण है जिसकी सूचना मेरे कार्यालय में मा० प्रश्नकर्ता महोदय के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग में निर्माण कार्य संबंधी पदों की नियुक्तियों पर किसी प्रतिबन्ध का न होना

88–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना विकास विभाग में निर्माण कार्य संबंधी पदों की नियुक्तियों पर से रोक हटा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार रोक हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

निर्माण योजना में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

89–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

(8वें मंगल में अता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मऊ के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद टामस नदी के बांध के मरम्मत का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर

90–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद टामस नदी के बांध की मरम्मत का कार्य जो पिछले दो वर्षों से कराये गये, का भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मऊ के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद टामस नदी के बांध मरम्मत कार्य, जो पिछले दो वर्षों में कराये गये हैं, का भुगतान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील बांसी के ग्राम सभा समोगरा एवं कुरमई के किसानों द्वारा सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जाने की मांग

91–श्री श्याम नारायण–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसी तहसील, जनपद सिद्धार्थनगर के दो ग्राम सभा समोगरा एवं कुरमई के किसानों ने दिनांक 27-12-91 रजिस्ट्री संख्या 464 द्वारा महजरनामा भेजकर सिंचाई के साधन की मांग की है ? क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई ? अगर नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि अभियन्त्रण विभाग के अधीन चल रही आर० टी० सी० योजना का उद्देश्य एवं कार्यों का वर्षवार विवरण

92–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कृषि अभियंत्रण विभाग के अधीन चल रही आर० टी० सी० योजना कब एवं किस उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी थी ? इस योजना में कुल कितने कर्मचारी एवं अधिकारी कार्यरत हैं तथा इस योजना के संचालन पर विगत पांच वर्षों का वर्षवार व्यय कितना रहा है । वर्ष 1984-85 से वर्ष 1990-91 तक इस

योजना के अधीन कितने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये तथा प्रत्येक सत्र में कितने कारीगर प्रशिक्षित किये गये ? इस अवधि में कितने कृषि यंत्रों का विकास किया गया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

आर० टी० टी० सी० योजना सन् 1963 से निम्न उद्देश्यों से प्रारम्भ की गयी थी :–

(एक) प्रदेश में इंस्तेमाल किये जाने वाले उपलब्ध बैल चालित कृषि यंत्रों व मशीनों का खेतों में टेस्टिंग का कार्य ।

(दो) उन कृषि कार्यों के लिये जिनके लिये वर्तमान में कोई उपयुक्त कृषि यंत्र मशीन उपलब्ध न हो, ऐसे यंत्रों/मशीनों की विदेश अथवा देश के दूसरे भागों से मंगवाकर उनका प्रदेश के क्षेत्रों में परीक्षण करके परिमार्जन का कार्य ।

(तीन) जो मशीनें इस केन्द्र में टेस्ट की जायं, उनका परिमार्जन करके उनकी उपयोगिता बढ़ाने का कार्य ।

(चार) कृषि यंत्रों के विकास एवं प्रयोग का कार्य एवं उन कृषि यंत्रों जो प्रदेश के लिये उपयुक्त हो उनकी किसानों के बीच प्रचारित करने का कार्य ।

इस योजना में एक शोध अभियन्ता तथा अन्य 37 कर्मचारी कार्यरत हैं । इस योजना में विगत 5 वर्षों का वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :–

1986-87	रु० 4,46,821.55
1987-88	रु० 5,68,344.80
1988-89	रु० 3,46,261.10
1989-90	रु० 6,95,467.90
1990-91	रु० 11,15,270.30

प्रश्नगत अवधि में 32 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये । इस योजना में कारीगरों को नहीं वरन कृषकों, कृषि अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

इस अवधि में तीन कृषि यंत्रों का विकास किया गया है ।

93–श्री डी० पी० यादव–

(विस्तीर्ण एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

जनपद देवरिया में नई चीनी मिलें लगाये जाने के स्थानों का प्रस्ताव

94–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में राज्य सरकार द्वारा कितनी नई चीनी मिलें किन-किन स्थनों पर लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है । यदि नहीं तो देवरिया जनपद का सरप्लस गन्ना पेरने की क्या व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

देवरिया जनपद में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु हाटा, हाटा बुजुर्ग, एकौली, दोमाठ व फाजिलनगर स्थलों के लिये निजी क्षेत्र के उद्यामियों के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की जर्जर चीनी मिलों के नवीनीकरण तथा विस्तारीकरण की योजना की जानकारी

95–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की जर्जर चीनी मिलों के नवीनीकरण तथा विस्तारीकरण की क्या योजना है ? किन-किन चीनी मिलों का कब तक विस्तारीकरण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जिन आठ परियोजनाओं पर विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है उन्हें पहले पूर्ण किये जाने के उपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर देवरिया की जर्जर चीनी मिलों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण सम्भव हो पायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० की राम कोला इकाई के सामान्य प्रबन्धक को निलम्बित किये जाने के कारण

96–श्री सुरेन्द्र शुक्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० रामकोला इकाई के सामान्य प्रबन्धक को दिनांक 27-12-91 को इस कारण निलम्बित कर दिया कि उसने गन्ना तौल पर्ची पर सरकार द्वारा निर्देशित गन्ना मूल्य अंकित नहीं किया था ? क्या 27-12-91 को राज्य चीनी निगम, सहकारी संघ तथा निजी क्षेत्र के चीनी मिलों में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित गन्ना मूल्य तौल पर्चियों पर लिखा जा रहा था ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां, परन्तु निलम्बन का दिनांक 27-12-91 न होकर 27-11-91 था ।

सभी चीनी मिलों को गन्ना तौल पर्चियों पर परामर्शित गन्ना मूल्य अंकित करने को निर्देश दिये गये हैं जिसके संबंध में कोई अन्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

97–श्री मुन्ना चौहान–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनी किच्छा शुगर कम्पनी लि० में स्क्रेप विक्रय में वित्तीय हानि का न होना

98–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम की सहायक कम्पनी किच्छा शुगर कम्पनी लि० को स्क्रेप मेसर्स जैन ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ को कब किस प्रक्रिया एवं शर्तों के माध्यम से किस दर पर बेचा गया ? स्क्रेप उठाने की शर्तें क्या थीं ? स्क्रेप उठाने के आदेश पुनः देने के समय दर क्या थी ? क्या इस संबंध में निगम के विधि परामर्शी ने दिनांक 5-2-92 की

अपनी टिप्पणी में कोई सलाह दी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त सलाह को न मानकर चीनी निगम के प्रबन्धक (क्रय) ने दिनांक 15-2-92 को स्क्रेप उठाने का आदेश दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि यदि इसी स्क्रेप को वर्तमान दर पर बेचा जाता तो निगम को लगभग 5 लाख रुपये का फायदा होता ? क्या सरकार निगम को इतनी अधिक हानि पहुंचाने वाले प्रबन्धक (क्रय) को दण्डित कर प्रकरण की जांच किसी उच्च संस्था से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

किच्छा शुगर कं० लि० किच्छा इकाई द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करके, सार्वजनिक नीलामी के अन्तर्गत दिनांक 18-4-91 को उच्चतम बोली के आधार पर मेसर्स जैन ट्रेडिंग कं० मेरठ को स्क्रेप बेचा गया । स्क्रेप का दर रु० 5825.00 (पांच हजार आठ सौ पच्चीस रुपया) प्रति टन प्राप्त था ।

विक्रय आदेशों के शर्त के अनुसार क्रेता द्वारा समस्त स्क्रेप 15 दिन के अन्दर उठा लेना था अन्यथा उसे 2/- प्रति सप्ताह की दर से ग्राउण्ड रेन्ट किराया देना था । पुनः कोई आदेश नहीं दिया गया था । निगम के विधि परामर्शी की राय थी कि यदि क्रेता स्क्रेप उठाने में विफल रहता है तो स्क्रेप की पुनः नीलामी कर दी जाये । चूंकि क्रेता ने स्क्रेप उठाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया था अतः विक्रय आदेश की शर्तें एवं विधिक राय के अनुसार ग्राउण्ड रेन्ट चार्ज करते हुए स्क्रेप की उठान जारी रखने के संबंध में प्रबन्ध निदेशक की अनुमति प्राप्त करके प्रबन्ध (क्रय) द्वारा 15-2-92 को पत्र जारी किया गया ।

विक्रय आदेश शर्तों एवं विधिक अड़चनों के कारण विक्रय आदेश निरस्त कर स्क्रेप का अन्य दर से बेचे जाने का औचित्य नहीं था फिर भी इस उठान से निगम को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई ।

निगम को हानि नहीं हुई है, अतएव कोई व्यक्ति दोषी नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

99–श्री मोहम्मद हसन तथा श्री जाहिद हुसैन–

(8वें मंगल में अता० प्र० सं० 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला फैजाबाद की तहसील बीकापुर ग्राम सभा पूरे लाल खां की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण की मांग

100–श्री नेतराम तथा श्री मो० मुकीम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा पूरे लाल खां तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या इसके लिये अब तक कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 में विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कराया जा सकता है ।

सिंचाई विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने का मामला

101–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में वित्त सचिव के अर्द्धशासकीय पत्रांक वे०आ०–1-2518/दस-101 (एम)/89, दिनांक 8-10-91 के अनुसार सिंचाई विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश जारी करने हेतु विभिन्न वेतनमानों में कार्यरत अधिकारियों एवं उनसे सम्बद्ध आशुलिपिकों की सूचना प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से प्राप्त की गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद देवरिया की राज्य चीनी निगम की यूनिट भटनी द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु जिलाधिकारी द्वारा टैगिंग आदेश प्राप्त होने के बावजूद मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा बरती गयी अनियमितता

102–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की राज्य चीनी निगम की यूनिट भटनी में, जिलाधिकारी देवरिया नियमों के अन्तर्गत, गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अलग से धनराशि सुरक्षित करने के लिये टैगिंग आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस पेराई सत्र में, भटनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा आदेशों के विपरीत, अलग से खाता खोलकर गन्ना मूल्य का पैसा किसानों को न भुगतान करके अनियमित रूप से खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषी मिल प्रबन्धक के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

इस मामले की छानबीन उपरान्त यदि यह पाया गया कि आदेशों के विपरीत अनियमितता बरती गयी है तो यथासम्भव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

103–श्री बी० आर० वर्मा–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जिला लखनऊ के बल्दीखेड़ा मौजा देवपुर में विद्युतीकरण की मांग

104–श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बल्दीखेड़ा, मौजा देवपुर, तहसील एवं जिला लखनऊ का विद्युतीकरण कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

देवपुर का विद्युतीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है । बल्दीखेड़ा दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ के कार्यक्षेत्र में आता है, तथा इसके विद्युतीकरण का कार्य करने पर उक्त सोसाइटी द्वारा ही विचार किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री इकबाल महमूद तथा श्री जाहिद हुसैन–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में मऊ, शाहजहांपुर गांव में ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन हेतु आवेदन के उपरान्त ही लाइन में विद्युत प्रवाहित किया जाना

106–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र जलालाबाद में मऊ, शाहजहांपुर गांव में विद्युत खम्भे गाड़कर उनमें तार खींचे हुए लगभग 6 साल हो गये और गांव का विद्युतीकरण कागजों में दिखा दिया गया परन्तु आज तक बिजली नहीं प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक इस गांव को विद्युत प्रदान की जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत गांव का विद्युतीकरण प्राप्त अभिलेखों के अनुसार मार्च, 1986 में कर दिया गया था किन्तु लाइन में विद्युत प्रवाह नहीं की गयी है । किसी भी ग्रामवासी द्वारा विद्युत संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त न होने के कारण, विद्युत चोरी रोकने के उद्देश्य से प्रश्नगत लाइन में विद्युत प्रवाहित नहीं की गयी । यदि ग्रामवासी विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र देते हैं, तो लाइनों में विद्युत का प्रवाह कर दिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा कादीपुर के सभी गांवों के विद्युतीकरण का मामला

107–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हो गया है तो कब और कितना धन खर्च हुआ है ? यदि नहीं हुआ है तो किन-किन गांवों का विद्युतीकरण 1991-92 में होगा ।

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । सभी ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ।

सभी विद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण फरवरी, 1958 से मार्च, 1991 तक कर दिया गया है उक्त विद्युतीकरण में रु० 1,12,81,417.00 खर्च किया गया ।

प्रश्नगत क्षेत्र के किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण विगत वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सका है ।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड सिकरारा ग्राम सिकन्दरा में स्थित ट्यूबवेल पर अण्डर ग्राउण्ड नाली का निर्माण एवं उसके भुगतान में की गयी अनियमितता की जांच

108–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिकन्दरा विकास खण्ड सिकरारा, जनपद जौनपुर में स्थित ट्यूबवेल पर अंडरग्राउन्ड नाली हेतु विभाग से ठेका हुआ था जिसका पूरा भुगतान हो चुका है

परन्तु नाली अब तक नहीं बनी ? क्या सरकार उक्त कार्य को पूरा कराते हुए दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, आंशिक भुगतान हुआ है ।

पाइप लाइन का निर्माण आंशिक रूप से हुआ है ।

अवशेष कार्य पूर्ण कराया जा रहा है । जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

109–श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम शिवपुरी जानसठ में चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन

110–श्री सुरेश चन्द्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शिवपुरी पो० मीरापुर तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी मिल लगाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मिल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रश्नगत स्थान पर निजी क्षेत्र के एक उद्यमी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है जो राज्य सरकार की संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजा गया है ।

भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी करने के बाद ही निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम पमनावली ब्लाक खतौली तहसील जानसठ में बिजली घर का चालू किया जाना संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर

111–श्री सुरेश चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पमनावली ब्लाक खतौली तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर में एक विद्युत सब-स्टेशन प्रस्तावित है और उसकी बिल्डिंग करीब 15 वर्ष से बनकर तैयार खड़ी है और देख-रेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो रही है ? यदि हां, तो क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पमनावली बिजली घर कब तक चालू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत विद्युत उप केन्द्र के निर्माण का कार्य वर्ष 1982-83 के वर्क्स प्रोग्राम में प्रस्तावित था और उसके पश्चात् ही विद्युत उपकेन्द्र की बिल्डिंग बना दी गयी । संसाधन की कमी के कारण विद्युत उप केन्द्र का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका जिसके कारण उसकी बिल्डिंग का उचित रखरखाव नहीं किया जा सका ।

संसाधन उपलब्ध होते ही विद्युत उपकेन्द्र को पूर्ण करके उसे चालू किया जा सकता है ।

जनपद हरदोई के सिंचाई खण्ड शाहजहांपुर के शाहाबाद के रजबहा की सिंचन क्षमता एवं उसके माइनरों की सफाई में तीन वर्षों में खर्च किया गया धन

112–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड शाहजहांपुर के शाहाबाद जनपद हरदोई के रजबहा पर कुल कितना क्षेत्र सिंचाई योग्य है ? उपरोक्त क्षेत्र में रबी व खरीफ में प्रति वर्ष कितनी सिंचाई होती है ? यदि अन्तर है, तो क्यों और उसके क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 8.318 हेक्टेयर ।

गत वर्षों की सिंचाई निम्नानुसार है :–

1989-90		1990-91		1991-92	
रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ
720 हे०	1145 हे०	807 हे०	699 हे०	688 हे०	611 हे०

शाहाबाद रजबहा पूरी क्षमता से पानी नहीं ले पाती है । इसके पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना (विश्व बैंक) के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है ।

113–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर खण्ड सिंचाई के अधीन हरदोई जनपद का वह सिंचित क्षेत्र जो शाहाबाद रजबहा तथा उसके माइनरों द्वारा होता है की सफाई पर पिछले तीन सिंचाई वर्षों में कुल कितना रुपया खर्च किया गया तथा उपरोक्त क्षेत्र से कितना राजस्व उपरोक्त अवधि में प्राप्त किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 44,670 रुपया खर्च हुआ ।

वर्ष 1989-90 में खरीफ व रबी में कुल 2,24,241 वर्ष 1990-91 में 2,19,513 तथा वर्ष 1991-92 में खरीफ में 97,166 रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई । वर्ष 1991-92 रबी राजस्व के आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावा व भरावन तथा सण्डीला में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति का विवरण

114–श्री राम पाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावा व भरावन तथा सण्डीला में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में कौन-कौन गांव चयनित किये गये हैं ? चयनित गांवों में विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ? विद्युतीकरण में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

चयनित ग्रामों तथा विद्युतीकरण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष 1990-91

ब्लाक	चयनित ग्राम	विद्युतीकरण की स्थिति
1–कोथाल	1–शाहपुर	नहीं
	2–बेरुआ	,,
2–भरावन	1–जगसेरा	,,
	2–कनौरा अंट	हां ।
3–सण्डीला	1–जगखुरा	नहीं
	2–मोहम्मदपुरवारन	हां

वर्ष 1991-92

1–भरावन	मझिगांव	नहीं
	बिलरिया	
	कुकरानारायनपुर	
2–कोथावा	..	नहीं
3–सण्डीला	..	नहीं

वर्ष 90-91 के शेष चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण इसलिये नहीं किया जा सका कि विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 90-91 का लक्ष्य 39 ग्रामों से घटाकर 30 ग्रामों के लिये कर दिया गया था । वर्ष 91-92 के उपरोक्त चयनित ग्रामों में से ग्राम मझिगांव एवं कुकरानारायनपुर का सामान माह मार्च के अन्त में प्राप्त हुआ है तथा कुछ सामग्री अभी भी प्राप्त होने को शेष है जिनको प्राप्त करके इनका विद्युतीकरण शीघ्र कर दिया जायेगा अन्य ग्रामों का सामान लक्ष्य घट जाने के कारण नहीं हो सका है ।

उपरोक्त दो ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य माह जून के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

विद्युतीकरण के विलम्ब का कारण धन एवं सामान का अभाव तथा फरवरी माह में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हुआ ।

विद्युत दुर्घटना से मृत गाय के स्वामी श्री गंगासागर शुक्ला को परिषदीय कार्यालय द्वारा दी गयी अनुग्रह राशि

115–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि विधान परिषद् सदस्य, श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 10039/89 दिनांक 5-7-89 उनको नगर विकास राज्य मंत्री के पत्र संख्या 822/89, दिनांक 13-7-89 सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उक्त गायवाले को अभी तक हर्जाना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक हर्जाना दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

गाय की विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप उसके स्वामी श्री गंगासागर शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराई गयी रसीद के आधार पर उनको परिषद् द्वारा रुपये दो हजार पचास मात्र की अनुग्रह राशि की स्वीकृति कार्यालय ज्ञाप संख्या 2398ईए/राविप (औस-18)/91दिनांक 13-8-91 द्वारा कर दी गयी है ।

विधान सभा

सादुल्लानगर, जिला गोण्डा के 33 केवी० सब-स्टेशन को गौरा चौकी नामक स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

116–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 2-1-92 अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ को 33 केवी० सब-स्टेशन सादुल्लानगर, गोण्डा से हटाकर गौरा चौकी नामक स्थान पर स्थानान्तरित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

117–श्री सुल्तान रजा मिर्जा–

[9वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के प्रश्नगत विकास खण्डों में वर्ष 1988 से 1991 तक ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा

118–श्री तुलसीदास–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद स्थित विकास खंड वजीरगंज तरबगंज, झांझरी और पण्डारी कृपाल ब्लाक में सत्र 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? यदि विद्युतीकरण नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद गोण्डा के प्रश्नगत विकास खण्डों में वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नवत् है :––

वि० ख० का नाम	1988-89		1989-90		1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वजीरगंज	2	1	1	..	2	2
तरबगंज	1	..	1	1	1	1
झांझरी	2	1	1	1	1	..
पण्डारी	..	..	1	1	2	2
कृपाल	2	1	..	..	..	..

छूटे हुये चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने का कारण संसाधनों की कमी है ।

जनपद गोण्डा में डी० जी० सी० (राजस्व) तथा डी० जी० सी० (सिविल) के पद पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण

119–श्री तुलसीदास–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोण्डा में कार्यरत डी० जी० सी० (राजस्व) तथा डी० जी० सी० (सिविल) के पद अवकाश ग्रहण करने के कारण दिनांक 29-11-91 से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पदों पर नई नियुक्तियों हेतु जिलाधिकारी, गोण्डा से पैनल मंगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सेवा निवृत्त के उपरान्त उपरोक्त दोनों पदों पर वही व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा कोई शासनादेश है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । जनपद गोण्डा में जिला शासकीय अभिवक्ता (राजस्व) के पद पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव कार्य कर रहे हैं तथा जिला शासकीय अभिवक्ता (दीवानी) के पद श्री कृष्णा नन्द श्रीवास्तव कार्यरत हैं ।

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की आयु लगभग 54 वर्ष है तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के पद पर कार्यरत श्री कृष्णा नन्द श्रीवास्तव यद्यपि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं । विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.08 के अधीन पुनः 2 वर्ष कार्यकाल में वृद्धि करने अथवा न करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 केवी० क्षमता का सब स्टेशन वर्ष 1993 तक संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण असम्भव

120–श्री सुरेश संगल–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 केवी० क्षमता का सब-स्टेशन यू०पी०एस०ई०बी० द्वारा मार्च, 89 तक बनाने का निर्णय लिया गया था ? क्या इस हेतु 2.5 करोड़ का सामान खरीदने व अन्य कई प्रक्रियायें भी शुरू हो गयी थीं ? यदि हां, तो क्या निर्माण प्रगति संतोषजनक न होने के कारण इसकी निर्धारित तिथि मार्च, 91 तक तथा पुनः मार्च, 93 तक बढ़ा दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना की प्रगति क्या है ? क्या यह परियोजना निर्धारित तिथि तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

मुजफ्फरनगर में 400 केवी० उपकेन्द्र का प्राविधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, परन्तु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण उसके पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका । वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु एक योजना पी० एफ० सी०, भारत सरकार को जनवरी, 1991 में भेजी गयी है ।

पी० एफ० सी० द्वारा ऋण स्वीकृत हो जाने की आशा में कुछ उपकरणों की खरीदारी हेतु प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी थी परन्तु ऋण योजना की स्वीकृति में विलम्ब लगने के कारण इस कार्य को स्थगित कर दिया गया है ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस योजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है और न ही अभी तक इसे पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किय जा सका है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज के साथ बियर बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा की गयी कार्यवाही

121–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज के साथ-साथ बियर बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता को दिनांक 4-1-92 का पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन का अन्तिम निर्णय क्या है ? क्या बैराज के साथ-साथ बियर बनाये जाने के संबंध में शासनादेश किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह मामला अभी विचाराधीन है ।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में चोरी हुये विद्युत तारों से ठप हुई विद्युत आपूर्ति पुनः कतिपय गांवों में तार लगाकर किया जाना

122–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में 4 करोड़ रुपये की बिजली तार की चोरी हुई जिससे अनेकानेक ग्राम में विद्युत आपूर्ति बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो भविष्य में विद्युत चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि विद्युत तार की चोरी के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम में पुनः लाइन जोड़ने हेतु सरकार द्वारा व्यवस्था करा दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में क्रमशः रु० 6,81,740.00 व 29,47,123.00 कुल मिलाकर रु० 36,28,863.00 की बिजली तार की चोरी हुई जिससे अनेकों ग्रामों की आपूर्ति बन्द हो गयी ।

जिला प्रशासन एवं उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, उन्नाव द्वारा संयुक्त रूप से रात व दिन में पेट्रोलिंग का कार्य किया जा रहा है ।

विद्युत तार की चोरी के फलस्वरूप प्रभावित ग्रामों में पुनः लाइन जोड़ने के आंशिक सामान विद्युत भण्डार, लखनऊ द्वारा प्राप्त हुआ है जिससे लगभग 14 नं० ग्रामों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्थित कर दी गयी है ।

ग्राम अटवा टौक, चेहरा, मटकरी, मटवली जंग, मदारनगर, काजीपुर, कैथोली, माखन खेड़ा, गोसा, मुसताब, अतरधनी, जीगनखेड़ा, कल्याणी नदी आदि में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गयी है । अन्य ग्रामों की विद्युत आपूर्ति संसाधन उपलब्ध होने पर सुनिश्चित कर दी जायेगी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 8-11-91 को बिजली के लटके हुए तारों से कु० रीना नौटियाल की मृत्यु एवं उसके परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने की मांग

123–श्री मुन्ना चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि कुछ माह पूर्व कु० रीना नौटियाल पुत्री श्री आशा राम नौटियाल निवासी ग्राम विरोड पट्टी लालूर, जनपद टिहरी की बिजली की तार के सम्पर्क में आने से जल जाने के कारण मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस घटना की जिलाधिकारी टिहरी को सूचना दी गयी थी तथा पुलिस जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि बिजली का तार बहुत नीचे लटका होने के कारण कु० रीना की दुर्घटना हुई ? यदि हां, तो क्या मृतक कु० रीना के परिवार को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री जी मुआवजा देने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

कु० रीना नौटियाल दिनांक 8-11-91 को विद्युत तारों के सम्पर्क में आने से दुर्घनाग्रस्त हुई और दिनांक 13-11-91 को दून अस्पताल, देहरादून में उनकी मृत्यु हो गयी । इस घटना की जानकारी जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को नहीं दी गयी परन्तु सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन देहरादून को दुर्घटना की जांच हेतु सूचित किया गया था । जांच आख्या में यह पाया गया कि 11 केवी० लाइन की स्टे खुली हुई थी जिससे विद्युत तार झुक गये थे और इन्हीं तारों के सम्पर्क में आने के कारण कु० रीना नौटियाल दुर्घटनाग्रस्त हुई ।

कुमारी रीना के परिवार को अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून को क्षेत्रीय समिति की संस्तुति व पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है । उक्त संस्तुति प्राप्त होते ही अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी जायेगी ।

124–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

(8 वें मंगल में अता० प्र० सं० 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मुरादाबाद के अर्बन सर्किल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में कर्मचारियों के 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत रहने तथा स्थानान्तरण न किये जाने की जानकारी

125–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर मुरादाबाद के अर्बन सर्किल प्रथम तथा द्वितीय एवं तृतीय में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं जिनको एक ही पद पर तीन साल से ज्यादा कार्य करते हो गये हैं उनके नाम और पद क्या हैं ? नगर मुरादाबाद के अर्बन सर्किल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पदोन्नति के बाद भी स्थानान्तरण नहीं हुआ है ? ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विश्व बैंक द्वारा की गयी उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की शिकायत पर राज्य सरकार द्वारा तत्परता से कार्यवाही किये जाने का निर्देश

126 श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26-12-90 को जो वर्ल्ड बैंक ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का शिकायत की है, उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विश्व बैंक से दिनांक 21-12-90 को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट के ऋण सं० एल० एन०–2957 अ इं० एन० के अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का राज्य सरकार/राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अनुपालन न किये जाने की बात कही गयी है । उक्त ऋण अनुबन्ध में मुख्य शर्तें परिषद् द्वारा विद्युत बिल के बकाये का कम करना, सप्लायर्स के भुगतान को सुनिश्चित करना, राज्य सरकार द्वारा विद्युत परिषद् को ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी का नगद भुगतान करना शामिल है ।

विश्व बैंक द्वारा उठाये गये बिन्दु के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है ।

127–श्री जाहिद हुसैन–

(8 वें मंगल में अता० प्र० सं० 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मुरादाबाद के जिलाधीश द्वारा विद्युत विभाग खण्ड–2, 3 के संबंध में 30-9-91 की बैठक से संबंधित मुख्य मंत्री को पत्र एवं की गयी कार्यवाही

128–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर मुरादाबाद से जिलाधीश महोदय के द्वारा विद्युत विभाग खण्ड 2, 3 के संबंध में 30-9-91 की बैठक के संबंध में प्रार्थना पत्र मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अशोक कुमार ओझा, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के कार्य में अनियमितता का न पाया जाना तथा उनको चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी के उपखण्ड द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने का औचित्य

129–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार ओझा, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, मिर्जापुर को चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी के उपखंड द्वितीय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है ? क्या यह सही है कि अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड राबर्ट्सगंज से चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी के उक्त उपखण्ड की दूरी 100 कि०मी० है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी के आने जाने पर होने वाला व्यय वित्तीय दृष्टिकोण से उचित है ? यदि नहीं, तो उन्हें उक्त अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त संगठनों में एक साथ कार्य सौंपा जाना प्रतिबंधित है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । जिस उपखण्ड का कार्यभार प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी को सौंपा गया है, उसके मुख्यालय, चकिया की दूरी राबर्ट्सगंज से 65 कि० मी० है और उपखण्ड के सबसे महत्वपूर्ण काय चन्द्रप्रभा बांध की दूरी लगभग 55 कि० मी० है ।

कार्यों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं यात्रा व्यय को सीमति रखने के उद्देश्य से इस अंतरिम व्यवस्था में सहायक अभियन्ता का मुख्यालय चकिया रखा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक कुमार ओझा, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर को नवम्बर 1991 में सौंपा गया 5 लाख रुपये का कार्य दिसम्बर 91 में ही पूरा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री अशोक कुमार ओझा, सहायक अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, राबर्ट्सगंज को उनके अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड के पद के विरुद्ध नवम्बर एवं दिसम्बर, 1991 में रुपये 5 लाख का कोई कार्य नहीं सौंपा गया ।

सहायक अभियन्ता द्वितीय चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी के प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर इन्हें नवम्बर के अंतिम सप्ताह में द्वेत कार्यभार सौंपा गया । इस उपखंड हेतु भी दिसम्बर माह में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी पूर्व में आवंटित धनराशि में से लगभग रुपये 4.70 अवशेष बचा था, जिसमें से लगभग 2.20 लाख का उपयोग दिसम्बर माह में श्री ओझा द्वारा पूर्व में कराये गये कार्यों आदि के भुगतान हेतु किया गया । कार्यों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतएव जांच कराये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

131–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर के ग्राम किन्तूर में विद्युत लाइन के विस्तारीकरण के आदेश

132–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत विकास खण्ड, रामनगर के ग्राम किन्तूर में विद्युत लाइन के विस्तारीकरण हेतु गांव के 13 व्यक्तियों ने मांग की है और उसके संबंध में सारी औपचारिकतायें पूरी करते हुए निर्धारित शुल्क की कुल धनराशि दिनांक 21 अगस्त, 1991 को विद्युत सब-स्टेशन, रामनगर में जमा कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में विद्युत लाइन के विस्तार का आदेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां । माह सितम्बर, 1991 में विद्युत लाइन के विस्तार के आदेश कर दिये गये हैं ।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत विकास खण्ड तथा द्वितीय में 1-4-70 से 1-10-73 तक कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया जाना

133–श्री दल सिंगार–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वि० वि० खण्ड प्रथम तथा वि० वि० खण्ड द्वितीय, जनपद आजमगढ़ में दिनांक 1-4-70 से 1-10-73 के बीच मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त तारीखों के बीच के कुछ मस्टर रोल कर्मचारियों को प्रतीक्षा में सूची भी रखा गया है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । केवल एक मस्टर रोल कर्मचारी को नियमित किया गया है ।

जी हां ।

परिषद् में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । प्रतिबन्ध को हटाये जाने पर ही इनके नियमितीकरण पर विचार सम्भव हो सकेगा ।

जिला मुरादाबाद, तहसील सम्भल, ग्राम मझावली (भरतला) में वीनस शुगर मिल लि० हेतु क्रय की गयी जमीन का मामला

134–श्री मुन्ना चौहान–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि वीनस शुगर मिल लि० को चीनी मिल ग्राम मझावली (भरतला) तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद में स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आशय पत्र 164 (90)/90-अमेडमेंट दिनांक 10-8-90 मिला था ? क्या मिल मालिक द्वारा उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 का उल्लंघन करते हुये ग्राम गंगाधरपुर, तहसील चन्दौसी में लगभग 300 एकड़ भूमि क्रय करके लगभग 50 एकड़ भूमि पर चीनी मिल स्थापित की जा रही है और शेष भूमि पर खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ग्राम गंगाधरपुर में वीनस शुगर लि० के लिये अनुसूचित जाति के कृषकों से उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 के अनुरूप भूमि क्रय से पूर्ण जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त की गयी है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त अनुसूचित जाति के लोगों के इसाई धर्म में परिवर्तन के फर्जी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अनुसूचित जाति के उक्त लोगों के हितों की रक्षा हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? क्या उक्त भूमि क्रय करने में उ०प्र० जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 का उल्लंघन होने पर धारा 167 के अन्तर्गत भूमि को राज्य सम्पत्ति घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

135-136–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

(8वें सोम में अता०प्र०सं० 65-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्रीनगर पौढ़ी गढ़वाल जल विद्युत परियोजना की क्षमता, परियोजना में व्यय हुये धन एवं विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली सहायता को रोके जाने की जानकारी

137–श्री राम लखन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है ? कितनी अनुमानित लागत उक्त परियोजना की है ? अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या विश्व बैंक की सहायता न मिलने के कारण इसका कार्य रोका जा रहा है ?

श्री लालजी टण्डन–

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (पौड़ी गढ़वाल) की कुल प्रस्तावित अधिष्ठापित क्षमता 6×55(330) मेगावाट है ।

वर्तमान में परियोजना की कुल अनुमानित लागत 621.50 करोड़ रुपये है ।

इस परियोजना पर 3/92 तक कुल 96.14 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है ।

जी हां । विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना पर स्वीकृत ऋण को गत अप्रैल, 1991 से स्थगित कर दिया गया है । अतः परियोजना का कार्य अवरुद्ध है ।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कोआपरेटिव इण्टरमीडिएट कालेज, पिपराईच को निजी समिति को सौंपे जाने तथा पुनः गन्ना समिति पिपराइच से सम्बद्ध किये जाने की जानकारी

138–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत कोआपरेटिव इण्टरमीडिएट कालेज, पिपराईच, गन्ना समिति पिपराईच से सम्बद्ध था ? यदि हां, तो किस प्रस्ताव के आधार पर, कब इसे गन्ना समिति से असम्बद्ध कर दिया गया है तथा निजी समिति को सौंप दिया गया है ? क्या पुनः इसे गन्ना समिति से सम्बद्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पिथौरागढ़ के सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विद्युत सीमित संसाधनों के कारण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव न होना

139–श्री लीला राम शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के कितने गांवों का विद्युतीकृत किया गया है ? उनमें से ऐसे कितने विद्युतीकृत ग्राम हैं, जिनके सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्ध नहीं की गयी है ? उनमें कब तक सम्पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

मार्च, 1992 के अन्त तक जनपद पिथौरागढ़ में 1366 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक ग्राम के एक मकान से दूसरे मकान के मध्य अत्यधिक दूरी होती है। अतः विद्युतीकरण में किसी भी ग्राम के सम्पूर्ण घरों तक बिजली की लाइन बिछाना सम्भव नहीं हो सका है।

सीमित संसाधनों के कारण ग्रामों के पूरे घरों तक विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

टेहरी बांध विकास परियोजना को भूगर्भिक कारणों से रोके जाने का कोई निर्णय सरकार द्वारा अभी न लिया जाना

140–श्री भारत सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक हमत्वाकांक्षी तथा बहुआयामी टेहरी बांध जल विकास परियोजना को भूगर्भिक कारणों से रोके जाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ? यदि नहीं, तो उक्त योजना का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की निरन्तर उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत बांध 1998-99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

141–श्री राम ललित चौधरी–

(दिनांक 11-3-92 को ता०प्र०सं० 5 तथा दिनांक 1-4-92 को अता०प्र०सं० 10 द्वारा उत्तरित)

142–श्री राम प्रताप सिंह–

(8वें सोम में अता०प्र०सं० 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव, ग्राम बेलवां के श्री विनोद कुमार के मकान के ऊपर से 11,440 के०वी० की बिजली लाइन हटाये जाने की मांग

143–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम वेलवां, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के मकान के ऊपर से 11,440 के०वी० की बिजली लाइन गयी है, जिससे इनके पूरे परिवार के लिये खतरा बन गया है, यदि हां, तो क्या सरकार इनके मकान के ऊपर से लाइन हटवाने की कार्यवाही करेगी ? क्या इसकी जांच भी करायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने ऊर्जा मंत्री को श्री बी० के० सिंह के प्रार्थना-पत्र को संलग्न करके ता० 28-2-92 को दिया है। यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

हां, यह सत्य है कि वर्तमान समय में श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम वेलवां, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के नव निर्मित मकान के ऊपर से 11 के०वी० बिजली की लाइन गुजर रही है, लेकिन जहां तक परिवार के लिये खतरे का प्रश्न है, यह स्वयं श्री विनोद कुमार सिंह ने तीसों साल पूर्व निर्मित 11 के०वी० लाइन के नीचे पिछले 5-6 वर्ष पूर्व नया अवैधानिक निर्माण कर पैदा किया है।

श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र लाइन शिफ्टिंग हेतु अभी तक नहीं दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड (विश्वबैंक) के ड्रेनेज समस्याओं के समाधान हेतु कोई धनराशि का प्राप्त न होना

144–श्री राम किशन ददाजू–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद जनपद में ड्रेनेज समस्याओं के समाधान हेतु ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड विभाग में प्राप्त धनराशि अन्य जिले में खर्च की गयी है ? यदि उक्त धन अन्य कार्यों में खर्च किया गया है, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं ।

ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड (विश्वबैंक), फिरोजाबाद की ड्रेनेज समस्याओं के समाधान हेतु विभागीय अथवा जनपद स्तर से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस मद की धनराशि को अन्य जिले के कार्यों पर व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

फिरोजाबाद नगर में विद्युत सप्लाई की पूर्ण स्थिति की जानकारी

145–श्री राम किशन ददाजू–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद नगर एक औद्योगिक क्षेत्र है ? यदि हां, तो विद्युत सप्लाई नगर को औद्योगिक आधार पर की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या ग्रामीण मानक पर की जा रही है ? वहां पर कितने उद्योग विद्युत से चालित हैं और उनको किस मात्रा में विद्युत सप्लाई की जाती है ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत आपूर्ति के लिये औद्योगिक नगरों की कोई अलग श्रेणी नहीं है । औद्योगिक नगरों को भी प्रदेश के अन्य समकक्ष नगरों की भांति विद्युत आपूर्ति की जाती है । फिरोजाबाद नगर एक जिला मुख्यालय स्तर का नगर है और इसकी विद्युत आपूर्ति प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालय स्तर के नगरों की भांति की जाती है । फिरोजाबाद नगर की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर नहीं की जाती है । फिरोजाबाद नगर एवं उसके समकक्ष जिला मुख्यालय स्तर के नगरों को वर्ष 1991-92 में निर्धारित 24.00 घंटे के सापेक्ष औसत 22.00 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की गयी । फिरोजाबाद नगर में स्थित उद्योगों को भी लगभग उतनी ही विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन प्राप्त होती है ।

यह सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर हैं और इसमें स्थानीय दोषों से होने वाले व्यवधान सम्मिलित नहीं है ।

जनपद गोण्डा में गैसड़ी विकास खण्ड में भगवानपुर बांध के सुन्दरीकरण विद्युतीकरण हेतु प्राप्त धन के व्यय की जानकारी

146–श्री बिन्दु लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में गैसड़ी विकास खण्ड में भगवानपुर बांध के सुन्दरीकरण हेतु विद्युतीकरण करने के लिये सन् 1987 में 41000 रुपया जमा किये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक विद्युतीकरण न होने का क्या कारण है ? कब तक विद्युतीकरण होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में वर्ष 1990-91 में स्वीकृत गांवों के विद्युतीकरण का मामला

147–श्री बिन्दु लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में (90-91) में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 50 गांव स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो क्या उन गांव में विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद गोण्डा के लिये वर्ष 1990-91 में शुरू में 50 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो बाद में संशोधित करके 44 कर दिया गया था । संशोधित लक्ष्य के अनुसार सभी ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश के अनुसार आशुलिपिकों की एक स्थान पर पदस्थापना की अवधि एवं श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी, आशुलिपिक का कार्यालय मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पश्चिम), मेरठ का 8 वर्ष से स्थानान्तरण न किये जाने की जानकारी

148–श्री मुनव्वर हसन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 14/1/90कार्मिक-2, दिनांक 9-7-1991 द्वारा किसी राजकीय कर्मचारी की पदस्थापना की अवधि एक स्थान पर 5 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अधिष्ठान-4 क-अनुभाग), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3085/ई-4 क, दिनांक 3-5-1989 द्वारा आशुलिपिकों की एक स्थान पर पदस्थापना की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अन्तर्गत उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था है कि आशुलिपिकों के स्थानान्तरण के समय कार्यकारी स्थान पर कार्यरत आशुलिपिकों को अकार्यकारी स्थान पर तथा अकार्यकारी स्थान पर कार्यरत आशुलिपिकों को कार्यकारी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी, आशुलिपिक, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियन्ता नलकूप (पश्चिम) मेरठ वर्तमान स्थान पर दिनांक 7-5-1983 से अर्थात् साढ़े आठ वर्ष से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या अब

उपरोक्त शासनादेश एवं विभागीय आदेश के अनुपालन में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह त्यागी का स्थानान्तरण प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उक्त शासनादेश में अन्य के अतिरिक्त यह भी आदेश निर्गत किया गया है कि लखनऊ मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर संवेदनशील पदों को छोड़कर एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुये तैनाती की अधिकतम अवधि मैदानी क्षेत्र के लिये यथासम्भव 5 वर्ष तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 7 वर्ष होगी ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 3085/ई-4 क, दिनांक 3-5-89 द्वारा नहीं बल्कि 3065/ई-4 क, दिनांक 3-5-89 की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गयी है ।

उक्त आदेश में विभाग को कार्यकारी/अकार्यकारी में नहीं बल्कि दो वर्गों में विभाजित कर पदस्थापना की सामान्य नीति निर्धारित की गयी है । नीति के अनुसार ही पदस्थापना की जाती है ।

श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं । अतः इनका स्थानान्तरण मण्डल में ही किया जा सकता है, तद्नुसार श्री राजेन्द्र सिंह त्यागी, आशुलिपिक, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम), मेरठ का का०ज्ञा०सं० 127/ई-4 क दिनांक 3-1-1992 द्वारा मुख्य अभियन्ता (नलकूप पश्चिम), मेरठ के शिविर में स्थानान्तरण कर दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

केन यूनियन बभनान, बस्ती में गोण्डा जनपद से सम्बद्ध ग्रामों को अलग करके गौरा चौकी बाजार, गोण्डा में केन यूनियन बनाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

149–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 21-12-1991 को केन यूनियन बभनान, बस्ती में गोण्डा जनपद से सम्बद्ध ग्रामों को अलग करके गौरा चौकी बाजार, गोण्डा में केन यूनियन बनवाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मा० सदस्य का प्रश्नगत पत्र दिनांक 21-12-91 न होकर दिनांक 2-12-91 का है । प्रस्तावित समिति के निबन्धन हेतु नियमतः आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

आगरा जनपद में फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रूपपुर में 33 के०वी०ए० का सब स्टेशन का निर्माण संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर

150–श्री विजय पाल सिंह–

कया ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रूपपुर में 33 के०वी०ए० का सब स्टेशन बनना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ? उक्त सब स्टेशन कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आगरा जनपद में फतेहाबाद क्षेत्र के रूपपुर ग्राम में 33 के०वी० सब स्टेशन व सम्बन्धित लाइन के निर्माण का प्रस्ताव जोनल कमेटी द्वारा अनुमोदित है । परिषद् के सीमित संसाधनों के कारण उक्त सब स्टेशन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका । संसाधन उपलब्ध होने पर लाइन व सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जायेगा ।

उद्यान एवं फल संस्करण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा 30 मार्च, 1991 में छपाई हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में हुई कतिपय अनियमितता की जांच

151–श्री हरिवंश सहाय–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल संस्करण, उ०प्र०, लखनऊ को शासनादेश के अनुसार 30 मार्च, 1991 द्वारा छपाई पर व्यय हेतु एक लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी ? यदि हां, तो क्या छपाई हेतु टेण्डर कराया गया ? यदि हां, तो भुगतान कब व किसको किया गया ? क्या इसमें कोई गड़बड़ी हुई है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै०क्षे०), उ०प्र०, लखनऊ को छपाई पर व्यय हेतु एक लाख रुपये की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18-3-91 द्वारा दी गई थी ।

जी नहीं । कार्य कोटेशन आमंत्रित करके कराया गया था ।

मैसर्स विदित एडवर्टाइजिंग, लखनऊ को रु० 40,800 का दिनांक 22-4-91 को तथा मैसर्स पैरागान एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग, लखनऊ को रु० 49,200 का दिनांक 31-5-91 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया गया ।

कतिपय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुयी है जिसकी जांच कराई जा रही है ।

उद्यान एवं संस्करण, उ०प्र०, लखनऊ को शासनादेश द्वारा 22 जिलों में राजकीय फल संस्थान केन्द्रों में गैस पाइप लाइन फिटिंग हेतु प्राप्त धन के व्यय में की गयी अनियमितता की जांच के आदेश

152–श्री हरिवंश सहाय–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल संस्करण, उ०प्र०, लखनऊ को शासनादेश संख्या 1596/58-1-9/100/2/90, दिनांक 30 मार्च, 1991 द्वारा प्रदेश के 22 जनपदों में राजकीय फल संस्थान केन्द्रों में गैस पाइप लाइन फिटिंग हेतु 9.80 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी ? यदि हां, तो क्या इसके लिये क्रय समिति गठित की गयी, टेण्डर आमंत्रित किये गये ? क्या यह सत्य है कि गैस पाइप लाइन फिटिंग का कार्य जिन सम्बन्धित अधिकारियों ने कराया था, उन्हीं के द्वारा भुगतान किया है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

इस क्रय के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा रही है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 239 पर)

हाथरस, जनपद अलीगढ़ में मुंसिफी न्यायालय के नये भवन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रकरण शासन में लम्बित

153–श्री हरि शंकर माहौर–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाथरस, जनपद अलीगढ़ में मुंसिफी न्यायालय के नये भवन हेतु भूमि अधिग्रहण का कोई प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो कब से ? यह भूमि अभी तक अधिग्रहीत क्यों नहीं की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

हाथरस, जनपद अलीगढ़ में मुंसिफी न्यायालय के नये भवन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रकरण शासन में दिनांक 30-1-1986 को प्राप्त हुआ, लेकिन शासन के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये पहले शासन द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

154–श्री हरिशंकर माहौर–

(9वें बुध के लिये स्थगित)

155–श्री छोटे लाल यादव–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जिला बाराबंकी में धौरमऊ विकास खण्ड देवा के ऊसर एवं सीपेज से प्रभावित भूमि की जांच में की गई संस्तुतियों की जानकारी

156–श्री छोटे लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम धौरमऊ, विकास खण्ड देवा, जिला बाराबंकी के ऊसर एवं सीपेज से प्रभावित भूमि की जांच जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक 2729/चार-वि-सी०/84-85, दिनांक 4-1-85 के आधार पर तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री वासुदेव वर्मा द्वारा दिनांक 23-1-85 को की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट में क्या-क्या संस्तुतियां की गयी थीं ? उक्त जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संस्तुति के किसी बिन्दु पर कृषि विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को लिखकर कार्यवाही करने की भी अपेक्षा की गयी थी ? यदि हां, तो वह विशेष संस्तुति क्या थी ? इस संबंध में सिंचाई विभाग को कृषि विभाग द्वारा भेजे गये पत्रों का विवरण क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के पूरब में सफेदाबाद और गदिया रजबहा के मध्य कतिपय गांवों के वाटर लेबिल की जांच आख्या

157–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले के वर्तमान में (15 मार्च, 1992 के पूर्व) शारदा सहायक नहर के पूरब में सफेदाबाद रजबहा और गदिया रजबहा के मध्य जबरी कला, धौरमऊ, टिकरिया, जमुवासी, तिन्दौला, माती का वर्तमान में ग्रामवार वाटर लेबिल क्या है ? वर्ष 1980 से इन ग्रामों का वाटर लेबिल/जल स्तर कब-कब नापा गया है तथा इन नापों में वाटर लेबिल क्या पाया गया है ? क्या नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में शारदा सहायक डिवीजन, लखनऊ द्वारा की गयी नाप में वबुरिहा

(धौरमऊ) का वाटर लेबिल एक फिट दस इंच पाया गया है ? यदि हां, तो इसे कम करने की क्या संस्तुति की गयी है तथा उस संस्तुति पर कब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के पूरब में गदिया रजबहा एवं धौरमऊ माइनर के मध्य जल भराव तथा सीपेज को दूर करने हेतु बनाये गये ड्रेनों में व्यय हुए धन का विवरण

158–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में शारदा साहयक नहर के पूरब में गदिया रजबहा एवं धौरमऊ माइनर के मध्य वाटर लाक्ड/जल भराव वाला तथा शारदा सहायक नहर के सीपेज से प्रभावित क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रभाव को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त गांव के सीपेज को दूर करते हुए दो सीपेज निकास ड्रेन बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो ड्रेन किसकी संस्तुति के आधार पर बनायी गयी है ? इसकी संस्तुति कब की गयी ? निर्माण कब प्रारम्भ किया गया तथा निर्माण कब पूर्ण किया गया ? इन ड्रेनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? उसका भुगतान कब किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामदेव को सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जनपद बांदा द्वारा आंशिक अदायगी भुगतान की रसीद एवं कनेक्शन जोड़ने का शुल्क अदा करने के उपरान्त भी कनेक्शन न दिये जाने का औचित्य

159–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत के ग्राम रबरेहा के श्री रामदेव को सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा आंशिक अदायगी भुगतान रसीद संख्या 3/450499 एवं कनेक्शन जोड़ने का शुल्क मु० 100 रु० रसीद संख्या 8/350498 के अनुसार उपखण्ड अधिकर्ता, कर्वी को कनेक्शन जोड़ने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक कनेक्शन न जोड़ने का क्या औचित्य है ? क्या इसमें शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत वितरण खण्ड, मण्डल बांदा के अधीक्षण अभियन्ता ने विद्युत वितरण खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता को अनियमिततायें बरतने पर पत्रांक 5285/वि०वि०म०/ई०-13. दिनांक 19-10-91 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा था ? यदि हां, तो वे अनियमिततायें क्या हैं ? अधिशासी अभियन्ता ने क्या स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं, बल्कि अधीक्षण अभियन्ता, बांदा ने अपने पत्रांक 2085 वि०वि०मं०/ई०-13, दिनांक 10-10-91 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा से कतिपय पृच्छायें की थीं । नवाब टैंक एरिया के बोल्टेज में सुधार हेतु एक 11 के०वी० लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन में पाई गयी कतिपय त्रुटियों के सम्बन्ध में पृच्छायें की थीं, उल्लेखनीय है कि उक्त लाइन निर्माण के स्थल निरीक्षण के दौरान तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया । अतः कार्य को रोक दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में चुंगी चौकी से नवाबगंज टैंक तक अवैध रूप से 11 के०वी० की लाइन बिछाने पर रोक के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं हुई अनियमितता की जानकारी

161–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र संख्या क नं० 293961/63, दिनांक 4-11-91 द्वारा बांदा में चुंगी चौकी से नवाब टैंक तक अवैध 11 के०वी० की लाइन निर्माण के सम्बन्ध में लिखा था ? क्या विद्युत वितरण खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गयी भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें लिखा गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बांदा के द्वारा स्वीकृति संख्या 66/91-92 दिनांक 9-9-91 से प्रदान की गयी थी, किन्तु तकनीकी कारणों से अधीक्षण अभियन्ता ने कार्य पर रोक लगा दी थी । प्रश्नगत कार्य प्रारम्भिक अवस्था में ही मात्र 10 पोल विभागीय अधिकारियों द्वारा खड़े किये जाने के उपरान्त रोक दिया गया था । इससे परिषद् को हानि नहीं हुई । अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में शारदा सहायक खण्ड-39 द्वारा 1978 में भदरी स्कीप की खुदाई हेतु ली गयी किसानों की भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

162–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड-39 द्वारा 1978 में भदरी स्कीप की खुदाई हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार तुरन्त मुआवजा किसानों को दिलाने का कष्ट करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कि०मी० 0.90 तक की भूमि का मुआवजा बांटा जा चुका है । शेष बीच की भूमि का मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिया गया है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर किसानों को प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

जनपद इलाहाबाद में कतिपय नलकूपों के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच

163–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के नलकूप निर्माण खण्ड द्वारा निर्माणाधीन नलकूपों 109 एम० आहोपुर, 117 एस० उन्नौर, 116 एम० सहवना, 120 एम० उल्दा, 121 एम० मोनाई तथा 130 एम० महुआरी के निर्माण में भारी अनियमितता की गयी है ? क्या नलकूपों में नाली बनाने हेतु ठेकेदार को दिया गया 1922 मीटर 6" व्यास का प्लास्टिक पाइप मौके पर पहुंचा ही नहीं ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप संख्या–109 एम० आहोपुर 117 एम० (उन्नौर), 116 एम० (सहवसा), 120 एम० (उल्दा) एवं 121 एम० मोनई के निर्माण में अनियमितता होने की बात प्रकाश में आयी है, लेकिन नलकूप संख्या 130 एम० (महुआरी) की जल वितरण प्रणाली बनाने हेतु ठेकेदार को दिया गया 1722 मीटर पी०वी०सी० पाइप 6'' व्यास का 1470 मीटर तथा 8'' व्यास का 252 मीटर मौके पर नहीं पहुंचा ।

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को मामले की जांच स्वयं करते हुए आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद गोण्डा में वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत की गयी कटौती की जानकारी

164–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में भारी कटौती की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि कटौती से उपलब्ध धन से कहां-कहां पर विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है ? कटौती किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ गोण्डा जनपद के लक्ष्य को भी संशोधन किया गया है ।

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण में कटौती की गयी है ।

जनपद इलाहाबाद के उदय चन्द्रपुर माइनर को सेवइत इस्मारकगंज रोड के पास अधूरा छोड़े जाने से पानी के भराव से उत्पन्न बीमारी, सड़क टूटने आदि को बचाने के लिये नहर को पूरा करने की मांग

165–श्री भोला सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उदय चन्द्रपुर माइनर से सेवइत इलाहाबाद इस्मारकगंज रोड के पास काम अधूरा छोड़ दिया गया है ? क्या इसका पानी कहीं सड़क के किनारे भर जाता है, जिससे सड़क/सड़क किनारे टूट जाते हैं और पानी से बीमारी फैलती है ? क्या इसके आगे बढ़ने से 100 एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो क्या इस नहर को पूरा कराया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्या इसी तरह सहजीपुर माइनर भी बीच में अधूरी छोड़ी गयी है ? क्या इन नहरों को शीघ्र पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक पूरी करवायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ०प्र० चीनी निगम की इकाई चांदपुर द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये मृद्रा परीक्षण कराये जाने की मांग

166–श्री अवध पाल सिंह यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई चांदपुर द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये मृद्रा परीक्षण का जो कार्य सम्पादित किया जा रहा था, उसे बन्द किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में कृषि राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 29-11-91 में उक्त चीनी मिल में मृद्रा परीक्षण का कार्य पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में गन्ना मंत्री को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

वर्ष 1980 में एक लैब केमिस्ट के माध्यम से मृद्रा परीक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु वर्ष 1981 के उपरान्त सम्बन्धित तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण मृद्रा परीक्षण का कार्य नहीं किया जा सका ।

जी, हां ।

नई नियुक्तियां प्रतिबन्धित होने के कारण अभी भी सम्बन्धित स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिससे मृद्रा परीक्षण कार्य प्रारम्भ करने में कठिनाई हो रही है ।

जिला बाराबंकी में शारदा नहर के पूरब तरफ सफेदाबाद और गदिया रजबाही के मध्य वर्ष 1980 से 1991 तथा अब तक वाटर लेबिल की स्थिति की जानकारी

167–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में शारदा सहायक नहर के पूरब तरफ सफेदाबाद रजबहा और गदिया रजबहा के मध्य जबरी कला, धौरमऊटिकरिया, जमुवासी तिन्दौला, माती का वर्तमान में ग्रामवार वाटर लेबिल क्या है ? वर्ष 1980 से इन ग्रामों का वाटर लेबिल/जल स्तर कब-कब नापा गया है तथा इन नापों में वाटर लेबिल क्या पाया गया है ? क्या नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में शारदा सहायक डिवीजन लखनऊ द्वारा की गयी माप में बबरिया (धौरमऊ) का वाटर लेबिल एक फिट

दस इंच पाया गया है ? यदि हां, तो इसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

168–श्री राम स्वरूप वर्मा–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद बाराबंकी शारदा सहायक नहर के सीपेज के कारण कृषि योग्य भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी

169–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक नहर के सीपेज के कारण बाराबंकी जिले में नहर के किनारे कृषि योग्य भूमि में फसलें नहीं हो रही हैं ? क्या जल स्तर के बढ़ने से कृषि विशेषज्ञों की राय में कृषि योग्य भूमि में भी रबी, खरीफ एवं जायद की कौन-कौन सी फसलें नहीं हो सकती हैं ? जब जल स्तर 2 मीटर से ऊपर होता है, तो गेहूं, मटर, मसूर, उर्द, अरहर, गन्ना, सरसों तथा जायद की फसलों की उपज पर क्या प्रभाव डालता है ? इन्हीं फसलों पर क्रमशः 1.50 मीटर, 1.25 मीटर, 1.00 मीटर, 80 से०मी०, 60 से०मी०, 50 से०मी० जल स्तर रहने पर फसलों की उपज पर यह क्या प्रभाव डालता है ? जल स्तर की वजह से उपज क्रमशः कितने-कितने प्रतिशत घटती है ? क्या इसे चार्ट रूप में सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जल स्तर बढ़ने से दलहनी, तिलहनी एवं मक्का आदि फसलें कुप्रभावित होती हैं ।

जल स्तर 2 मीटर से ऊपर होने पर ऊसरी लेपन और जलाक्रान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मटर, मसूर, उर्द, अरहर, गन्ना, सरसों तथा जायद की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । गेहूं की फसल पर भी आंशिक प्रभाव होता है ।

जी हां । जल स्तर 2 मीटर तथा उससे कम पाये जाने पर भूमि ऊसरी लेपन तथा जलाक्रान्ति के कारण धीरे-धीरे कृषि के अयोग्य होने लगती है क्योंकि इस अवस्था में वाष्पोत्सर्जन से भूमि में जड़ों के प्रसार क्षेत्र में घुलनशील लवणों की सान्द्रता हानिकर स्तर तक बढ़ जाती है जिससे पौधों के फिशियोलोजिकल विकास एवं आस्पोसिस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और इन्टरनोडल विकास अवरुद्ध होने लगता है, जिससे पौधों का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

जल स्तर की विभिन्न गहराइयों पर फसलों की उपज पर सम्भावित कमी उपलब्ध सूचनानुसार (प्रतिशत)–

क्र०सं०	फसल	जल स्तर पर उपज में कमी (प्रतिशत)			
		40 से०मी०	60 से०मी०	90 से०मी०	120 से०मी०
1	गेहूं	42	23	11	5
2	जौ	42	20	11	5
3	राई	51	26	15	1
4	मटर	50	10	—	—
5	रेपसीड	21	5	5	2

जनपद आगरा फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण की रिपोर्ट तथा शेष ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना

170–श्री विजय पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें विद्युतीकरण स्वीकृत है ? कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कितने गांव विद्युतीकृत होने बाकी हैं और क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

आगरा जनपद में फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड फतेहाबाद व शमशाबाद में पिछले वर्षों में 15 ग्राम एल०टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण करने के लिये चयनित हुये । उनमें से 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । व 10 ग्रामों में विद्युतीकरण होना बाकी है ।

अब तक इस क्षेत्र में कुल 166 ग्रामों में से 69 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 97 ग्रामों का विद्युतीकरण होना शेष है ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नगर शमशाबाद कस्बा फतेहाबाद में गल्ला मण्डी के भवन के लिये स्वीकृत योजना की जानकारी

171–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में नगर, शमशाबाद, कस्बा फतेहाबाद में गल्ला मण्डी के भवन निर्माण हेतु कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कार्य प्रगति किस स्तर पर है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ रीजन एवं लखनऊ जोन में कार्यरत आशुलिपिकों के स्थानान्तरण का मामला

172–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ रीजन एवं लखनऊ जोन में कितने आशुलिपिक ऐसे हैं, जिन्हें एक ही जनपद में कार्य करते लगभग 5-6 वर्ष से अधिक हो गये हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण है ? क्या इस वर्ष उन्हें लखनऊ जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले लखनऊ रीजन एवं लखनऊ जोन में आशुलिपिक के एक-एक पद स्वीकृत हैं । उक्त पद पर तैनात दोनों आशुलिपिक क्रमशः माह अगस्त, 1987 एवं माह फरवरी, 1987 से अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यरत हैं । पिछले वर्ष उक्त दोनों आशुलिपिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण की सीमा में नहीं आते थे । अतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया । शासन के वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि स्थानान्तरण आवश्यक हुआ तो उन पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद बाराबंकी के वि०ख०बंकी ग्राम करखा, में लगे सड़े व झुके लकड़ी के विद्युत खम्भों को बदले जाने की मांग

173–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा० करखा, वि०खं० बंकी, जनपद बाराबंकी में लगी विद्युत लाइन के लकड़ी के खम्भों, जो नीचे से सड़ने के कारण इधर उधर झुक गये हैं तथा रोक के बलबूते खड़े हैं, को कब तक बदलवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद बाराबंकी के ग्राम करखा, विकास खण्ड बंकी में लगे हुये 10 अदद लकड़ी के खम्भे बहुत पुराने एवं जर्जर होने के कारण बदलने योग्य हैं । इन जर्जर खम्भों को बदलने के लिये प्राक्कलन बना दिया गया है । आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने एवं सामग्री भण्डार से प्राप्त होने पर उक्त पोलों को बदल दिया जायेगा ।

जनपद मुरादाबाद के अर्बन सर्किल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय में 3 वर्ष से ज्यादा समय से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पदोन्नति के बाद स्थानान्तरण न किये जाने का मामला

174–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर मुरादाबाद के अर्बन सर्किल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको एक ही पद पर तीन साल से ज्यादा कार्य करते हो गये हैं उनके नाम और पद क्या हैं ? उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पदोन्नति के बाद भी उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ? ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण न होने के क्या कारण हैं ? ऐसे अधिकारी कितने हैं तथा उनके नाम एवं पद क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

मुरादाबाद नगर में केवल एक ही अर्बन डिस्ट्रीव्यूसन सर्किल (विद्युत नगरीय वितरण मण्डल) है। इस मण्डल में एक ही पद पर तीन साल से ज्यादा कार्यरत अधिकारियों की संख्या तीन एवं कर्मचारियों की संख्या 469 है।

सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

ऐसे कर्मचारियों की संख्या 53 है।

परिषदीय हित में।

ऐसे अधिकारियों की संख्या दो है तथा उनके नाम व पद निम्नलिखित हैं :–

1–श्री वीरेन्द्र पाल गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता।

2–श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक अभियन्ता।

जनपद मुरादाबाद के विद्युत खण्ड-2 तथा 3 में वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में प्राप्त बिजली के अनुरूप आमदनी कम होने से हानि की आशंका

175–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत खण्ड 2 तथा 3 नगर मुरादाबाद के वर्ष 1990-91 के माह जनवरी में कुल विद्युत 18.608 मेगावाट प्राप्त की गयी है, इसी माह जनवरी में उपभोक्ताओं को खण्ड 2 व 3 से 21.356 मेगावाट सप्लाई दी गयी है ? यदि हां, तो आमद से 2.488 मेगावाट विद्युत ज्यादा कहां से सप्लाई की गयी ? विद्युत खण्ड-2 व 3 की वर्ष 1988-89 के माह फरवरी में कुल विद्युत प्राप्त हुई 14.592 मेगावाट इसी माह वर्ष 1989-90 में सप्लाई की गयी 13.264 मेगावाट, इस तरह 9.10 प्रतिशत बिजली की हानि हुई, इसी वर्ष 1988-89 माह के अप्रैल में खण्ड 2 व 3 को कुल विद्युत प्राप्त हुई 14.482 और सप्लाई की गयी 4.841 मेगावाट इसी माह में 66.57 प्रतिशत की हानि हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में जल्लापुर से अरमसराय तक के बरसाती नाले की सफाई न होने से सैकड़ों एकड़ जमीन जल मग्न होने की आशंका

176–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी तो बरसात से पूर्व प्रदेश में बरसाती नाले साफ करवाने की क्या नीति है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में जल्लापुर से अरमसराय तक वाला बरसाती नाला अवरुद्ध है और गत दो वर्षों से सफाई नहीं हुई है इससे सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी ? यदि हां, तो सरकार कब तक नाले की सफाई करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विभाग द्वारा अनुरक्षित नालों की सफाई गुणावगुण के आधार पर तथा कार्य की स्थिति एवं प्राथमिकता के अनुरूप धन की उपलब्धता अनुसार करायी जाती है ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में जल्लापुर से अरमसराय तक एक जल्लापुर नाला 4-5 कि०मी० लम्बा है जिसमें कुछ स्थानों पर किसानों ने सिंचाई आदि करने हेतु अवरोध लगा लिये हैं विगत दो वर्षों में इस नाले पर कोई सफाई नहीं कराई गई थी ।

इस वर्ष नाले की सफाई कराये जाने का कार्यक्रम है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में आर०डी०एस०ओ० में लगे सब स्टेशन से तथा 33(K) के०वी०ए० का सब स्टेशन, बनाने की लागत की तुलनात्मक जानकारी

177–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक 33(K) के०वी०ए० का सब-स्टेशन बनाने की लागत क्या आती है ? लखनऊ में आर०डी०एस०ओ० में सब स्टेशन बनाने की क्या लागत आई है ? तथा आर०डी०एस०ओ० इससे कम लागत में बनाना चाहता था ? यदि हां, तो वह लागत क्या थी, यदि वह कम थी, तो अधिक लागत में सब स्टेशन का निर्माण क्यों कराया गया ?

श्री लालजी टण्डन–

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में किसी 33/11 के०वी० के 5000 के०वी०ए० क्षमता के एक ट्रान्सफार्मर, उपकेन्द्र की लागत भूमि की कीमत को छोड़ते हुये लगभग रुपये 45.00 लाख आती है ।

लगभग 36.55 लाख ।

जी नहीं । अपितु आर०डी०एस०ओ० ने अपने परिसर में बनाये जाने वाले 33 के०वी० सब-स्टेशन के लिये भूमि उपलब्ध करायी तथा कन्ट्रोल रूम बनवा कर दिया और अन्य समस्त कार्य राज्य विद्युत परिषद् द्वारा करवाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज में विद्युत उपग्रह बनाने का कार्य संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर

178–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर में विद्युत उपग्रह बनाने हेतु भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो कब तथा उसका निर्माण अब तक पूरा न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विद्युत उपग्रह के शीघ्र निर्माण हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है ।

संसाधन उपलब्ध होते ही विद्युत उप केन्द्र का निर्माण अतिशीघ्र किया जा सकता है ।

जनपद अलीगढ़ में स्वीकृत अतरौली कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने हेतु स्वीकृत ऋण एवं उसके लाइसेंस धारकों की संख्या तथा समिति की वार्षिक आय

179–श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अतरौली में कृषि उत्पादन मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराया जाना स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो मण्डी समिति स्थल के निर्माण का कार्य कब स्वीकृत हुआ ? उस स्थल निर्माण के कार्य पर कितना व्यय होगा और उक्त व्यय के लिये धन की व्यवस्था कहां से की गयी है ? क्या किसी अन्य मण्डी समिति से कोई ऋण लिया गया है ? यदि हां, तो किस मण्डी समिति से कितना ऋण लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अतरौली मण्डी में कुल कितने लाइसेंस धारक हैं और मण्डी समिति की कुल वार्षिक आय क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां, दिनांक 13-7-1991 को स्वीकृति दी गयी है ।

उक्त निर्माण में 48.37 लाख अनुमानित व्यय होगा तथा इसके लिये मण्डी परिषद् से ऋण दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषद् से ऋण दिया गया है ।

मण्डी समिति, अतरौली में गत वर्ष कुल लाइसेंस धारकों की संख्या 318 थी तथा कुल आय रुपये 1,87,321.68 थी ।

उप निदेशक, कृषि रक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध रसयनों को ब्लैक में बेचने, अविधिक रूप से आवासीय चार्ज लेने, गाड़ी का दुरुपयोग करने एवं उन्नाव में इनके उत्पीड़न से पर्यवेक्षक द्वारा आत्म हत्या जैसे आरोपों की जांच एवं कार्यवाही

180–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, कृषि रक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध कृषि रसायनों को ब्लैक में बिकवा कर अनुदान दिखलाने, सरकारी कार्यालयों में रहने पर भी आवासीय भत्ता चार्ज करने, राजकीय गाड़ी का दुरुपयोग, अनैतिक नियुक्तियां करने आदि जैसे गम्भीर आरोप सिद्ध हुये हैं ? क्या इनके जनपद उन्नाव के कार्यकाल में इनके उत्पीड़न से कृषि रक्षा पर्यवेक्षक द्वारा आत्महत्या करने जैसे काण्ड घटित हुये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन ने इनकी पदोन्नति कर दी है ? क्या इनकी पदावन्नति पर सरकार विचार करेगी क्या पदावनति के साथ शासकीय धन की वसूली एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही करने पर भी शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

प्रश्नगत आरोपों की जांच करायी जा रही है ।

इस प्रकरण की विवेचना में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं ।

सम्बन्धित अधिकारी वर्ष 1987 से ही उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं ।

जांचोपरान्त शासन स्तर पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड 32 के अन्तर्गत फूलपुर रजबहा पर ग्राम कोहन्डा के सामने प्रति वर्ष कटती नहर के भाग को पक्का कराये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन न होना

181–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड 32 आजमगढ़ के अन्तर्गत फूलपुर रजबहा पर ग्राम कोहन्डा ताल के सामने प्रत्येक वर्ष नहर कटती है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान को पक्का कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला आगरा के जिलाधीश द्वारा आवंटित जज कम्पाउन्ड, आवास संख्या द्वितीय/47 वर्ष 1989 पर श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, सिंचाई निर्माण खण्ड को कब्जा न दिये जाने का मामला

182–श्री पूरन प्रकाश तथा श्री श्याद अली–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी आगरा द्वारा श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी जो सिंचाई निर्माण खण्ड, आगरा में कार्यरत हैं के नाम जज कम्पाउन्ड स्थित आगरा में आवास संख्या द्वितीय/47 वर्ष 1989 में आवंटित किया गया था जिसका कब्जा उस कर्मचारी को अब तक नहीं मिला ? क्या यह सही है कि उस आवास के उक्त आवंटन को बिना कारण बताये निरस्त कर किन्हीं सेवायोजन कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति के नाम आवंटित कर दिया जबकि उनके नाम पहले भी एक अन्य आवास आवंटित है ? क्या सरकार बाद वाले आवंटन को निरस्त कर श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी के नाम उक्त आवास पुनः आवंटित कर कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

183–श्री विजय सिंह राणा–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

जनपद बांदा के सिंचाई निर्माण विभाग कर्वी में कार्यरत अवर अभियन्ताओं की संख्या एवं इनके कार्य विवरण की जानकारी

184–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण विभाग कर्वी (बांदा) में कुल कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? उनमें से अनुसूचित जाति के कितने हैं ? इन अवर अभियन्ताओं में से ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जिनके पास कोई कार्य आवंटित नहीं है ? इन अवर अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य न दिये जाने का क्या कारण है ? अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवर अभियन्ताओं को कार्य का वितरण कब किया गया था और किस अवर अभियन्ता को क्या-क्या कार्य दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में कुल 11 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं, जिनमें तीन अवर अभियन्ता, अनुसूचित जाति के हैं । एक अवर अभियन्ता श्री सुमित नारायण को उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ्य होने के कारण चतुर्थ उप खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है । कार्य का वितरण अधिशासी अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि उनके द्वारा उपखण्डों के कार्य की सीमा का निर्धारण किया गया है और उक्त अवर अभियन्ताओं में कार्य का विवरण सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

1–श्री के० एल० बलेचा :–पन्हाई टैंक व उसकी नहरें व बरदहा बांध की नहरें ।

2–श्री बी० पी० यादव :–परदहा बांध व गुन्टा बांध के बायें पार्श्व में रेप राउण्ड का कार्य ।

3–श्री के० के० अस्थाना :–गुण्टा अपस्ट्रीट बेलेन्केट लाट-2, अपस्ट्रीट दायीं विंग व दायां पार्श्व कि०मी० 1-00 से 3-00 तक ।

4–श्री बैकुण्ठ नाथ श्रीवास्तव :–केनाल कालोनी, कर्वी दायां पार्श्व, गुण्टा बांध 0-00 से 1.00 तक । गुण्टा मुख्य नहर कि०मी० 12-195 से 20-00 तक तथा कि०मी० 30-00 से 37-10 तक व इसकी अल्पिकायें ।

5–श्री जे० एन० शर्मा :–दायां पार्श्व डादन विंग व स्टिलिंग बसिन गुण्टा कालोनी ।

6–श्री महेन्द्र सिंह :–दायां पार्श्व रेप राउण्ड दायां पार्श्व एक्समेंट व क्रेस्ट ग्राउण्टिग ।

7–श्री सुमित नारायण :–कार्यालय सम्बद्ध ।

8–श्री आर० बी० सिंह :–गुण्टा बांध बायें पार्श्व कि०मी० 4/1 से 5/0 कि०मी० व गुण्टा बांध मुख्य नहर 25/0 से 30/0 तक एवं उससे निकलने वाली अल्पिकायें ।

9–श्री के० के० शर्मा :–गुण्टा बांध कि०मी० 3/6 से 4/1 व 5/0 से 5/7 कि०मी०, गुण्टा मुख्य नहर 0/0 से 12/195 कि०मी० 20/0 से 25/0 कि०मी० तक ।

10–श्री मानपाल सिंह :–गुण्टा ब्लेन्केट लाट-3 बायां पार्श्व, क्रास ड्रेनों का निर्माण कार्य, आस्ट्रीम विंग बायां पार्श्व टेस्ट व कन्ट्रोल प्रयोगशाला ।

11–श्री एल० पी० वर्मा :–गुण्टा ब्लेंन्केट लाट-4, एवटमेंट बांया पार्श्व रिटन विंगवाल ग्राउटिंग ।

जनपद बांदा में श्री श्रीकान्त सिंह तथा श्री रमेश चन्द्र कनौजिया, अवर अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी के स्थानान्तरण के बाद भी कार्य मुक्त न होने का मामला

185–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आदेश संख्या 4262/2 बी-273 एस०/सामान्य स्थानान्तरण/89-90, दिनांक लखनऊ 25 मई, 1989 क्रमांक 394 के द्वारा श्री श्रीकान्त सिंह, अवर अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड (कर्वी), बांदा को अनुसन्धान एवं नियोजन खण्ड, महोबा के लिए स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या बाद में उक्त आदेश में संशोधन करके श्री श्रीकान्त का स्थानान्तरण ड्रेनेज डिवीजन फतेहपुर के लिए किया गया है ? यदि हां, तो इसी प्रकार श्री रमेश चन्द्र कन्नौजिया, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी, बांदा से रिहन्द बांध खण्ड, पिपरी मिर्जापुर के लिए हो गया है ? यदि हां, तो इन्हें अभी तक कर्वी में ही रोके रखने का क्या कारण है ? क्या अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी द्वारा उक्त स्थानान्तरण में अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या दोनों स्थानान्तरित अवर अभियन्तओं को शीघ्र रिलीव किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

खण्ड में अवर अभियन्ताओं की न्यूनता तथा कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्य हित में कार्य मुक्त नहीं किया गया था उक्त दोनों अवर अभियन्ताओं को दिनांक 5-4-92 को कार्य मुक्त किया जा चुका है ।

जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल तृतीय प्रखण्ड द्वारा किये गये अधिक भुगतान होने की वसूली

186–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल, तृतीय प्रखण्ड, बांदा द्वारा एग्रीमेंट नं०-17/87-88 का रु० 25,000 द्वारा भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या गबन का केस चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पांचवे रनिंग बिल के भुगतान में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान हो गया था जिसकी वसूली अन्तिम बीजक से कर ली गयी तथा विभाग को कोई हानि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड दुद्धी अथवा खास मार्ग चीफ शाखा निर्माण खण्ड द्वारा स्वीकृत मार्ग में व्यय तथा उसके अधूरा रहने की सम्यक् जानकारी

187–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड दुद्धी, जनपद देवरिया में दुद्धी अथवा खास मार्ग चीफ शाखा निर्माण खण्ड, देवरिया द्वारा बनवाने हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब ? इस मार्ग के निर्माण में अद्यावधिक किन-किन विभागों द्वारा कितना-कितना धन किन-किन वर्षों

में व्यय किया गया है ? क्या सत्य है कि यह मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो इस मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा । सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों से मार्ग का निर्माण कराने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति ने दिनांक 13-2-87 की बैठक में अथवा खास बांध की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट की संस्तुति की थी जिसमें इस सड़क के निर्माण का भी प्राविधान था ।

सिंचाई विभाग द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 88-89 में रुपया 11.65 लाख व्यय किया गया ।

10 कि०मी० की लम्बाई में आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य कराया गया था । धन की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराना प्रस्तावित है ।

सड़क का निर्माण कार्य केवल चीफ शाखा निर्माण खण्ड देवरिया द्वारा ही कराया गया था ।

जनपद आगरा की दघेंटा, सहपऊ, बरहन एवं फिरोजाबाद रजबहा द्वारा टेल तक पानी पहुंचने से फसल का प्रभावित न होना

188–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की दघेंटा, रजवहा, सहपऊ रजबहा, बरहन रजवहा तथा फिरोजाबाद में मौजूदा रवी की फसल के लिये भी रोस्टर के अनुसार पानी नहीं दिया जा रहा है ? क्या तीनों रजवहों की टेल पानी न पहुंचने के कारण हजारों एकड़ भूमि परेवट के लिये पड़ी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी किसानों के हित में किसी उच्च अधिकारी से मौके की जांच कराने तथा रोस्टर के मुताबिक नहरों से पानी उपलब्ध कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

पानी दिया जा रहा है ।

नहरें रोस्टर से अधिक चलायी गई है । अतः उक्त कारण से प्लेवा प्रभावित नहीं हुआ है । नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचने में कठिनाई रही, जिसके कारण टेल भाग में प्लेवा प्रभावित हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव की खेती तातत्पुर रजवहा सिंचाई खण्ड जौनपुर के सीवेज के कारण अस्त व्यस्त

189–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव असवारी, दारापुर, बीकापुर मकसूदन पट्टी, बराई ब्लाक तड़ागांव, जिला वाराणसी की खेती की हजारों एकड़ जमीन तातत्पुर, रजवहा सिंचाई खण्ड

जौनपुर के सीवेज से पूरे वर्ष डूबी रहती है । यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सीवेज को ठीक करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुरवा राजवाहे की लम्बाई स्वीकृत लम्ब छिन्नक के आधार पर 21.80 कि०मी० है । राजवाहे की खुदाई वर्ष 1980 से प्रारम्भ की गयी थी । वर्ष 1985 तक नहर के 5 कि०मी० तक तथा वर्ष 90-91 में राजवाहे के कि०मी० 13.400 तक पानी पहुंचाया गया था । वर्ष 80 से 90-91 तक राजवाहे के निर्माण में 25.76 लाख रुपये व्यय हुआ था । वर्ष 91-92 में राजवाहे के टेल तक पानी पहुंचाया गया है । राजवाहा टेल तक बन चुका है ।

जिला जौनपुर के पुरवा डिबाई मड़ियाहूं ब्रांच राजवाहे की खुदाई में वर्ष 1980-1991 तक व्यय तथा वर्ष 1992 टेल तक पानी न पहुंचने के कारण की जानकारी

190–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुरवा डिवाई मड़ियाहूं ब्रांच जिला जौनपुर की लम्बाई 22 किलोमीटर है, जिसकी खुदाई सन् 80 से की जा रही है और सन् 85 तक सिर्फ 5 किलोमीटर व 90-91 में 13 कि०मी० तक ही पानी पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो इस नहर पर सन् 80 से लेकर 90-91 तक कितना रुपया खर्चा किया गया है । क्या इस वर्ष 91-92 में टेल तक पानी पहुंचाया गया है ? पूरी नहर कब बना दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, पुरवा राजवाहे (पुरवा डिवाई) मड़ियाहूं ब्रांच के कि०मी० 11 से कि०मी० 12 तथा कि०मी० 18 से कि०मी० 18.500 तक के बीच में ऊसर जमीन है लेकिन इस बीच के राजवाहे को पक्का कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वर्तमान फसल रवी 1399 में ग्राम बड़ेरी (बहेड़ी) तक पानी पहुंचाया गया है ।

जनपद वाराणसी में ब्लाकवार किसनों को पम्पिंग सेट के कनेक्शन दिये जाने हेतु जमा किये गये एग्रीमेंट के अनुसार तुरन्त कनेक्शनों को दिये जाने की मांग

191–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में ब्लाकवार कितने किसानों ने पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु जनवरी, 1991 से जुलाई, 91 के महीनों में एस्टीमेट का पूरा रुपया जमा करके एग्रीमेंट किया है ? उनको आज तक लाइन न दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार आवेदित कनेक्शनों की पूरी संख्या बतायेगी ? क्या सरकार सामान जैसे तार, ट्रान्सफार्मर, क्लैम्प, खम्भा की आपूर्ति कराकर जल्द से जल्द कनेक्शन दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी जिले के 478 किसानों ने पम्पिंग सेट के कनेक्शन हेतु प्रश्नगत अवधि में प्राक्कलन का पूरा पैसा जमा करके अनुबन्ध किया है । किसानों की ब्लाकवार संख्या संलग्नक में दी गयी है । वाराणसी जिले में वित्तीय वर्ष 1991-92 में आवंटित लक्ष्य 500 के विरुद्ध शत-प्रतिशत पम्पिंग सेटों का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-92 तक कर दिया गया है । माह जनवरी, 91 से जुलाई, 91 के महीनों में जो अनुबन्ध हुये थे उनके विरुद्ध 208 पम्पिंग सेटों का ऊर्जीकरण किया गया है और शेष 292 पम्पिंग सेटों

हुतु जनवरी, 91 के पहले अनुबन्ध किये गये थे । निर्माण सामग्री का आवंटन लक्ष्य के विरुद्ध ही किया जाता है । अतएव प्रश्नगत अवधि में किये गये शेष अनुबन्धों वाले पम्पिंग सेटों का ऊर्जीकरण अगले वर्ष के लक्ष्य के विरुद्ध किया जा सकता है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 240 पर)

जनपद सुल्तानपुर के सिंचाई खण्ड 49 के द्वारा बनायी गयी ड्रेनों का किसानों को दिये जाना वाले मुआवजा के भुगतान में हो रही शिथिलता की जांच कराने की मांग

192–श्री तेज भान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के खण्ड 49 के अन्तर्गत बनने वाली गोरीपुर, हरकरनपुर, हरदोइया, मौसगांव, कमालपुर ड्रेनों का कितने किसानों का मुआवजा बना था ? उनमें कितनों का मुआवजा बांट दिया गया है । कितनों को अभी तक बांटा नहीं गया ? इनमें से कितने किसान ऐसे हैं जिनका मुंआवजा ही नहीं बनाया जा सका है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त ड्रेनें किस-किस सन् में निर्माण की गयी है ? अब तक समस्त किसानों को मुआवजा न बांटने के क्या कारण हैं ? क्या इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता की जांच पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड 49 के अन्तर्गत केवल मसियावताल ड्रेन के निर्माणार्थ 436 किसानों का मुआवजा बनाया गया था । शेष ड्रेनों की भूमि का मुआवजा नहीं बना है ।

436 किसानों में से 222 किसानों को मुआवजा बांट दिया गया है ।

436 किसनों में से 214 किसानों को मुआवजा नहीं बांटा गया है ।

ग्राम रामगढ़ तथा बर्नाटोकर की चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण भूमि अध्याप्ति प्रकरण नहीं बना है । गौरीपुर व कमालपुर एवं हरकरनपुर तथा हरदोईया ड्रेनों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है । इस कारण इससे सम्बन्धित किसानों का प्रकरण तैयार नहीं हो सका है ।

ड्रेनों का निर्माण वर्ष निम्न है :–

ड्रेन का नाम	वर्ष
गौरीपुर	1981
हरकरनपुर	1981
हरदोइया	1990
मसियांव	1978
कमालपुर	1982

चकबन्दी प्रक्रिया के कारण तथा भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण ही प्रतिकर का भुगतान नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/जी०पी०एफ० आदि के भुगतान के लम्बित मामलों की सम्यक् जानकारी

193–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में कितने कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/जी०पी०एफ० के मामले माह दिसम्बर, 1991 तक लम्बित हैं तथा इन लम्बित मामलों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ।

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/जी०पी०एफ० आदि के भुगतान सम्बन्धी लम्बित मामले निम्नवत् हैं :–

1–पेंशन	841
2–पारिवारिक पेंशन	956
3–ग्रेच्युटी	1254
4–जी०पी०एफ०	2115
	योग–5166

उपरोक्त मामले अधिकांशतः सेवा निवृत्त कार्मिकों/उनके आश्रितों द्वारा अपने पेंशन सम्बन्धी प्रपत्र पूर्ण कर प्रस्तुत न किये जाने के कारण लम्बित हैं । इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारित हेतु सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं और इन लम्बित मामलों को आगामी 6 माह में निस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा ।

जनपद बंदा के क्षेत्र नरैनी के गांव खरौच का विद्युतीकरण संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर

194–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के क्षेत्र नरैनी के गांव खरौच के युवक, मंगल दल का ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लाइन खींचे जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया है ? क्या संयुक्त सचिव, ऊर्जा अनुभाग–1 उ०प्र० शासन ने अपने अ०शा०पत्र संख्या 1202 एम०एम०पी०-1/90-23, दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को कार्यवाही हेतु सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश सहित भेजा गया है जिसकी सूचना प्रश्नकर्ता को दी गयी है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक वहां लाइन खींचकर विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम खरौच, (129) का विद्युतीकरण हेतु चयन जिला सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया गया है इसका उक्त समिति द्वारा चयन हो जाने एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

जनपद गोण्डा के श्री बी० डी० चौधरी/हरिचरन यादव, अवर अभियन्ता सिंचाई खण्ड के स्थानान्तरण में उत्पन्न रुकावटों का विवरण

195–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी०डी० चौधरी/हरि चरन यादव, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड गोण्डा का स्थानान्तरण जून, 1991 के बाद जनपद के बाहर किया गया था और बाद में स्थगित कर दिया गया है ? स्थानान्तरण का कारण क्या था तथा स्थगित करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार भविष्य में शासन नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री बी०डी० चौधरी, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1991 में तथा श्री हरिचरन यादव, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण मई, 89 में जनपद से बाहर किया गया था, श्री चौधरी को कार्यमुक्त करने के आदेश दिनांक 30-11-91 को दिये गये थे ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा श्री बी० डी० चौधरी, अवर अभियन्ता को दिनांक 30-4-92 तक गोण्डा में रखने के आदेश दिये गये । श्री हरिचरन यादव, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31-12-91 तक स्थगित किया गया ।

श्री बी०डी० चौधरी, अवर अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण वर्ष, 1991 में सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार भवन निर्माण खण्ड, लखनऊ के लिये किया गया था तत्पश्चात् यह आदेश परिवर्तित कर उन्हें लखनऊ खण्ड–2, शारदा नहर, लखनऊ स्थानान्तरित किया गया ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ ने श्री चौधरी की रिट याचिका पर उन्हे गोण्डा में ही अप्रैल, 92 तक बने रहने के आदेश दिये थे ।

श्री हरिचरन यादव, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण वर्ष 1989 में स्थानान्तरण नीति अनुसार प्रतिबन्धित अवधि पूर्ण कराने हेतु अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, रायबरेली में किया गया था, जिसे विभिन्न चरणों में 31-12-91 तक स्थगित किया गया था । श्री हरिचरन यादव को दिनांक 31-12-91 को सिंचाई खण्ड, गोण्डा से कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

जनपद मऊ के ग्राम लोकीपुर, पो० दुबारी में विद्युत सप्लाई की व्यवस्था ट्रान्सफार्मर की आवश्यकता न होना

196–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम लोकीपुर, पो० दुबारी में ट्रांसफार्मर न रहने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही है ? क्या इसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 11 अक्टूबर, 1990 को उन्हें कोई पत्र दिया था ? क्या इस ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर लगाने हेतु श्री सुखदेव सिंह उप सचिव, ऊर्जा (3) के द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1991 के प्रश्नकर्ता को सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम लोकीपुर, पो० दुवारी में ट्रांसफार्मर न रहने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को बिजली मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

जी हां ।

उक्त गांव को उसी गांव के सन्निकट स्थित ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है । उक्त गांव के लिये ट्रांसफार्मर की आवश्यकता इस लिये आभास नहीं की जा रही है क्योंकि समुचित रूप से वर्तमान समय में निर्वाधित विद्युत आपूर्ति की जा रही है । अब गांव में विद्युत का कोई संकट नहीं है । अतः उक्त गांव में टांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का आदि विकास खण्डों के गांवों की अधूरी विद्युत व्यवस्था का सूचीबद्ध विवरण

197–श्री शिव लाल पित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के विकास खण्ड बढ़नी, जोगिया, नौगढ़, उस्का, शोहरतगढ़, बर्डपुर के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण अधूरा है ? क्या यह सत्य है कि वहां पर न खम्भे गड़े हैं और न ही तार खींचा गया और वहां ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या खम्भा, तार ट्रांसफार्मर लगे स्थानों की लाइन से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त अधूरे कार्य पूरे किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद सिद्धार्थनगर के प्रश्नगत विकास खण्डों में निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण अधूरा है :–

(1) बढ़नी–

1–परसोहियानानकार, 2–तकडौर, 3–नीबी, 4–मुजहना, 5–बैरिहवा, 6–धनौरा बुजुर्ग, 7–मड़नी, 8–चनई, 9–धरौरा, 10–खम्भरिया ।

(2) जोगिया–

1–हर्रैया, 2–सजनी ।

(3) नौगढ़–

1–धौरी कुइयां ।

(4) उस्का–

1–कोल्हुवा, 2–केबटलिया, 3–दतग्रवा ।

(5) बर्डपुर–

1–अलीगढ़वा, 2–सिकरा बजरिया, 3–डकलीपुर ।

(6) शोहरतगढ़–

यह नवसृजित विकास खण्ड है, अभी गांव के विद्युतीकरण की नई स्कीम बनाई जानी है ।

विकास खण्ड बढ़नी के उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र पूरा किया जा सकता है । शेष विकास खण्डों के ग्रामों में खम्भे गड़े हैं । विकास खण्ड उस्का के ग्राम कोल्हुवा एवं केबटलिया के लिये तार एवं ट्रांसफार्मर प्राप्त हो गया है । खम्भा, तार, ट्रान्सफार्मर लगे ग्रामों को लाइन से शीघ्र जोड़ा जा सकेगा । वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किसी गांव में कुल स्थित घरों के 10 प्रतिशत की दर से खम्भा लगाने का प्राविधान है । तदनुसार गांव के जितने भाग का विद्युतीकरण उक्त सीमा के अन्तर्गत होगा, उसका संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जा सकता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत छितौनी बगहां रेल पुल के साथ सड़क पुल बनने में केन्द्र व राज्य सरकार के बीच वित्तीय अड़चनें

198–श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे अन्तर्गत छितौनी बगहां रेल पुल के साथ सड़क पुल भी बनेगा ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उ० प्र० सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया है ? क्या इसीलिए वह निर्माणाधीन पुल नहीं बन रहा है ? यदि हां, तो क्या उ०प्र० सरकार अपना प्रान्तीय अंशदान वहां लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु अब तक रु० 6.00 करोड़ दिए जा चुके हैं । अवशेष धनराशि दिए जाने के सम्बन्ध में परियोजना से प्राप्त लाभ के अनुसार लागत के विभिन्न साझीदारों के मध्य विभाजन हेतु समझौता ज्ञापन बनाये जाने का प्रकरण भारत सरकार में लम्बित है । समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देने के उपरान्त ही शेष अंशदान देना सम्भव होगा ।

जनपद मेरठ में नये विद्युत कनेक्शन देने का ठेका जनवरी, 1976 से 1991 तक एक ही ठेकेदार को दिये जाने पर विद्युत परिषद् को हुई हानि तथा उपभोक्ताओं से वसूली गयी धनराशि का विवरण

199–श्री चरन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर में नये विद्युत कनेक्शन देने का ठेका जनवरी, 76 से दिसम्बर, 91 तक प्रतिवर्ष लगातार एक ही ठेकेदार को क्यों दिया जाता रहा है, जबकि मेरठ छावनी तथा कंकर खेड़ा में कनेक्शन देने का कार्य विभागीय कर्मचारी कर रहे हैं ? क्या राज्य विद्युत परिषद् ने गत वर्षों में लगातार एक ही ठेकेदार को कनेक्शन देने के लिये विशेष आदेश पारित किये हैं ? इसमें राज्य विद्युत परिषद् को कितनी हानि पहुंच रही है ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस अवधि में प्रतिवर्ष इस ठेकेदार को कितना भुगतान किया गया तथा विद्युत उपभोक्ताओं से सर्विस कनेक्शन चार्जेज के रूप में कितनी राशि वसूली गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

1-1-76 से पूर्व मेरठ शहर (मेरठ, छावनी, केंकरखेड़ा तथा तेजगढ़ी को छोड़कर) का क्षेत्र मेरठ नगरमहापालिका के अन्तर्गत था ।

क्योंकि लाइसेंसी अपने अधिष्ठान व्यय को काफी सीमित रखते थे, इसलिये वे भी नये कनेक्शन देने का कार्य ठेकेदार से कराते हैं जिसमें व्यय कम होता था ।

परिषद् द्वारा अधिग्रहण के पश्चात् भी यह प्रथा उन क्षेत्रों में, जो कि महापालिका से हस्तान्तरित हुये थे, चालू रही ।

यद्यपि समय-समय पर इस बात का आंकलन किया जाता रहा कि क्या यह कार्य परिषद् के कर्मियों द्वारा कराया जा सकता है अथवा नहीं, परन्तु कर्मियों की कमी के कारण ऐसा कराया जाना सम्भव न हो सका ।

नये स्टाफ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिषद् को भेजा गया परन्तु सितम्बर, 78 के पश्चात् सभी प्रकार की भर्तियों पर रोक लगा देने के कारण यथास्थित ही रही ।

ठेके पर काम कराने का कार्य परिषद् नियमानुसार सभी प्रकार की औपचारिकता पूरी करने पर ही दिया जाता रहा है ।

यह मात्र संयोग ही कहा जा सकता है कि एक ही फर्म इस प्रकार के कार्य का ठेका लेने में सफल रही है । ठेका दिये जाने के कार्य में परिषद् द्वारा न तो कोई आदेश विशेष तौर पर पारित किये गये और न ही परिषद् इस प्रकार के आदेश पारित करती है ।

प्रतिवर्ष (वर्षवार) ठेकेदार को किये गये भुगतान और विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त सर्विस कनेक्शन चार्ज के रूप में प्राप्त राशि संलग्नक में दर्शाई गयी है जिसके अनुसार परिषद् द्वारा ठेकेदार को किये गये भुगतान उपभोक्ताओं से प्राप्त भुगतान की अपेक्षा काफी कम है एवं इस मद में कोई भी हानि नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 241 पर)

जनपद मैनपुरी में ब्लाक सुल्तानपुर के ग्राम दिवलपुर, चौधरी हन्नूखेड़ा, बलारपुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

200–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम दिवलपुर चौधरी हन्नूखेड़ा बलारपुर, ब्लाक सुल्तानपुर जिला मैनपुरी को मात्र अभिलेखों में विद्युतीकरण कर दिया गया है, परन्तु मौके पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

यदि हां, तो क्या यह सच है कि ग्राम हन्नूखेड़ा में बिजली के लट्ठे गाड़ कर पुनः उखाड़ लिये गये हैं और ग्राम दिवलपुर चौधरी में केवल आधे ग्राम में ही लट्ठे गड़े हैं । यदि हां, तो इन ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

ग्राम दिवलपुर चौधरी, हन्नूखेड़ा, बलारपुर ब्लाक सुल्तानपुर जिला मैनपुरी का विद्युतीकरण अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1979-80 वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1980-81 में किया गया था तथा मौके पर विद्युतीकरण हुआ है ।

ग्राम हन्नूखेड़ा में बिजली के लट्ठे गाड़ कर ग्राम से कोई भी पोल उखाड़ा गया है ग्राम दिवलपुर चौधरी में उसके तीन नगलों को छोड़कर पूरे गांव में लट्ठे गड़े हुये हैं ।

इन ग्रामों को पुनः विद्युतीकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 6 मई, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी । पहली सूचना श्री मुन्ना चौहान की देहरादून के "विकास डाक पत्थर" में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में । दूसरी सूचना श्री दल सिंगार यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र में महाराजगंजं से देवारा जहीद मार्ग के रुके हुये कार्य को पूरा कराने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री किशन गोपाल की आगरा में एड्स रोग की रोकथाम करने के संबंध में, चौथी सूचना श्री दिनेश जौहरी की बरेली में भीषण पेयजल संकट के संबंध में, पांचवी सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा जनपद में बांदा तिन्दवारी मार्ग के बीच उसरा नाले पर तथा तिन्दवारी बबेरू मार्ग की बीच गडरा नदी पर पुल बनवाने के संबंध में । छठीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की मुजफ्फरनगर के बधरा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना एवं विकास योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में । सातवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की हजारों बेरोजगार बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) की नियुक्तियां न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(यह सातों सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

देहरादून के विकास नगर डाक पत्थर में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना चौहान–

[मान्यवर, जनपद देहरादून के चकराता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास नगर डाक पत्थर क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही है । मैंने भी विकास नगर डाक पत्थर क्षेत्र में महाविद्यालय की मांग को अनेकों बार विधान सभा के माध्यम से तथा संबंधित माननीय मंत्री को पत्रों के माध्यम से की है । परन्तु सरकार मेरे क्षेत्र की इस नितान्त आवश्यक एवं कल्याणकारी मांग का मात्र राजनीतिकरण कर रही है और अभी तक भी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की है । मैंने उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री को सम्बोधित अपने पत्रांक 279481, दिनांक 28 फरवरी, 92 तथा पत्रांक 262872 दिनांक 12/13 मार्च, 1992 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विकास नगर डाक पत्थर क्षेत्र में माह जुलाई, 1992 से पहले महाविद्यालय को स्वीकृति देकर इसी शिक्षा सत्र में कक्षायें प्रारम्भ नहीं कर दी जाती तो क्षेत्र का नौजवान व छात्र आन्दोलन करने के लिये विवश हो जायेगा । मैं अपने क्षेत्र के उक्त महत्वपूर्ण मांग की इसलिये सदन में चर्चा कर रहा हूं ताकि सरकार इसे गम्भीरता से ले तथा महाविद्यालय स्वीकृत कर हमारी शिक्षा संबंधी समस्या का निराकरण करे अन्यथा हमारे पास मांग मनवाने का एक मात्र रास्ता आन्दोलन ही बचा है । अतः इस सदन के माध्यम से पुनः मांग करता हूं कि विकास नगर डाक पत्थर में इसी शिक्षा सत्र में महाविद्यालय खोला जाय ।]

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र में महराजगंज से दोबार शहीद मार्ग के रोके हुये कार्य को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दलसिंगार यादव–

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में महराजगंज देवारा जदीद लगभग साढ़े तीन कि०मी० मार्ग राज्य सेक्टर से कई वर्षों से स्वीकृत है । किन्तु इस पर निर्माण कार्य रुका पड़ा है । बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग के दोनों तरफ सैकड़ों गांव में आवागमन बाधित होता है । जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना आवश्यक है ।

अलाउद्दीन पट्टी नसीपुर छीहीं, कालिसपुर मार्ग पर गिट्टी आदि डाल दी गयी है किन्तु शेष कार्य नहीं हो पा रहा है । ज्ञातव्य है कि इस मार्ग की स्वीकृति गिट्टी एवं पेन्ट के लिये दी गयी थी लेकिन अब तक यह कार्य अधूरा है ।

कृपया शीघ्र निर्माण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें ।]

आगरा में एड्स रोग की रोकथाम के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री किशन गोपाल–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एड्स के रोगी इस समय आगरा में हैं यह संक्रामक भयंकर लाइलाज रोग जिसके लिये आगरा में प्रदेश सरकार की ओर से कोई रोकथाम के साधन नहीं अपनाये गये केवल केन्द्र पर निर्भर रहना यह प्रदेश के हित में नहीं । यदि रोकथाम न की गयी तो देश का 1/4 जनसंख्या सन् 2000 ई० तक एड्स रोग से पीड़ित हो जायेगी और प्रदेश में भी यही हाल होगा लेकिन आगरा में जिस गति से इस रोग में मरीज बढ़ते जा रहे हैं रोकथाम न होने पर जनता 1/2 आगरा की 2000 ई० तक एड्स का शिकार हो जायेगा ।

इसलिये मेरा विशेष अनुरोध है कि आगरा की जनता में स्नेह है तो उक्त मामले को गम्भीरता से लेकर तुरन्त इस रोग की रोकथाम करायें जिससे रोग और न बढ़ सके ।

प्रत्येक व्यक्ति चैक नहीं कराता इसलिये बीमारी का पता नहीं लग पाता इसलिये प्रत्येक व्यक्ति की जांच व इलाज व रोकथाम की आगरा में तुरन्त व्यवस्था करें अन्यथा आगरावासियों का जीवन इतिहास ही समाप्त हो जायेगा । मुझे पूर्ण आशा है कि प्रार्थना को सम्पूर्ण आगरा की प्रार्थना समझ कर स्वीकार कर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही के आदेश देने की कृपा करें ।]

बरेली में भीषण पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० दिनेश जौहरी–

[मान्यवर, गत एक पखवाड़े से बरेली महानगर की पेयजल समस्या बद से बदतर होती जा रही है और इस समय भीषण रूप ले लिया है । नागरिकों को जलापूर्ति न हो पाने के कारण जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है नगर महापालिका द्वारा गत दिनों भेजी गयी 17 लाख की योजना स्वीकृत होने से तथा आवास विकास क्षेत्र में स्थित पानी टंकी के ट्यबूबेल को बिजली के कनेक्शन करा देने से कुछ हद तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

समस्या का हल हो सकता है साथ ही विश्व बैंक परियोजना के तहत बन रहे ट्यूबबेल के निर्माण में भी तेजी जाने से कुछ हद तक समस्या का हल हो सकता है ।

अतः मांग करता हूं कि सरकार बरेली महानगर की पेयजल समस्या सुधारने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें ।]

जनपद बांदा तिन्दवारी मार्ग के बीच उसरा नाले तथा तिन्दवारी बबेरू मार्ग पर गडरा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, जनपद बांदा में बांदा तिन्दवारी मार्ग पर यातायात की भीषण समस्या बरसात में उत्पन्न हो जाती है । जबकि मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है । बरसात में उसरा नाला बहुत ज्यादा बाढ़ में आ जाती है जिससे प्रति वर्ष लाखों रुपये की धन-जन की हानि होती है । इसलिये पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है । जबकि उक्त पुल स्वीकृत हो चुका है सर्वे कराने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है, निर्माण कराना अति आवश्यक है ।

इसी तरह तिन्दवारी बबेरू मार्ग पर गडरा नदी पर पुल का निर्माण नितान्त आवश्यक है जिससे दो तहसीलों के आवागमन को सीधी सेवा हो सकती है ।

अस्तु उक्त तथ्यों को नजर रखते हुये जनपद बांदा में बांदा-तिन्दवारी मार्ग पर उसरा नाले पर पुल का निर्माण तथा तिन्दवारी बबेरू मार्ग पर गडरा नदी पर पुल का निर्माण कराने की कृपा करें ।]

मुजफ्फरनगर के बधरा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना एवं विकास योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बधरा के ग्राम लखान में दस लाख, कूप योजना के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण का कार्य हुआ जिससे लगभग 12 लाख से अधिक व्यय दिखाया गया जबकि व्यय कार्य मात्र 2 या 3 लाख में सम्पन्न हुआ ।

जवाहर रोजगार योजना द्वारा ग्राम गौसगढ़ में मात्र 800 मीटर पर मिट्टी कार्य तथा दो पुलिया का निर्माण कार्य प्रस्तावित था जिसका स्टीमेट प्राक्कलन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा 77 हजार एक सौ रुपया का बनाया गया ग्राम प्रधान के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण करने पर जानकारी हुई कि यह कार्य 15 या 20 हजार रुपया में हो सकता है ग्राम प्रधान ने कहा कि हम इस कार्य को 20 हजार रुपया में करा सकते हैं मेरे हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अभियन्ता द्वारा आश्वासन दिया गया कि 20-25 हजार में अच्छा कार्य करा देंगे तथा बाकी 50 हजार से खड़ंजा का निर्माण हो जायेगा परन्तु बाद में इसी कार्य के लिए 37 हजार से अधिक का व्यय दिखाया गया इस कार्य में धन का दुरुपयोग किया गया जबकि कार्य श्रमदान द्वारा कराया गया और ग्राम प्रधान जो पिछड़ी जाति का है जिसने लूट का भण्डाफोड़ किया था, नीच, कमीने जैसे अपशब्द अभियन्ता द्वारा कहकर अपमानित किया गया अन्य कार्यों में भी प्राक्कलन अधिक बनाये गये कार्य मानक स्तर के नहीं हुए इसकी जांच वर्षा ऋतु से पूर्व करायी जानी अत्यन्त आवश्यक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग की जाती है ।]

बेरोजगार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) की नियुक्तियां न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय महत्व की निम्न सूचना को लाना चाहता हूं । यह कि वर्ष 1986 से 1991 तक हजारों प्रशिक्षार्थी को बेसिक हेल्थवर्कर (महिला) की भांति ही प्रशिक्षित किया गया । दिनांक 24-4-92 को माननीय विधायक श्री चरण सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर में बेसिक हेल्थवर्कर (महिला) के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी ने 1500 नये पदों के सृजन की घोषणा की । परन्तु पुरुषों के लिए सदन में कोई घोषणा नहीं की । जिससे प्रशिक्षित बेरोजगार पुरुषों में भयंकर असन्तोष व्याप्त हो गया तथा सरकार द्वारा एक पक्षीय फैसले पर पुरुष/महिला के आन्दोलन को और उग्र रूप देने का निर्णय लिया गया है । अब ये इतने उग्र हो चुके हैं कि यदि इनकी मांग न मानी जाय तो वे आत्मदाह करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं ।

दिनांक 17-2-92 को ये लोग लगातार विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और दिनांक 19-5-92 से पुरुष एवं महिला का आमरण अनशन संयुक्त रूप से चल रहा है ।

अस्तु मैं शासन से मांग करता हूं कि प्रशिक्षित स्वा० कार्यकर्ता पुरुष के लिए भी नये पदों का सृजन कर इनको शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाय ।]

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, यह किशन गोपाल जी की सूचना किसा विषय पर है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने उसे सुना नहीं तो यह दोष आपका है पीठ का नहीं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, अगर उन्हें एड्स है तो उसकी जांच होनी चाहिए ।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 †

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 30 अप्रैल, 1992 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापा नहीं गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1992 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 अप्रैल, 1992 को वापस प्राप्त हो गया।

दिनांक 30 मार्च, 1992 को श्री राम लखन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संबंध में ग्राम्य विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

(श्री हरवंश कपूर के खड़े होकर शोधन वक्तव्य पढ़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

[दिनांक 30-3-91 को श्री राम लखन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 के संबंध में श्री राम लखन वर्मा, सदस्य, विधान सभा के अनुपूरक प्रश्न में पूछा गया कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे 26 कर्मचारी कार्यरत हैं मेरी जानकारी है, शासन का जी० ओ० है कि तीन वर्ष की सेवा जब पूरी हो जाती है तो उस कर्मचारी को परमानेन्ट कर दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको अभी तक परमानेन्ट न करने का क्या कारण है ?

2–उस सदन में दिया गया उत्तर था कि "मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत जो कार्य कराये जाते हैं, वह डिपाजिट वर्क होते हैं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के पास ऐसा कोई बजट नहीं है कि वह कर्मचारियों को इस प्रकार से रखे। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता द्वारा जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, वैसे कर्मचारी रखे जाते हैं। सहायक अभियन्ता को 200 रुपये, अधिशासी अभियन्ता को 300 रुपये और अधीक्षण अभियन्ता को 500 तथा मुख्य अभियन्ता को 700 रुपये तक ऐसे कर्मचारी वह रख सकते हैं।"

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अर्न्तगत जो कार्य कराये जाते हैं, वह डिपाजिट वर्क होते हैं। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के पास ऐसा बजट नहीं है कि वह कर्मचारियों को इस प्रकार से रखे। सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभिन्ता द्वारा जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, वैसे कर्मचारी रखे जाते हैं। सहायक अभियन्ता को 200 रुपये, अधिशासी अभियन्ता को 300 रुपये और अधीक्षण अभियन्ता को 500 तथा मुख्य अभियन्ता को 750 रुपये तक ऐसे कर्मचारी वह रख सकते हैं। "

4–मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रतियां संलग्न हैं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास), अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

मान्यवर, में आपकी अनुमति से श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,04,90,000 रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,48,84,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं दोनों मदों को एक साथ ले रहा हूं। मान्यवर, देश में और प्रदेश में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उसे कृपया आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कृपया सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो सबकी पैरवी करने लगते हैं।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, मैं केवल यह कहना चाहता हूं और बिना देखे कह रहा हूं सामान्य शिष्टाचार में जिस विभाग का बजट होता है तो उस विभाग के अधिकारी वहां आकर बैठते हैं लेकिन यहां पर कृषि विभाग के अधिकारी लाबी में मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

लाबी में कौन है और कौन नहीं है इस पर माननीय सदस्यों को ध्यान नहीं देना चाहिए। यह देखने का कार्य कृषि मंत्री का है कि उनके विभाग से संबंधित अधिकारी है कि नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कभी-कभी ऐसा होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं एक सदस्य यहां बैठा करते थे, श्री राम आसरे वर्मा, यह अक्सर मेरा ध्यान लाबी में बैठी हुई देखने लायक चीज पर आकृष्ट किया करते थे।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे खुशी है कि राम आसरे वर्मा की जिम्मेदारी सम्भालने वाला वहां पर पैदा हो गया है ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सम्पूर्ण प्रदेश की जनसंख्या का 74 प्रतिशत की आबादी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि पर ही गांव का विकास निर्भर करता है और गांव के विकास पर प्रदेश का विकास निर्भर करता है । और इसीलिए हमारी यह सोच है कि जब किसान उठेगा, तो गांव उठेगा और जब गांव उठेगा तो देश उठेगा । इसी बात पर विचार करने के बाद गांव के उत्थान के लिए कृषि के उत्थान के लिए पूरे बजट का 60 फीसदी पैसा इस पर खर्च करने का निर्णय किया गया । इसी के आधार पर आज प्रदेश में कृषि की योजनायें चलायी जा रही हैं । प्रदेश की जनसंख्या बराबर बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाय । खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा पूरा प्रयास हो रहा है और उसकी स्थिति यह है कि पिछले 1991-92 वर्ष में 3 करोड़ 38 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था और 1992-93 के वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 3 करोड़ 97 लाख टन रखा गया है । लक्ष्य हमारा पहले से काफी ज्यादा है, लेकिन हम इसे अवश्य पूरा करेंगे । कृषि उत्पादन की दृष्टि से कृषि विभाग को चार हिस्सों में बांट सकते हैं । पहला फसल उत्पादन, दूसरा भूमि अनुरक्षण और जल संरक्षण, तीसरा कृषि शिक्षा शोध, चौथा उसके विपणन की व्यवस्था । मान्यवर, इसी आधार पर आगे की योजनायें चलायी जा रही हैं ।

मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से दो रास्ते हैं । एक तो खाद्यान्न में जो कृषि क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बढ़ाया जाय और उसमें कई फसलें ली जायें, साथ ही जो भूमि ऊसर है, उसको सुधारा जाय । दूसरा रास्ता यह है कि लघु सीमान्त किसानों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करके तकनीकी ज्ञान देकर विकास किया जाय । आज प्रदेश के अन्दर लघु सीमान्त किसानों की स्थिति सबसे खराब है और जो प्रदेश में हरित क्रान्ति आयी, उसका सबसे कम लाभ इन्हीं लघु सीमान्त किसानों को मिला, बड़े किसानों ने इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया इसलिए मेरी ओर से और कृषि विभाग की ओर से इस बात का पूरा प्रयास किया गया है कि लघु सीमान्त किसानों की किस तरह से उन्नति हो सके । मान्यवर, लघु सीमान्त किसान छोटी जोत के लोग हैं और उनके पास सामान्यतः एक एकड़ या उससे कम जोत रहती है । इस जोत के अन्तर वह कितना भी खाद्यान्न उत्पन्न करें, उससे इनकी हालत सुधर नहीं सकती । साथ ही यह भी है कि लघु सीमान्त किसानों को.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी, एक निवेदन करना है, वैसे आप अपना भाषण जारी रखें, लेकिन बजट भाषण के समय आपके विभाग के अधिकारियों का न होना अच्छा प्रतीत होता है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, यह स्थिति बजट के प्रति उदासीनता की द्योतक है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तो बिल्कुल उदासीनता का परिचायक है और साथ ही आपका और सदन का अपमान भी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने जो व्यवस्था दे दी, वह दे दी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं मान्यवर, यह सम्पूर्ण सदन का अपमान है और आपका भी अपमान है ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, ऐसी सूचना थी, दो बजे के बाद बजट होगा, इसीलिए कुछ भ्रम हो गया । देश के अन्दर जो हरित क्रान्ति आयी उसका लाभ केवल बड़े किसानों को मिला परन्तु जो छोटे व सीमान्त कृषक थे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया । फलस्वरूप ब्लाक स्तर पर जो योजनायें चल रही थीं, जो प्रशिक्षण की योजनायें चल रही थीं, जो किसान मेले होते थे और जो गोष्ठियां होती थीं, वे लघु व सीमान्त कृषक उसमें पहुंच नहीं पाते थे । इसलिए जिस प्रकार की भी योजनायें चल रही हैं, उनके बारे में उन्हें जानकारी हो पाये, कृषि विभाग के अन्तर्गत दीन दयाल अन्त्योदय योजना लागू की गयी है ताकि जो लघु व सीमान्त कृषक हैं, उनका उत्थान हो सके । जब तक छोटे व सीमान्त कृषकों का उत्थान नहीं होगा तब तक देश-प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । किसानों को जानकारी हो पाये इस हेतु किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की गयी है न्याय पंचायत स्तर पर । इस किसान सेवा केन्द्र पर एक किसान सहायक की नियुक्ति की जा रही है जो कृषि स्नातक होगा । वह सभी प्रकार की जानकारियों से किसानों को अवगत करायेगा । यह भी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा उन्हें जो अनुदान दिया जाता था, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं होती थी । इसलिए किसान का उत्थान हो सके, दीन दयाल जी के नाम से यह अन्त्योदय की योजना चलायी गयी है, जो कि हमारे देश के एक महान अर्थशास्त्री व दार्शनिक थे । उनकी भावना के हिसाब से अन्त्योदय कैसा होना चाहिए, मैं उन्हीं शब्दों को आपकी अनुमति से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

"आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की पीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं अपितु सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा । हमारी भावना और सिद्धान्त है कि यह मैले कुचैले अनपढ़ लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है । यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है । जिस दिन इनको पक्के, सुन्दर घर बनाकर देंगे जिस दिन इनके बच्चों और स्त्रियों को जीवन दर्शन ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पैरों की बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको उद्योग धन्धों में लगाकर इनकी आय को ऊंचा उठायेंगे उसी दिन तो हमारा मातृत्व भाव व्यक्त होगा ।" इन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमने अन्त्योदय योजना को लागू किया है । जिस दिन इन छोटे किसानों और सीमान्त किसानों का उत्थान होगा उस दिन वास्तव में हमारा उत्थान होगा । किसान सेवा केन्द्र पर जो किसान सहायक नियुक्त किया जायेगा, वह किसानों को तकनीकी शिक्षा देगा, खाद, बीज व पानी आदि के संबंध में किसानों को जानकारी देगा ।

श्रीमन्, इसी तरह से कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है । कृषि का क्षेत्र भी बढ़े और प्रति एकड़ उत्पादन भी बढ़े इन दोनों क्षेत्रों में कृषि विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है । किसानों को अच्छा बीज मिले, अच्छी खाद मिले और उन्हें तकनीकी जानकारी मिले, इस बात के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े, कृषि निवेशों की समुचित व यथा समय व्यवस्था हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं । प्रदेश के अन्दर कृषि योग्य भूमि इस समय जीवित है । ऊसर, बंजर व खदरा भूमि को सुधारने हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं । इस हेतु पं० दीन दयाल भूमि विकास

योजना को भी लागू किया गया है वर्तमान में प्रदेश में 47 लाख 40 हजार हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य नहीं है । इसे कृषि योग्य बनाया जाय, विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनायें चलायी जा रही हैं । केन्द्र के द्वारा भी इसमें सहायता दी जाती है और प्रदेश सरकार द्वारा भी इसमें सहायता दी जाती है । प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विशेष क्षमतायुक्त चुने हुए जनपदों में केन्द्र सरकार के सहयोग से, विशेषकर चावल, तिलहन, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि के उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनायें चलायी जा रही हैं । इस हेतु बजट में 55 करोड़ 1 लाख 76 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । इसके साथ ही साथ अन्य क्षमतायुक्त जनपदों में भी प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र के अनुरूप ही योजनायें चलायी जा रही हैं । इसके लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

इसके अलावा कुछ नयी योजनायें भी लागू की गयी हैं, जिनके अन्तर्गत उर्वरक, कीटनाशक रसायन की गुणवत्ता हेतु लखनऊ, मेरठ और बनारस में प्रयोगशालायें खोली गयी हैं इसके लिए बजट में 21 लाख 19 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । संकर बीजों के उत्पादन की भी विशेष आवश्यकता है । इसके लिए भी बजट में 29 लाख 11 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । केन्द्रीय पुरोनिधानित ऊसर योजना वर्तमान में 25 जनपदों में चलायी जा रही है । इस हेतु 4 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में बीहड़ सुधार योजना 8 जनपदों में चलायी जा रही है । इस हेतु 6 करोड़ 79 लाख 76 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । इसी प्रकार चम्बल यमुना के जल समेट में बीहड़ सुधार योजना लागू की गयी है । इस हेतु 5 करोड़ 66 लाख 73 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । राज्य जलागम विकास योजना वर्तमान में 34 जनपदों में चलायी जा रही है । इसी प्रकार बाढ़ोन्मुख योजना में गोमती योजना व सोन योजना चलायी जा रही है । गोमती योजना के तहत 4 करोड़ 8 लाख 72 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है और सोजन योजना के तहत 1 करोड़ 4 लाख 8 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है । जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि कृषि विभाग के कार्यकलापों को हम तीन सेक्टरों में बांट सकते हैं । पहला उपज पालन, दूसरा भूमि एवं जल संरक्षण तथा तीसरा कृषि विभाग एवं शोध और विपणन । विपणन की दृष्टि से प्रदेश में विपणन निदेशालय है । मण्डी परिषद् के माध्यम से किसानों द्वारा चलायी जा रही है । प्रदेश में 262 मण्डी समितियां व उप समितियां हैं । मण्डी परिषद् के द्वारा कुछ निर्माण कराये जा रहे हैं । इसके द्वारा बाजार, हाट में अधिक सुविधा देने हेतु व बखारी बांटने हेतु इन समितियों द्वारा योजनायें चलायी जा रही हैं । इसके साथ-साथ सड़कों का निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी समिति तक पक्की सड़कों का किया जाता है ।

प्रदेश के अन्दर कृषि विभाग की गुणवत्ता को बढ़ाने और प्रशासनिक दृष्टि से चुस्त बनाने की कुछ कार्यवाहियां की गयी हैं । भ्रष्टाचार और उदासीनता की शिकायतें मिली हैं उसके अन्तर्गत हमने अनिवार्य रूप से कुछ कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया है जिसमें 10–10 एवं अधिकारियों का अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया है और दो अधिकारियों को निलम्बित किया है और 144 अधीनस्थ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है और अनुशासनिक कार्यवाही 67 अधिकारियों के खिलाफ और 184 कर्मचारियों के खिलाफ की गयी है ।

योग्य और कर्मठ व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्यवाही की गयी । हमारे विभाग में बहुत समय से प्रोन्नतियां नहीं हुई थी, लोगों का विनियमितीकरण नहीं हुआ था उस दिशा में भी कार्यवाही की गयी है जिसमें 199 अधिकारी और 238 अधीनस्थ की प्रोन्नतियां की गयीं तथा 47 अधिकारियों और 157 अधीनस्थ कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया । स्थायीकरण में

1 अधिकारी और 946 अधीनस्थ कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया । समय वेतनमान की स्वीकृति 34 अधीनस्थ कर्मचारियों को की गयी और 289 अधीनस्थ कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया गया । इस प्रकार हमने सारे प्रदेश में विभाग की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने की कार्यवाही की है हमने 1992-93 में तिलहन और दलहन को प्रोत्साहन देने के लिए भी योजनायें चलायी हैं ।

इसके साथ ही औद्योगिक उन्नति भी आवश्यक है । औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है क्योंकि कृषि कार्य के साथ-साथ औद्योगीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है ।

लघु एवं सीमान्त किसानों की जोत बहुत छोटी होती है । 80 प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं उनमें से लगभग 88 प्रतिशत लोग लघु और सीमान्त कृषक हैं । इनकी खुशहाली के लिए खाद्यान्न के साथ-साथ फल, शाकभाजी का उत्पादन आवश्यक है । इसे 10 गुनी तक आय में वृद्धि हो सकती है । इसको भी हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं ।

1–फल विकास, 2–शाकभाजी विकास, 3–आलू विकास, 4–फूल विकास, 5–विपरण व्यवस्था ।

वर्ष 1992-93 में हमने 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर में फल, 9 लाख हेक्टेयर में सब्जी तथा 3 लाख 60 हजार हेक्टेयर में आलू का आच्छादन का लक्ष्य रखा है । इस आच्छादन से 65 लाख 55 हजार टन फल, 1 करोड़ 25 लाख टन सब्जी तथा 76 लाख 72 हजार टन आलू उत्पादन होने की सम्भावना है यह पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत ज्यादा है । फल विकास के लिए हमने राज्यपोषित योजनाओं में इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा है । पहला फल पट्टियों की स्थापना 23 जनपदों में की है, नीबू वर्गीय फल विकास योजना 9 जनपदों में निजी क्षेत्र में पौधशालाओं की स्थापना की संख्या 46 है । हमारे पास केन्द्र पोषित योजनाओं में पुराने बागों के जीर्णोद्धार की योजना तथा पोषक वाटिकाओं की स्थापना की योजनायें हैं । जहा-जहां वर्षा कम होती है अर्थात् जहां पर पानी कम है वहां पर ड्रिब सिंचाई की योजना जिसे टपक सिंचाई योजना भी कहते हैं, चलायी जाती है । ये योजना हमारे 20 जनपदों में चलायी गयी है । इस प्रकार की योजनाओं को कम पानी वाले क्षेत्रों में काफी प्रोत्साहन दिया जाता है । सब्जी और मसाला विकास की भी योजनायें कृषि विभाग द्वारा चलायी जाती हैं । यह राज्य पोषित योजनायें हैं और इसके अन्तर्गत सब्जी पट्टी की स्थापना 20 बड़े नगरों में और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में की गयी है तथा सब्जी बीज ग्रामों की स्थापना 25 जनपदों में की गयी है । इसी के अन्तर्गत गृह वाटिका की स्थापना करके निःशुल्क सब्जी देहन का वितरण किया जायेगा । केन्द्र से पोषित जो साग सब्जी योजना है, उसके अन्तर्गत साग सब्जी के मिनी-किट के वितरण का कार्य और मसाला मिनी-किट वितरण का काम हाथ में लिया गया है जिसको जोरदार ढंग से वितरित किया जाता है, जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान मिलता है ।

आलू विकास का भी हमारे यहां बहुत महत्वपूर्ण काम है । आलू उत्पादन अपने प्रदेश में काफी होता है । सारे देश का 1/5 भाग का यहां उत्पादन होता है । उसके प्रदर्शन और भण्डारण की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और की गयी है । इस साल इसके लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध हुई और इसमें यदि कहीं कोई कमी होती है तो बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आलू उत्पादक किसानों के आलू को बाहर भेजने की समुचित व्यवस्था की जाती है । इसमें कृषक सहकारी समितियों द्वारा आलू को बाहर भेजने की समुचित व्यवस्था की जाती है । इसमें कृषक सहकारी समितियों द्वारा आलू बीज उत्पादन, आलू की खेती का प्रदर्शन और आलू भण्डारण का काम शासन द्वारा किया जाता है । हमारे यहां तीन जिलों में फूलों की खेती बहुत अच्छी होती है, जैसे गेंदा, गुलाब एवं बेला आदि । इसके कारण किसानों

को बहुत अच्छी आमदनी मिल जाती है इसको भी छः जिलों में करने की बात की जा रही है इसमें हम ग्लेडियोलस फूलों की खेती को प्रोत्साहन देंगे । केन्द्र पोषित गुलाब फूल विकास योजना को जनपद बलिया के क्षेत्र सिकन्दरपुर में हमने चलाया है । इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी प्रदेश में कई केन्द्र खोले गये हैं और यह भलीभांति चल रहे हैं ।

शासन की मौन पालन एवं पान विकास की योजनाओं से भी किसानों को काफी लाभ हो रहा है । मैदानी क्षेत्र के तीन जिलों में मौन पालन केन्द्र खोले गये हैं । साथ ही यहां पर 12 उपकेन्द्र भी खोले गये हैं । इन सब में 1500 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । पान विकास शोध संस्थान की स्थापना महोबा, जनपद हमीरपुर में की गयी है और इसके लिए जनपद ललितपुर के पाली नामक स्थान पर एवं कानपुर (देहात) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । उसके साथ-साथ पण्डित दीनदयाल रोजगार योजना के अन्तर्गत झांसी, ललितपुर में आंवला, बेर व नीबू प्रजातियों के विकास का कार्य किया जा रहा है । हरी छाल केला के उत्पादन की ओर भी हमारे विभाग ने ध्यान दिया है और इसकी खेती के लिए 4 जनपदों में व्यवस्था की गयी है । हरी छाल के केले, परवल तथा शंकर टमाटर के उत्पादन के लिए भी हम प्रयासरत हैं और इनकी खेती के लिए जनपद बहराइच के चार विकास खण्डों को चुना गया है जहां पर हम इनकी खेती को विकसित करेंगे । शंकर टमाटर और परवल की खेती गाजीपुर और बलिया जनपदों के सात विकास खण्डों में की जायेगी । इससे हमारे यहां बहुत उपलब्धि हुई है जहां का किसान साग सब्जी उत्पादित कर रहा है उसका बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है और इसकी आय भी बढ़ी है । वहां पर बहुत अच्छी संख्या में आमदनी किसानों को मिल रही है । इसके साथ ही जो वितरण की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमारे यहां समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इसके अन्तर्गत एक तो एक साग सब्जी फेडरेशन बनाने की बात है । इस दिशा में समुचित व्यवस्था की गयी है । इसमें सामुदायिक फल संरक्षण योजना भी चलायी जायेगी । दूसरे मौन पालन और खाद्य प्रस्संकरण की दृष्टि से वर्ष 1992-93 में एक निगम बनाने की योजना है और उसके लिए बजट में काफी प्राविधान रखा गया है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हार्टीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जा रहा है जिसमें निजी लोगों को सहकारी सदस्यों के रूप में रखा जायेगा । इससे फल और साग भाजी पैदा करने वालों के लिए मारर्केटिंग की व्यवस्था फेडरेशन द्वारा की जायेगी । वर्ष 1992-93 में 1.95 करोड़ रुपये का इसके लिए प्राविधान किया गया है ।

प्रदेश के कृषकों को उन्नति बीज उपलब्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश औद्यानिक बीज एवं पौध निगम का गठन किया गया है । इस निमित्त एक करोड़ रुपये का प्राविधान वर्ष 1992-93 में किया गया है ।

प्रदेश के तीन कृषि विश्वविद्यालयों को 30 लाख रुपये का प्राविधान वर्ष 1992-93 के लिए किया गया है जिससे किसानों को औद्यागिक बीज उपलब्ध हो सकेंगे ।

मान्यवर, जहां तक कृषि शिक्षा और शोध की बात है तो इसके लिए प्रदेश में जो तीन कृषि विश्वविद्यालय-कानपुर, पन्तनगर और फैजाबाद में हैं जहां जहां अच्छी प्रजाति के बीज करने के संबंध में शोध कार्य होता है इससे हमारा प्रयास रहा है कि शोध संस्थान की जो प्रयोगशालायें हैं वह खेतों तक जायें जिससे कृषकों को अच्छे बीज मिल सकें, इस दृष्टि से वर्ष 1992-93 में हमारी जो योजनायें प्रस्तावित हैं उसके माध्यम से हम कृषि उत्पादन बढ़ाने में सफल हो सकेंगे और इससे किसानों को अच्छी आय होगी । इन शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि जो प्राविधान है बजट में उसको आप स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव श्री ऊदल जी प्रस्तुत करें ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातों का जिक्र किया है लेकिन यह माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया कि कृषि का संबंध सिर्फ कृषि विभाग से है या और दूसरे विभागों से भी है । मेरा ऐसा मानना है कि कृषि का संबंध बिजली विभाग से और सिंचाई विभाग से दोनों से बहुत जुड़ा हुआ संबंध है । अगर बिजली विभाग दोनों सहयोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कृषि के उत्पादन का जो लक्ष्य आपने रखा है वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा । इस संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के जितने ट्यूबवेल हैं उनमें से 25 फीसदी तो बन्द पड़े हैं खराब हालत में । 75 फीसदी के करीब ट्यूबवेल की नालियां टूट गयी हैं । किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है । अगर इन दोनों विभागों में सामान्जस्य नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि आपकी योजनायें कागज पर रखी रह जायेंगी । इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन दोनों विभागों को अनुशासित रखा जाय ।

मैंने एक कृषि अधिकारी से बात की । मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं । मैंने उनसे पूछा कि कितने ट्यूबवेल खराब पड़े हैं आपके आंकड़े हैं, उन्होंने कहा कि पूरे आंकड़े नहीं हैं । मैंने पूछा कितने ट्रान्सफारर्मर जल जाने के कारण बन्द पड़े हैं ? उन्होंने कहा कि इसके आंकड़े पूरे नहीं हैं । मैंने पूछा कि भई पूरे आंकड़े क्यों नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि हम लिखते-लिखते परेशान हो जाते हैं लेकिन इन विभागों से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं अगर इन विभागों के ऊपर सरकार की तरफ से अंकुश नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं । लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं है । पंचवर्षीय योजना में मैंने देखा कि कितना लक्ष्य है । लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यकता है फाउण्डेशन बीज की । फाउण्डेशन बीज की मात्रा इतनी कम है, मंहगी तो है ही । मैं समझता हूं कि इस हिसाब से 10 फीसदी भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं । आपने अपने बजट में कहा पन्तनगर, कानपुर और फैजाबाद इन तीनों को नोटिस दिया जा रहा है कि अच्छे बीज का उत्पादन करें ।

मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपका तराई बीज निगम बहुत पहले से चल रहा है लेकिन यह भी इस काम को अच्छी तरह से अन्जाम नहीं दे पा रहे हैं । मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि आपको प्रगतिशील किसानों को हर ब्लाक स्तर पर देखना होगा । ब्लाक स्तर पर देखकर उनको फाउण्डेशन बीज देकर बीज पैदा कराया जाय और कृषि विभाग उस बीज को खरीद ले । धान, गेहूं व अन्य दूसरे जो बीज हैं, उचित मूल्य देकर कृषि विभाग खरीदे तो मैं समझता हूं कि फाउण्डेशन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बीज की जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं । मौसम के ऊपर न आपका अधिकार है और न हमारा । इस साल मौसम अच्छा था इसलिए पैदावार हो गयी लेकिन मौसम के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जैसे कीट लग जाते हैं । कीटनाशक दवाइयां अच्छी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । कई फर्जी कम्पनी हैं जो रद्दी दवाइयां बना रही हैं । आज अच्छे फर्टिलाइजर की आवश्यकता है । यूरिया जो है, वह खेतों में डाला जाता है तो गलत नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़े तो रद्दी फर्टीलाइजर बनाने वाली कम्पनियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है । अगर यह रोक नहीं लगायेंगे तो पैदावार नहीं बढ़ पायेगी । एक बात और है, आपने ऊसर बीहड़ सुधार की योजना प्रदेश में लागू की है ।

हमारे प्रदेश में सैकड़ों एकड़ भूमि नहरों के किनारे जो कि न ऊसर है, न बीहड़ है, बेकार पड़ी है । जल भराव में है । और मैंने उस दिन भी कहा था यह काम आपका नहीं है । लेकिन सिंचाई विभाग को निर्देशित कर सकते हैं सीवरों में नीचे साइफन की जरूरत है, नालों का पानी खेतों की तरफ ले जावें इससे सिंचाई हो सकती है और ऐसा करके किसानों की जमीन बचायी जा सकती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो कृषि विभाग लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पायेगा । कृषि को बड़ी हेयदृष्टि से लोग देखते हैं । ''उत्तम खेती मध्यम बान'' तो किसान तब तक अच्छी खेती नहीं कर सकता है जब तक कि उन्हें अच्छा बीज, अच्छा फर्टिलाइजर, अच्छी कीटनाशक दवाइयां आदि उपलब्ध नहीं होती हैं । कृषि में मान्यवर, लोग लगे हुए हैं उनके द्वारा पैदा की गयी वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलता है । जितने भी मान्यवर, कृषि से संबंधित चीजें हैं वह महंगी हो रही हैं जैसे पम्पिंग सेट्स हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, फर्टिलाइजर है यह सब महंगी हो रही हैं और कृषि से उत्पादक वस्तुयें सस्ती हो रही हैं । कृषि को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया जायेगा, कृषि में बीमा योजना लागू नहीं होती है तो कृषि तरक्की नहीं कर सकती है ।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि पन्तनगर का आर०आर० 21 गेहूं खराब हो गया है, शायद आपको मालूम होगा । आर०आर० 21 की जगह और दूसरी किस्में बहुत सी आ गयी हैं लेकिन आर०आर० 21 जितनी बढ़िया किस्म है उतनी बढ़िया किस्म अभी तक कोई पैदा नहीं की गयी है, मान्यवर, हम चाहेंगे कि आप कानपुर, फैजाबाद और पन्तनगर में गेहूं पर रिसर्च करने के लिए आप अपने वैज्ञानिकों से कहेंगे कि आर०आर० 21 के समान कोई सीड पैदा करें इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए यह मेरा सुझाव है । आपके कृषि फार्म के बारे में कहना चाहूंगा कृषि फार्मों पर बड़ा दबाव होता है उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है किसानों को जो बीज आपका विभाग देता है वह 600 रुपये प्रति कुन्टल देता है । 25 रुपया बोनस का होता था अब 250 बोनस हो गया है । भारत सरकार द्वारा 225 रुपये बोनस कर दिया गया है । आपको किसानों की हालत सुधारने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है । और अपनी फार्मों की समीक्षा करने की जरूरत है । जो लागत आती है उसको कम करने की आवश्यकता है । कृषि फर्मों से यह विभाग चाहे तो मैं समझता हूं कि एक लाख टन अच्छा सीड पैदा करा सकता है । इस पर चाहे जो लागत आये, फाउण्डेशन बीज तैयार करने के लिए कृषि फर्मों का इस्तेमाल होना चाहिए ।

मैं मान्यवर, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग को आप शासन चलाने का विभाग समझते हैं या सेवा करने का विभाग समझते हैं ? अगर सेवा करना विभाग का कर्तव्य समझते हैं तो इस विभाग को उदार होना चाहिए और उसका व्यवहार किसानों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिये । कृषि विभाग में जो ब्यूरोक्रेटिव पैटर्न है, आज से यह नहीं है बल्कि पहले से था, इस पैटर्न को बदलने की कृपा करें । मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आप किसानों को जो बीज पहुंचाते हैं, उसको समय से पहुंचाना चाहिये । पिछले साल टाइम से पहुंच गया था ? इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 78 वर्ष पहले की बात है, राजस्थान से हमारे प्रदेश के लिये 3 करोड़ रुपये का चना खरीदी गया और चने की बुवाई हो रही थी । कम से कम 8 इंच की पौध हो गयी थी उस समय चना आया और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया । अगर इस तरह से सिस्टम होगा तो मैं समझता हूं कि उससे किसानों का भला नहीं होगा । समय से बीज किसानों को पहुंचाना होगा । जो बीज आप किसानों को देना चाहते हैं उसको एक माह पूर्व देना चाहिये । धान की फसल आने वाली है । धान की बेढ़न लगना 15 जून से शुरू हो जायेगा । जो धान है उसका बीज 2 जून तक पड़ जायगा और जो छोटी प्रजाति का धान है उसका बेढ़न 15 जून के आसपास पड़ जायगा । इसलिये मई के अन्त तक या उसके पूर्व ही सरकार को धान का बीज कृषि भंडारों पर पहुंचा देना चाहिये । अगर यह व्यवस्था हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि टाइम पर उसकी बुवाई हो जायेगी ।

आपके मंत्री होने के बाद खाद पर सब्सिडी समाप्त कर दी गयी । मैं उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि मेरे यहां के सीड स्टोर में 500 बोरी डाई, 250300 बोरी यूरिया और क्विंटल जिंक सल्फेटपोटाश पड़ा था । सीड स्टोर का इंचार्ज उसको बढ़े हुये रेट पर बेचना चाहता था । मेरे पास भी शिकायत आयी । उसने सोंचा कि छापा पड़ जायगा इसके कारण फिर वह खाद पुराने रेट पर बिकी नहीं तो बढ़े हुये रेट पर बिकती । मैंने आपको इस संबंध मे एक पत्र भी लिखा था । दुर्भाग्य की बात थी उसमें सन् 91 लिख गया जिससे उसका जवाब आया, जी नहीं । आज भी एक सवाल लगा था जिसमें आपने स्वीकार किया है कि 10 जनवरी को जब फसलों के ऊपर छिड़काव का वक्त था उस समय 4 सीड स्टोर को बन्द कर दिया और सील लगा दी । मैंने आपको पत्र लिखा तो आपने निदेशक को लिखा कि उसको हटाकर तब जांच करायी जाय लेकिन आपके डाइरेक्टर ने उसको बदल दिया कि पहले जांच करायी जाय तब हटाया जाय । आज आपने स्वीकार किया है कि 10 जनवरी को 4 स्टोर और बफर गोदाम सील किया गया है । 10-12 फरवरी को वह स्टोर खोले गये ।

इसीलिये मैंने ब्यूरोक्रेसी की कही कि आपका विभाग आपकी बात मानेगा कि नहीं । मैं समझता हूं कि 67 वाले आप नहीं रह गये, 67 के मंत्री जी आप नहीं रह गये, आज 92 में आभास हो रहा है । मैं कहीं नहीं जाता आपसे बात की थी, एक पत्र ही लिखा था दो बार गया था, उसके बाद आपके विभाग ने क्या किया ।

एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मिर्जापुर में कृषि विभाग में इन्द्रदेव नाम का एक कामदार अनुसूचित जाति का था, 18 वर्ष के बाद उनको अस्थायी घोषित कर दिया जिला कृषि अधिकारी ने । आपने भी पत्र लिखा । यह मामला चल रहा है जब कि चौधरी नरेन्द्र सिंह कृषि मंत्री थे । जितने भी कृषि मंत्री आये, श्याम लाल यादव जी आये, राज्य सभा में सभापति ने भी लिखा, कुछ नहीं हुआ । मैंने एक अधिकारी से बात की नाम नहीं लूंगा उस अधिकारी ने मुझसे कहा कि एप्वाइंटिंग अथारिटी जिला कृषि अधिकारी हैं और उसको निकाल देने का अधिकार है । मैं जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों तक निकालेंगे । सरकार का शासनादेश है कि 3 वर्ष जो नौकरी कर ले उसका स्थायीकरण होगा । आपके

विभाग ने 18 वर्ष तक स्थायी क्यों नहीं किया । कब तक निकालेंगे । पांच वर्ष तक निकालेंगे, 3 वर्ष तक निकालेंगे, 10 वर्ष तक निकालेंगे ? शासनादेश यह भी है कि 140 दिन के अलावा 3 वर्ष पर स्थायी करेंगे । वह बनारस का है, वहां का रहने वाला है मैं चाहता हूं कि यह बात सुनिश्चित कर लें कि आपके विभाग में हजारों कर्मचारी अस्थाई पड़े हैं, उनको स्थाई नहीं किया जा रहा है, तो यह किसकी गलती है, उस कर्मचारी की गलती है या विभाग में बैठे लोगों की गलती है इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो यह इन्द्रदेव, कामदार, मिर्जापुर का मामला है, उसको 18 वर्ष के बाद निकाल दिया, इन दोनों मामलों का आप देखें ।

आपने उद्यान का जिक्र किया । उद्यान विभाग को उसके और कार्यों के अलावा आलू की पैदावार बढ़ाने और उसके संरक्षण की योजना भी दी है । आज आलू का कितना भण्डारण है, इसको सुनिश्चित किया है ? कितने कोल्ड स्टोरेज बन्द हैं प्रदेश में, इसको देखा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का परमिट तो विभाग देता है, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी कोआपरेटिव या दूसरे विभागों को दे दी है । हमारे यहां राजा तालाब सहकारी शीतगृह है 40 हजार की क्षमता का । यह जी० टी० रोड बनारस में है वह दो वर्षों से बन्द है और सहकारी बैंकों से फर्जी पैसा लेता जा रहा है यह चालू हालत में होगा तो 40 हजार बोरे के खपत और होती । मेरा ख्याल है कि 1/4 कोल्ड स्टोरेज ऐसे मिल जायेंगे प्रदेश में इसलिये अगर आप चाहते हैं कि आलू की पैदावार बढ़े तो कोल्ड स्टोरेज और बढ़ायें जो मौजूदा हालत में हैं चाहे सहकारिता के हों या प्राइवेट हर हालत में इन पर शासन का नियंत्रण होना चाहिये कि आलू रखा जाय । सख्ती नहीं होगी तो भण्डारण ठीक से नहीं होगा ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आलू की पैदावार बहुत है आलू को कृषि पर आधारित उद्योग बनाने की आवश्यकता है । अभी तक आपने हमारे प्रदेश में मुरब्बा, आचार, चटनी के अलावा कौन सा उद्योग स्थापित किया ? इसलिये उद्योग विभाग को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । यथा कृषि पर आधारित उद्योग लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं ? आपकी सरकार तो शाराब मिला रही है, आप तो शायद उसके विरोधी हैं । तो आपसे कहना चाहता हूं कि आलू से बहुत शराब पैदा होती है । अब विकल जी पता नहीं कहां हैं, आप उनसे समन्वय स्थापित करें, आप उनसे कहें कि आलू पर आधारित शराब का उद्योग जहां कहीं भी लग सकता हो, भारत सरकार से लाइसेंस लेकर चालू करावें । आलू का चिप्स भी बन सकता है । मक्के से कान्फलेक्स बनवायें । आलू का चिप्स अपने घर पर बनावें, तो दो रुपये में बन सकता है और बाजार से मंगाने पर 10 रुपये में मिलता है । तो इन सब विषयों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है । आपने कहा कि कुछ हम उद्यान के माध्यम से नीबूं, आंवला, आम आदि का क्षेत्र विकसित करेंगे, बहुत अच्छी बात है । आप प्रतापगढ़ जायं, तो वहां पर आंवले का उत्पादन बहुत अच्छा होने लगा है ।

आज हो क्या रहा है आपके नियमों के विपरीत ईंट-भट्ठा वाले, जगह-जगह पर ईंट-भट्ठे खोल लिये हैं, इस पर आप रोक नहीं लगायेंगे, तो ये पेड़ और फसलें नष्ट हो जायेंगी । इस भट्ठे की गर्मी से आंवला जल जाता है । अगर आप इन आंवला, आम, नीबू आदि की खेती कराना चाहते हैं, तो आपको इन ईंट-भट्ठों पर कानूनी तरीके से रोक लगानी होगी । जहां-जहां पर ईंट-भट्ठे हैं, वहां पर हजारों आम की फसलें हर साल जल जाती हैं, और उनमें आम की फसल नहीं आती है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस साल कृषि की पैदावार बहुत अच्छी है, उसमें आपका भी सहयोग है, लेकिन मौसम अभी तक प्रतिकूल नहीं हुआ है । चार बातों के ऊपर सरकार का ध्यान जाय, तो कृषि में

तरक्की हो सकती है । एक तो उन्नतिशील बीज पैदा करने के लिये, किसानों के घर उन्नतिशील बीज पैदा कराकर कृषि विभाग द्वारा खरीद कराई जाय । दूसरी कितने सरकार के कृषि फार्म हैं, ज्यादातर फार्म उन्नतिशील बीज के लिये खेती, कृषि कार्य कराया जाय उससे यह कमी पूरी हो सकती है । तीसरा यह दिन कितने हमारे पंतनगर, कानपुर और फैजाबाद इन तीनों जगहों पर बड़े पैमाने पर और इनके कार्य-क्षेत्र में भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि आप बिजली और सिंचाई विभाग से तालमेल रखें । आपका तालमेल नहीं हो पाता है और जब तक आपका तालमेल नहीं होगा, तब तक अच्छी खेती नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, अच्छे बीज की बात कहना चाहता हूं । तो अच्छा बीज बोया जाता है, उसके लिये 4-5 सिंचाई करनी पड़ती है और यों तो 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तभी अच्छी फसल हो पाती है और इसके साथ ही जायद की जो फसल है, उसमें मूंग, उड़द, उतैला आदि चीजें पैदा की जाती है और इनके अलावा साग सब्जी भी उगाई जाती है और हरी चरी भी उगाई जाती है । उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । जायद की फसल में जो आपका तिलहन है, उड़द है, उतैला है और मूंग है इनके रेशियों में बढ़ोत्तरी होगी ।

मान्यवर, फर्टिलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं । इसके संबंध में बड़ी गड़बड़ी है । जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, उनकी चेकिंग कराने की आप व्यवस्था करायें । वह सही खाद नहीं बनाती हैं, नमक से खाद बना देती हैं । इससे उनका प्रभाव फसल पर अच्छा नहीं पड़ता है, बल्कि उससे खेती पर बुरा असर पड़ता है । एक बार बहुत पहले मैंने एक सवाल उठाया था और उस समय 10-12 कम्पनियां ऐसी निकली थी जो खराब खाद बनाती थी । मेरठ में पकड़ी गयी, मुजफ्फरनगर में पकड़ी गयी और एक आजमगढ़ में पकड़ी गयी थी, तो आप इनकी चेकिंग करावें । कीटनाशक जो दवायें हैं, उनमें मिलावट होती है उससे बड़ा नुकसान होता है, किसान उनको अपनी फसल में डालता है, लेकिन कीट मरते ही नहीं हैं तो आप इनकी चेकिंग करायें ।

मान्यवर, आपकी एक योजना ऊसर सुधार की चल रही है । इसमें काम अच्छा नहीं होता है । इसमें जितना भी सामान होता है, वह ब्लेक में चला जाता है । मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा ही चलायें लेकिन इसको सही रूप से चलायें । इसको सही ढंग से चालू करने की जरूरत है । जो मेड़ नाली और खेती बनायी जा रही है, उसमें भी हिसाब ठीक नहीं है, आपका इन सब पर कड़ा प्रतिबन्ध होना चाहिये, अगर आप चाहते हैं कि कृषि का क्षेत्र बढ़े तो जो जमीन है, उसको रबड़ की तरह बढ़ाया नहीं जा सकता है । आपने अभी कहा है कि शहरों के किनारे सब्जी उगाने की योजना बनायी जा रही है । हमारे शहर की इतनी आबादी है लेकिन फिर भी वह बढ़ती जा रही है, कहीं पर आप टी० पी० नगर बना रहे हैं और कहीं पर नई काशी बसा रहे हैं, तो शहरों का इस प्रकार से विस्तार होता जा रहा है, तो शहरों के किनारे कैसे भूमि उपलब्ध हो पायेगी । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आप आवास विकास परिषद् या अन्य कोई विभाग जो इस कार्य में लगा हो, उसको निर्देश दें कि वह 4-5 मंजिलें मकान ही बनायें और एक मंजिल मकान न बनायें जिससे भूमि अधिक बरबाद न हो, तभी आपकी सब्जी योजना सफल हो सकती है । जिला कृषि अधिकारी के बारे में जो आपने आज ही दिया है, मैं आपके पास भेज रहा हूं, आपने स्वीकार किया है कि 10 जनवरी से उसने बन्द किया और 10 से 12 फरवरी तक कलेक्टर के आदेश हो गये यह आपकी स्वीकारोक्ति है तो ऐसा जिला कृषि अधिकारी जब किसानों को यूरिया की जरूरत थी खाद की जरूरत थी तो जो जिला कृषि अधिकारी ताला लगा दे रहा है और जब इसकी आवश्यकता हुई तो उसमें से एक बोरी भी खाद नहीं निकली और जो गोदाम सील किया गया तो उसमें

भी कमी नही पायी गयी तो ऐसे जिला कृषि अधिकारी को जो लूटखसोट करता था, जो योजना में कानपुर की गंडक योजना उसकी जो मेढ़ या नाली बनवाते हैं उनकी एक भी नाली मेंड़ी ठीक है, कुलाबा ठीक नहीं है तो इसको आप क्यों रखेंगे, पूरे प्रदेश में सभी जगह जिला कृषि अधिकारी हैं। इसलिये कृपा करके मेरी बात को स्वीकार करें मैं गलत बात न कभी करता हूं और न लिखता हूं और न पैरवी करता हूं। आपने कहा था कि उसकी जांच हो रही है विवेचना हो रही है इसलिये पटल पर नहीं रखेंगे तो क्या यह कोई 302 का मुकदमा हो गया है कि सदन के पटल पर नहीं रखेंगे, आपने उत्तर में लिख दिया कि विवेचना हो रही है तो यह कोई 302 का केस तो है नहीं कि विवेचना हो रही है, आपको अधिकारी जो बता देते हैं वह आप कह देते हैं। यह मेरी शिकायतजनून है जिनको आपने स्वीकार भी कर लिया और यह सही है तो आप ऐसे जिला कृषि अधिकारी को क्यों रखे हैं उसको हटाकर किसी व्यक्ति को ए, बी, सी, डी को रख दें उससे मेरा मतलब नहीं है।

वह इन्द्रदेव कामदार जो अनुसूचित जाति का है 18 साल के बाद जिनको निकाल दिया एक झटके में उसको आप बहाल कर दीजिये तो बड़ा पुण्य आपको मिलेगा क्योंकि 85 से 92 तक साल से वह भटक रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है और मैं समझता हूं कि जो कुछ आलोचना मैंने किया या सुझाव दिये आप उस पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर विभाग अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ेगी और किसानों को भी अच्छी तरह से राहत पहुंचेगी।

आपने पंडित दीन दयाल जी का नाम लेकर अन्त्योदय को बताया तो यह योजना तो 2-3 साल से चल रही है, किसान सहायक 4 साल पहले से ही है, टी एण्ड बी की स्कीम है उनको आप सीड दीजिये, उनको वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग दीजिये, कुछ को तो मैंने देखा कि धान की रोपाई करते थे और कुछ फुल पैन्ट पहनकर मेढ़ पर खड़े रहते हैं तो यह कृषि विभाग ऐसा है जहां खेत में जाने की जरूरत है अगर हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी उससे परहेज करेंगे और मेड़ पर खड़े रहेंगे तो मैं समझता हूं कि किसानों को अच्छी तकनीकी नहीं दे सकते और न अच्छी खेती के लिये रास्ता बता सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि अन्य भी माननीय सदस्य अपनी आलोचना प्रकट करेंगे और सुझाव भी देंगे ताकि कृषि विभाग के कामकाज में सुधार हो और अच्छा हो।

खाद्य राज्य मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण कृषि विभाग के आय व्ययक की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, कृषि का इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है केवल इतना ही नहीं प्रदेश की 74 प्रतिशत आबादी खेती पर आश्रित है। मान्यवर, इस प्रदेश की जो सकल आय है प्रदेश की आय का 43-44 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है। मान्यवर, इतना ही नहीं पूरे देश का जो सकल उत्पादन है उसका 21 प्रतिशत उत्पादन इस उत्तर प्रदेश से मिलता है कितना महत्वपूर्ण विभाग है। इसलिये माननीय कृषि मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि इस प्रदेश में किसान की तरक्की के लिये कृषि उन्नति बहुत आवश्यक है। जब कृषि की उन्नति होगी तो किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और जब किसान की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो गांव का विकास होगा। गांव का विकास जब होगा तो देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा।

मैं कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये इस प्रदेश में कृषि का उत्पादन बढ़े इसके लिये कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। कुछ

क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं । उ० प्र० में बहुत से लोगों ने धरती पुत्र बनने का नाटक किया है, किसानों के स्वयंभू मसीहा बनने का नाटक किया है । बहुत से लोगों ने किसानों के दुख में दुखी होकर घड़ियाली आंसू बहाये लेकिन इस सरकार से पहले किसी सरकार ने भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया इस लिये कृषि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर कीर्तिमान स्थापित किया है । उ० प्र० में 88 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषक हैं ये जो छोटे किसान हैं ये परम्परागत खेती पर आधारित खेती करते हैं । आज की तकनीक का ज्ञान नहीं है । कैसे अधिक उत्पादन कर सकते हैं कौन सा बीज बोयें खाद कौन सी हो, यह उनको नहीं पता है । बड़े-बड़े किसानों के पास तो साधन थे लेकिन जो छोटा किसान पीड़ित था किसी सरकार ने उसकी तकलीफों की ओर ध्यान नहीं दिया । जब वह ब्लाक केन्द्र पर जाता था, कभी-कभी अधिकारी नहीं मिलते थे पैसा और समय खर्च करने के बाद भी आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता था यह सरकार जिसने किसानों की प्राथमिकता को सर्वोच्च ऊंचाई पर रखा है यह सरकार निश्चित रूप से इस प्रदेश के छोटे किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये कृत संकल्प है ।

इस देश के सर्वाधिक पूज्य नेता पं० दीन दयाल उपाध्याय के सपनों का किसान बनाने के लिये किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना हुयी । इस प्रदेश की 8210 न्याय पंचायतों के एक साथ किसान सेवा केन्द्र स्थापित कर दिये । किसान ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लघु और सीमान्त कृषकों की समस्याओं का निराकरण किया है । कृषि मंत्री जी ने इस प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से निर्णय लिये हैं, लेकिन मैं उनमें से एक दो निर्णय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने उत्पादन को बढ़ाने के लिये जो प्रमुख निर्णय लिये एक तो ऊसर बीहड़ सुधार योजना स्वीकृत योजना के अन्तर्गत, जो इसका मसला था इसका एक नियत तरीका इस प्रदेश के किसानों को दिया । जो हमारे भूमि हीन अनुसूचित जाति श्रमिक ऐसे हैं जो किसान हमारे बन्धु हैं गांव के उनको भू-स्वामित्व दिया जा रहा है सरकार द्वारा उसके माध्यम से छोटे किसानों को राहत दी जा रही है । मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड के ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो खेतिहर प्रधान हैं, हमारी भूमि हमारी जलवायु पूरे प्रदेश से भिन्न है । वहां की जलवायु वहां की भूमि को देखते हुये प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि शोध संस्थान, कृषि महाविद्यालय की स्थापना करे ताकि वहां की जो बेराइटी है भूमि की जो जलवायु है, वहां के कृषकों को परम्परागत खेती से निकालकर आधुनिक खेती की ओर ले जाया जा सके ताकि कृषक बन्धु वहां आधुनिक खेती प्रारम्भ कर सकें ।

मान्यवर, हमारे बुन्देलखण्ड में सीलिंग ऐक्ट की वजह से जो उत्पादन में सबसे बड़ी बाधा है, मैं जालौन की बाबत कहना चाहता हूं कि दो फसली फसलें हम पैदा नहीं कर सकते हैं, 348071 हे० भूमि खेती योग्य है, उसमें केवल 23,182 हे० पर दो फसली होती है, निजी साधनों से सिंचाई की सुविधा ले सकते हैं, वैसे तो असिंचित भूमि की सीमा 45 एकड़ है फसल लेनी है तो आपने फसल ले ली 27 एकड़ लेकिन सिंचित एवं एक फसल की 27 एकड़ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, बाबूराम जी अब समाप्त करें ।

श्री बाबूराम (एम० काम०)–

मान्यवर, यह जरा सी महत्वपूर्ण बात है, समाप्त कर रहा हूं । किसान जमीन को नहीं बोना चाहता है । प्रदेश का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ सके आधुनिकतम खेती दो फसली की हो सके इस ओर मंत्री

जी ध्यान दें । किसानों को आप समस्या रहित करेंगे, उत्तर प्रदेश उत्पादन के लक्ष्य में कीर्तिमान स्थापित करेगा, लक्ष्य को हम पूरा करेंगे । मैं कृषि मंत्री जी के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ । जयभारत !

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सदन में इतना निराशाजनक कभी बजट पेश नहीं हुआ । यह भारत किसानों का है चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है । अभी माननीय सदस्य ने किसानों के लिये तमाम घड़ियाली आंसू बहाये, बजट उठाकर देखें, आप उत्पादन की बात कर रहे हैं खेती की पैदावार की स्थिति देख लें, 92-93 में आपने क्या प्रस्तावित किया है पिछली सरकार ने 26 लाख टन दिया आपने 25.50 लाख टन दिया । जो साहित्य दिया गया है खाद और उर्वरक के संबंध में कंजूसी कर रहे हैं, इस तरह से जो आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, किसानों के उत्थान की बात कर रहे हैं, यह इससे संभव नहीं है । आप मान्यवर, विकास खण्डों के माध्यम से तमाम विभागों के माध्यम से कृषि विभाग को चलाते हैं आपने कहा कि सरकार ने फर्टीलाइजर में सबसिडी दे दी तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने उसे एग्रो से क्यों नहीं बंटवाया, क्यों उसे कोआपरेटिव के माध्यम से बंटवाया तो इससे किसानों का भला नहीं हो रहा है, उसमें काफी गोलमाल हो रहा है । दूसरा जो कीटनाशक दवायें हैं उसे आप एग्रीकल्चर विभाग से नहीं बंटवाते हैं बल्कि उसे आप कोआपरेटिव के माध्यम से बंटवाते हैं । तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको कोआपरेटिव से इतनी मोहब्बत क्यों है । आप सारी की सारी चीजें कोआपरेटिव के माध्यम से बंटवा रहे हैं, जैसे दवाई है, खाद है, बीज है, तो इससे आप किसानों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि इसमें कहीं न कहीं से गड़बड़ी है जिसकी वजह से कोआपरेटिव से मोहब्बत बढ़ रही है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे आप एग्रीकल्चर विभाग से बंटवाये ।

(व्यवधान)

(दर्शक दीर्घा से बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जिन्दाबाद के नारे लगाये जाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया अपना भाषण जारी रखें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने एग्रीकल्चर विभाग क्यों खोल रखा है ? एग्रो को क्यों खोल रखा है यदि आप उनके माध्यम से खाद बीज और दवायें नहीं बांटना चाहते हैं तो उन्हें क्यों खोल रखा है, जब सारी की सारी चीजें आप कोआपरेटिव के माध्यम से बंटवा रहे हैं एग्रो को क्यों खोल रखा है ।

मान्यवर, दूसरी तरफ आप एक लक्ष्य निर्धारित कर दें कि आप किसानों को खाद, बीज तथा दवायें अक्टूबर, नवम्बर के महीने तक उपलब्ध करा देंगे । लेकिन होता क्या है कि किसानों को फरवरी, मार्च बीत जाने पर भी यह चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें उस चीजों का लाभ नहीं मिल पाता है तो मेरा अनुरोध है कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर दें और समय से ही उन्हें अक्टुबर, नवम्बर के महीनें में ये सारी चीजें उपलब्ध करा दें इससे किसानों का भला हो जायेगा । एक बात और है यह जो स्टोर है इसमें काफी घोटाले हो रहे हैं, काफी लूट हो रही है । आपने निलम्बित तो कर दिया लेकिन लाखों रुपये का घोटाला हुआ है, गुप्ता जी के जमाने में तो आप अपने जमाने में इसे स्वच्छ कर दें । इस पूरे बजट

भाषण को पढ़ने के बाद मुझे बड़ी निराशा हुई है आपने इसमें खाद, बीज आदि के बारे में कोई भी कार्य नहीं किया है ...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ यादव जी आप कृपया मेरी तरफ भी देख लिया करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, कृषि पर देश की 75 प्रतिशत जनता निर्भर करती है । आप बीज के बारे में देख लें । मान्यवर, आपने फसल बीमा का क्या किया । जो वर्ष 1991-92 में 13.96 था उसे आपने बढ़ाकर 14 कर दिया है । आपका पूरा बजट भाषण पढ़ने के बाद कहीं भी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है कि आप किसानों का भला करने जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप उद्यान विभाग को देखें । उद्यान निदेशक के पद हेतु जो सेवा नियमावली बनायी गयी है उसमें दो शर्तें थीं । एक तो यह थी कि दो साल का अपर निदेशक के पद पर अनुभव और दूसरा यह था कि जो प्रतिनियुक्ति पर लिये जायेंगे वह इसी विभाग के अन्तर्गत से ही लिये जायेंगे, आपने टाइम बाउन्ड के आधार पर नियुक्त कर दिया । आप उद्यान विभाग में ठेकेदार को बैठा देंगे तो मेरा निश्चित आरोप है कि आपने ठेके पर आर० एस० पाठक को लिया है, एक वर्ष के लिये । यह इस तरह से विभाग चल नहीं पायेगा, जो ठेकेदार आयेगा वह कमीशन लेकर विभाग को चौपट कर देगा । क्या आपको विभाग में इससे योग्य कोई नहीं मिला । यदि इसी तरह होता रहेगा, तो उद्यान विभाग का सत्यानाश हो जायेगा, यह निश्चित है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, मैं माननीय ऊदल जी के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी कृषि मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि प्रदेश की 85 फीसदी जनता गांवों में रहती है, और उत्तर प्रदेश की 80-85 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने से पहले चुनाव के वक्त इन्होंने नारा दिया था, चलो गांव की ओर । उस नारे से हम लोगों ने अन्दाजा लगाया था कि शायद यह सरकार किसानों के फायदे की बात सोचेगी, यह किसानों के लाभ के लिये कोई कदम उठायेगी, लेकिन आज का बजट देखने के बाद ऐसा अन्दाजा हुआ कि लाभ की कोई बात इस बजट में नहीं आयी है । बजट में कोई ऐसी बात नहीं आयी है जिसके लिये इस कृषि बजट की तारीफ की जाय या इसका समर्थन किया जाय । एक तरफ बजट, उसमें नारे और तकरीरें, दावे हैं और दूसरी तरफ प्रदेश के जो किसानों की हालत है, वह अलग है । मान्यवर, कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि उत्पादन मंडी समिति, इन सबका गठन इसलिये हुआ था कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और किसान की मदद की जा सके वह अपना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा सके, खेती बढ़ा सके और उसे अच्छे ढंग से पैदा कर सके तथा लाभ ले सके । लेकिन आज अगर हम प्रदेश के किसानों पर नजर

डालें, तो देखेंगे कि प्रदेश के किसानों का गेहूं कटकर घर पर आ गया है और किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या इसको बेचने की है ।

मान्यवर, आप सरकार बनने के पहले की स्थिति पर भी नजर डालें, किसान का गेहूं गोदामों में जा चुका था, लेकिन उसके बाद सरकार आने पर गेहूं 6 रुपये 7 रुपये तक बिकता रहा । आज फिर किसान को गेहूं बिकने के लिये जाना है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक अघोषित प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि गेहूं एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक भी नहीं जा सकता । हरदोई जनपद और पूरे प्रदेश में इसी तरह की खबरें आई हैं । कोई आदेश जारी नहीं हुआ, कोई सरकार की तरफ से जी० ओ० जारी नहीं हुआ, लेकिन गेहूं पर एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया । अभी 305 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा था और किसान को इसीसे थोड़ा उम्मीद थी कि गेहूं बेचकर कुछ पैदा कर लेंगे लेकिन सरकार जो 3 तारीख को प्रतिबन्ध लगाया । आज 6 तारीख है, आज 305 रुपये प्रति क्विंटल का भाव गिरकर 270 रुपये पर आ गया है । दो दिन से हरदोई जिले में कोई खरीद नहीं हो रही है । एक तरफ इतनी जबरदस्त सहालक चल रही है, किसी को लड़की की शादी करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ तोहफा देना है, लेकिन किसान जो इसी गेहूं से कुछ करना चाह रहा था, वह नहीं कर पा रहा है । अभी कुछ दिन पहले सवा तीन सौ का मार्केट उत्तर प्रदेश में था । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसकी कोई प्रति किसी व्यापारी किसी किसान को उपलब्ध नहीं करायी गयी, एक रोक लगा दी कि कोई आदमी अपना गेहूं कहीं ले जा नहीं सकता ।

एक बात आप यह कह सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों में कृषकों की उपज को व्यापारी ले जाते हैं, सही है । परन्तु आपने उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया । यदि मारकेट में कम्पटीशन नहीं होगा तो किसान को उसकी उपज का दाम कैसे मिल पायेगा । आपने जो यह मण्डी निदेशिका हमको दी है, इसमें चार-पांच जगह पर आपने मोटे-मोटे शब्दों में लिखा है–"कृषि के विपणन पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाय इन मण्डियों में कृषि उपज का क्रय-विक्रय नियमपूर्वक सम्पन्न हो और किसानों को न्यायोचित व्यवहार मिले, यह देखना मण्डी समिति का प्रमुख दायित्व है ।" मण्डी समितियों के माध्यम से सरकार की यह नीति है कि किसानों की उपज को कम्पटीटिव रेट पर बेचने का मौका दिया जाय और दूसरी ओर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है, आज किसानों का गेहूं 250 व 260 रुपये कुन्तल खरीदा जा रहा है । जब इस गेहूं को ये सारा खरीद लेंगे उसके बाद तीन महीने के बाद 500 रुपये कुन्तल के हिसाब से बेचना शुरू कर देंगे इसलिये मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का यह नारा चलो गांव की ओर न होकर चलो व्यापारियों की ओर का है । आज किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है परन्तु जब यह सारा व्यापारियों के पास चला जायेगा तो इसके दाम बढ़ा दिये जायेंगे ।

हमारे यहां मण्डी समिति के एक एस० एम० आई० को निलम्बित कर दिया गया । उस पर आरोप था कि उसने 50-60 हजार बोरा गेहूं दूसरे राज्यो में भेजने का परमिट दे दिया । यह सरकार की जानी बूझी साजिश है । 50-60 हजार बोरा गेहूं तो हरदोई से निकल गया और उस एस० एम० आई० का 8 दिन के बाद निलम्बन वापस हो गया । हरदोई से वह गेहूं मद्रास व कलकत्ता चला गया । मण्डी समितियों का गठन कृषकों के हित के लिये हुआ था । आज मद्रास में व कलकत्ता में गेहूं 555 रुपये से लेकर 580 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से बिक रहा है । आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि किसान अपनी उपज वहां जाकर बेचे । केवल व्यापारी ही वहां जाकर क्यों बेचे । आज मद्रास व हैदराबाद में वह गेहूं 500 रुपये कुन्तल के हिसाब से बिक रहा है । जबकि यहां पर मात्र ढाई सौ रुपये कुन्तल के

हिसाब से बिक रहा है । श्रीमन् दूसरा मुद्दा है भूमि संरक्षण का । वर्तमान में प्रदेश में इसके अन्तर्गत बहुत सी नालियों के निर्माण का कार्य चल रहा है । जैसे शारदा कमाण्ड एरिया है । करोड़ों रुपये की यह योजना है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा भी सहायता दी जा रही है । मैंने अपने क्षेत्र में खुद देखा है कि कई किलोमीटर की नालियां बनायी जा रही हैं, परन्तु वे मात्र डेढ़ फुट व दो फुट की बनाई जा रही है । अब ये नालियां कितने दिन चलेंगी । इन नालियों को जितना खोदा जाना चाहिए था, उतना नहीं खोदा जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें । नहीं तो मेरे ऊपर हरदोई के होने का आरोप लग जायेगा ।

* श्री खालिद गौरी–

मान्यवर, इसमें आरोप की कोई बात नहीं है । यह तो हकीकत है । मान्यवर, उन नालियों में 3 इंच ईंट लगा रहे हैं मैंने अपने यहां 3,4 जगहों में जाकर देखा है और उसमें बालू सीमेन्ट का अनुपात भी 1/12 और 1/14 लग रहा है । बालू भी आदेश है कि गंगा या फिर नदियों का लगाया जाय लेकिन बालू जो नहरों से निकलता है उसी को लगाया जा रहा है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि गूलें मजबूत बनें और कुछ दिनों तक चल सकें क्योंकि करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो रहा है जिससे किसानों को लाभ मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी के कटौती प्रस्ताव को समर्थन करता हूं ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें कृषि क्षेत्र के लिये बजट का 60 प्रतिशत धन रखा गया है । अभी तक पूर्ववर्ती सरकारें जो अपने को कृषकों को लंबरदार कहती थीं उनकी कलई खुल गयी है उन्होंने कृषकों को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है देश की खुशहाली का रास्ता गांव और गलियारों से है इसको हमने सार्थक साबित कर दिया है और 60 प्रतिशत बजट कृषि क्षेत्र के लिये लगाया है जो हमारी नीति का जीता-जागता उदाहरण है । भारत किसानों का देश है । किसानों की खुशहाली से ही देश और प्रदेश उन्नति कर सकता है यह हमारी सरकार मानती है । हमारे प्रदेश में 80 प्रतिशत लघु और सीमान्त कृषक हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है जिस पर पूववर्ती सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया । हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भार इन सीमांत और लघु किसानों के कन्धों पर ही है जिनकी दशा सुधारने के लिये हमारी सरकार ने विभिन्न योजनायें बनाई हैं सरकार ने इनके कन्धों को मजबूत बनाया है और उसमें हमारी सरकार तत्परता से कार्यरत है ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर पैदावार बहुत कम है । 1989-90 में हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से लेकर 14 प्रतिशत था जब कि चीन में 50 प्रतिशत था । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है । कृषि की उन्नति के लिये वैज्ञानिक तरीके अपनाया जाना अति आवश्यक है क्योंकि हम जमीन को तो बढ़ा नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकते हैं । हमारे यहां 25 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर और बंजर पड़ी है जिसको उपजाऊ बनाया जा सकता है इसके लिये हमें युद्धस्तर पर कार्य करना होगा ।

कृषि उन्नति के लिये उन्नतिशील बीज भी आवश्यक हैं लेकिन हम अभी तक 1/10 भाग ही उन्नतिशील बीज पैदा कर पाते हैं । मेरा निवेदन है कि उन्नतिशील बीज अधिक उत्पादन जिला स्तर पर किया जाना चाहिए ।

हमारे यहां कृषि अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर करती है और करीब 71 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित है और इसको सिंचित करने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा । एक प्रतिशत यदि हम सिंचाई बढ़ाते हैं तो डेढ़ प्रतिशत पैदावार को हम बढ़ाते हैं इसलिये सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये पूरी तरह से सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा । केन्द्र सरकार ने किसानों के गेहूं की कीमत न बढ़ने देने के लिये 10 लाख टन गेहूं बाहर से निर्यात करने की योजना बनाई है । यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है । उसको यदि इसके मूल्य पर अंकुश लगाना है तो पूंजीपतियों पर लगाया जाये और बड़े-बड़े लोगों पर लगाया जाये और यदि किसानों की कीमतें न बढ़ने देने के लिये यह नियंत्रण लगाया जाता है तो बहुत ही अनुचित बात है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में 50/60 गांव हर वर्ष जलमग्न हो जाते हैं । इसके कारण से वहां की भूमि पर एक तांतु घास पैदा हो जाती है जिसकी वजह से उनकी पैदावार को काफी नुकसान होता है और किसान लोग उस घास की सफाई नहीं कर सकते हैं । उसकी अगर आप सफाई करा दें अपने भूमि संरक्षण विभाग से तो समस्त भूमि उपजाऊ बनायी जा सकती है और वहां पर अच्छी उपज हो सकती है । हमारे विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जिला बदायूं में एक मंडी समिति का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण में मंत्री जी जल्दी करवा दें, तो बहुत अच्छा होगा । इसके साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, कृषि बजट पर बोलने से पहले ऊदल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं अपना दायित्व समझता हूं कि इस देश के करोड़ों रास्ता उस देश के खेत और खलिहानों से होकर जाता है । करोड़ों किसानों और मजदूरों को जबान देने वाले चौधरी चरण सिंह जी को याद किया जाये और उनका इस मौके पर नमन किया जाये । माननीय सदस्य बदायूं ने कहा कि वह देवता थे और उन्होंने कहा था कि किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता उस देश के खेत और खलिहानों से होकर जाता है । माननीय कृषि मंत्री जी मैं समझता हूं कि भाजपा के इस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं । पार्टी की कुछ सीमायें होती हैं फिर भी मैं उनको बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कृषि विभाग पर बजट रख दिया, यही बहुत बड़ी बात है । चौधरी साहब ने एक नारा दिया था कि चलो गांव की ओर और आज आप गांव की ओर चल रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि जो 6 रुपये किलो गेहूं बिका है उसे आपने ढाई तीन रुपये किलो में बिकवाना शुरू कर दिया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गांवों की ओर चलने पर आप टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, मकसद पर कीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

तीन चार बातें कृषि के लिये बहुत आवश्यक है । एक तो भूमि सुधार । भूमि अच्छी होगी तो कृषि अच्छी होगी । हमारे यहां भूमि संरक्षण विभाग है । आप भूमि संरक्षण विभाग के क्रिया-कलापों को उठाकर देख लें तो कहीं भूमि संरक्षण का कार्य नहीं हो रहा है, केवल मिट्टी का कार्य करते हैं और उसमें 40 सैकड़ा कमीशन लेते हैं । पहले योजना थी चक मार्ग बनाने की और मुझे दुख है कि तत्कालीन नेता सदन स्व० श्री वीर बहादुर सिंह ने, जब श्री नरेन्द्र सिंह कृषि मंत्री थे, यह आदेश किया था, एक विभागीय अधिकारी ने तुगलकी मिजाज के कारण, जिसके चलते भूमि संरक्षण विभाग आज आपका चक मार्ग नहीं बनाता है । जहां चक मार्ग की आवश्यकता होती है, उसको रोक दिया गया क्योंकि उसमें आमदनी कम है मिट्टी के संबंध में भूमि संरक्षण विभाग जितना काम कराता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गोलमाल किया जाता है ।

मान्यवर, जहां तक बीज की बात है तो मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सार्टिफाइड बीज, प्रमाणित बीज न तो इनके पास है और न किसानों को यह उपलब्ध ही करा पाते हैं और जो उपलब्ध होता है वह किस कीमत पर किसानों को देते हैं उसको सभी जानते हैं, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसको दिखवा लें । मान्यवर, जो बीज संस्थान हैं वह अच्छे बीज नहीं दे पा रहे हैं अधिकारीगण अनाज खरीद कर किसानों को बीज के नाम पर बेच देते हैं जिससे किसानों की फसल का नुकसान होता है ।

मान्यवर, बीज वितरण व्यवस्था सहकारी समितियों को दे दिया लेकिन उनके पास ट्रेड एग्रीकल्चर कर्मचारी नहीं हैं जिससे आपने तो समय से उनको बीज भेज दिया और उन्होंने उसे अपने गोदाम में रखवा लिया किन्तु जब वितरण करने का समय आया तो जब किसानों को एडवांस वेरायटी का बीज मिलना चाहिये तो उसे लेट वेरायटी का बीज दिया जाता है और जब लेट वेरायटी का बीज चाहिये तो एडवांस वेरायटी का बीज दिया जाता है जिससे किसानों को नुकसान होता है । इसलिये इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और ट्रेन्ड एग्रीकल्चर कर्मचारी रखने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, कीटनाशक दवाओं के लिये सरकार ने किसानों की सब्सिडी दी जाती है । इसी प्रकार गेहूं बीज, धान बीज पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है लेकिन आपके आदेश देर से पहुंचते हैं जिससे किसानों को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं होता है । इसलिये आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि आप सुनिश्चित करायें कि किसानों को जो सब्सिडी दी जाये चाहे वह फिर बीज पर हो या कीटनाशक दवाओं पर हो या खाद पर हो उसकी समय से किसानों को सूचना दी जाय और समय से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय जिससे किसानों को पूरा फायदा मिल सके ।

मान्यवर, किसानों की फसल की कटाई एवं मड़ाई की उचित व्यवस्था नहीं है । किसान की खड़ी फसल को काटने के लिये आज मजदूर उसको नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिये अनुरोध है कि जो कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, पंतनगर और फैजाबाद में जो हैं वहां क्या गेहूं कटाई की कोई छोटी मशीन बनायी गयी है जिससे फसल की कटाई हो सके ? यदि ऐसी मशीन नहीं है तो इसे बनाने पर विचार किया जाना चाहिए चूंकि बड़े-बड़े फार्मों पर गेहूं काटने की मशीन है ।

मान्यवर, बीज के संबंध में जिला स्तर पर समिति बनाई जानी चाहिये । जो देखे कि किस तरह के बीज की जरूरत थी और किस प्रकार के बीज का वितरण हुआ है ?

मान्यवर, किसान के फसल के भाव के संबंध में कहना चाहता हूं कि चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर में जो गेहूं की लागत आती है उसके हिसाब से क्या किसानों को वह लागत दी जा रही है ? जो समर्थन मूल्य तय करते हैं उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि इन फसलों का समर्थन मूल्य पहले से तय करना चाहिये जिससे किसान सोच समझकर उस फसल को बोयें ।

मान्यवर, प्रदेश में अनाज भण्डारण की व्यवस्था उचित नहीं है जिससे किसान मजबूर होकर अनाज को खलिहान से सीधे व्यापारियों को सस्ते दामों में बेच देता है । चूंकि वह घर में अनाज का भण्डारण नहीं कर सकता इसीलये अनुरोध है कि शासन अनाज के भण्डारण की उचित और पर्याप्त व्यवस्था करे इससे किसानों को 75 प्रतिशत अग्रिम ऋण भी मिल सकेगा और किसान कर्ज से उबर सकेगा तो उससे किसान उबर पाते । दूसरी बात मान्यवर, उद्यान से संबंधित है । उद्यान विभाग पर दो तीन बातें कहना चाहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष की तरफ से बार-बार लाल बत्ती का इशारा हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बार-बार नहीं । एक ही बार लाल बत्ती हुई है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं समझा था कि बार-बार । मान्यवर, मैं उद्यान विभाग की बात कर रहा था । कितनी प्रजातियां विकसित की गयी हैं ? मान्यवर, आलू के भण्डारण के संबंध में ही देख लें । जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें किसानों का आलू नहीं भरा जाता है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी के लिये बता रहा हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में अवश्य जांच करा लें । आज किसान के आलू की जगह व्यापारियों का गुड़ भरा हुआ है । आज के उद्यान विभाग के अधिकारी पैसा लेना जानते हैं । सब जगहों पर गुड़ भरा हुआ है । आपसे अनुरोध करूंगा कि किसानों का आलू बर्बाद न होने पाये आप ऐसी व्यवस्था जरूर करा दें । डिप्टी डायरेक्टर का मामला हो, आई० ए० एस० अधिकारियों पर कुछ कन्ट्रोल किया है । मामला आपके सचिव का है, आपने-अपने विभाग के अधिकारियों को दण्डित किया जिससे आपके विभाग के अधिकारियों का मनोबल गिरा है । संयुक्त निदेशक का पद रिक्त है, अतिरिक्त निदेशक के पद रिक्त हैं । वेतनमान समय पर नहीं दे पा रहे हैं । अधिकारियों से काम लेना होता है इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था करें कि उनका मनोबल बढ़े और सही ढंग से वह कार्य करें ।

दूसरी एक बात आती है विपणन की किसानों की फसल की विपणन व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तो कोई आय नहीं हो पायेगी । आज मण्डी परिषद् आर० एस० एस० वालों की जेब की संस्था बनी हुई है । मैं यह कह रहा था कि उन्होंने मण्डी परिषद् के अधिनियम को नहीं पढ़ा है । इसमें साफ-साफ लिखा है कि मण्डी परिषद् में मण्डी समिति के चेयरमैन पद पर किसान को मनोनीत किया जायेगा या किसान चुना जायेगा । आपने ट्रेडर को चुना । मुजफ्फरनगर हो या कहीं और आपने बी० जे० पी० के आदमी को वहां पर चेयरमैन बना दिया है । अगर किसान नहीं था तो कोई और आदमी चुना जा सकता था । मेरे जिले में ही एक क्विंटल में 120 किलो तौला जा रहा है । बीस किलो का बांट 22 किलो वजन का था इसकी शिकायत भी की गयी । आप का कृषि विभाग क्या देख रहा है । प्रदेश में ऐसी दर्जनों मण्डियां हैं जहां खुली नीलामी हो रही है । मैंने 85-86 में एसेम्बली क्वेश्चन किया था ।

इसी तरह से सड़क निर्माण की बात है । चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने के लिये माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने काफी काम किये थे मण्डी शुल्क का पैसा था, सड़क निर्माण में व्यय किया जो सड़कें आधी अधूरी बनी हैं, उनको पूरा किया जाय । मेरे जिले में ही 14 सड़कें अधूरी

पड़ी हैं । निर्माणाधीन हैं । शासन की भी नीति है कि जो सड़कें बनना शुरू हुई हैं उन्हें पूरी लम्बाई तक बनाया जाय । आपकी सरकार ने तो आते ही इन सड़कों का निर्माण बन्द करवा दिया । मेरा निवेदन है कि सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाय नहीं तो जितना धन इन्हें बनाने में व्यय हुआ है वह बेकार हो जायेगा । जब सड़कों का निर्माण नहीं होगा तो गांवों में कैसे प्रवेश किया जा सकता है । सड़कों के निर्माण हो जाने से मण्डी परिषद् की आय बढ़ती है । आप सड़क निर्माण का कार्य रोक रहे हैं । हमारे मुजफ्फरनगर में कन्सट्रक्शन डिवीजन को तोड़ने जा रहे हैं । एक-एक काम के लिये सहारनपुर जाना पड़ता है । अतः इस कन्सट्रक्शन डिवीजन को रहने दें । सम्पर्क मार्ग हैं उन्हें पूरी लम्बाई तक बनवाया जाय । मण्डी परिषद् अधिनियम के 16 (2) में यह साफ लिखा है कि मण्डी समिति अपनी कुल आय का 2 प्रतिशत उप क्षेत्र के किसानों के बच्चों की शिक्षा आदि पर व्यय करेगी ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

आपने कितने स्कूलों को अनुदान दिया तीन बार मैंने ही मांग की मुझे अनुदान नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, गरीब किसान के शुल्क से मण्डी समिति पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है । मण्डी समिति में कारों का बहुत दुरुपयोग होता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है इसको दिखवा लें । मान्यवर, दुर्घटनाओं का बीमा मिलेगा, आपने कहा तीन दिन में सूचना देनी होगी । तो यह तो कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है आपने दीन दयाल उपाध्याय के नाम को जोड़ दिया । मण्डी समिति मण्डी परिषद् को भोग विलास की वस्तु मान लिया है अगर कोई दस-बीस बार जाकर तबादले की बात करे नियुक्ति की बात करे तो बात अलग है, लेकिन दस बीस बार सड़कों के निर्माण के लिये जो कि अधूरी पड़ी हैं और किसान के बेटे बैठे हों, और सड़कों के निर्माण का कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाय यह सही नहीं है । जिस चीज से मण्डी परिषद् के किसानों को लाभ हानि हो उसको देखा जाना चाहिये ।

(लाल बती होने पर)

इस लाल बत्ती से डरते हुये एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । किसानों के देवता चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हुये आप कृषि विद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखने की कृपा करें । एक विश्व विद्यालय मुजफ्फरनगर में भी खुलवाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कृषि विभाग बहुत बड़ा विभाग है और सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों की जिन्दगी का हित इससे

जुड़ा हुआ है । इस प्रदेश और देश कें किसान बहुत मेहनती हैं वह 365 दिन अपने खेतों में अपने परिवारजनों के साथ काम करता है लेकिन इस प्रदेश में अन्य देशों की तुलना में उसकी इज्जत नहीं है जबकि अन्य देशों में जो ज्यादा मेहनत करता है वह इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है लेकिन हिन्दुस्तान में ज्यादा मेहनत करने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता है ।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है यह खोखले नारों पर आई है और जनता को गुमराह करने के लिये आई है प्रदेश के हित और किसानों के हित के लिये आपकी क्या सोच है ? अभी उधर के सदस्य कह रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना भी कर रहे थे । आपने दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम ले लिया लुभाने वाले नारे दे दिये लेकिन आपने प्रदेश के किसानों के हित के लिये कुछ नहीं किया है । जो धन एलाट किया गया है वह पिछली सरकार द्वारा जो धन एलाट किया गया था उससे कम है । आपने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कुछ नहीं कहा । जब तक प्रदेश के किसानों के हित के बारे में आप नहीं सोचेंगे तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकते हैं । विभिन्न विभागों में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय विभाग की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आपके विभाग में ग्रेड–1 की श्रेष्ठता सूची गलत बनी है । स्वार्थवश कुछ लोगों को एडजेस्ट करने के लिये सूची तैयार की गयी । मैं कहना चाहता हूं कि एक अन्तिम सूची बनती है उसके बाद एक अंतिम सूची बनती है । अंतिम सूची बनने के बाद परिवर्तन नहीं किया जाता है लेकिन आपके विभाग में कुछ लोगों को वरीयता देने के लिये जो आपके निकट संबंधी हैं, सहयोगी हैं, आपके हिमायती हैं, उनको वरीयता सूची में रखा है । एक चौहान साहब थे जिनकी ट्रिब्यूनल ने 1977 में वरीयता देने की बात कही थी लेकिन उनको 1975 में कैसे कर दिया, कार्मिक विभाग की राय थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में काउंटर एफीडेबिट लगाया था कि 1977 की वरीयता मानी जाय लेकिन 1975 में वरीयता कैसे दे दी गयी ।

मैं किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार हो रहा है । एक पाठक जी हैं वह डेपूटेशन पर आये लेकिन उनको भी सूची में शामिल कर लिया गया और बाद में नाम हटाया गया । वहां अपर निदेशक के पद के संबंध में गुटबाजी हो गयी और ताला तोड़कर चार्ज दिलाया गया । अपर निदेशक के कक्ष में ताले को तोड़कर जूनियर अफसर को वहां बैठा दिया गया । इस तरह से आपने गुटबाजी पैदा की । मैं आलू के संबंध में कहना चाहता हूं फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी में प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू होता है । अबकी जो पछेती आलू की खेती थी उसमें झुलसा रोग लगा और करोड़ों का नुकसान हो गया । सरकार ने डाईथीन-एम–45 को समय पर उपलब्ध नहीं कराया । जो बाद में उपलब्ध करायी गयी वह बेअसर थी उसकी खरीद में लाखों का घपला किया गया । मैं किसानों को लाभकारी मूल्य देने के संबंध में कहना चाहता हूं । यह सरकार अपने को किसानों का हितकारी साबित करने की कोशिश करती है । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की उपज का मूल्य देने के लिये एक आयोग का गठन किया जाना चाहिये जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों और उस आयोग द्वारा किसानों की उपज का मूल्य तय किया जाय । जो कारखाने हैं उनमें जो चीजें बनती हैं उनमें मालिक अपनी चीजों के दाम स्वयं तय करते हैं फिर किसानों को भी अपनी उपज का मूल्य तय करने का अधिकार होना चाहिये । ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभदायी मूल्य मिल सके । मैंने देखा है किसानों के खेत में जब ज्यादा आलू पैदा होता है तो वह खेत में सड़ जाता है । यदि ऐसी स्थिति आये और किसान के खेतों में पैदावार अधिक हो तो सरकार को अपने स्तर से उसकी उपज को खरीदना चाहिये ताकि किसान को राहत मिल सके । मेरे जनपद मैनपुरी में भोगांव में दो इंटर कालेज हैं, एक डिग्री कालेज है, थाना है और रेलवे स्टेशन है लेकिन वहां पर कोई

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

मंडी परिषद् नहीं है । अगर वहां पर मण्डी बन जाय तो किसानों का फायदा होगा । मंडी बनना प्रस्तावित है उक्त प्रस्ताव को चालू करके वहां पर मण्डी बननी चाहिये ताकि किसानों का उचित मूल्य मिले और वह बहबूदी की तरफ जायं । इसके अलावा जो वहां के गांव हैं उनको मंडी परिषद् से जोड़ना चाहिये ताकि वह अपनी उपज को मंडी तक आसानी से ला सके । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि किसानों की बहबूदी के लिये भोगांव में मण्डी परिषद् की स्थापना करने की घोषणा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुंवर सुभाष पटेल–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि :–

साज बिना हर राग अधूरा सा लगता है,
जैसे मेंहदी बिना सुहाग अधूरा सा लगता है ।
मिलने पर अगर आंखों में न आये आंसू,
तो मुझे वह प्यार अधूरा सा लगता है ।
मान्यवर,
ऐसे ही कांग्रेस शासन बूढ़ा सा लगता है,
भाजपा का स्वप्न पूरा सा लगता है,
किसान की प्रगति बिना अब तो यह समाज
अधूरा सा लगता है ।

आज हमारे देश में 44 साल की आजादी के बाद, यह देश जो सोने की चिड़िया था आज वह मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रहा है ? पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत नियोजन के कारण इस देश और प्रदेश के किसान की हालत दयनीय हो गयी है । किसान भगवान का रूप था आज वह तबाह और बर्बाद हो गया है । किसान का खेत कोई रबड़ नहीं है कि बढ़ाये जा सकते हैं इसीलिये आज खेती पर भार बढ़ गया है । आज 74 प्रतिशत भार खेती पर है जबकि अमेरिका में 2 प्रतिशत भार खेती पर है । हमारे खाने वाले मुंह बढ़े हैं और काम करने वाले हाथ भी बढ़े हैं पूर्व सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिये थीं, खेती पर बढ़े हुये भार को कम करने के लिये योजनायें बनानी चाहिये थीं ताकि नौजवानों को कम मिले । इसके लिये हर न्याय पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये थी । अचार, मुरब्बे चिप्स, टोमेटो सास के लिये आदमी शहरों की तरफ जाता है । यह जो चीजें हैं यह न्याय पंचायत स्तर पर जहां यह पैदा होती हैं वहां पर बननी चाहिये थी । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । मान्यवर, कहा गया है कि नाटा, खोटा बेचकर चार धुरंधर लेऊ आपन काम निकाल कर औरन मंगनी देऊ ।

मान्यवर, नीला कन्धा बेगन खुरा ऐसा बर्धा लो बे पूछ, छोटा मुंह और छोटा कान यह ही बैलों की है पहचान । किसान ने ऐसे ही बैलों से खेती करके अच्छे बीज डाल कर, ज्यादा परिश्रम करके सोनारा 64 नरमा राजू को भुलाया । जो हम दूसरे देशों से अन्न मांगते थे उसने अपने बल पर वैज्ञानिकों के सहयोग से पैदावार बढ़ाकर देश को स्वावलम्बी बनाया लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज

देश और प्रदेश का किसान गरीबों की रेखा के नीचे गुजर कर रहा है। जाके पैर न फटी बेवाई वह क्या जाने पीर पराई। आज गांव में एक कथरी गुदड़ी के नीचे किसान के 7-8 बच्चे सोते हैं नीचे पुआल का आसन है पर ठुठरती रातें गुजारते हैं उसका खपरैल यदि टूट जाता है तो पुआल से ठीक किया करते हैं दूसरा खपटा खरीदने का पैसा नहीं है यह प्रदेश के किसानों की हालत है। इसके लिये दोषी हैं पूर्व की सरकारें। जहां तक किसानों की प्रगति की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बजट में बहुत सी महत्वपूर्ण योजनायें बनायी हैं जैसे न्याय पंचायत स्तर पर किसानों का सेवा केन्द्रों में किसान सहायक की नियुक्ति दीन दयाल अन्त्योदय योजना द्वारा बनाई है और भी कल्याणकारी योजनायें हैं, लेकिन इतने सालों की आजादी के बाद भी किसान आज दबा है, हम चाहें कि एकदम उत्थान हो जाय, सम्भव नहीं है। केन्द्र सरकार की भी ऐसी नीति है कि जिस प्रकार का सहयोग देना चाहिये, नहीं दे रही है उसकी किसान विरोधी नीति है। मान्यवर, आज तो मैं लाल बत्ती से डर कर कुर्ता पहन कर आया हूं। माननीय ऊदल जी ने जैसा कहा कि कृषि को उद्योग घोषित किया जाये, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं अगर खेती को उद्योग घोषित कर दिया तो किसानों को सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स व लाइसेन्सों का भार बढ़ जायेगा अभी तो व्यापारी त्रस्त हैं, फिर किसान और हो जायेगा इसीलिये मेरा कहना है कि किसान को उसकी फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिये, ऐसी योजनायें बनायें। खेती पर लागत घटायें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ऊदल जी की किन बातों से सहमत हैं, जिन बातों से सहमत हों, वे बता दें।

कुंवर सुभाष चन्द्र पटेल–

मान्यवर, ऊदल जी मेरे बड़े भाई हैं उनकी इस बात को छोड़कर और बातों से सहमत हूं। मान्यवर, गांधी जी ने दरिद्र नारायण की सेवा के लिये, नेहरू जी ने विकास वाद की कल्पना, डाक्टर लोहिया ने समाजवाद की कल्पना की, जय प्रकाश जी ने समग्र क्रान्ति की कल्पना की थी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी ने अन्त्योदय की कल्पना की थी। इसी आधार पर हमारा गांव का तंत्र है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, जहां हमारी नहरें हैं, उनकी एक तरफ पटरियों की कटान होती है जिससे कि पानी का बहुत नुकसान होता है। मेरा सुझाव है कि सिंचाई विभाग और कृषि के तालमेल से उनको पक्का करा दिया जाय तो किसानों को अच्छी आने जाने की सुविधा गांवों में रहेगा। बरेली में भोजीपुरा विधान सभा क्षेत्र में एक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्वीकृत पड़ा है, लेकिन भूमि न मिलने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। वहां बिलवा के लिये मैंने पहले भी कहा था कि 95 एकड़ का कृषि फार्म है, उसमें 45 एकड़ भूमि कृषि अनुसंधान के लिये दे दी जायेगी तो पूरा जिला लाभान्वित होगा। इसके साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका पूर्ण समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, आपने माननीय ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। अभी मान्यवर, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि माननीय मंत्री जी बजट के समय में अधिकारीगण नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी ने इसमें बड़ी चुस्ती दिखाई, हर्ष है इसी तरह से चुस्ती पूरे प्रदेश में दिखावें तो हल निकल सकता है। यहां पर चुस्ती से क्या होगा, इस पर ध्यान दें, यहां पर जो चुस्ती दिखाई है इसी तरह से पूरे प्रदेश में दिखावें तो शायद कुछ हो सकेगा क्यों कि राज्यपाल दीर्घा अब

अधिकारियों से भरा हुआ है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में काफी लम्बा चौड़ा भाषण दिया । हमारे प्रदेश में हजारों एकड़ जमीन, बल्कि लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है । उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में कहीं भी जोर नहीं दिया कि इस संबंध में क्या कर रहे हैं । उस जमीन को खेती योग्य बनाने के लिये माननीय मंत्री जी ने कई चर्चा अपने भाषण में नहीं की । दूसरी ओर यह देखने को मिलता है कि खाद और बीज के जो रेट्स इन्होंने निर्धारित किये हैं, पूरे प्रदेश में लगभग प्रत्येक जिले में ड्योढ़े, दुगने रेट पर बेचे गये । किसान की हालत वैसे ही खराब है । कहीं पर वर्षा नहीं हुई, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ अधिकारी भी परेशान हैं ।

हमारे बांदा में कृषि निदेशक प्रसार ने मनमाने रेट्स पर खाद और बीज किसानों को उपलब्ध कराया और वर्तमान समय में बांदा में जो किसान सहायक भवनों का निर्माण कराया, उसमें जो ठेकेदार से निर्माण कराया जा रहा है उसमें 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एन० एस० सी० या एफ० डी० आर० के रूप में जमा होना चाहिये परन्तु एक नया पैसा भी जमानत धनराशि नहीं जमा करवाई गयी । उप निदेशक प्रसार को कमीशन में ज्यादा दे दिया गया, जहां 10 प्रतिशत देना था, वहां पर 15 प्रतिशत दे दिया गया, इसलिये वह खुश हो गये । इस तरह से जितने भी पुराने बन्धे हैं, तालाब हैं, उन सभी पर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी छिड़क कर नया दिखाकर मनमाने ढंग से सारा का सारा सरकार का पैसा अधिकारी अपने जेब में भरने में लगे हैं । मैंने इस संबंध में लिख कर भी दिया कि भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा मनमानी धांधलीगर्दी के लिए कार्यवाही की जाय, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है । इसमें पता नहीं माननीय मंत्री जी को कोई फायदा मिल रहा है, इसलिये वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि इसका क्या कारण हैं । वहां पर जीवन धारा के अन्तर्गत जो कार्य करवाया जाता है उससे जीवन धारा के अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला । जो सामन्तशाही व उच्च वर्ग के लोग हैं, उससे उनको फायदा हुआ । मानव दिवस से कोई भी कार्य नही करवाया गया, ट्रकों और ट्रैक्टरों से मिट्टी ढुलवा कर सारा काम करवाया गया । मैंने वहां पर मौके पर जाकर फोटो भी खिंचवाया, मेरे पास तीन फोटो हैं इसको मैं आपके पास भेजना चाहता हूं कि किस प्रकार से कृषि विभाग में भ्रष्टाचार है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी को बताने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ।

माननीय मंत्री जी कृषि विभाग को नहीं सम्भाल पा रहे हैं, तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि इस तरीके से जो गरीबों का पैसा है, उसको एक तरीके से बर्बाद किया जाना और अधिकारियों की जेब भरा जाना और नाजायज तरीके से यह भ्रष्टाचार किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है । मान्यवर, इस फोटो को आप देख लें और माननीय मंत्री जी भी देख लें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

* श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, कृषि विभाग में प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकारियों की लम्बी फौज है, आप भी जानते हैं और माननीय सभी विधायक भी जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी से कृषि विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का काम लिया जाता है । इनका एक कर्मचारी किसान सहायक जो गांव में घूमकर भाषण दिया करता है, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है । पिछले दिन बीज, खाद, कीट नाशक दवाइयों का आपने सब्सिडी के नाम पर जो वितरण कराया, वह एग्रो से नहीं कराया, बल्कि कोआपरेटिव विभाग से कराया । मेरे इलाके में एक रामपुर कोआपरेटिव साधन सहकारी समिति है, उसने सब्सिडी का सारा खाद, बीज चोरबाजारी में बेच दिया । मान्यवर, इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा और एक माननीय सदस्य ने कीर्तिमान की बात कही, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब गेहूं की बुआई हो रही थी, तो उस समय गेहूं का बीज 6 रुपये किलो मिलता था और जब गेहूं पैदा हुआ तो वह सेठों के गोदामों में चला गया और किसान का गेहूं तीन रुपये किलो बिक रहा है । मान्यवर, क्या आपने इस ओर कभी ध्यान दिया है । किसान को जो बीज मिलता है वह 6 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है और जब उसकी पैदावार होती है तो वह तीन रुपये किलो बिकता है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मंडी समिति की बात कही है । मंडी समिति में आपने सेठों को नामित कर दिया है । इसकी ओर माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने और राम औतार शाक्य जी ने इशारा किया है । मान्यवर, 1987 में जो आलू का भंडारण होता था, उसके रेट में तीन रुपया प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी हुई थी और उस समय की सरकार इस बढ़ोत्तरी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गयी और जो अधिभार बढ़ाया गया था, वह वापस कराया था । इस प्रकार से उस समय की सरकार ने साढ़े आठ करोड़ रुपया किसानों का बचाया । वह अधिभार इसी प्रकार से 1989-90 तक चलता रहा, लेकिन फिर शीतगृह मालिकों ने साढ़े चार रुपया अधिभार बढ़ा दिया और तत्कालीन सरकार इसके विरुद्ध फिर उच्च न्यायालय में चली गयी और उस आदेश को निरस्त करा दिया । इस प्रकार से इस बढ़ोत्तरी से जो साढ़े 13 करोड़ का भार प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला था वह बच गया । मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है दो रुपया का अधिभार बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह सरकार उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं गयी, इसके कारण प्रदेश के किसानों पर 5 करोड़ रुपये का अधिभार पड़ गया है । तो यह सरकार अपने को कैसे कहती है कि यह किसानों की पक्षधर सरकार है । यह तो बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है ।

उद्यान विभाग में आपने एक काम किया है कि वहां की सेवा नियमावली बन गयी है । सेवा नियमावली में यह प्राविधान रखा गया है कि निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिये 2 साल का अनुभव अपर निदेशक के पद पर होना चाहिये और अगर नहीं है तो दूसरे विभाग से या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी को इस पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाये और जब इनमें भी न मिले तो ठेके पर टाइम बाउन्ड एक साल के लिये रख लिया जाये और आपने इसी प्राविधान के तहत ठेके पर उद्यान निदेशक की नियुक्ति कर ली और उसने किसानों के 5 करोड़ रुपये पर मुहर लगा दी । शीतगृह मालिकों से 50 फीसदी हिस्सा तय हुआ है । 5 करोड़ में इनका भी हिस्सा है । अगर सरकारी कर्मचारी निदेशक होता तो उसको डर रहता, अपनी नौकरी का डर रहता, बदनामी का डर रहता और अगर वह कोई गलत कार्य करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती थी, लेकिन जो निदेशक रखे गये हैं, उनको किसी बात का भी डर नहीं है । 1990 में निदेशक जो थे उनको हटा दिया गया और जो उप निदेशक थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया । इन 5 करोड़ रुपये में इस सरकार को पूरा हिस्सा मिला है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी सी० बी० आई० से जांच करायें, तो सारी बातों का पता चल जायेगा । माननीय मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दें कि क्या कारण है कि 23 सितम्बर को सेवा नियमावली बनती है और 26 सितम्बर को ही निदेशक की नियुक्ति कर दी जाती है और 5 करोड़ रुपये का अधिभार बढ़ा दिया गया । जल्दी-जल्दी निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी । मान्यवर, आपसे मैं कहना

चाहता हूं कि सरकार अगर निष्पक्षता चाहती है तो इसकी सी० बी० आई० से जांच करायें । मान्यवर, 87 से लेकर 90 तक इस बात पर रोक लगी थी हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से उस समय की सरकार ने रोक दिया था और इस सरकार ने बढ़ा दिया । यह विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नेतराम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कृषि मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को सधन्यवाद बधाई देता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, घोर कहा है या ढोर कहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

जिस शब्द से आपका उद्देश्य हल हो रहा हो उसी को आप समझ लें ।

श्री नेतराम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कृषि सेवा केन्द्र उद्यानीकरण पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष योजना को लागू करके प्रदेश के किसानों का बड़ा लाभ किया है और प्रदेश के किसान इन सारी बातों से बहुत ही प्रभावित होंगे ऐसा बजट आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया है । मान्यवर, कृषि के संबंध में अनेक बात कही जा रही है इसलिये मैं ज्यादा न कहकर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि खेती के संबंध में 5 बातों की आवश्यकता है भूमि का परीक्षण खाद, बीज, पानी और कीटनाशक दवाइयां । कीटनाशक दवाइयों के संबंध में जो अब तक होता रहा है उसका लाभ सामान्य किसानों को नहीं मिला जो दवाइयों पर दी जाती सब्सिडी रही है उसका कोआपरेटिव के द्वारा सही वितरण हुआ है । जहां तक नकली खाद बनने का सवाल है वह आज भी बन रही है मैं चाहता हूं कि उसको रोकने के लिये सही उपाय किये जायं ताकि किसान लाभान्वित हो सके खाद के नकलीपन को समाप्त करके उसका शुद्धीकरण होना अति आवश्यक है । इसके साथ ही बीज बहुत महत्वपूर्ण है । अगर किसानों के साथ बीज में कोई धोखा होता है तो उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है । गांव में एक कहावत है कि गोली के मारने से तो किसान बच जाता है लेकिन बीज का मारा हुआ किसान नहीं बच सकता है । मैं समझता हूं कि 40 वर्षों से आज तक किसी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और गलत बीज बनाने वालों के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए कोई कानून बनाया जाय जिससे किसानों को शुद्ध बीज मिल सके । मान्यवर, आलू के बीज बेचने वाले दर-दर पर बीज की दुकान लगाये गांव में बेच रहे हैं, दुकानों पर बेच रहे हैं इतना बृहत विक्रय होने पर भी किसानों को शुद्ध बीज नहीं मिल पा रहा है ।

मान्यवर, हर जिले में एक लैबोरेट्री है लेकिन यहां पर किसानों की जमीन का सौल टेस्ट होता है यह बिल्कुल मृतप्राय हो गयी हैं । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन लैबोरेट्रीज को भली प्रकार से पुनर्विचार कर चालू करायें ताकि किसानों को जमीन की सही रिपोर्ट मिलने पर खाद की मात्रा और बीज की मात्रा बोने की सही प्रक्रिया तथा स्थिति ज्ञात हो सके । इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा । अब मान्यवर, मैं कृषि की बात न कहकर उद्यानीकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां कृषि की बात कही गयी है इसकी सबसे बड़ी गुंजाइश आज उद्यानीकरण

विभाग के अन्तर्गत है और इस उद्यानीकरण से किसानों को फल सब्जी पैदा करने की अपेक्षा चौगुना लाभ होगा । अगर किसान कार्य को करने लगे तो चौगुना फायदा हो सकता है । आज जो बागवान का क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी समस्या भट्ठे बिना परमिट के चल रहे हैं । इससे करोड़ों रुपये का नुकसान बागवान किसानों को हो रहा है लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । भट्ठों के लिये सख्त कानून बनाये जायं । मण्डी समिति कासगंज जिला एटा जो कि आगरा मण्डल में चौथा स्थान रखती है । इस मण्डी का अवश्य निर्माण करायें इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद । आज जो कृषि संबंधी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसे देखकर घोर निराशा हुई । देश में किसान का आर्थिक स्तर प्रति वर्ष गिरता जा रहा है । आज उसकी बुरी दशा हो गयी है । 1970-71 के आंकड़े देखें तो 88-89 तक जो कृषि उत्पादनों के दाम बढ़े उसके हिसाब से यह बढ़ोत्तरी 2.25 प्रतिशत थी, खेती में काम आने वाली वस्तुएं और घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उसमें 3.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आज किसान गरीब होता जा रहा है, धनवान और अमीर होता जा रहा है । यदि आर्थिक विषमता ऐसे ही बढ़ती रही तो किसान का क्या-क्या होगा ? आज अगर किसान को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा तो उसकी हालत गिरती जायेगी । जब इस देश के किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, अगर 1967 के उस वर्ष को आधार वर्ष मानकर किसानों की उपज का दाम निर्धारित करें तो किसानों को उचित दाम मिल सकता है । आज प्रदेश में गेहूं के विषय में किसान लूटा जा रहा है । उनको कम से कम 350 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलना चाहिये । चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों किसान विरोधी हैं । आज जब बाहर से 540.00 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 10 लाख टन गेहूं मंगाया जा रहा है । क्या आप कम से कम 350.00 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम किसानों को दे सकेंगे ? यहां का जो चावल है, धान के रूप में विदेशो में जा रहा है । अच्छी-अच्छी बासमती धान की जो जातियां हैं, उनका बीज दूसरे देशों में पहुंच जायेगा । आज मेरी मांग है कि अगर धान बाहर भेजा जाय तो चावल के रूप में भेजा जाय । किसानों द्वारा बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यकतानुसार उसके लिये भंडार बनाये जायं । समर्थन मूल्य फसलों की बुवाई से पहले निर्धारित किया जाय हरियाणा व पंजाब की तरह बासमती धान पर लेवी न लगायी जाय । किसान के साथ यह जो धोखा प्रदेश की सरकार कर रही है कि बड़े-बडे पूंजीपतियों को तो कारखाने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है लेकिन किसान अगर धान मशीन लगाना चाहता है, तो उसके लिये लाइसेंस की आवश्यकता है ।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय । मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत दो तरह की कृषि शिक्षा आप चलवा रहे हैं, एक एग्रीकल्चर कालेजों में और दूसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर को 13 करोड़ 90 लाख रुपये का अनुदान मिलता है । इसी तरह से कानपुर में 9 करोड़ 82 लाख, फैजाबाद में 7 करोड़ 30 लाख का अनुदान मिलता है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कृषि में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है एक कृषि कालेज में दी जा रही है, दूसरी कृषि विश्वविद्यालय में दी जा रही है उससे आप दो तरह के कृषि स्नातक पैदा कर रहे हैं । क्या यह सही मापदण्ड है । मैं कहना चाहता हूं कि इस दोहरी कृषि शिक्षा नीति को समाप्त कीजिये । मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश है उसको एग्रीकल्चर के हिसाब से

विभिन्न जोन में बांट दीजिये, जैसे सिंचाई विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में बंटा हुआ है, इसके पांच जोन बनाये जा सकते हैं बुन्देलखण्ड, पश्चिमी, मध्य पूर्वी तथा एक पहाड़ी क्षेत्र के लिये बना दीजिये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। पंतनगर की भूमि तथा जलवायु वहां से भिन्न है, वहां जो प्रजातियां विकसित की जाती हैं, वह पश्चिमी क्षेत्र के लिये उपयुक्त नहीं होती हैं। मेरा अनुरोध है कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, जो जनता डिग्री कालेज है बड़ौत में, उसको आधार मानकर कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाय, मेरठ में जो कृषि कालेज हैं, उसको उस कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाय। मेरा यह भी कहना है कि जितना कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है, उसी आधार पर इन कृषि कालेजों को भी उतना ही अनुदान दिया जाय। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कृषि कालेजों को बन्द कर दीजिये उनकी आवश्यकता क्या है आप इस तरह से दो तरह का मापदण्ड अपना रहे हैं।

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

आपने जो मण्डी समिति बनायी है उसमें आर० एस० एस० के लोगों को जो गैर किसान हैं आपने भर दिया है आप बड़ौत की मण्डी को देख लें उसमें 11 में से 8 गैर किसान हैं और जो तीन किसान हैं वह भी किसान की परिभाषा में नहीं आते हैं। नान कमीशन एजेन्ट को आपने मंडी समिति का अध्यक्ष बनाया।

श्री अध्यक्ष–

आप अब समाप्त करें।

श्री महक सिंह–

आपने बड़ौत की मण्डी का 50 लाख रुपये लखनऊ मंगवा लिया इसमें मण्डी समिति क्षेत्र की सड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या वहां के लोगों के साथ यह सौतेला व्यवहार नहीं है आप इसे दूर करने की कोशिश करेंगे।

जो भूमि परीक्षण का कार्य हो रहा है प्रदेश में उसमें आंकड़े फर्जी हैं। जैसे मेरठ क्षेत्र में जो सायल टेस्टिंग का कार्य है वह किसी दूसरी एजेन्सी से जंचवाया जाय ताकि पता चल सके कि सही आंकड़े हैं या नहीं। सरकारी फार्मों में भी फर्जी आंकड़े हैं वहां फर्जी तरीके से तमाम लूट हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, सरकारी फर्मों पर फसलों का जो लागत मूल्य है उसी के आधार पर कृषि मूल्यों को निर्धारित करें उन फसलों के मूल्यों को निर्धारित करें। कृषि सहायकों की नियुक्ति के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 1987 में उनका चयन हुआ था 4 साल लटकाकर रखा उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया तब जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया इस अवधि में वे जो किसानों की सहायता कर सकते थे में, क्या उससे रुकावट नहीं आयी। आलू के विषय में कहना चाहता हूं कि किसानों हेतु आलू का समर्थन मूल्य घोषित करें। नये केन्द्र खोले जायें शीत गृहों की भण्डारण क्षमता बढ़ायी जानी चाहिये जिससे कि आलू के जो उत्पादक किसान हैं उनको सहायता मिल सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों को वित्तीय सहायता दी जाये जिससे वह प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकें और बाजार में अपनी

वस्तुओं को बेच सकें। एक बात बीज के बारे में कहना चाहता हूं कि बीज के दाम कम किये जायं जो टी० डी० सी० है वह अधिक मूल्य पर बीज बेच रही है उसे भी नियंत्रित किया जाये। भूमि के अदिग्रहण के बारे में कहना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण में किसानों का शोषण हो रहा है और मनमाने तरीके से लूट हो रही है किसानों को भूमि अधिग्रहण में बाजार भाव का दाम दिलाया जाये और डेवलपमेंट चार्ज है उनको काटकर एक बटा चार दिया जाये। उनके किसानों के बच्चों को जो नियम हैं उसमें सरकारी नौकरियों में रखा जाये। कृषि अनुसंधान संस्थानों में जो रिसर्च हो रही है एक फसल चक के आधार पर तो उसमें ऐसी व्यवस्था की जाये कि पूरे फसल चक का अनुसंधान कार्य किया जाय और जो रिसेन्ट टेक्नोलोजी डेवलप हुई हैं, उनको किसानों तक पहुंचाया जाये जिससे किसानों को फायदा पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं और दो तीन सुझाव कृषि विभाग के संबंध में देना चाहता हूं। मान्यवर, कृषि विभाग का कार्य कृषि का उत्पादन बढ़ाना और कृषि के विकास कार्यों के संबंध में योगदान देना है। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है, कृषकों के हित से सीधे ने जुड़कर, कृषि विभाग जो करोड़ों रुपया खर्च होता है उससे किसानों को लाभ नहीं होता है। सरकार अपने आंकड़े दे देती है। कृषि उत्पादन के संबंध में अधिकारियों द्वारा जो आंकड़े दे दिये जाते हैं उस पर यह लोग स्वयं अपनी पीठ थपथपा देते हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि कृषि विभागं एक समन्वय की भूमिका अदा करे क्योंकि कृषि से सिंचाई जुड़ी है। अगर कृषि को पानी नहीं मिलता है तो लाख विज्ञापन देते रहें, बगैर पानी के उपज बढ़ने वाली नहीं है। इसी प्रकार बिजली है। अगर वह समय से नहीं मिलती है, जैसी कि घोषणायें करते हैं, तो कृषि का कार्य उससे प्रभावित होता है। इसी तरह से अन्य विभागीय मामले हैं जो इससे सीधे जुड़े हुये हैं। तो कृषि विभाग को सीधे काम न करके एक कोआरडीनेटर की भूमिका अदा करनी होगी जो कृषि विभाग के नम्बर एक के अधिकारी हैं वह सिंचाई विभाग के अधिकारी के साथ, बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय करके कृषि विभाग को उन्नतिशील बनाने का प्रयास करें। मान्यवर, जब तक कृषि विभाग इस स्थिति में नहीं पहुंच जाता कि किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके तब तक किसान हतोत्साहित रहेगा और इस पर भी कृषि उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है पानी समय से नहीं मिल पा रहा है एक बात खासतौर से मैं कृषि यंत्रों के बारे में कहना चाहूंगा। जो डीजल के पम्पसेट चलते है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि आप लखनऊ की लाटूश रोड में जो दुकानें हैं उनमें देख लें, 6 हजार रुपये का मिल जायेगा लेकिन बैंक के माध्यम से जब उसे लिया जाता है तो उसकी कीमत 8 हजार रुपये आती है। मैंने इस संबंध में कई बार सरकार को लिखा भी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो पम्प सेट के सप्लायर हैं वह कहते हैं कि हमें बैंक को भी देना पड़ता है और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी देना पड़ता है। जो ट्रैक्टर दिलाये जाते हैं उसे सस्ता करायें और अगर उसे सस्ता नहीं करा सकते हैं तो अन्य कोई और उपाय निकालें जिससे कृषि को आधुनिक बनाने में सहायता मिल सके। इस तरह की कोई ठोस कार्यवाही की जाये इसका यह संकल्प प्रस्तुत करें।

मान्यवर, बिजली की आमद है नहीं, ऊपर से आपने उसकी कीमतें बढ़ा दी, जिससे कृषि उत्पादन पर बड़ा खराब असर पड़ा है। होना यह चाहिये कि आप कृषि की उत्पादन लागत को घटाते। वह तभी संभव है, जब आप सिंचाई सस्ती करें, बिजली सस्ती करें, कीटनाशक दवायें सस्ती करें, कृषि यंत्र सस्ते करें, समय पर बीज उपलब्ध करायें और वह भी सस्ते उपलब्ध करायें। मान्यवर, कृषि उत्पादन मण्डी

समिति के नाम से आपके पास काफी धन है, जो किसान उत्पादन करता है, अगर उसकी मार्केटिंग ठीक से न हो तो उसको बिचौलिये बहुत तंग करते हैं और होता यह है कि किसी के पास अच्छी खासी फसल खड़ी है, गेहूं लगा हुआ है और तहसील वाले आते हैं और जूता लात मारकर लगान वसूली हेतु कालकोठरी में बन्द कर देते हैं । कृषि विभाग यदि सब विभागों के साथ समन्वय की भूमिका अदा कर सके, तो इससे ही काश्तकार का काफी लाभ हो सकता है । अगर काश्तकार की 20-25 बीघे की फसल लगी है तो उसके बेचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति के पास जो धन है, उसके संबंध में पूर्ववर्ती सरकारों ने एक योजना बनायी थी और कई सड़कों को स्वीकृत भी किया था । गांवों में जहां मंडियां हैं, वहां के लिये सड़कें बनायी जायेंगी, लेकिन इस सरकार ने उस काम को रोक दिया है, क्यों रोक रखा है, इसके बारे में माननीय कृषि मंत्री जी वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो बहुत कनिष्ठ हैं, जब जवाब देंगे तो इस बारे में साफ-साफ बतायेंगे । साथ ही हम लोगों को संतुष्ट करेंगे कि उन सड़कों के काम को तत्काल क्यों रोक दिया गया है । मान्यवर, यह सड़कें बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि किसान जो पैदा करता है, इन सड़कों के माध्यम से वह मंडियों तक पहुंच जायेगा । वैसे मान्यवर, उत्तर प्रदेश की हस्तरेखाओं में लिखा है कि बिना कृषि के विकास के प्रदेश के विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती । व्यापार विकास में सहयोगी अवश्य हो सकता है, लेकिन जब तक कृषि का, गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि इस धन को, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शेष जो क्षेत्र बचते हैं, विधान सभा क्षेत्रवार बराबर बंटवारा कर दें और इस धन का गांव से लेकिन मंडियों तक सम्पर्क मार्गों को बनाने के लिये उपयोग करें, तो इससे किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी । न सत्ता पक्ष के लोगों को न विपक्ष के लोगों को । मान्यवर, फसलों में आग बहुत लगती है और आप अवगत हैं कि खलिहान के खलिहान जलकर भस्म हो जाते हैं । इस संबंध में सहायता के बारे में जो नियमावली है, उसमें किसी के घर पर आग लग जाने पर अहेतुक सहायता देने का प्राविधान है, लेकिन गांव के किसान के लिये घर से ज्यादा उसका खलिहान होता है । घर में आग लगती है तो उसकी केवल झोपड़ी जलती है, लेकिन जब खलिहान में आग लगती है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है । आप उनके खलिहानों के लिये कोई बीमा योजना प्रारम्भ करें, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे दीनदयाल जी के नाम पर ही क्यों न हो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी । मान्यवर, खलिहानों में जो आग लगती है, उसके बीमा के लिये चाहे आप प्रीमियम जमा कर दीजिये, चाहे कोई और साधन करिये, चाहे जिलाधिकारियों को निर्देशित करिये । मान्यवर, अभी तक जिलाधिकारी अपने परगनाधिकारी के माध्यम से जो धन देते हैं, उसके अलावा यदि किसी की कुटी आदि जल जाती है, तो इस संबंध में उसे और कोई सहायता नहीं मिलती । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस फसल बीमा योजना को आप नये सिरे से परीक्षण करायें तथा ऐसा बनायें जिससे फसल के लिये वह अधिक से अधिक लाभकारी हो सके । मान्यवर, कृषि विभाग के संबंध में मैंने जैसा कि पहले ही निवेदन किया कि कृषि विभाग सीधी कोई भूमिका अदा नहीं कर सकता । इस बजट के माध्यम से जो आज आप स्वीकृति लेने वाले हैं, उससे निदेशालय के बड़े-बड़े अधिकारियों को जिनके नाम भी मैं नही जानता, किस-किस कोटि के, किस-किस तरह के अधिकारी इस विभाग में काम कर रहे हैं उनको वेतन दे सकते हैं, मोटर गाड़ी दे सकते हैं और बंगला दे सकते हैं, परन्तु किसान को सीधा लाभ आप नहीं दे सकते हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि प्रत्येक ब्लाक में 5 या 10 प्रगतिशील काश्तकारों को आप छांट लीजिए, चाहे वे जिस भी विचारधारा के हों, उनको आप बढ़िया बीज दीजिये उनको ठीक से पानी दीजिये और उन्हें कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, उनकी जानकारी दीजिये और इस सबके बाद आप एक नियोजित तरीके से उनके खेतों में आप इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित करें ताकि अगल-बगल के काश्तकार, जब उनके लहलहाते खेतों को देखेंगे तो उसकी नकल करेंगे, तभी आपका यह कृषि विभाग सार्थक भूमिका अदा कर पायेगा । क्योंकि आज भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जो गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं । इस प्रकार मेरे द्वारा भाषण देने के लिये खड़े होंगे तो इन सारी चीजों के बारे में बतायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री हरिश्चन्द्र–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । जनता की जो आशायें थीं, और जनता से जो वायदे किये गये थे, आज उन सभी चीजों का प्राविधान मंत्री जी ने बजट में किया है । अधिकारी जो आज तक जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता था आज वह पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से जनता के बीच पहुंचेगा । आज अधिकारी व जनता आमने सामने बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर पायेंगे । काफी समय से मण्डी समितियों में सरकार के प्रतिनिधि हावी थे, परन्तु मंत्री जी ने किसानों को नोमिनेट करके किसान के उत्थान हेतु मण्डी समिति की जिम्मेदारी को उनके कन्धों में देकर एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । जैसे कोई व्यक्ति जब अस्वस्थ होता है तो उसको आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन दे दें तो वह उसके लिये कारगर नहीं होता है । उसी प्रकार आज 44 साल तक, जो भी सरकारें पहले रहीं उन्होंने कभी भी गांवों और किसानों के बारे में नहीं सोचा जो योजनायें बनती थीं, वे गांवों तक नहीं पहुंच पाती थीं । इसका एक कारण यह भी था कि अधिकारी गांवों तक क्यों नहीं पहुंच पाते थे । अधिकारी गांव में क्यों नहीं पहुंच पाते थे । इसका भी कारण यह था कि गांव से गांव तक सड़क व रास्ते नहीं थे । मैं समझता हूं कि अगर गांवों में सड़क व बिजली दे दी जाय तो इससे गांव का विकास अपने आप होने लगेगा । क्योंकि गांव का किसान बहुत मेहनती होता है । वह सारे कार्य अपनी मेहनत से करता है । अगर स्कूल दूर है तो उसका बच्चा साइकिल चलाकर स्कूल जा सकता है, अगर अस्पताल दूर है तो वह मरीज को कंधे पर बैठाकर अस्पताल ले जा सकता है । परन्तु अगर जाने के लिये सड़क नहीं है और रास्ते में नदियां व नाले हैं तो वह अपने मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकता है । इसी प्रकार अपने खेतों के लिये खाद व रासायनिक दवाइयां नहीं ला सकता है । सुविधायें मिलने के बाद भी वह इन चीजों के अभाव में उन सुविधाओं को अपने गांव तक नहीं ले जा सकता है । इसलिये मैं गांव की जनता की ओर से और विशेषकर बहेड़ी की जनता की ओर से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर चारों ओर से नदियों का जाल बिछा हुआ है । गांव से गांव तक व न्याय पंचायत तक पहुंचना दूभर हो जाता है, तहसील तो बहुत बड़ी चीज है ।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

हम चाहते हैं जैसा सुझाव हमारे माननीय सुभाष चन्द्र पटेल जी ने एक प्रस्ताव के माध्यम से रखा कि नहरों की पटरियां पक्की कर दी जायं तो इससे दो फायदे होंगे एक तो नहरों की कटान नहीं होगी और दूसरा आने जाने के लिये सड़कें बन जायेंगी तो जब सड़कें बनेंगी तो गांव की तरक्की होगी । इससे माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्राविधान किये हैं, जिससे गांव के लोगों की जो आशायें थीं वह इससे पूरी होंगी, साकार होंगी । आज गांवों में लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति आम विश्वास पैदा हुआ है कि जो वायदा करके हम आये हैं वह पूरे होंगे । इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, हमारे सूबे में और देश में मुझे ऐसा लगता है आजकल एक नारा बहुत तेजी से लग रहा है पिछली और वर्तमान सरकार भी नारा लगाती है कि गांवों की ओर चलो । गांव की तरक्की किसान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की तरक्की, किसान, किसान की तरक्की गांव की तरक्की और गांव की तरक्की, देश की तरक्की । तो यह कहने का एक फैशन सा हो चला है । लेकिन कृषि की तरक्की के लिये कुछ किया नहीं जाता है । आज मैं माननीय कृषि मंत्री जी से उम्मीद नहीं करता था कि यह बुजुर्ग हैं कम से कम इनके भाषण में यह फैशन की बात नहीं होगी । लेकिन यह भी फैशन में चले गये ।

मैं दो तीन बातें कहकर अपनी बात खतम करूंगा । यह बात सही है कि किसानों की तरक्की के बगैर गांव की तरक्की नहीं हो सकती और गांव की तरक्की के बगैर हमारे देश की और खासकर हमारे प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है, बगैर इसके हमारे देश में खुशहाली आने वाली नहीं है । जब गांव का किसान अपना गेहूं बेचकर खाली कर देता है तो नम्बर दो का काम करने वाले कालाबाजारी करने वाले व्यापारी के पास जब गेहूं चला जाता है तो वह फिर 6 रु० किलो में बिकता है और किसान से वह गेहूं 2 रुपये में या ढाई रुपये में खरीद कर लाखों लाख रुपया लूटते कमाते हैं । करोड़ों और अरबों रुपया इस तरह से किसान की पैदावार से कमाते हैं । वे कालाबाजारी करने वाले उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता को लूटते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके लिये क्या व्यवस्था की है । गांव की तरक्की के लिये कौन सी व्यवस्था आपने की है । कौन सा आपने नियम बनाया है कि किसान के खरीदे गेहूं को ज्यादा से ज्यादा आठ आने या एक रुपये अधिक में वह बेचे । आज पाने तीन रुपये में गेहूं खरीद कर 6 रुपये किलो जो बेच रहे हैं तो क्या यह यही क्रान्तिकारी कदम आप उठा रहे हैं । हमारे उधर के साथी (सत्तापक्ष) क्रान्तिकारी कदम की बात कहते हैं । तो आप मुझे समझा दीजिये कि यह कौन सा क्रान्तिकारी बजट है जिससे आप आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे । आप कुछ नहीं करेंगे दो तीन साल में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । अगर सही माने में किसान की तरक्की चाहते हैं तो इस बात की गारन्टी कराइये कि किसान को उसके गल्ले का उचित दाम मिलेगा । बिजनेस करने वाला तो साल भर में मालामाल हो जाता है । नौकरी करता है तो मालामाल हो जाता है । घर पक्का बना लेता है लेकिन किसान झोपड़ी में रह रहा है, सदा उसी में रहता है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है । वह खेती से परेशान होकर खेती छोड़ने का मन बनाये हुये हैं और कहता है कि कुछ भी मिल जाये, नौकरी मिल जाये, चपरासी की ही नौकरी मिल जाय तो वह खेती छोड़कर उस काम को कर लेगा । कृषि मंत्री जी बुजुर्ग हैं, गम्भीर भी हैं, इसलिये मैं उनसे अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल आप इसके लिये कुछ कीजिए जिससे किसानों को अपनी पैदावार का वाजिब दाम मिले । जिस तरह से उसके प्रयोग की मशीनों, ट्रैक्टर, खाद बीज और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से सन्तुलन बिठाकर उसकी उपज का बढ़ा हुआ मूल्य उसे दिलाया जाय तब हम समझेंगे कि आप कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और आप देश और सूबे की वास्तव में तरक्की करना चाहते हैं । आप कहते हैं कि किसानों की भलाई का हमें खयाल है और आप यह भी कहते हैं कि उनकी भलाई में हम लोग (विपक्ष) घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो आंसू में भी मिलावट कर रहे हैं । अभी सब्सिडी खत्म हुई तो आपने क्या कर दिया सूबे की तरफ से । आप लघु और सीमान्त किसानों को यूरिया में वो सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन उसी तरह से लघु और सीमान्त किसानों को आप जो डाई खाद दे रहे हैं उसमें आप उसे सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं, लघु और सीमान्त किसानों को उनकी डाई खाद में सब्सिडी देकर आप क्रान्तिकारी परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे हैं । लघु सीमान्त किसानों को कम से कम डाई पर भी सब्सिडी दीजिये जैसे यूरिया पर दे रहे हैं । उससे आज छोटा किसान बड़े गुस्से में हैं । आप लघु और सीमान्त किसानों को गारन्टी दीजिये । वह डीजल पम्पिंग सेट लेना चाहता है तो उसे छूट मिलती है, लेकिन आप देख लीजिये और लघु सीमान्त किसानों से पूछ लीजिये यह सारा फायदा 80 फीसदी फायदा तो बड़े-बड़े किसान उठा रहे हैं । 20 प्रतिशत फायदा ही छोटे किसान उठा पाते हैं ।

भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के चलते छोटे किसानों के नाम पर इस छूट का अधिकतर लाभ बड़े किसान लोग उठाते हैं । माननीय मंत्री जी मैं आपसे आखिर बार निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की उपज की जाने स्टैन्डर्ड बीज है आप इसे पिछली सरकारों से दुगुना कर दीजिये । स्टैन्डर्ड बीज से उत्पादन बढ़ता है । इन कीटनाशक दवाओं को लघु और सीमान्त किसानों को आसानी से सुलभ कराइये, तभी सूबे में परिवर्तन होगा । मैं जिस जिलें में रहता हूं और हमारे सूबे का एक बहुत बड़ा भू-भाग सूखे और बाढ़ दोनों की चपेट में प्रत्येक वर्ष रहता है जिससे किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है । गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, गाजीपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र के जिले ऐसे ही इलाके हैं, जहां पर पहले जुलाई और अगस्त माह में बर्षा नहीं होगी और फिर सितम्बर में भयंकर बाढ़ आ जायेगी । तो वहां का किसान पहले सूखे से और बाद में बाढ़ से बर्बाद हो जाता है । हमारा कहना यह है कि फसल बीमा योजना लागू होगी या नहीं, और यदि लागू होगी तो जब आप गांव को इकाई मानकर चलेंगे तभी किसानों को फसल बीमा योजना से लाभ मिलेगा, वरना नहीं । वर्तमान में इस संबंध में आपकी व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है । गांव को इकाई मानकर फसल बीमा योजना को तत्काल लागू कीजिये । मेरे गांव में भयानक बारिश होने पर 2-3 फिट पानी भर जाता है जिससे हम लोग गांव नहीं जा पाते हैं । पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान होता है । इसलिये सरकार को मेरा सुझाव है कि फसल बीमा योजना को आप व्यापक बनायें । रोग लगने, बाढ़ और सूखा की स्थिति में हुई फसल की क्षति को भी इसमें शामिल करें और फसल बीमा योजना को लागू करें । चूंकि बजट में लिखा है कि फसल बीमा पर विचार किया जा रहा है इसलिये मैं यह भी चाहता हूं कि गांव को इकाई मानकर फसल बीमा योजना को तुरन्त लागू करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री विजय पाल सिह तोमर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृषि बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता खेतिहर है या खेती पर निर्भर करती है । इसलिये जब तक इस प्रदेश का किसान समृद्धिशाली नहीं होगा तब तक प्रदेश समृद्ध नहीं होगा । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह ने कहा था देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से निकलता है । इसलिये किसानों की समृद्धि के लिये कुछ आवश्यक चीजें हैं । मंत्री जी ने कुछ कदम इस दिशा में अच्छे उठाये हैं । जिसके लिये में उन्हें धन्यवाद देता हूं । लेकिन कुल मिलाकर यह बजट निराशाजनक है । मंत्री जी ने किसान सेवा केन्द्र की पंचायत स्तर पर स्थापना की जो घोषणा किया है वह स्वागत योग्य हैं । पंडित दीन दयाल उपाध्याय की याद में यह योजना बनायी गयी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में किसानों को जगाने वाला और किसानों के लिये लम्बी लड़ाई लड़ने वाला एवं जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लाने वाले चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

मान्यवर, कृषि की समृद्धि के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को समय पर अच्छा बीज, अच्छी खाद और अच्छी कीटनाशक दवायें तथा उपकरण मिलने चाहिये, इसके साथ ही साथ यह सभी चीजें सस्ती उपलब्ध करायी जानी चाहिये । मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि खेतों को पानी समय पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये । मान्यवर, गत वर्ष खाद और कीटनाशक दवाओं पर जब सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया गया था तो व्यापारियों ने खाद का स्टाक कर लिया था और उन्हें बाजार में महंगे दामों पर किसानों को बेचा और इस प्रकार किसानों को खाद सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी । मान्यवर, केन्द्र ने 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी जो दिया था उसका वितरण आपके कृषि विभाग सें न

होकर कोआपरेटिव विभाग से की गयी जिससे बड़े पैमाने पर धांधले बाजी हुई यदि इसका वितरण कृषि विभाग से होता तो अच्छा होता ।

मान्यवर, जैसा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने कहा कि कृषि विभाग का सिंचाई और ऊर्जा विभाग से बड़ा घनिष्ठ संबंध है इसलिये यदि समय से पानी उपलब्ध नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी । मान्यवर, जो सरकारी नलकूप हैं उनकी आज नालियां समाप्त हो गयी हैं । नालियां नहीं हैं । यदि सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग से सही सामंजस्य नहीं होगा कृषि विभाग का तो फसलों के लिये समय पर पानी उपलब्ध नहीं हो पायेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि खेती में काम आने वाले जितने भी उपकरण हैं उन पर कम से कम जो टैक्सेज लगाये जा रहे हैं, उन पर छूट होनी चाहिये । टैक्स फ्री होना चाहिये, ताकि किसानों को कुछ लाभ हो सके । मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी की ईमानदारी और किसानों के प्रति उनमें लगाव है किन्तु जिस व्यवस्था में वह फंसे हैं, उसमें मुझे शक है कि किसानों का कोई उद्धार कर पायेंगे । किसान जो फसल पैदा करते हैं किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल पाता है । अभी श्री ऊदल जी ने कहा था तो सत्ता पक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य ने विरोध भी किया था किसानों को उनकी फसल का तो सही दाम मिलना चाहिये ।

श्री ऊदल जी ने भी कहा था कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिये मैं इस पर बल देता हूं । अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाय तो इससे किसानों का भी बहुत भला हो जायेगा । किसान की लागत प्रति एकड़ क्या आ रही है और क्या उसके पास बचता है । अगर वह अपने श्रम को भी उसमें से निकाल ले तो उसके पास कुछ नहीं बचता है । इसलिये फसलों का दाम तय किया जाय । उसके पास लागत के बाद क्या बचता है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये । किसानों की लूट बाजारों में खुले आम हो रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मण्डी समितियों की ओर ले जाना चाहता हूं । यह मण्डी समितियां किसान का भला करने के बजाय उसका शोषण कर रही हैं । मण्डी समिति में मनोनयन नियम संगत नहीं हुआ है अधिकांश व्यापारियों को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है । गत वर्ष किसानों के गेहूं का सरकारी खरीद 2 रुपये 30 पैसे प्रति किलो था । उसके कुछ समय बाद बाजार में जब उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ा तो व्यापारियों ने उसे 6 रुपये किलो के हिसाब से बेचा । इस तरह से किसान को तो कोई फायदा नहीं हुआ व्यापारी ने जरूर दोनों तरफ से फायदा उठाया । सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे व्यापारी किसान और उपभोक्ताओं का शोषण न कर सकें । व्यापारी लोग जो स्टोर करके रखते हैं, उन पर छापा डाला जाय । इसके अलावा दो एक बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । भूमि संरक्षण विभाग की बात बता रहा हूं । मैंने व्यवहारिक रूप से देखा है । किसान यदि 10 रुपये का काम करता है तो उससे हजार रुपये की वसूली ली जाती है । भूमि संरक्षण विभाग में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है । इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुये निवेदन करूंगा कि कि किसानों का जो शोषण हो रहा है, इस पर रोक होनी चाहिये । उद्यान विभाग को ही लीजिये । इसमें भी भारी भ्रष्टाचार है । आलू का बीज किसानों को समय पर नहीं मिल पाता है । अभी माननीय ऊदल जी ने कहा था उस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरठ में अंगूर की खेती होती है । अंगूर से किशमिश बनायी जा सकती है । आलू से चिप्स बनाये जा सकते हैं इसलिये इस तरह से उद्योग लगाये जाने चाहिये । कृषि से पैदा होने वाली फसलों से उद्योग लगाकर किसानों को लाभ दिया जा सकता है । एक और अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं । मण्डी समिति का पैसा सड़कों पर लगाया जाना चाहिये । पिछले वर्ष वह नहीं लगाया गया ।

सड़क निर्माण होने से गरीबों को न किसानों को लाभ मिलता है । इसलिये निवेदन है कि भविष्य में इस पर ध्यान दें । अन्त में मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णबीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, अध्यक्ष जी आपने कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी द्वारा रखी गयी बजट की मांगों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता में से 74 प्रतिशत से अधिक कृषि पर निर्भर करती है । प्रतिवर्ष 22 लाख जनसंख्या बढ़ जाती है । उसका भी खाद्यान्न का व पालन पोषण करने का नैतिक दायित्व सरकार का बन जाता है इसके लिये हमारी प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के लिये उसकी पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज मुफ्त, मिट्टी की जांच, पानी की व्यवस्था, अच्छे कीटनाशक दवाइयां देने के लिये कार्यक्रम चलाये हैं । हमारी सरकार ने ''दीनदयाल अन्त्योदय योजना'' के अन्तर्गत किसान सेवा केन्द्र हर न्याय पंचायत में खोले हैं जिस पर शिक्षित किसान सहायक रहेगा इससे किसानों का व्यवहारिक हित होगा कि जैसे कब और कितनी खाद देनी चाहिये कब पानी देना चाहिये कीटनाशक दवाई कब लगनी चाहिये । मान्यवर, प्रदेश सरकार ने इस दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो सरकार जनता के द्वार तक पहुंचना है वह जनता के द्वार तक पहुंचना शुरू हो गया है । कृषि शोध एवं शिक्षा में सुधार करने के लिये, प्रदेश के जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता हैं किसान मजदूर हैं उनका विकास करने के लिये, हमारी सरकार ने क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं । इसमें छोटे किसानों को फल और सब्जी की खेती जो करते हैं, उसमें बढ़ोत्तरी करने के लिये अनेक योजनायें बनाई हैं । हमारी सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जो हमारे किसान मजदूर कृषि कार्य करते हैं, वह कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, अपंग हो जाते हैं किसी के दोनों हाथ कट जाते हैं । इसके लिये मान्यवर, हमारी सरकार ने योजनायें बनायी हैं । इस योजनाओं के द्वारा उन्हें अनुदान देते हैं । इस बीमे की किस्त का 41 लाख रु० मण्डी परिषद् द्वारा अदा कर दिया गया है । मान्यवर, कृषि रख-रखाव के लिये अनुदान पर टंकियां दी जा रही हैं । मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में एक बात कहना चाहता हूं कृषि पर आधारित जो उद्योग धन्धे हैं उनको ग्रामों में खोला जा सकता है । उनको ग्रामों में खोलने के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये तथा प्रोत्साहन की योजना बनानी चाहिये ।

मान्यवर, प्रदेश में भूमि विकास बैंक जो अब उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक के नाम से हो गये हैं इसमें भूमि बंधक रखी जाती है तब ऋण दिया जाता है इसमें स्टाम्प ड्यूटी में कमी की जाय । गरीब किसान इसमें पिस जाता है बड़ा किसान तो ट्रैक्टर के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से ग्रान्ट्स के आधार पर ऋण ले लेते हैं, लेकिन छोटे किसान उ० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी भूमि बंधक हो जाती है ।

मान्यवर, भारत कृषि प्रधान देश है । उत्तर प्रदेश की खेती के विकास के लिये जो भारत सरकार धनराशि देती है वह कम धनराशि होती है । कम योजनायें लागू होती है । राष्ट्रीयकृत बैंक से जो ऋण दिया जा रहा है वह कम दिया जा रहा है । इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री किशोरी लाल–

मान्यवर, पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने मुझे कृषि बजट पर माननीय ऊदल जी ने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, इसके बजट को देखने से मालूम हुआ कि

नारे तो बहुत लुभावने हैं और माननीय मंत्री जी से आशा थी कि आप भारतवर्ष के किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भी काम कर चुके हैं, परन्तु बजट को देखने से इसके ठीक उल्टा प्रतीत हुआ । नारे तो जरूर हैं चौधरी साहब ने कहा था कि जब गांव की उन्नति होगी, अगर खेत खलिहान बढ़ेंगे तो गांव की उन्नति से प्रदेश की उन्नति तब होगी । लेकिन वास्तव में क्या किया जा रहा है । जब सरकार सत्तारूढ़ हुई तो खरीफ की बुआई चल रही थी । हुआ यह कि उस समय जो कृषि बीज गोदाम से खाद मिलती थी, सहकारी गोदाम में दे दी गयी मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं कि 80 परसेंट लोग कोआपरेटिव के मेम्बर नहीं बनना चाहते इसलिये कि सहकारिता में इतना भ्रष्टाचार है कि काश्तकार को मालूम नहीं और उसके नाम से रुपया निकाल लिया गया । इसका अर्थ यह है कि माननीय मंत्री जी को शायद अपने विभाग पर भरोसा नहीं रहा । आज खाद और बीज के गोदाम खाली पड़े हैं, न तो दवा है, न खादें हैं, बल्कि यह सोसाइटी में बेच दिये हैं, क्या सोसाइटीज के द्वारा जो बीज और रक्षक दवायें बेची जा रही हैं, क्या काश्तकार को मिलती हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जिस प्रकार 1967 में संविद सरकार के समय दौरे पर गांवों और कचेहरी में चेक करते थे, आज आप किसी गांव में देख लें, सीमान्त किसानों और लघु सीमान्त किसानों को दवायें मिलती हैं या नहीं, आपके विभाग का अपने आप भण्डाफोड़ हो जायेगा कि कितना भ्रष्टाचार है दूसरे आज तक जितने उन्नतिशील बीज प्रमाणित करके भेजे जाते हैं, स्थिति यह है कि जहां से ये प्रमाणित बीज भेजे जा रहे हैं, वहीं से खरपतवार भी भेज रहे हैं । नई खरपतवार पैदा हो रही है और उनके लिये कोई दवा नहीं दी जा रही है । मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाली खरीफ की बीजों में देख लें या किसी भी गोदाम में देख लें, उन्नतिशील बीज में खर पतवार के बीज हैं कि नहीं, बीज सही है कि नहीं । वहां प्रमाणित बीज का खुलासा हो जायगा । दूसरी बात यह है कि किसान सहायकों की नियुक्ति की गयी । ये श्री नरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व मंत्री ने की थीं । लेकिन आज उनकी हालत यह है कि किसान सहायक गांव में भाषण देते हैं । क्या करें, उत्तरदायित्व क्या दिया है । क्या कोई उत्तरदायित्व आपने उनको सौंपा है । बीज का दाम ग्राम विकास अधिकारी धनराशि का आवंटन का काम पंचायत सेवक अधिकारी, आखिर किसान सहायक का क्या काम है जबकि बी० एस-सी० (ए० जी०) लिये गये थे । आप उन्नतिशील बीज उनके द्वारा बंटवा दें, उनको क्षान है कि ये जो बीज दिया जा रहा है, उससे उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं उसके लिये क्या-क्या दवा चाहिए यह भी बता सकता है कि धान के बीज की बुआई के लिये जून का प्रथम सप्ताह उपयुक्त है । लेकिन अभी तक न उसके लिये खाद, न उसके लिये बीज और न तो दवाइयां ही अपने जिले को आवंटित किया है ऐसी स्थिति में क्या आप कृषि उत्पादन को बढ़ायेंगे ।

हालत आज यह है कि जिस घर में अगर कोई बाहर काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, निश्चित है कि उसके घर की हालत खराब है, वह अपने परिवार को अच्छी तरह से सुबह-शाम की रोटी सही ढंग से नहीं खिला पा रहा है । जो खेती पर निर्भर कर रहा है, तो कम से कम मान्यवर, आप एक अनुभवी, अच्छे मंत्री हैं, अच्छे अधिकारी आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम जो ये कमियां हैं, भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, इसको आप कैसे रोक पायेंगे ? अभी स्व० दीन दयाल उपाध्याय जी का नाम लिया गया, लेकिन जो आपने उनके नाम पर योजनायें चलाई हैं, तो उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए था, जिसके पांव में बेवाई फटी है, उस बेवाई को आप बन्द करना चाहते हैं । इसका मतलब कि किसान को खुशहाल रखना चाहते हैं । हालत तो यह है कि आप की सरकार बड़े-बड़े कास्तकार और व्यापारियों की सरकार यह है, जिसके पैर में फटी बेवाई है, उसके लिये आप क्या कर रहे हैं, कृषि पर अधिक से अधिक धन देना चाहिए था, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी आपने बहुत कम दिया है आजकल किसान कृषि उपकरणों

पर आधारित है । टाटा मोबाइल्स का सेल्स टैक्स कम कर दिया गया उस पर छूट दे दी गयी । उस पर कमीशन मिलने वाला है । क्या आपने कृषि आधारित उपकरणों को सेल्स टैक्स पर कोई छूट दी ? क्या आपने उस पर कोई रियायत दी ? मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम यह जो किसान सहायक ग्रेजुएट हैं, उनसे कोई काम लें । उनका कोई उत्तरदायित्व फिक्स करें कि वह गांव में जाकर क्या-क्या करेंगे जिससे कि कृषि में उन्नति हो । इनके पास कोई काम न होने के कारण कृषि में गिरावट हो रही है । किसानों को राहत नहीं मिल रही है । बीज खाद तथा अन्य कृषि उपकरणों को जिन रेट्स पर आप दें उन्हीं रेट्स पर, वह किसानों को मिले । आप किसी भी बफर गोदाम को चेक कर लीजिये, वहां खादों के नाम पर पत्थर की छोटी गिट्टियों की मिलावट होती है । मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हम लोग एक ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जहां पर धन देने वाली एक देवी की पूजा होती है और वह धन देने वाली देवी की पूजा करने वाला प्रदेश अपने खाने भर का भी अन्न नहीं पैदा कर पाता है । जहां पर ऐसी देवी नहीं हैं वहां पर बहुत इतना अन्न पैदा होता है कि भारत जैसे दरिद्र देशों को अन्न दान देने के बाद भी बाजार भाव बनाये रखने के लिये अन्न को समुद्र में फेंकना पड़ता है । आखिर इसका कारण क्या है ? इसका कारण जहां पर जितने ही ज्यादा आदमी खेती में लगे होंगे वहां पर उतनी ही कम खुशहाली होगी, जहां पर जितने ही कम आदमी खेती में लगे होंगे वहां का आदमी उतना ही खुशहाल होगा । अमेरिका में 4-5 प्रतिशत लोग ही खेती में लगे हैं, इसलिये वहां का किसान खुशहाल है वहां पर खेती का दबाव कम है । हमारे यहां पर 80 प्रतिशत आदमी खेती पर लगा हुआ है । आप पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती पर 40 प्रतिशत लोग लगे हैं और 60 प्रतिशत लोग दूसरे धन्धों में लगे हैं, इसलिये वहां के लोग खुशहाल हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं और 20 प्रतिशत लोग दूसरे धन्धों में लगे हैं, इसलिये वहां के लोग अधिक सम्पन्न नहीं हैं । इसी प्रकार से आप परिवारों को देखें, जिस परिवार के 5 सदस्य हैं और वह सारे सदस्य खेती पर लगे हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं । और अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं और उनमें से एक सदस्य खेती करता है और 4 सदस्य अन्य कोई कार्य करते हैं तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, अगर आपको किसानों को खुशहाल बनाना है तो आपको कृषि पर आधारित उद्योग धन्धों को खोजना पड़ेगा, उनका पता लगाना पड़ेगा ।

हमारे यहां पर जो किसान हैं, उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो वह किसान हैं, जो भूमिहीन हैं । मान्यवर, किसान तो वही होता है, जो खेती करता है और जो खेती करना चाहता है उसके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, दूसरे सीमान्त किसान हैं, जिनके पास खेती करने भर के लिये जमीन नहीं है और व दूसरे की खेती करते हैं, तीसरे प्रकार के वें किसान हैं जिनके पास अपने भर के लिये खेती है और चौथे किस्म के वह किसान हैं जो बड़े किसान हैं और पांचवें किस्म के वह किसान हैं वह जो नये सामन्तशाह हैं । मान्यवर, एक विधान सभा की कमेटी बनायी गयी थी । मंगलदेव विशारद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी थी, उन्होंने एक सूची पेश की थी कि कितने लोगों के पास 10 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है इस देश में सीलिंग का कानून लागू है, लेकिन उन किसानों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । सीलिंग ऐक्ट में प्राविधान है कि सिंचित 18 एकड़ जमीन से कोई अधिक जमीन अपने पास नहीं रख सकेगा, लेकिन तमाम लोग रखे हुये हैं, उनके विरुद्ध

आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त जितनी जमीन पर खेती हो रही है, उससे दो गुना जमीन ऐसी है जो सरकार के पास और गांव सभाओं के पास पड़ी हुई है । गरीब खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं मिलती है और जमीन बेकार पड़ी हुई हैं, अगर उस जमीन को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दे दी जाये तो उनका जीवन यापन होगा और उत्पादन बढ़ेगा, इस प्रकार से देश अनाज के मामले में आत्म निर्भर होगा और जो विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता है, वह नहीं मंगाना पड़ेगा । लेकिन मान्यवर, एक दिक्कत है इनके सामने और वह दिक्कत यह है कि अगर यह जमीन उनको उपलब्ध करा देंगे तो उनके खतों पर कौन काम करेगा ? 10-10 हजार एकड़ के फार्म हैं, उन पर यह कितना काम करेंगे । तो इस तरह से आज जो एक बात कही जाती है कि खेती में खाद, बीज और पानी का दाम सस्ता होना चाहिये और कृषि उत्पादक वस्तुयें महंगी होनी चाहिये, तो मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में 80 प्रतिशत जमीन एक जीत विशेष के लोगों के पास है और 94 प्रतिशत जमीन 15 प्रतिशत ऊंची जाति के लोगों के पास है तथा 6 प्रतिशत जमीन 85 प्रतिशत इन्सानों के पास है । अगर कृषि उत्पादक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो इससे फायदा उनका होगा जिनके पास ज्यादा जमीने होंगी, एक दो बिस्वा वालों को कोई फायदा नहीं होगा । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और यह मेरे दल का सुझाव है कि खाद, बीज, पानी का दाम आप सस्ता करें और कृषि उत्पादक वस्तुओं का दाम महंगा करें उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन इसके साथ-साथ अगर आपको गरीबों पर सहानुभूति है और सचमुच अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय को आप उदय करना चाहते हैं, उनके पांव की बिवाइयों को भरना चाहते हैं, तो खेतिहर मजदूरों के पसीने को महंगा करना होगा इसका परिणाम यह होगा कि जो खेती में काम करने वाले लोग हैं वह खुशहाल होंगे तो इससे जो दूसरे लोग हैं, जो खेती नहीं करते हैं वे कंगाल होंगे तो मजबूर होकर जब शतप्रतिशत लोग इस देश में मेहनत करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा और देश प्रदेश ज्यादा खुशहाल होगा ।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो स्थिति है अन्न के विपणन की वह जिस समय किसान के घर पर पैदा हो जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है और जब वह पूंजीपतियों के घर पर या जामाखोरों के घर पर पहुंच जाता है तो कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं, तो ऐसे विचौलियों पर रोक लगानी होगी । विपणन के अभाव में अगर कोई पैदा भी कर लेता है तो उसको कोई खरीददार नहीं मिलता है । वह कौड़ियों के भाव बिकता है इसलिये इस पर ध्यान देने की जरूरत है । मेरा सुझाव है कि जब अन्न किसान के घर पर पैदा होता है और उसके बाद जब वह बाहर जाता है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10–15 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी होनी चाहिये । और जो यह दूने तिगने दाम बढ़ जाते हैं इस पर रोक लगनी चाहिये । इसके साथ ही मैं माननीय ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुधाकर वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे इस माननीय सदन में आज कृषि बजट पर बोलने की आज्ञा प्रदान की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय आय का 43 प्रतिशत अर्थ हमको कृषि से प्राप्त होता है और इस प्रदेश की 74 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और यहां का मुख्य धन्धा कृषि है । कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो पिछले दिनों में अपना योगदान दिया है वह बहुत सराहनीय है । बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन एवं उपकरण कृषि यंत्रों का जो पिछले समय में अभाव रहता था वह किसानों

को मुहैया कराया गया है । वर्ष 91-92 में खरीफ की फसल की लक्ष्य की पूर्ति की ओर शासन द्वारा विशेष प्रयास किया गया है ।

(इस समय 4 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जिसके अन्तर्गत कृषि यंत्रों की समुचित व्यवस्था एवं नवीन कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । वर्ष 1991-92 की खरीफ में अवर्षण की स्थिति रही । क्योंकि जून के दूसरे सप्ताह के उपरान्त लगभग छः सप्ताह के लम्बे अन्तराल तक वर्षा न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिससे धान की फसल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था उसके लिए सरकार ने राजकीय नलकूपों और नहरों द्वारा जो सिंचाई की थी तो 15 जून से 10 जुलाई तक निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था कराई थी । खरीफ की फसल के समय बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन आदि के अलावा लघु एवं सीमान्त कृषकों को यूरिया उर्वरक का वितरण बजट पूर्व के दामों पर किया जा रहा है जिससे सीमान्त और लघु सीमांत कृषक लाभान्वित हुए । रवी, 1991-92 के लिए 4.76 लाख कुन्टल बीज का लक्ष्य रखा गया है जबकि गत वर्ष 4.56 लाख कुन्टल बीज वितरित हुआ था । इसी प्रकार 16 लाख मी० टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है जबकि गतवर्ष 14.18 लाख मी० टन उर्वरक वितरण हुआ था । कृषि निवेशों के क्रय हेतु किसानों को इस वर्ष रबी में 60 हजार 35 लाख रुपया फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है जबकि गतवर्ष 38 हजार 487 लाख रुपया फसली ऋण वितरण किया गया था । भारत सरकार द्वारा निर्धारित उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति द्वारा सम्भावित व्यापक सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से राज्य के सीमित संसाधनों में से 9.37 रुपया प्रति बोरा अनुदान उपलब्ध कराया । 25 सितम्बर, 1991 से ग्रामीण सचिवालयों की स्थापना की है ।

जहां पहले विकास खण्ड स्तर पर अधिकारी मिला करते थे वहां अब वे पंचायत स्तर पर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहा करेंगे । उत्तरांचल में वारानी खेती की तरफ पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया था इस सरकार ने वारानी खेती के बारे में भी आवश्यक कदम उठाये हैं । 10 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि का सुधार, 500 हेक्टेयर कृषि अयोग्य बीहड़ बंजर में वनीकरण कराया है । इस प्रकार से ऊसर सुधार किया जा रहा है । राज्य में भूमि सुधार योजनाओं के माध्यम से लगभग 76 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं । कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने तकनीकी शिक्षा का प्राविधान किया है । दीनदयाल रोजगार योजना के अन्तर्गत इस सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । मैं अपने जिले की समस्या की तरफ आपका धान आकर्षित करना चाहूंगा । निधौली कलां विधान सभा क्षेत्र मेरा पड़ता है वहां पर बहुत ऊसर है । ऊसर सुधार की योजनाएं चल रही हैं । मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र में अधिक ऊसर होने के कारण इस बार कोई प्रभावी योजना चलाई जाय ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । जहां तक मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों के निर्माण की बात है मैंने पिछली बार देखा है कि दो-दो कोट मिट्टी डालकर ही लेपन स्तर तक पहुंचा दिया जाता था । इस सरकार के समय में क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हुई है इसके साथ ही जो मा० मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री अखिलेश–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मा० कृषि मंत्री जी जो सज्जन हैं, ईमानदार हैं उन्होंने बजट प्रस्तुत किया जब प्रस्तुत कर रहे थे उनहोंने कहा कि गांव उठेगा तो देश उठेगा । गांव कैसे उठेगा मैं समझ रहा था कि मा० मंत्री जी जब कृषि का बजट प्रस्तुत करेंगे तो कृषि नीति की घोषणा अवश्य करेंगे लेकिन उ० प्र० जैसे विशाल

प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है, इसमें कृषि नीति की घोषणा करने का कष्ट नहीं किया । देश की आजादी के बदले अब तक अगर खेती पर नजर डाली जाय तो अपनी मेहनत और लगन के द्वारा प्रदेश के किसानों ने प्रदेश को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि आज उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों को भी अनाज भेज रहा है । लेकिन किसान आज पहले से भी ज्यादा खराब स्थिति में चला गया है । कृषि के प्रकाण्ड विद्वान कवि घाघ थे उन्होंने कहा था "उत्तम खेती मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान" । किसी समय कृषि सर्वोत्तम पेशा समझा जाता था । आज यह निकृष्ट पेशा हो गया है । मेरा मा० मंत्री जी से कहना है कि इस स्थिति पर नजर डालें जब तक उत्तर प्रदेश में कोई कृषि नीति निर्धारित नहीं करेंगे तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है ।

आज गेहूं बाजार में आ गया है । केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य 250 रुपये निर्धारित किया है 25 रुपये की दर से बोनस की घोषणा की है । यह लागत मूल्य से भी कम है । पंजाब और हरियाणा सरकारों ने 50 रुपये और 25 रुपये प्रति कुन्तल बोनस देने का फैसला किया है । उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्य मंत्री ने अभी तक बोनस देने का कोई निर्णय नहीं लिया है । इस प्रकार इन्होंने अपनी किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है । आज लागत मूल्य से कम पर जब किसान गेहूं बेचेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी । आज किसान को लागत मूल्य से भी कम मूल्य मिल रहा है । कृषि विश्व-विद्यालय के आंकड़ों को दिखवा लें और आंकड़ों के मुताबिक ही मूल्य दे दें तो शायद किसान का भला हो जाये । आज 350 रुपये प्रति कुन्तल की दर से किसानों को गेहूं का मूल्य मिलना चाहिये । मैं आरोप लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और केन्द्र सरकार दोनों अमेरिका के इशारे पर कार्य कर रहे हैं । आज अमेरिका की साजिश है कि भारत में उत्पादन को इतना प्रभावित कर दिया जाय कि बाजार में गेहूं न मिले । प्रधान मंत्री राव साहब ने कहा कि विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ेगा । नई फसल आ गयी लेकिन गेहूं की जरूरत नहीं पड़ी । प्रधान मंत्री का जो वक्तव्य था वह विदेशी ताकत के दबाव में था । हमारे देश में गेहूं काफी है लेकिन जब वह सरकारी क्रय केन्द्रों पर ऊंचे मूल्य पर नहीं जायेगा और बिचौलिये अधिक दाम देकर खरीदेंगे और खरीददार विचौलिये ऊंचे दाम पर बेचेंगे और मनमाने दाम लेंगे तो सरकार उसे नियंत्रित नहीं कर पायेगी । इसलिये गेहूं का उचित मूल्य किसानों को देकर कम से कम 350.00 रुपये प्रति कुन्तल देकर सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीदने की आवश्यकता है । अगर सरकार चाहती है कि उ० प्र० सरकार इस मामले में ईमानदार है तो तत्काल गेहूं पर बोनस देकर के किसानों को राहत दे, सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीदे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

मान्यवर, मंडी समितियों में पूर्व में जो व्यवस्था थी कि जितनी मंडी समितियों की आय होती थी उनसे उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य होता था । विगत 10 माह से देख रहा हूं कम से कम अपने निर्वाचन क्षेत्र में देख रहा हूं 20 लाख की आय मंडी समिति में पड़ी हुई है । जिलाधिकारी के माध्यम से, मण्डी समिति के माध्यम से मंत्री स्तर तक प्रस्ताव आ चुके हैं लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है । इस पर मंत्री जी ध्यान देने का कष्ट करें । मान्यवर, अभी खलिहानों में भयंकर रूप से आग लगी किसानों का सब कुछ जल गया किसानों के घरों में खाने के लिये कुछ नहीं बचा है । पूर्व सरकार ने खलिहान बीमा योजना शीरू की थी, मैं चाहूंगा कि यह सरकार उसी तरह से खलिहान बीमा योजना को लागू करने का कष्ट करें । इसी के साथ माननीय ऊदल जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, खाद के और उसके कई घपलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं आपने छोटे कास्तकारों के लिये खाद सहकारिता के जरिये से बटवाई है इसमें करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। आपने सुना अन्य लोगों से भी खाद के घपले के मामले, मेरी राय है कि इस तरह से जो लम्बे घपले होते हैं उसको केवल गम्भीरता से सुनकर साफ नहीं करना चाहिये बल्कि इसकी एक इन्कवायरी कमेटी बिठाकर चाहे उसमें विधायक हो जायं या चाहे किसी विभाग के जरिये से करायें वह देखें कि जो लोग दोषी हैं उनको इसमें सजा मिलनी चाहिये। मान्यवर, किसानों के उस वर्ग की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बाग मालिकान के नाम से जाने जाते हैं आम और अमरूद उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादात में होता है।

आम की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें एक्सपोर्ट से भी बाहर से पैसा आता है लेकिन उनके काश्तकार उनके बाग मालिकान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है कि वे एक दिन में एक रात में वे किसान उस निशाने पर पहुंच जाते हैं जहां उनके लिये रोटी खाना मुश्किल होता है। बागों में जहां एक बार आंधी और ओला पड़ गया था जो बीमारियां चलती हैं उससे पूरे के पूरे बाग साफ हो जाते हैं मैं जानता हूं रायबरेली से लेकर मलिहाबाद, लखनऊ के आस-पास उसके बाद फर्रुखाबाद के आस-पास यह पूरी बेल्ट आमों के बागों की तबाह हो चुकी है। दवाओं के छिड़कने के लिये जो बागों में स्प्रे होता था वह ऐसी नकली दवायी थी कि जो सब्सिडी के नाम पर किसानों को दी गयी, वह बाग की बीमारी दूर होती उसके बजाय उससे बीमारी की बढ़ोत्तरी हुई है। लसे की बीमारी जिसे हापर कहते हैं उससे बाग साफ हो गये। जो बाग मालिकान हैं आम अमरूद के जो उन फसलों से साल भर की रोटी की आशा करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाय, कोई ऐसा अनुदान दिया जाय या कोई इंश्योरेंश स्कीम लागू की जाय जिससे कि वह बाग मालिकानों की फसल खत्म हो जाय तो साल भर की रोटी से बच्चों का पेट भर सकें।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि मण्डी समितियों की बात हमारे साथियों ने कही है। मण्डी समिति एक ऐसी चीज थी जिससे किसानों का शोषण रुक सकता था। व्यापारी लोग शोषण न कर सकें इसके लिये मण्डी समितियां बनाई गयी थीं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत मण्डी समितियों के जो अध्यक्ष बनाये गये हैं, वह व्यापारी वर्ग से बनाये गये हैं जो शोषण कर रहे हैं किसानों का, आज व्यापारियों के हाथ में यह मण्डी समितियां चली गयी हैं, और इस प्रकरण से किसानों का शोषण हो रहा है, आज वहां पर सड़के नहीं बन पा रही हैं। आज उनके अध्यक्षों द्वारा सड़कें वहां पर बनायी जा रही हैं, जो उनके जानने वाले हैं या जहां पर उनके घर हैं। इस तरह से किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इजहार आलम खां–

एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो किसान का रुपया मण्डी समिति में बकाया है इस रुपये से ये लोग अपने ऐसो-आराम के लिये खर्च कर रहे हैं, और ज्यादातर मण्डी समितियों में एक प्रस्ताव पास हुये हैं कि उनके अध्यक्षों के लिये एक कार और एक जीप ली जाये जिसमें चार-पांच लाख रुपये का व्यय होगा । ये लोग किसानों का करोड़ों रुपया पेट्रोल और डीजल में बहा देंगे, तो मेरी राय यह है कि इस तरह के कामों को रोका जाय । एक बात और कहना चाहता हूं जो हैरत की बात होगी और जिस तरह का यह काम विभाग कर रहा है उसमें कितनी तेजी है उसका आपको अन्दाजा मिल सकेगा । मेरे क्षेत्र कायमगंज में एक पितौरा गांव के अन्दर बीज भण्डारण के लिये एक इमारत है, जिसमें दो कमरे हैं, एक बरामदा है और एक सहन है । यह सन् 1960 से बना हुआ है और उसमें एक परिवार आज तक रहता है और बड़ी शान से रहता है । उस वक्त वह चार थे अब बीस हो गये हैं और वह बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस इमारत का कोई इस्तेमाल बीज भण्डारण के लिये या कृषि पर नहीं किया गया है । मैंने अपने गांव की मिसाल दी है इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी ही कृषि विभाग की इमारतें होंगी जो बेकार पड़ी होंगी, टूटी होंगी या उनका गलत इस्तेमाल हो रहा होगा । इनहीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री माम चन्द्र–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह किसानों के लिए लाभकारी और हितकर है, मैं उसका अभिनन्दन करता हूं । मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि के विकास के लिए कारगर कदम उठाये हैं इसके लिए 426 करोड़ रुपये सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 455 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है । सहकारी क्षेत्र में तिलहन विकास हेतु 36.40 करोड़ रुपये लागत की परियोजना, निःशुल्क बोरिंग योजना के विस्तार के लिए 55 करोड़ रुपये का परिव्यय, 1.27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सिंचन व्यवस्था मात्र पैदा करने की व विपणन व्यवस्था के प्रसार के लिए 20 मुख्य मंडियों, 2 उप मंडियों, 2 फल मंडियों व सब्जी मंडियों तथा 75 ग्रामों के निर्माण कार्य का प्राविधान रखा है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही सराहनीय बजट रखा है इससे किसानों को लाभ होगा, भूमि की उपज बढ़ेगी और जो किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है इससे उत्पादन में वृद्धि होगी । मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । उत्तर प्रदेश जिसमें 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है उनका उद्धार होगा, यह बजट इस बाद की ओर लक्षित है । साथ ही इस बजट से कृषि का हर प्रकार से विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । इससे जरूर किसानों को लाभ होगा और कृषि की उन्नति होगी ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जैसा हम सभी जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश तथा प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है । कृषि आधारित इस अर्थ-व्यवस्था को सुचारुरूप से चलाने के लिये एक प्राथमिक इकाई के रूप में यह भी सोचा गया कि कृषि उपज का सही मूल्य काश्तकार को मिल सके, कृषि उपज का सही विपणन हो सके, इसीलिये मण्डी समितियों की स्थापना की गई और यह सोचा गया कि मण्डी समितियों में काश्तकारों के चुने हुये प्रतिनिधि हुआ करेंगे, जो किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि यह सरकार किसानों के कल्याण की तो बहुत बात करती है, लेकिन इसने अपने हर कदम से यह साबित कर दिया है कि किसानों के सुख-दुख से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, बल्कि मण्डी समितियों में इन्होंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग किया है और मण्डी समितियों का चुनाव न करा कर उसमें कई जगहों पर अपने राजनीति के लोगों को बिठा दिया है, जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग बैठा दिये गये हैं, जो यह भी समझ नहीं पाते हैं कि कृषि किस तरह, किस मौसम में, कब, कहां और कैसे होती है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने पहले ही कहा कि कृषि एक ऐसा विभाग है, जिसे अन्य कई विभागों से कोआर्डिनेट करना पड़ता है और इसका विशेष रूप से संबंध सिंचाई से है। मान्यवर, जब मैं सिंचाई की बात करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान मंत्री जी का पर्वतीय क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहूंगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई प्रति ट्यूबवेल रख-रखाव का जो पैसा मिलता है, वह मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से ही मिलता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों, तराई के क्षेत्रों में वाटर लेबिल काफी नीचे होता है अधिक गहराई तक बोरिंग कराना पड़ता है, अधिक अश्व शक्ति का मोटर लगता है और मोटर आदि की मरम्मत के लिये ज्यादा धन की आवश्यकता होती है।

मान्यवर, अभी जो भूकम्प आया, उससे हमारा चकराता विधान सभा क्षेत्र जो है, वहां एक नहर है, उसका भूस्खलन के कारण हेड टूट गया और कीकरी मरलऊ और रवत सेली के अनेक गांवों की काफी बड़ी क्षति हुयी है, इन क्षेत्रों में पिछली फसल पूरी की पूरी तबाह हो गयी। मैं कहना चाहूंगा कि इन काश्तकारों को जिनकी फसल को सिंचाई न होने के कारण नुकसान हुआ है उन्हें राहत दिलाई जानी चाहिये। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दर कृषि के अतिरिक्त बागवानी का बहुत बड़ा हिस्सा है और जनपद देहरादून ऐसा पहला जनपद है, जहां पर चाय विकास की बड़ी सम्भावनायें हैं, बड़ा पोटेन्शियल है। लेकिन खेद है कि माननीय मंत्री जी के इस बजट भाषण में जनपद देहरादून में चाय उत्पादन के संबंध में कोई कारगर योजना नहीं बताई गई है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जनपद देहरादून के अन्दर चाय बागान के लिये इस्टहोप टाउन, आरकेटिया व गुडरिच के चाय बागों में एक-एक में ट्यूबवेल की स्थापना की जाय, वहां सिंचाई के अभाव में विकास नहीं हो पा रहा है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय तथा चाय उत्पादन बोर्ड वहां योगदान करने को तैयार है, अगर कृषि विभाग व उद्यान विभाग इस संबंध में पहल करे तो चाय बागान की इस योजना को कार्यरूप में बदला जा सकता है। मान्यवर, आज पहाड़ों के अन्दर सबसे बड़ा कृषि कार्यक्रमों का एक पहलू है भूमि संरक्षण। आकड़ों के हिसाब से कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भूमि संरक्षण का काम किया जा रहा है। परन्तु किस हद तक इस भूमि संरक्षण के कार्य में अनियमिततायें बरती जा रही हैं, इसकी किसी न किसी रूप में सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर विकास खण्ड विकास नगर व सहसपुर में आसन नदी व टोंस नदी से लगे हुए जितने गांव हैं, हर बरसात में बरसाती नालों से भूमि का कटान बहुत तेजी से होता है, इसी प्रकार शिवालिक रेंज से जितने बरसाती नाले निकलते हैं और मसूरी के पहाड़ों से जितने बरसाती नाले निकलते हैं, उससे बड़े पैमाने पर भूमि का कटान होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। भूमि कटाव के रोकथाम के लिए कारगर योजना बनवाने की कृपा करें।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने आलू विकास योजना की बात कही। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, जहां आलू की पैदावार व अदरक की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है परन्तु वहां पर संचार साधनों के अभाव के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के अभाव के कारण लोग अपनी उपज को बाजारों तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। वहां पर 300 कि० मी० तक कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह विकास खण्ड कलसी में व विकास खण्ड विकास नगर में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री ऊदल जी द्वारा कृषि के बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने मुझे श्री ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हम लोग इस बात के इंतजार में थे कि इस राम भक्त सरकार में श्री गंगा भक्त जी कृषि के क्षेत्र में कुछ नई घोषणायें करेंगे परन्तु कृषि का बजट आपने कम कर दिया, जिससे हमें बहुत निराशा हुई। आपने कहा कि कृषि के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। किस बात में किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृषि की ऊपज के लिए तो केवल माननीय मंत्री जी का नाम ही काफी है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, इनके पास न पानी है और न राम ही हैं। इनके पास एक भी चीज नहीं है। माननीय मंत्री जी आप जरूर बड़े आदमी हैं परन्तु आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आपने किसान की दयनीय दशा पर कोई विचार नहीं किया। आपने कहा कि हम बजट का 62 प्रतिशत गांवों पर खर्च करेंगे। आज सबसे ज्यादा आबादी गांवों में रहती है परन्तु उसी पर आपने धन कम कर दिया। आज दूसरे प्रदेशों की सरकारें ने गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ बोनस देने की भी घोषणा कर दी है यह सरकार घोषणा नहीं भी करती तो आश्वासन तो दे ही सकती थी। इसलिये में श्री गंगा भक्त सिंह जी की सरकार से अनुरोध करूंगा, वे एक बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत जगह फंस गये हैं, आज ही इस बात की घोषणा करें कि प्रदेश के किसानों को 50 रुपये प्रति कुन्तल बोनस के रूप में देंगे। तब आप किसानों के अनुरूप काम करने की बात कह सकते हैं। मान्यवर, यह बड़ा दुखद पहलू है कि पंजाब और हरियाणा जैसे छोटे-छोटे राज्यों ने, पंजाब तो पूरी तरह से डिस्टर्ब भी है लेकिन वहां किसानों को बोनस दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बोनस की घोषणा नहीं की गयी है तो इससे ज्यादा निकम्मापन सरकार का और क्या हो सकता है। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप हिम्मत करें, मुख्य मंत्री जी नहीं चाहते हैं आप तो हिम्मत करें और एक इतिहास बनायें और कहें कि किसानों को 50 रुपये बोनस देंगे (व्यवधान) आप नहीं निकाले जायेंगे हम साथ देंगे। आज जब हमारे किसान भाई सुनेंगे कि हमारे बजट में कटौती कर दी गयी है, किसान के बेटे ने जो बजट पेश किया है उसमें कटौती कर दी है तो इस निकम्मी सरकार के साथ आप भी बदनाम होंगे। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सीधे सादे व्यक्ति हैं आप एक इतिहास कायम करें भले ही आपको अगला बजट पेश करने का मौका न मिले लेकिन आप इतिहास पुरुष हो जायेंगे, आप जरा सी भी परवाह मत कीजिय, गरीबों के हित में फैसला लीजिये और 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का एलान करिये।

उर्वरकों की बात कही गयी तो उवर्रक सहकारी समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं यह एक बहुत ही दुखद पहलू है। सरकारी अनुदान इन समितियों के माध्यम से दिया जाता है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र करहल की सहकारी समिति की बात बताना चाहता हूं। वहां 10 लाख रुपया किसानों का कर्मचारी लेकर चले गये लोग सिर पटक कर रह गये इतनी बड़ी धनराशि को वहां के कर्मचारी खा गये। आपका इन सहकारी समितियों से सीधा संबंध नहीं है लेकिन अनुदान या रुपया आपके विभाग का ही है। तो 10 लाख रुपया कर्मचारी खा गये उसमें जिलाधिकारी भी असहाय है उसकी जांच नहीं हो पा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बाबू राम यादव–

जब आपने कृपा की है तो थोड़ी और कृपा कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कृपा की है तो आप भी कृपा कर दें ।

श्री बाबू राम यादव–

आप तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं आपका विभाग क्या तकनीकी ज्ञान देगा । उत्तर प्रदेश का किसान इतना होशियार है कि उसका पैर का अंगूठा बता देता है कि खेत उपज लायक है कि नहीं । आपके विभाग से तकनीक मिलती कहां है अधिकारी गांव में जाते कहां हैं, आपका विभाग तो सरकारी चरागाह है । मैंने आपका पूरा बजट देखा उसमें कोई राहत किसान को सीधे नहीं है केवल कागज पर सब है । यहां कीटनाशक दवाओं और फल संरक्षण की बात कही जा रही हैं । पिछले दो सालों से आलू को झुलसा रोग लगा और किसान का सारा का सारा आलू नष्ट हो गया तो वह कीटनाशक दवाओं का हाल है । किसान के धान को रोग लग गया और सारी फसल नष्ट हो गयी आपकी कीटनाशक दवाओं का कोई फायदा नहीं हुआ । इसी तरह से आपके उर्वरकों में मिलावट है, कहा जाता है कहीं से दूध ले लें दूध बिना पानी के नहीं मिलेगा । आज खाद की स्थिति वही है खाद कहीं से खरीदें वह बिना मिलावट के नहीं मिलेगी ।

मान्यवर, आप यही घोषणा कर दीजिये, इसमें तो कुछ आपका जाता नहीं है, कि हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद बिना मिलावट के मिलेगी, तो हम आपका अहसान मानेंगे । आप यह भी नहीं करते हैं । कीटनाशक दवाओं में मिलावट, खाद बीज में मिलावट और हर चीज में मिलावट, तो क्या करेगा किसान आपके कृषि विभाग से रिश्ता जोड़ कर । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप सर्वव्यापी मिलावट खत्म करें कि अब से जो आगामी फसल शुरू होगी उससे उसके खाद में, बीज में और दवाओं में कोई मिलावट नहीं होगी और यदि मिलावट होगी तो मिलावट करने वाले को शीघ्र ही पूरी सजा दी जायेगी । इसके साथ मैं ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उसे बल देता हूं ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊदल जी द्वारा कृषि विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज जो प्रदेश के मजदूर और किसानों की दशा, आग तपती धूप, जाड़े गर्मी बरसात में खेती करने वाले किसान की जो दुर्दशा है वह बड़ी दयनीय है । उसके पास अपने साल भर खाने के लिये गल्ला भी नहीं है । उसका कारण यह है कि हमारे देश में सिचाई के साधन नहीं हैं, बिजली व्यवस्था पंगु है । इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष–

सिंचाई के साधन और बिजली व्यवस्था, जबकि बजट कृषि का है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

यह उससे जुड़ी हुई चीजें हैं । जब सिंचाई होगी तभी अच्छी खेती हो सकती है, बिन पानी सब सून ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई बात कहने से आप संतुष्ट हैं तो वह बात कह लें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

आज प्रदेश में जो जमीन का बंटवारा है, वह गलत है 15 प्रतिशत लोगों के हाथ में 94 प्रतिशत जमीन है .... (व्यवधान) 85 प्रतिशत लोगों के पास 6 प्रतिशत जमीन है । इससे भी अधिक छोटा किसान जो अपने हाथ से खेती करता है, उसके पास अपनी जमीन तक नहीं है । जिसके पास 500 बीघा जमीन है, वह कभी हल नहीं चलाता है, वह हल चलाना ही नहीं जानता है । इस अव्यवस्था के कारण प्रदेश में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो रही है इसलिये मंत्री जी को कुछ नया सुधार लाना चाहिए कि जो अपने हाथ से स्वयं खेती करता है, इनके लिये कुछ होना चाहिए । कोई विशेष सुविधा होनी चाहिए, हमारे जनपद बांदा में भूमि संरक्षण विभाग को जो बजट मिलता है, उसके लिये जिलाधिकारी, बांदा ने कमीशन के लिये बाध्य किया है, 91-92 में अधिकारियों से कहा है कि हमें इतने प्रतिशत 10 प्रतिशत कमीशन दो तो हम इतना बजट रिलीज करेंगे । तो ऊपर से जब इतना भ्रष्टाचार होगा तो कैसे भूमि संरक्षण होगा और कैसे उपजाऊ खेती होगी । यह बड़ी दयनीय दशा है । थोड़ा सा मैं और बतलाना चाहता हूं ब्लाक स्तर पर विपणन केन्द्र खोले जायेंगे । जब किसानों के पास गल्ला रहता है तो सरकार उसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं करती है और जब बिचौलियों के पास सारा गल्ला चला जाता है तो उसके विपणन की व्यवस्था की जाती है । आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, वह व्यापारियों की प्रतिनिधि सरकार है और उन्हीं के हाथों में सारे का सारा गल्ला चला जाता है । उन्हीं व्यापारियों को किसान 2 रुपये किलो में गेहूं बेच कर फिर उसे 6 रुपये किलो में खरीदता है । इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर अपने विशेष सुधार लायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृषि बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने भाषण में जो आंकड़े दिये मैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो खाद्यान्न का [illegible]-81 में उत्पादन था वह 5569 मीट्रिक टन था और 1989-90 में 9483 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ इस प्रकार 7 से 10 प्रतिशत की उत्पादन में वृद्धि हुई है । लेकिन जो फसल बोई जाती है उसका क्षेत्रफल देखें तो 172 लाख हेक्टेयर था किन्तु दूसरी ओर एक ही खेत में एक से अधिक फसल जो बोते हैं उसका क्षेत्रफल 81 लाख हेक्टेयर है । इस तरह 47.1 प्रतिशत क्षेत्रफल आता है । इस प्रकार कुल खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है । जो 12.9 प्रतिशत होता है । लेकिन आबादी को देखें तो 1981 से 90-91 तक लगभग 25.41 प्रतिशत बढ़ी है । इस तरह से आज आबादी दुगुनी बढ़ी है तो उत्पादन भी दुगुना बढ़ना चाहिए और इसी तरह किसानों को सुविधायें प्राप्त होनी चहिए । तभी प्रदेश में जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और उनकी खुशहाली बढ़ सकती है ।

मान्यवर, अन्य माननीय सदस्यों ने भी खाद में मिलावट के संबंध में कहा है । मैं उस पर समय नहीं लेना चाहता हूं । किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि उस पर सख्ती से निपटने की जरूरत है । प्रदेश में जो किसान खाद का उपभोग कर रहा है उसका तुलनात्मक विवरण मैं देना चाहता हूं । जैसे हरियाणा में 94.40 प्रतिशत कन्जम्शन क्षमता है, पंजाब में 158.60 प्रतिशत है लेकिन उत्तर प्रदेश में 83 प्रतिशत

है, जो कम है । लेकिन मंत्री जी ने अभी बजट भाषण में जो बातें कही हैं वह सत्य प्रतीत नहीं होती हैं ।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी का ध्यान दाल की ओर ले जाना चाहता हूं । आप देखें कुल दाल 2413 हजार मीट्रिक टन पैदा कर रहे हैं, इसमें 7.7 हजार मीट्रिक टन की कमी आ रही है । इस प्रकार एक प्रतिशत की कमी हुई है । पूरे प्रदेश में दाल बोने का जो क्षेत्रफल है उसमें काफी गिरावट आयी है । और आप देखें 1987-88 में जो पूरे क्षेत्रफल की क्षमता थी वह 29.8 लाख हेक्टेयर थी जो वर्ष 1991-92 में 23.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया । इस तरह से 6.1 लाख हेक्टेयर की कमी हो गयी है । इसको आप कैसे बढ़ायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, दाल का उत्पादन 87-88 में 23.60 लाख मीट्रिक टन था । जो 91.92 में 8.6 लाख मीट्रिक टन रह गया है । इस तरह से दाल के उत्पादन में बहुत कमी हो गयी है । जिसको बढ़ाने की जरूरत है । मान्यवर, दाल में चना का उत्पादन 11.15 लाख मीट्रिक टन की क्षमता थी और अरहर की दाल की क्षमता 5.9 लाख मीट्रिक टन की है । इस प्रकार दालों के उत्पादन को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है । इस प्रकार मंत्री जी का जो भाषण हैं वह सत्य से परे है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी मण्डल के गाजीपुर जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करायें ।

मान्यवर, फसल बीमा योजना का तहसील स्तर के बजाय पंचायत स्तर को यूनिट मानकर काम किया जाय तो अच्छा होगा और तभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा ।

मान्यवर, 275 रुपये गेहूं के खरीद का दाम है जबकि मध्य प्रदेश में 300 रुपये प्रति कुन्तल खरीद का दाम रखा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि आप 50 रुपये इस पर बढ़ायें । पूरे प्रदेश के किसानों का बढ़ायें । नहीं बढ़ाते हैं इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मिही लाल–

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र चरखारी की ओर ले जाना चाहता हूं वहां पर जलागम योजना शीहो नाले पर चल रही है और मालूम हुआ है कि इसके लिये आप बजट नहीं दे रहे हैं । मान्यवर, इसे पूरा करने की कृपा करें और इसके लिये ज्यादा मात्रा में धन देने की कृपा करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेपीएड की योजना जो सूखे नाले पर चल रही है इसमें कुछ छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं । कुछ जगहों पर जल कटान हो रहा है । मेरे यहां एक नदी है गढई, जिसके

कारण काफी मात्रा में खेती का कटाव हो रहा है । सांयल कन्सरवेशन से आप चूंकि इस वर्ष बजट नहीं दे रहे हैं इसके लिये भी धन दिलवाने की कृपा करें । बीहड़ सुधार योजना की बात कह रहा हूं । हमारे यहां कुलपहाड़ तहसील है जो पहाड़ी क्षेत्र में आता है । यहां पहले इतने डकैत थे । इसे भी बीहड़ सुधार योजना में लाने की कृपा करें । इसकी मैं आपसे मांग कर रहा हूं । चरखारी में मंदिर रायनपुर ट्रस्ट की जमीन फल उद्यान के लिये दी गयी थी उसका समय पूरा हो गया । इसलिये निवेदन करूंगा कि यह मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, उसका और समय बढ़ाने के लिये जिलाधिकारी जी को आदेश करें जिसे ज्यादा मात्रा में फल उगाये जा सकें । चरखारी में मंडी बनी हुई है । मंडी में गल्ला रखने के लिये बीज गोदाम नहीं बना हुआ है । पिछले बजट में उसको बनवाने का प्रस्ताव था अतः इसे भी बनवाया जाय । वहां पर नीबू, अमरूद और आम का बगीचा लागाने के लिये फल उद्यान की ओर से कहा गया था । वह पहाड़ी इलाका है । वहां पर नीबू के पेड़ लगवाने की कृपा की जाय । बीज भण्डार के लिये पहले कुछ योजनाओं में पास कर दिया गया था जिला प्लान से लेकिन अभी तक नहीं बने हैं । इसे भी बनवाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मिही लाल–

मान्यवर, एक बात और कहना चहता हूं कि चरखारी विधान सभा क्षेत्र के खेतों में कौंस होता है क्योंकि बीज का दुगुना गल्ला होता है उसे खत्म करवाने के लिये हैवी ट्रैक्टर की व्यवस्था कराई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री वासुदेव सिंह आप दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

श्री वासुदेव सिह–

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और श्री ऊदल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, खेती इस प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की आत्मा है । इस खेती पर सारे विभाग निर्भर करते हैं । खेती का जो बजट माननीय कृषि मंत्री जी ने रखा है, वह अभिनन्दनीय है । जिस तरह से शरीर को रक्त की आवश्यकता होती है । शरीर के पोषण के लिये जैसे रक्त चाहिए वैसे ही सारे प्रदेश की प्रगति के लिये खेती चाहिए । खेती फलेगी तो किसान फलेगा, बढ़ेगा, किसान फलेगा तो गांव फले-फूलेगा, अगर गांव फले-फूलेगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो इस प्रदेश का विकास होगा, अगर प्रदेश का विकास होगा तो सारे देश का विकास होगा, सारे देश का विकास होगा तो सारे देश की प्रगति के लिये खेती की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । सारे देश की प्रगति खेती से जुड़ी है । खेती के लिये जो बजट रखा गया है यह अभिनन्दनीय है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, अभी तो शुरुआत ही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें समय बहुत हो रहा है ।

श्री वासुदेव सिह–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी गांव को विकसित करना चाहती है गांव और शहरों की जो दूरी बढ़ रही है जो गांव के निवासी शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, उसको हमारी सरकार कम करना चाहती है और गांव में सारी सुविधायें प्रदान करना चाहती है ताकि ग्राम वासियों का शहर की ओर पलायन न हो ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री वासुदेव सिह–

यह बजट प्रशंसनीय है । यह लोग दूध में मिलावट करने की बात करने वाले खेती में भी मिलावट देखते हैं । मान्यवर, मुझे एक मिनट का मौका और दे दें । मान्यवर, सयाना विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं । सयाना विधान सभा क्षेत्र की तरफ माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सयाना क्षेत्र के ऊंचगांव खण्ड में कृषि मंडी का निर्माण हो । सयाना में मंडी का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हो ताकि किसानों को मंडी में पहुंचने से सुविधा हो और फसल की उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री वासुदेव सिह–

अभी समाप्त कर रहा हूं । मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और ऊदल जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । कृषि को न जानने वाले लोग एक रुपये की बात करते हैं वह खेती को जानते ही नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, किसानों के लिये, किसानों के हित के लिये जो मंडी परिषद् का गठन पिछली सरकारों ने किया था उस मंडी परिषद् में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है । मंडी परिषद् का गठन इसलिये हुआ था कि किसान जो उपज पैदा करें, मंडी में उसको सही हक और अधिकार मिले । इस भावना से मंडी परिषद् का गठन किया गया । मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में मंडी परिषद् में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है । मंडी परिषद् के द्वारा सड़कों का निर्माण होता है, हमारा इलाहाबाद का चायल क्षेत्र है, जहां से मैं आया हूं मान्यवर, चायल क्षेत्र में निर्माण कार्यों के संबंध में मैंने उप निदेशक (प्रशासन) इलाहाबाद को एक पत्र लिखा, उप निदेशक (निर्माण), इलाहाबाद को पत्र लिखा उस पत्र में मैंने

जानना चाहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चायल में मंडी परिषद् के द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण होगा तथा कौन-कौन सा निर्माण कार्य हुआ । उस पत्र के संदर्भ में कोई सूचना आज तक नहीं दी गयी । इसी विधान सभा में एक प्रश्न के माध्यम से इसी समस्या को रखने का मैंने प्रयास भी किया था । मान्यवर, मंडी समिति द्वारा गांव के विकास के लिये किसानों के उत्थान के लिये निर्माण हो रहे हैं, उसमें गुणवत्ता के आधार पर कमियां हैं । जहां निर्माण होना चाहिए वहां निर्माण नहीं हो रहा है । एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । इलाहाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र चायल में एक सड़क कमनौरी से जनका होते हुए पावन होते हुए मन्दरी तक जाती है वह बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है । बराबर सुनने में आता है कि उसका निर्माण कार्य मण्डी परिषद् द्वारा होगा उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । इसलिये इन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं माननीय ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और समर्थन करता हूं ।

श्री दल सिंगार यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय ऊदल जी ने कटौती का जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो कृषि मंडी है, वह मेरे महराजगंज में सबसे बड़ी मण्डी है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां बहुत धन आता है लेकिन आज तक वहां पर किसानों के लिये कोई सुविधा नहीं प्रदान की गयी है, न ही सड़क बनी । वहां पर सारा पैसा मण्डी के कर्मचारी मिलकर खा जाते हैं और एक भी काम नहीं हुआ है । मैं इतना ही चाहता हूं कि उस मण्डी में दसियों वर्ष हो गये कोई काम नहीं हुआ, कई बार पत्र लिखे गये, कई बार ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके साथ ही मैं माननीय ऊदल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का , चाहे, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव पर बहुत अच्छे सुझाव दिये, आलोचना भी की, उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, एक बात बहुत आवश्यक है, जो मण्डी समिति का गठन हुआ है, उसके उद्देश्य को पढ़ें तो उदेश्य बड़ा पवित्र लगा, लेकिन मण्डी समिति का कार्य ठीक नहीं है । भ्रष्टाचार है, जो कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा मण्डी समिति में किसानों को जो लोग बेचने जाते हैं, उनका ढाई परसेंट या 3 परसेंट शुल्क काटा जाता है । वह पैसा जनता के काम के लिये उद्देश्य में लिखा है कि शिक्षा संस्थाओं को दान दिया जायेगा और उस क्षेत्र की सड़कों का निर्माण होगा, कुछ सड़कें दो साल से ले लें, लेकिन अधूरी हैं, क्यों नहीं निर्माण हो रहा है, इसको देखना है ? दूसरी बात श्रीमन्, किसानों का देवी आपदा में जो नुकसान होता है, उसको कुछ अहेतुक सहायता मिलती है । आप नहीं, राजस्व विभाग देता है । आपके और राजस्व विभाग में समन्वय होना चाहिए और इस हेतु पुराने नियम, कानूनों को बदलना चाहिए ताकि किसानों का पानी, बाढ़ या आग जैसे दैवी आपदा से नुकसान हो जाये तो कम से कम एक मुश्त रकम सहायता के रूप में मिल जाय । भूमि संरक्षण में हजारों एकड़ जमीन, आप ऊसर बीहड़ छोड़ दें, उसका सुधार किया जा सकता है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है । आपका जो कमाण्ड एरिया है, गूलें बनाता है, गूलें किसान इस्तेमाल करता है । आप जौनपुर जहां के श्री उमानाथ सिंह जी मंत्री हैं, वहां का सर्वेक्षण करा लें इनके कमांड एरिया वालों ने जो नालियां या गूलें बनायी हैं, क्या वे ठीक हैं । रद्दी खराब, संकरी, कम ऊंची, नीची-ऊंची बनती हैं जिससे बेकार का

पैसा खराब हो रहा है । इन पर नियंत्रण करना है । मैं समझता हूं कि इसके लिये आपका स्वायल कंजर्वेशन विभाग सक्षम है । उसके जे० ई० और ए० ई० हैं वे खुद कर सकते हैं । रद्दी काम कराने से कोई फायदा नहीं है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । यह जो ऊसर सुधार योजना है, मैं चाहता हूं कि कहीं पर 10–5 एकड़ ऊसर भूमि ले लें और 5–7 फिट गड्ढा खोदवा कर उसमें पुरानी खाद डलवा दें, जैसा कि हमारे दादा लोग पुराने जमाने में करते थे, इसको प्रयोग करके उसमें वृक्षारोपण करें । उस गड्ढे को गहरा खोदवा कर अच्छे पेड़ों को लगवाया जाय । हमारा अनुरोध है कि 10 एकड़, 5 एकड़ ऊसर जमीन लेकर इसको देखा जाय कि वृक्षारोपण सफल हो सकता है कि नहीं । मान्यवर, कृषि विभाग का काम तो आपने बांट दिया । इधर-उधर जितने सीड स्टोर थे, वे बन्द कर दिये गये थे, अब आपने सहकारिता विभाग को दे रखा है । आखिर कृषि विभाग से कुछ काम आप लेना चाहते हैं कि नहीं ? इन सीड स्टोरों को आपने क्यों बन्द कर दिया ? आप कम से कम उन बीज भण्डारों को न चालू करें, तो जितने पहले थे, उसको चालू करवा दें । मान्यवर, तिलहन की बीज इस साल बहुत अच्छी है । अलसी का बीज मिल जाय, तो उसका भी प्रयोग करना चाहिए ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दलहन और तिलहन पर विशेष ध्यान दिया जाय । मैं देहरादून गया था, वहां की एक चाय की बगान पर भी गया था । मान्यवर, चाय का अगर विकास हो जाय, तो बहुत अच्छा है । मान्यवर, पहाड़ के अन्य इलाके में कश्मीर जैसा सेब नहीं मिलता है, तो इसके विस्तार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । अब मैं आपके सामने वह मैंने जो प्रश्न उठाया था, गाजीपुर के जिलाधीश को मजबूर होकर एक पत्र लिखना पड़ा । वह पत्र पढ़ देता हूं । जिलाधिकारी, गाजीपुर ने अपने कार्यालय से पत्र संख्या 242314–कृषि-लेखा-1991-92, दिनांक 30-1-92 द्वारा जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर तथा संयुक्त कृषि निदेशक, प्रसार, वाराणसी मण्डल, वाराणसी व कृषि निदेशक (पूर्ति अनुभाग), उ० प्र०, लखनऊ को भेजा है । उस पत्र को प्राप्त करना आपने स्वीकार किया है, मान्यवर, जिलाधीश ने देखा एक महीने तक सीड स्टोर और गोदाम जब बन्द रहा, तो उन्होंने कहा कि इसको खोलवाया जाय । तब एक महीने बाद उसे खोलवाया गया । वहां पर 150 टन यूरिया रही, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ । जिला कृषि अधिकारी ने पैसे लेने की गर्ज से तमाम गोदामों को बन्द करवा दिया था, जिससे किसानों और सरकार दोनों का नुकसान हुआ । अन्त में जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मेरे तो आप पुराने साथी हैं, सज्जन हैं, मित्र हैं, भले आदमी हैं, माननीय सदस्य बाबू राम यादव ने जो कहा कि कृषि उपज बोनस की घोषणा कर देंगे, तो आप कल ही बरखास्त हो जायेंगे । यह सरकार की नीति है, गंगा भक्त सिंह की नीति अलग से नहीं है । मैं चाहता हूं कि मिलावट को और भ्रष्टाचार को थोड़ा बहुत जहां पर जानकारी में आये हम लोग तो लिखते रहते हैं, कार्यवाही करें, आप इस चीज को भी सुनिश्चित करायें, किसानों को सही समय पर बीज मिले, सही समय पर खाद मिले और यह भी आप निश्चित करायें कि कौनसा बीज कब मिल रहा है । होता यह है कि असली वेराइटी का बाद में मिलता है और लेटर वेराइटी का पहले मिल जाता है, तो इससे किसानों को बड़ी कठिनाई होती है, इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मैं इसको वापस नहीं लेता हूं, लेकिन माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं उनकी सज्जनता के लिये, नेकनीयती के लिये और ईमानदारी के लिये । इतना होने पर भी मैं कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं क्योंकि फिर विरोध पक्ष का क्या महत्व रह जायेगा ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, कृषि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बारे में बहुत लम्बी चर्चा चली है और माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिये हैं, मैं उनको देखूंगा और उन पर कार्यवाही अवश्य की जायेगी। माननीय सदस्य बाबू राम जी ने, बहुत हिम्मत बंधाई जहां तक उनकी भावनाओं का सवाल है, मैं उनसे अपने को जोड़ता हूं। माननीय ऊदल जी ने कहा, तो इसमें प्रदेश के संसाधनों का सवाल है और उसके कारण कठिनाई है अन्यथा जो हिम्मत बंधाई है उसको कर डालता। मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं विशेषकर ऊदल जी, मलिक जी और दीनानाथ जी ने और कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे इस बात का सन्तोष है कि आलोचना बहुत कम हुई है और अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं, यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है, एक बात मुख्य रूप से यह कही गयी है कि भ्रष्टाचार है, उसके बारे में शिकायतें की गयी हैं, खाद, बीज और मिलावट के बारे में शिकायतें की गयी हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से इसी सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्तियों को, किसी कर्मचारी या अधिकारी को भ्रष्टाचार में पकड़ा जायेगा, उसको बख्शा नहीं जायेगा और जो कर्मचारी या अधिकारी अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करता हुआ पाया जायेगा, उनको प्रोत्साहन दिया जायेगा। जिन माननीय सदस्यों ने कुछ इशारा किया है कि कार्यवाही नहीं हुई है, उसको देख लिया जायेगा, मैं उनकी जानकारी कर लूंगा और निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही होगी। परन्तु यदि कोई कर्मचारी उदासीनता बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा या कार्य में ढिलाई करेगा तो उनको भी हम किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, मेरे सामने जो कुछ भी मामले आये हैं उसमें मैंने कठोर कार्यवाही की है। मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता, मैं पहले बता चुका हूं कि विभाग के अन्दर मैंने कुछ अधिकारियों को निलम्बित भी किया है और कुछ को सेवानिवृत्त भी कर दिया है और जिन-जिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है उनको कठोरता से देख रहा हूं। दूसरी बात जो बीज खाद और रसायनों के मिलावट के बारे में कही गयी है तो इस तरह की जितनी बातें हैं उनको गम्भीरता से लूंगा और सहकारिता में भी प्रयास हो रहा है हम इसको भी देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। साथ ही साथ इसमें उर्वरकों/कीटनाशी रसायनों में गुणवत्ता तियंत्रण राज्य में उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों का प्रयोग बढ़ने का साथ-साथ इनमें मिलावट, चोरबाजारी इत्यादि की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से व्यापक कार्यक्रम चलाया जायेगा, जिसमें निर्माताओं/विक्रेताओं के परिसरों में छापे मारने, नमूनों का शीघ्र विश्लेषण कराने और दोषी व्यक्तियों, संस्थाओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करना सम्मिलित है। वर्तमान में कीटनाशी विश्लेषण तथा उर्वरक विश्लेषण हेतु स्थापित तीन प्रयोगशालाओं के कार्य को सुचारु करने का प्रयास किया जायेगा। यह तीनों प्रयोगशालायें लखनऊ, वाराणसी और मेरठ में हैं।

मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने उर्वरकों में मिलावट तथा विक्रय में गड़बड़ियों की चर्चा की। विभाग द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये 1991-92 में 12 हजार 381 छापे मारे गये 709 निबन्धन प्रमाण पत्र निरस्त किये गये। 166 दुकानें सील की गयीं 308 एफ० आई० आर० दर्ज की गयी तथा 169 विक्रेता जेल भेजे गये। कृषि विभाग इस दिशा में पूर्ण रूप से जागरूक तथा सतर्क है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसको और सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा और जहां पर भी कोई बात सामाने आयेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी। मेरा माननीय सदस्यों ने अनुरोध होगा कि जहां कहीं गड़बड़ी उनके सामने आये तो मुझे स्पष्ट रूप से लिखें लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कराने में कठिनाई होती है अगर केवल 4 लाइनें लिखकर विधायक भेजते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है कोई देखने

देखने वाला नहीं है तो इसमें किस बात की जांच करें अगर आप भी हमारा इसमें सहयोग करें कि अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उस पर स्पष्ट रूप से लिख दें, प्रमाण दे दें, तो उसके ऊपर जांच कराई जाय तो शिकायत प्रमाण रूप में हो हमने अधिकारियों को निर्देश देना शुरू किया है कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया जाय और सम्पर्क करके जांच कराई जाय । कोशिश मेरी यही रही है कि ऊदल जी ने जो बताया है उसमें कार्यवाही करवायेंगे और आगे जो भी हो सकेगा उसमें वह करेंगे । बीजों की दृष्टि से बीज प्रमाणीकरण संस्था तराई बीज निगम ने बहुत अच्छा काम किया है ।

श्री ऊदल–

अच्छा काम तो है लेकिन परसेन्टेज में कमी है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ।

[समय–5 बजकर 20 मिनट]

श्री गंगा भक्त सिंह–

उसको करायेंगे । 90-91 में 6,35,111 क्विंटल बीज बांटा गया, 91-92 में 8,8,791 कि० प्रमाणित बीज बांटा गया । यह एक सुझाव दिया गया था कि जहां पर कृषकों के द्वारा बीज उत्पादन कार्य किये जाते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 92 हजार क्विंटल चावल के बीज कृषकों के उतपादन में से कृषि विभाग द्वारा क्रय किये गये भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

बड़ौत में चौधरी चरण सिंह जी के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, बड़ौत में आवश्यकता है, उसको खुलवायें । उसकी घोषणा कर दें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

चौधरी चरण सिंह के नाम के बिना कृषि की बात करना अधूरी बात होगी ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

आगरा में कृषि विश्वविद्यालय, बड़ौत में विश्वविद्यालय की बात आयी थी, यह कृषि विश्वविद्यालय खोलने का काम हमारे नियंत्रण में नहीं है, आई० सी० ए० आर० के द्वारा परमीशन मिलती है, उन्होंने इस बात के लिये मना कर रखा है कि कृषि विश्वविद्यालय न खोले जायं । मध्य भाग में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जबकि इनकी संख्या 8 होनी चाहिए ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप बड़ौत के लिये प्रस्ताव भेज दें, हम वहां से करा लेंगे । हम वायदा करते हैं ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, बड़ौत में करा दें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मैं इसे देखूंगा । एक के लिये कोशिश हो रही है तो हो नहीं पा रहा हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरेन्द्र जी और माननीय महक सिंह कृपया बैठ जायं ।

श्री बाबू राम यादव–

जो बीज उत्पादन की समस्या है अगर इसमें किसानों का सहयोग ले लें, यह किसानों को कार्य दे दें तो काफी सहायता हो जायेगी ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

जहां-जहां गड़बड़ी है उस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे मैं कार्यवाही करूंगा । माननीय ऊदल जी ने जायद कार्यक्रम की बात कही । यह सूचित करना है कि इस वर्ष जायद का एक वृहद कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अन्तर्गत उरद का 7767 कुन्तल, मूंग का 3279 कुन्तल तथा सूरजमुखी का 6352 कुन्तल बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग इस तरह से बीच में टोका टाकी न करें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, हमने बीज किसानों को उपलब्ध कराया है । इसकी हम कोशिश कर रहे हैं जितने बीज की आवश्यकता है, वह उपलब्ध हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर तो आपका पूरा हो गया है ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, आपने इतने माननीय सदस्यों को बुला लिया है कोशिश कर रहा हूं उनका जवाब देने की ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अनुरोध कर लीजिये माननीय ऊदल जी से कटौती के प्रस्ताव की बाबत ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, जैसी हमने कुछ मजबूरी बतायी है, वैसी उन्होंने बतायी है । दूसरी बात यह है कि मैं हृदय नारायण जी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं, मैं उस पर ध्यान देता हूं । माननीय मलिक जी ने मेरा ध्यान मण्डी समितियों के निर्माण कार्य जो रोक दिये गये हैं उसकी ओर आकृष्ट किया । रोकने का सवाल नहीं है, माननीय सदस्यों का भ्रम है कि मण्डी समितियों की आय का पैसा इधर-उधर खर्च किया जाता है । जिससे किसी भी मण्डी क्षेत्र का जो पैसा है वह उसी मण्डी क्षेत्र में खर्च हो । नियमानुसार उसका 20 प्रतिशत जो एपेक्स बाडी है, उसके खर्च के लिये अलग रखा जाता है बाकी उसी पर खर्च होता है । यह बात सही है कि पैसे के ऊपर पिछले समय में नियंत्रण नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ उदाहरण ऐसे हैं पैसे पर नियंत्रण रहे ऐसा प्रयास है वहां से पैसा केन्द्र पर लखनऊ में ले लिया जाता है और यहां पर हर मण्डी का घाटा बना हुआ है, उसका पैसा रहता है क्योंकि परिषद् से निर्माण की यहां से स्वीकृति होती है तो उसका पैसा यहां पर है उसको देखते हुए स्वीकृति हो जाती है तो मण्डी में रोका नहीं गया है । आवश्यकतानुसार और विभिन्न मण्डियों की विकास निधि में उपलब्ध

धनराशि के अनुरूप विकास निधि से धन अवमुक्त किया गया है जैसे अलीगढ़ में 23-4-92 को 89.91 लाख, झांसी में 28-4-92 को 35.72 लाख, मुरादाबाद में 28-4-92 को 60.58 लाख, लखनऊ में 29-4-92 को 63.38 लाख, सहारनपुर में 1-5-92 को 77.77 लाख दिया गया है; बाकी निर्माण खण्डों से मांग प्राप्त होने पर अवमुक्त किया जायेगा ।

श्री ऊदल–

वाराणसी मण्डल कैसे छूट गया ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

एक बात का भ्रम और दोहराया गया है मण्डी समितियों का अध्यक्ष व्यापारी वर्ग से बनाया जा रहा है, तो मैं यह कहूंगा कि इसमें जो ऐक्ट है उसके अनुसार जब निर्वाचन होगा तो जो किसान हैं वह इसमें हिस्सा लेते हैं और उन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है । आज कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास खेती है वह इसमें चुनकर आ जाते हैं .....

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने मुजफ्फरनगर और श्यामली का नाम भी लिखा था ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

अभी माननीय स्वामी नाथ यादव जी द्वारा एक बिन्दु उठाया गया था कि गत वर्ष सहकारिता को 10 प्रमुख कृषि रक्षा रसायनों को बांटने की जिम्मेदारी दी गयी और अन्य रसायन कृषि विभाग द्वारा वितरित किये गये थे । किसानों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1992-93 में इस हेतु इस नीति में परिवर्तन कर दिया गया है । अब 50 प्रतिशत रसायन सहकारिता और 30 प्रतिशत कृषि विभाग और 20 प्रतिशत एग्रो द्वारा वितरित करने के आदेश दिये गये हैं, अब सभी रसायन सभी संस्थायें बांटेंगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता विभाग में ट्रेन्ड अधिकारी हैं, जो दवायें बांटने का कार्य करते हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जो लघु किसान और सीमान्त कृषक हैं उनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं । उन्हें जो सहकारिता विभाग द्वारा ऋण दिया जाता है उससे वह खाद लेते हैं, रसायन ले लेते हैं, लेकिन कृषि विभाग में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कुछ कमियां अवश्य हैं उनको दूर करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अब सारी बातें आ गयी हैं, बहुत आश्वासन बन गये हैं, कृपया अब समाप्त करें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, उर्वरकों के वितरण का जहां तक प्रश्न है वह पिछली बार से ज्यादा हुआ है । एक बात और समर्थन मूल्य के बारे में कही उसके बारे में बता दूं कि समर्थन मूल्य निर्धारित करने का काम

केन्द्रीय सरकार करती है, उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ सुझाव भेजती है, इतना होना चाहिए, जितना माननीय सदस्य ने बताया था, उससे कहीं ज्यादा मैंने बढ़ाकर संस्तुति की है । केन्द्रीय सरकार सारे देश भर का देखकर मूल्य निर्धारित करती है, इस पर प्रदेश का कोई नियंत्रण नहीं है । कृषि के बारे में जितने सुझाव आये हैं, उनको देखेंगे । मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कह दिया है कि यह फैशन बन गया है किसान उठेगा, तो गांव उठेगा, गांव उठेगा तो प्रदेश उठेगा । मैंने फैशन के रूप में इसे नहीं कहा है, मैं वास्तव में लघु सीमान्त किसानों के लिये भावनायें रखता हूं और उनका उत्थान हो, उनकी हालत में सुधार हो, इसी दिशा में काम कर रहा हूं और इसीलिये दीनदयाल योजना लागू की है । साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि इसी वजह से हर न्याय पंचायत में किसान सेवा केन्द्र खोला जाय तथा किसान सहायक नियुक्त किया जाय यह भी काम हम कर रहे हैं । मान्यवर, 8 गांवों के बीच में स्थाई रूप से किसान सहायक की नियुक्ति की जा रही है, इसके पीछे यही सोच है कि वह सब प्रकार से सहायता देकर, तकनीकी ज्ञान देकर किसान की मदद करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, किसानों की मदद के उद्देश्य से ही किसान सेवा केन्द्र स्थापना के संबंध में शासनादेश भी जारी कराया है और भाजपा सरकार किसान के द्वार की दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं । मैं वास्तव में सही भावना के साथ लघु सीमान्त किसानों की उन्नति करना चाहता हूं । अन्त में पुनः एक बार उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है व अच्छे सुझाव दिये हैं, उन सभी पर पूरा ध्यान देकर मैं कार्यवाही करूंगा, इसके लिये मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करूंगा कि ऊदल जी अपने कटौती प्रस्ताव का वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं, वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,04,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,48,84,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या 60–वन विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 81,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप मद संख्या 9(4) को भी एक साथ प्रस्तुत कर दें । इन दोनों मदों पर साढ़े छः बजे मतदान हो जायेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी व कटौती के प्रस्तावक अपनी-अपनी बात संक्षेप में कहेंगे ।

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,38,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, इस सदन में प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये निरन्तर चर्चा होती रही है । माननीय सदस्यों की भी यह मांग होती रही है कि पर्यावरण को बनाये रखने के लिये उपाय किये जाने चाहिए । उन्हीं उपायों के लिये 1992-93 वित्तीय वर्ष का बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत है । जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रदूषण की भयंकरता की रोकथाम के लिये निरन्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण निदेशालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहल कर रहा है प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है । उनकी जल तथा वायु सहमति अस्वीकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की जाती है । हमने स्थानीय आधार पर प्रदूषण कितना हो रहा है उनकी जानकारी करने के लिये मोबाइल प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की है जो स्थानीय आधार पर नमूना इकट्ठा कर परीक्षण करेंगी, यह व्यवस्था पहली बार हो रही है । हमने यह कोशिश की है कि वह उद्योग को लगातार जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण कर रहे हैं, उनके लिये कहा है कि वह शुद्धिकरण यंत्र लगायें । इस दिशा में 1991-92 की अवधि में 22 उद्योगों ने जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाये हैं । 77 उद्योगों ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये यंत्र लगाये हैं । हमारी सरकार आने से पहले उसकी संख्या कुल 194 थी । आज 440 उद्योग ऐसे रहे हैं जिनमें इस वर्ष के भी उद्योग सम्मिलित हैं उनमें जल शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था हो रही है । 1991-92 में नयी सरकार आने के बाद जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिये दबाव डाला है कि वह शुद्धिकरण संयंत्र लगायें । इसमें हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है । केन्द्र सरकार ने दिसम्बर, 1993 तक की समय सीमा निर्धारित की है कि इस अवधि के भीतर उद्योग अपने शुद्धिकरण संयंत्र लगायें फिर भी हमने वायु और जल सहमति निरस्त की है और हम दबाव डाल रहे हैं कि ऐसे उद्योग जिनसे वायु प्रदूषण होता है वह उसकी रोकथाम के लिये संयंत्र लगायें । इस दिशा में मान्यवर, हमने 857 उद्योगों की जल सहमति समाप्त की है और 828 की वायु सहमति समाप्त की है 1233 ऐसे उद्योग हैं जो प्रदूषण से संबंधित थे उन्हें हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है । इस प्रकार पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिये पर्यावरण निदेशालय द्वारा विशेष अभियान चलया है । मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमने 868 उद्योगों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है । इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योगों द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है तो ऐसे 57 उद्योग जो टेनरी के नाम से जाने जाते हैं उन्हें बन्द किया है एक लेदर कम्पलेक्स चार चांदी रिफायनरी और 8 अन्य उद्योगों को बन्द किया है और 8 अन्य उद्योगों के खिलाफ उन्हें बन्द किये जाने की नोटिस हमने जारी की है । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वाहन प्रदूषण के लिये भी सदन में काफी चर्चा हुई है और उस दिशा में संतोषजनक व्यवस्था करने हेतु 42 जनपदों में 123 वर्कशाप इस बात के लिये तैयार किये गये हैं कि जिनके जरिये से डीजल और पेट्रोल के वाहनों की नियमित जांच की जाये और ऐसा किया जाये कि वह गाड़ियां अधिक धुवां न करें और प्रदूषण न हो । इसलिये यह व्यवस्था की गयी है कि जांच के उपरान्त ही फिटनेस दिया जाया करे ।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि नदियां और जलाशयों का पानी प्रदूषण रहित रहे, इसके लिये अनुश्रवण की भी व्यवस्था की गयी है । इसके अन्तर्गत गंगा, यमुना, गोमती, श्याम नदी, हिंडन , काली जलाशय, नैनीताल झील, भीमताल झील, रामगढ़ ताल, राप्ती और घाघरा जैसी नदियों और झीलों आदि का अनुश्रवण निरन्तर किया जा रहा है । यह कोशिश की जा रही है कि जल का मानक सही और जनोपयोगी बना रहे । इसी तरह वायु प्रदूषण के नियंत्रण की भी व्यवस्था की गयी है । लखनऊ, कानपुर, देहरादून, आगरा, आनपारा, गजरौला, वाराणसी, गाजियाबाद और नोयडा में जल प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये निरन्तर अनुश्रवण किया जाता है । इसी संदर्भ में गोमती के प्रदूषण के संबंध में गत वर्षों में निरन्तर चर्चायें होती रही है उसके लिये प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निरन्तर विशेष रूप से कार्य चला रहा है । गोमती नदी के गहन अनुश्रवण हेतु 30 नमूना संग्रह केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिन पर मानक के अनुसार जल को बनाये रखने की दिशा में कारगर कार्य किये जायेंगे जिससे गोमती का जल प्रदूषण न बना रहे । 15 दिनों के अन्तराल में इसके पानी की जांच की व्यवस्था की गयी है । हम पर्यावरण को लेकर निरन्तर चिन्तित हैं फिर भी उद्योगों को प्रतिबन्धित नहीं करना चाहते हैं, उनके विकास में बाधक नहीं होना चाहते हैं बल्कि उनके औद्योगीकरण का वातावरण प्रदेश में बनाना चाहते है । इसलिये उनके ऊपर कठोर निगरानी करके मानक को बनाये रखने की दिशा में

प्रयत्नशील हैं । पर्यावरण निदेशालय द्वारा भी कोशिश इस बात पर की जा रही है कि जनता के बीच पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाई जाय । राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की चिन्ता हो रही है कि पेड़ों की कटान और कारखानों से निकले प्रदूषित जल और वायु से जो भयंकर खतरा उत्पन्न हो रहा है उसकी रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की जाये । हाल ही में इसके लिये हमने ग्वाल देवता नामक एक फिल्म प्रोजेक्ट की है जिसे जनता के बीच दिखाने का विचार है जिससे आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाई जा सके । इसी प्रकार की होरडिंग और प्रचार सामग्री के माध्यम से और सूचना पटों के माध्यम से हम इस बात के लिये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण की रोकथाम के लिये जागरूकता पैदा करें इसके साथ ही प्रदूषण के कार्य से उद्योगों पर भी कभी विपरीत असर पड़ता है किन्तु हम चाहते हैं कि प्रदेश में आसानी से नये-नये उद्योग लग सकें । इसलिये उनमें सन्तुलन स्थापित होना आवश्यक है ।

पिछले दिनों में इस बात की चर्चा होती रही है कि एन० ओ० सी० यानि अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के लिये उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है । इसलिये अब नई व्यवस्था के अनुसार 179 प्रकार के उद्योगों को जिनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, उनको लखनऊ में बोर्ड तक नहीं आना होगा, उन्हें जिला सामान्य प्रबन्धक (उद्योग) जिले में ही यह प्रमाण-पत्र दे सकेगा । इसके लिये 50 ऐसे उद्योगों की हमने घोषणा की है, जिनको एन० ओ० सी० प्रमाण-पत्र क्षेत्रीय उद्योग अधिकारी यानि मण्डलीय अधिकारी दे सकते हैं और उसके लिये उन्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी । इसके साथ जो पहली श्रेणी है, उन्हें पहले एक वर्ष के लिये एन० ओ० सी० दे सकते थे । किन्तु अब वह तीन साल के लिये हो जायेगी । अब उन्हें बार-बार इधर-उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा । इस प्रकार उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक वातावरण बन सकेगा ।

मान्यवर, प्रदूषण फैलाने का काम उधर के लोग करते हैं किन्तु नियंत्रण का काम हमारा है इसलिये प्रदूषण की सफाई की जिम्मेदारी, हमारी सरकार ने लिया है और उसकी हम सफाई करेंगे तथा उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार और प्रदूषण को ही समाप्त करके पर्यावरण बनाये रखने के लिये हमने यह बजट रखा है ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अभी मैंने वन विभाग का भी वर्ष 1992-93 का वार्षिक बजट सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है । मान्यवर, जिस पर्यावरण और प्रदूषण की मैं चर्चा कर रहा था उसमें मैं बताना चाहता हूं पर्यावरण और प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में वृक्षों और वनों की बहुत आवश्यकता है। वनों की कटान के कारण पर्यावरण, प्रदूषण सूखा और बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश ग्रस्त है । और यह कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि पिछले दिनों में लगातार अवैध कटान के कारण पहाड़ों पर वृक्षों की कटाई के कारण आज ऐसी विभीषिका का सामना उत्तर प्रदेश को करना पड़ रहा है । जिससे प्रदेश बाढ़ और सूखे से ग्रस्त होता है । इस लिये राज्य सरकार वनों के लगाये जाने के लिये, वृक्षारोपण के लिये सरकार चिन्तित है और इस दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाये हैं ।

मान्यवर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 1/3 हिस्से में वन होने चाहिए लेकिन दुर्भाग्य है कि 1/9 हिस्से में ही प्रदेश में वन हैं । इसलिये राज्य सरकार ने उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए इस दिशा में सामाजिक वानिकी की विशेष योजनायें तैयार किया है । मान्यवर, आप जानते होंगे कि पिछले दिनों लकड़ी का महत्व आर्थिक कारणों से जोड़ा जाता रहा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी का इस्तेमाल होता है । लकड़ी का इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में जलाने के काम, इमारती लकड़ी के महत्व को देखते हुए वनों के क्षेत्रफल में विस्तार करने की आवश्यकता है और इस

दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है तथा वृक्षारोपण के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये हैं । वर्ष 1992-93 में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये 65,000 हजार हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । मान्यवर, यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991-92 में हमने कोशिश किया है कि वन क्षेत्र में विस्तारीकरण हो और इसलिये वर्ष में 65,000 हैक्टेयर भूमि में विभागीय वृक्षारोपण और 30,000 हेक्टेयर में वनों के पुनरोत्पादन के कार्यक्रम चलाये गये हैं तथा इसके साथ ही 30 करोड़ पौध जनता के बीच में पेड़ लगाने हेतु वितरित की गयी है । प्रदेश के भीतर स्मृति वन योजना चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत अपने प्रियजनों की स्मृति में परिवार के हों । मलिक साहब किसी स्वर्गीय नेता की स्मृति में स्मृति वन में जाकर पेड़ लगा सकते हैं । पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 50 रुपये प्रति पेड़ और मैदानी क्षेत्र के लिये 100 रुपये प्रति पेड़ है । इनके मेन्टीनेन्स का कार्य वन विभाग करता है । इस तरह से स्मृति वन के माध्यम से यह योजना चलाई गयी है । वन विभाग ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष तक नई योजना पंडित दीनदयाल जी के नाम से जैविक अवरोधों (बायोटिक) घेरवाड़ प्राकृतिक पुनरोत्थान चलाई है । इस योजना के लिये पहली बार दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । जो पूर्णतया श्रमप्रधान है ।

इसके अतिरिक्त एक और कार्यक्रम है । हमने प्रोत्साहन देने की बात कही है । सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की ओर जनता का रुझान बने इसके लिये व्यवस्था की गयी है । अभी तक नहरों, सड़कों, रेलवे लाइन के किनारे वन विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण हुआ था उसमें ग्रामवासियों को भी सुविधायें मिलें । उनकी अभिरुचि वृक्षारोपण में लगे इसकी व्यवस्था की गयी है । इन वृक्षारोपण का लाभ गरीब जनता को मिले । इसके लिये 1990 के वर्षाकाल के पूर्व लगे वृक्षों की कटाई की जायेगी तो उससे जो आय प्राप्त होगी उसका 50 प्रतिशत उस इलाके से संबंधित ग्राम सभा को सामजिक कार्यक्रम के लिये, जनोपयोगी कार्यक्रम के लिये दिया जायेगा । इसके साथ ही साथ हमने यह व्यवस्था की है कि गरीबी रेखा से नीचे अति निर्धन लोगों को भी उसका लाभ मिल सकेगा । उनको आर्थिक रूप से सहायता मिल सके । 25 प्रतिशत कुल आय का उस ग्राम सभा से सबंधित ग्राम सभा के भीतर रहने वाले लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में मदद करेंगे । इसके अतिरिक्त जो 25 प्रतिशत बचेगा उसे कटाई के बाद जो भू-भाग खाली हुआ है उस पर और पेड़ लगाकर उपयोग में किया जायेगा ।

इसके साथ मान्यवर, एक और योजना हमने जोड़ी है । साधारणतया गांवों में वन लगाये जाने के लिये अभिरुचि नहीं रही है । कई बार आलोचना भी हुई है । रेलवे लाइन के किनारे, सड़क के किनारे वृक्ष लगाये जाने के बारे में बहुत आलोचना हुई है । कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि पेड़ तो लगा दिये जाते हैं परन्तु उसका मेन्टीनेन्स नहीं किया जाता है । इसलिये मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए नयी योजना बनायी गयी है । ऐसे सार्वजनिक स्थान पर वृक्ष लगाये जायेंगे जहां पर उनकी देख भाल अच्छी तरह से हो सके । अगर किसी किसान का खेत उस सीमा से छूता है तो अब अन्तिम पंक्ति कटाई होगी तो उसका पूरा मूल्य उसको दिया जायेगा । अगर रेलवे पटरी से उसका खेत जुड़ा है तो हम उससे अपेक्षा करेंगे कि वहां पर रेलवे पटरी के किनारे जो पेड़ लगाया गया है, उसकी वह देखभाल करे । इससे भी पूरे प्रदेश की जनता के भीतर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे और इस कार्यक्रम को और मजबूती से बढ़ा सकें । इसी के साथ-साथ गांव के विपन्न. लोगों की आज चर्चा हो रही थी । वनों को लगाने की दिशा में अभिरुचि पैदा की जा सके । इसके लिये क्रान्तिकारी कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है । मान्यवर, कोशिश की है ग्राम वन समिति में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेंगे, दो कार्यक्रम घोषित किये गये हैं उनका पर्यवेक्षण करायेंगे । चर्चा होती रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का स्थान नहीं मिलता

है वन समिति में महिलाओं को उचित सम्मान मिले इसलिये इस वन समिति में एक महिला और एक अनुसूचित जाति के सदस्य को अनिवार्य कर दिया है। जो बाबूराम जी नहीं कर पाये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शाही जी संक्षिप्त कर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, वन विभाग कोशिश कर रहा है कि किसानों में इस बात का उत्साह पैदा किया जाये कि वह स्वयं पौधशालायें लगायें। इसमें हमने कोशिश की है कि किसानों द्वारा लगाये गये पौधों की बिक्री वन विभाग के माध्यम से की जाये। इस तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने 745 पौधशालायें लगायी हैं। स्कूलों के बच्चों में अभिरुचि पैदा करने के लिये स्कूलों के खाली मैदानों में पौधशालायें लगाइ जा सकें इस दिशा में वन विभाग ने प्रयत्न किया है। 335 ऐसी पौधशालायें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा वहां के छात्रों के द्वारा संचालित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को जहां से वन लगाने के लिये पौधे मिल रहे हैं, मान्यवर, जिन प्रजातियों के आवागमन पर ट्रांजिट होता रहा है उसमें आरोप लगते रहे हैं इसमें किसानों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, उनकी कठिनाई को देखते हुए हमारी सरकार ने फैसला लिया है और 19 प्रजातियों पर ट्रांजिट लाइसेंस समाप्त कर दिया है। इसको 38 जिलों में लागू किया गया है। 38 जिलों में 19 प्रजातियों के काटने पर कोई लाइसेंस नहीं है। यह बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है।

मान्यवर, वनों की सुरक्षा के लिये प्रदेश के वन विभाग में 31 सशस्त्र टुकड़ियां हैं, इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी समायोजित किया जायेगा ताकि लाभ मिल सके। मान्यवर, 228 भूतपूर्व सैनिकों की टीम बनाई है जो वनों के भीतर आकस्मिक निरीक्षण करेगी। अवैध कटान है इसके ट्रांजिट की रोकथाम पर विचार करते हुए वन विभाग के कर्मचारियों पर अपराधियों द्वारा लकड़ी माफिया द्वारा हमले होते रहे हैं। तराई क्षेत्र में दुर्भाग्यवश आतंकवादी घटनायें घटी हैं जिनमें अभी 2 वन कर्मी मौत के शिकार हुए। हम कोशिश कर रहे हैं कि वन कर्मियों की सुरक्षा के लिये उनको आग्नेयास्त्र सुलभ करायें और वाहन उपलब्ध करायें। यह सुविधा देने के लिये राज्य सरकार विचार कर रही है। बहुत शीघ्र ही इस दिशा में हम घोषणा करने वाले हैं, मान्यवर, सदन में समय-समय पर वन माफियों के बारे में, अवैध कटान के बारे में, चर्चा होती रही है। लकड़ी माफिया अवैध कटान करते हैं, इसके लिये सरकार विचार कर रही है और सरकार वर्तमान कानूनों में संशोधन करेगी और उन कानूनों की कड़ाई के साथ लागू करेगी चाहे उसके लिये माफिया को किसी भी राजनैतिक दल या किसी भी पार्टी का संरक्षण क्यों न प्राप्त हो। उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के लिये वर्तमान कानूनों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। कानूनों का कड़ाई से पालन करने के लिये वर्तमान शासन में शीर्ष स्तर पर विचार हो रहा है।

जन जन्तुओं के लिये वन जन्तु बिहारों का भी संचालन वन विभाग कर रहा है। प्रदेश में 12 पक्षी बिहार हैं। 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 3 उद्यान प्रस्तावित हैं जिसमें राजाजी उद्यान की दिशा में इस वर्ष काफी काम हुआ है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उद्यानों का जो क्षेत्र है वहां पर 512 गूजर परिवारों के भवन थे जिनको बेदखल किया जाना है। इसके लिये 512 मकान बनाये गये हैं ताकि इन विस्थापित परिवारों को वहां पर बसाया जा सके। यह 512 भवन निर्माण निगम ने बनाये हैं।

वहां पर गूजरों के बच्चों की पढ़ाई के लिये व्यवस्था तथा जलापूर्ति की व्यवस्था हम कर रहे हैं । यह परिवार सुविधा से रह सकें इसके लिये हम व्यवस्था कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस सदन में कई बार चचायें होती रही हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के कारण पहाड़ों पर रचनात्मक कार्य नहीं हो पाते हैं । पी० डब्लू० डी० सड़क नहीं बना पाता है, पाइपलाइन डालने में दिक्कत होती है तथा अन्य कार्यों में होती है । मैं इस संबंध सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के कारण यह जो इस प्रकार की कठिनाई होती है उसमें भारत सरकार का सहयोग लिया जा रहा है । हमने इसके लिये एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था की है जो सभी विभागों से सम्पर्क करके उन प्रस्तावों को केन्द्र तक पहुंचायेगा और केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेकर यह रचनात्मक कार्य पूरे किये जा सकेंगे ।

मान्यवर, अभी गढ़वाल मंडल में, उत्तरकाशी में जो भूकम्प आया उसमें वन विभाग ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है । हमने व्यवस्था की है वहां के लोगों के जो हक हैं और हकूक हैं, उनके संबंध में 1991-92 की लकड़ी तथा 1992-93 की लकड़ी उन भूकम्प पीड़ित परिवारों को दी गयी है जिनके आवास भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गये थे । इस तरह से 9 लाख 80 हजार 972 घनमीटर लकड़ी भूकम्प पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी है जिनकी कीमत 6 करोड़ 75 लाख रुपये होती है । भूकम्प पीड़ितों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी संवेदना जोड़ी और डेढ़ लाख रुपये अपने वेतन में से कटौती करके एकत्रित किया और राज्य सरकार को उपलब्ध कराया है । वन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं । पर्यावरण को ठीक बनाये रखने के लिये वनों के माध्यम से जो सम्पत्तियां सृजित हो रही हैं उनसे आगे चलकर राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि होगी ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों के विचार आमंत्रित करते हुए अपील करना चाहता हूं कि इस बजट को पारित करें । आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय लीलाराम शर्मा जी, आप कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपने समय बहुत कम दिया इसलिये मैं चाहूंगा कि पर्यावरण तथा वन विभाग दोनों को मिलाकर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं । मान्यवर, यह सर्वविदित है कि आज जंगलों की कमी की वजह से हमारा वातावरण काफी दूषित हो गया है । आज हम देख रहे हैं कि वातावरण दूषित होने के साथ जो हमारा भूमिगत जल स्तर है वह दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है । हमारे लखनऊ के संबंध में जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बताया गया है यहां का भूमिगत जल स्तर 18–19 मीटर नीचे चला गया है जबकि 15 मीटर नीचे यदि जल स्तर चला जाय तो यह खतरनाक होता है । मान्यवर, यदि देखा जाय

तो अंग्रेजी हुकूमत ने जंगलों की बड़ी महत्ता रखी थी । सन् 1800 में ही उन्होंने जंगलों तथा जंगलों में पाये जाने वाले जन्तुओं की तरफ ध्यान दिया था । 1878 में जंगलों की सुरक्षा के लिये उन्होंने कानून बनाये थे । 1889 में वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेशन ऐक्ट और फारेस्ट प्रिजरवेशन ऐक्ट बनाया था । जब देश को आजादी मिली तो चारों तरफ से मिल गयी । इससे सबसे पहले जंगलों पर कुठाराघात हुआ । नैनीताल जिले में तराई भावर के जंगलों को तबाह किया गया और वहां पर शरणार्थियों को बसा दिया गया । उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि जंगलों की बड़ी आवश्यकता है । आज जो भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग जंगलों से घिरा होना चाहिए और पहाड़ों के लिये इस संबंध में जो नीति है उसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र का 2/3 भाग जंगलों से घिरा रहना चाहिए । आज अगर आंकड़ों को देखें तो करीब मैं 20 साल तक के आंकड़ों को देख रहा था, उत्तर प्रदेश में मैंने पाया कि 17.4 या 17.2 परसेंट के अन्दर ही हमारी उत्तर प्रदेश की वन क्षेत्र की भूमि घूमती रही । इससे ऐसा लगता है कि यह आंकड़े बिल्कुल गलत बनाये गये । पर्वतीय क्षेत्र के आंकड़ों को देखा जाय तो सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि 61 परसेंट पर्वतीय क्षेत्र की भूमि वन से घिरी है । ऐसा लगता है कि इन्होंने वन पंचायत की जो जमीन है, फारेस्ट की जमीन है, उनको जंगल में ले लिया । अगर पर्वतीय क्षेत्र के सही आंकड़े लिये जायं, समय कम है, आंकड़े नहीं रखना चाहता, वहां के सही आंकड़े लिये जायं तो 41 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं । तो 41 परसेंट पर्वतीय क्षेत्र के आंकड़े लें और मैदानी क्षेत्र में 17.4 बताया गया है, उसको लिया जाय तो आज एक दयनीय स्थिति मैदानी क्षेत्र की है । यहां पर 5 परसेंट से ज्यादा वन नहीं हैं । जबकि यहां पर मैदानी क्षेत्र में कम से कम 33.3 परसेंट वन होने चाहिए ।

मान्यवर, इन वनों को बनाने की पीछे सरकार ध्यान नहीं दे रही है । वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं देगी, कायम वनों की कटान पर रोक नहीं लगायेगी और माफिया ग्रुपों को मनमानी करने देगी तो प्रान्त में बड़ी ही भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी । आज हमारे सड़कों पर टैम्पों चलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, उद्योग लगेंगे । विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहेंगे तो यह होगा ही । इनसे पर्यावरण की अस्थिरता तथा वायु प्रदूषित होगी । इसको रोकने के लिये कोई शीघ्र कदम नहीं उठायेंगे तो क्या होगा । मान्यवर, आज आंकड़ों को अगर देखा जाय तो मालूम पड़ता है कि जैसे कि पिछले दिनों बताया, लखनऊ में गाड़ियों का प्रदूषण मानक से आठ गुना ज्यादा है । आज देखा जाय तो दिल्ली में गाड़ियों से जो प्रदूषण है, वहां के कुलानुकूल का 60 परसेंट है । ध्वनि प्रदूषण ने बम्बई का ध्वनि प्रदूषण दुनिया में नम्बर 3 पर है तो इस ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिये पेड़ों की आवश्यकता है । यह बताया गया कि अगर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ सड़कों के किनारे लगाये जायें तो ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं वे उसकी ऊर्जा को एब्जार्ब कर लेते हैं और वायु प्रदूषण भी रुकता है । मान्यवर, आज प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है वह है उद्योग धन्धों से प्रदूषण फैल रहा है गाड़ियों से, माइनिंग से । मैं ज्यादा याद नहीं दिलाना चाहता हूं, हाल ही में देहरादून में चूने को लेकर जो मुकदमा चला रूरल लिटिगेशन वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से रखा है कि "कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एण्ड कंजरवेशन नीड फार रीकंसाइलिंग दि टु इन दि लार्जर इंट्रेस्ट आफ कन्ट्री" । इसका अर्थ है कि डेवलपमेंट भी चाहिये, प्रगति भी चाहिए, दूसरी तरफ जो रुकावटें आती हैं, इसको भी रोकना है, इसके लिये दोनों में सामन्जस्य करना होगा । इसके माने कि विकास की ओर बढ़ना है लेकिन उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना होगा । इसको रोकने के लिये पेड़ लगाने की जरूरत है, लगाये जायं । जो उद्योग धन्धे लगाये जायें

उसमें जरूरी है कि प्रदूषण कन्ट्रोल डिवाइस को जरूर लगायें ई·एस० पी० का आविष्कार हो गया है । प्रदूषण कनट्रोल डिवाइस को जरूर लगायें, यह सरकार को चाहिये जो उद्योग नहीं लगाते हैं उनको नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट नहीं देना चाहिये ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

आज विश्व बैंक की रिपोर्ट को अगर देखें तो विश्व बैंक की रिपोर्ट ने यह कहा है कि आज दुनियां के शहरी जो क्षेत्र हैं, वहां पर 60 करोड़ गाडियां चल रही हैं और एक दशक में इन शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गिर जायेगा । तो इन परिस्थितियों को देखते हुए आपके माध्यम से मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इन सारी चीजों को देख कर इस प्रदूषण पर ज्यादा ध्यान दें। डा० राम मनोहर लोहिया ने 1964 में एक बात कही थी, उसकी ओर ध्यान देने के लिये, गंगा प्रदूषण को रोकने के लिये इतनी बड़ी नौबत आयी । डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा कि गंगा प्रदूषित न करो, जिससे कि एक दिन खतरनाक स्थिति खड़ी हो जायेगी और वह स्थिति आज खड़ी हो गयी आज बम्बई, पटना में बायो गैस बनाने के लिये इन्डस्ट्री लगा रहे हैं, आज मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहूंगा कि चाहे ह्यूमन वेस्ट हो या फैक्ट्री वेस्ट हो, इसको इस्तेमाल कर ऊर्जा पैदा करें, जमीन में डालने से वायो गैस पैदा हो जाती है । जिससे जमीन के अन्दर या जो पानी है वह प्रदूषित हो जाता है तो इण्डस्ट्री वेस्ट से प्लांट लगाना बहुत आवश्यक है, जैसा कि पटना और दिल्ली में लगायी जा रही है ।

मान्यवर, आजादी के बाद हमारे इस प्रान्त में सिर्फ एक वन विभाग था, जो कि सारे वनों के संबंध में सभी कुछ देखता था लेकिन कहा गया कि धीरे-धीरे वनों का नुकसान ठेकेदार लोग कर रहे हैं, इसके लिये एक योजना 1974 में बनी थी, इसको तीन विभागों में बांट दिया गया । (1) वन विभाग (2) वन निगम (3) सिविल स्वयम् । वन विभाग इन सारी चीजों को देखेगा, वन निगम लकड़ियों को बेचेगा और सिविल स्वयम् पौधा को लगायेगा । यह योजना बड़ी अच्छी थी, बीस साल तक चली लेकिन ऐक्चुअली अगर आप देखें कि आज वनों की जो दुर्दशा 1974 के बाद होनी शुरू हुई, वह पहले नहीं थी, बगैर वन विभाग के अधिकारियों से मिल कर टेकेदार चोरी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वन निगम बनाकर उन्हें चोरी करने का पूरा मौका दिया गया है । उसको सारे अधिकार दे दिये । तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय पर आप सोचें । आज वह जरूरत पड़ गयी सिविल स्वयम् वन विभाग और वन निगम एक ही विभाग थे तीनों को मिला कर एक विभाग कर दिया जाये । अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हमारे प्रान्त के ऊसर और रेगिस्तान की भमि बढ़ती जा रही है ।

आप देखें चकराता, नैनीताल और बांदा में रोजाना अखबारों में यह आता है कि माफियों ने इतना शीशम इतने खैर के पेड़ इतने ट्रक ले गये । मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि बगैर विभाग के अधिकारियों से मिल कर कोई भी एक ट्रक लकड़ी जंगल से नहीं निकाल सकता है जंगल में एक ही रास्ता मोटर का होता है । जंगल की लकड़ियां जो हैं, एक दिन में नहीं कटती हैं, उसके लिये समय चाहिये, काटने के बाद ढोने में, लादने में समय चाहिये । और लादकर जब वह लकड़ी शहर में पहुंच जाती है, तब चोरी का पता चलता है । मान्यवर, ऐसा विभाग की मिली जुली भगत से होता है और जंगलों की तबाही हो रही है । मान्यवर, जहां तक आतंकवाद का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के नाम पर यहां पर बहुत चोरियां हो रही हैं । जब कोई घटना घटती है, तो कहा जाता है कि आतंकवादी आ गये हैं और उन्होंने गोली चला दी है । मैं कहना चाहूंगा और मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि एक फारेस्ट रेंजर ने गोली अपने ऊपर चला दी और 8 ट्रक माल बाहर भिजवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप और कितना समय लेंगे ?

श्री लीला राम शर्मा–

मैं बहुत ही जल्दी समाप्त करूंगा । आप वहां पर एक ओर आतंकवादी हैं और दूसरी ओर माफिया गिरोह है, आतंकवादियों को जंगलों में ठहरने के लिए स्थान मिल जाता है और माफिया गिरोह जो हैं वह लकड़ी को अनधिकृत रूप से कटवा कर बाहर ले आते हैं आपके पास ऐरोप्लेन हैं, हेलीकाप्टर हैं और वायरलेस सेट हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं । अगर फारेस्ट गार्ड काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ ही साथ बी० एस० एफ० के जवानों को लगायें । आप चौकियां बनायें और वहां पर फारेस्ट गार्ड के साथ ही साथ बी० एस० एफ० के जवान लगायें । माफिया ग्रुप जो हैं वह लकड़ी की चोरी करते हैं और आतंकवादी वहां पर शरण पाते हैं, आपका जो बीट का एरिया है, वह बड़ा है इसको आप छोटा करें । आप अपने सारे अधिकारियों को जंगल में लगावें । अगर आप सही ढंग से काम करें तो माफिया ग्रुप को समाप्त किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

दानों मदों पर साढ़े 6 बजे मतदान हो जाना चाहिए और इतना समय हो रहा है और माननीय सदस्य भी अपने विचार रखना चाहेंगे ।

श्री लीला राम शर्मा–

मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं । मान्यवर, कन्जरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट ऐसी बला है कि वह पहाड़ों पर जितनी योजनायें बनती हैं, उनको कार्यान्वित होने में बड़ा बाधक है । यह कानून 1980 से लागू है संक्षेप में इसके बारे में बताना चाहता हूं कि 1813 की सुगौल की संधि के पहले यह पर्वतीय क्षेत्र नैपाल राज्य में आते थे और इस संधि के बाद यह भारत में आये आज उत्तरांचल का नारा दिया गया है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कुछ विदेशी हैं जो हमारे देश के टुकड़े कराना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी इसको गौर से देखें ।

मान्यवर, इस 1813 सगौली संधि के बाद जब अंग्रेजों की हुकूमत आयी, सम्वत् 1880 से पहले पहाड़ी क्षेत्र की जमीनों का हिसाब नहीं था । अंग्रेजों ने 1880 में सबसे पहले गांवों की सीमाओं का निर्धारण किया और उसमें रहने वाले लोगों को पूरा हक हकूक सारी जमीन का उस गांव वालों को दिया उसके बाद अंग्रेजों ने कुमायूं नयाबाद एण्ड वेस्ट लैण्ड ऐक्ट बनाया ।

श्री उपाध्यक्ष–

शर्मा जी, बजट पर्यावरण और वन पर है ।

श्री लीला राम शर्मा–

मैं वहीं पर आ रहा हूं । मान्यवर; जब तक थोड़ा सा बैकग्राउण्ड क्लीयर न हो जाय तब तक कंजरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट क्लीयर नहीं हो पायेगा ।

मान्यवर, मैं इतना बताना चाह रहा था कि कुमायूं नयाबाद एण्ड वेस्ट लैण्ड एक्ट के अन्तर्गत जमीन खोदने का पूरा अधिकार काश्तकारों को था । 1878 में जो फारेस्ट ऐक्ट बना उसको रिप्लेस कर 1927 में नया फारेस्ट ऐक्ट बनाया गया । 1892 और 1893 में एक नोटिफिकेशन के द्वारा पहाड़ की

सम्पूर्ण जमीन जो कल्टीवेटेड नहीं थी उसको प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित किया गया था उसकी वजह से आज कंजरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट की वजह से जितनी योजनायें बन रही हैं वह सारी योजनायें जब तक केन्द्र से इस ऐक्ट के तहत पास कराकर नहीं आती यह योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकती । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी विधि विशेषज्ञ की राय ले लें । हमारे यहां का कानून 1980 का यह कहता है कि वह हक हकूक चले आ रहे हैं उनको रोक नहीं सकते पहाड़ के लोगों को यह हक होगा कि वह सड़क बनाये, कटान करें और वह जहां से गूल ले जा सकते हैं लिहाजा इन परिस्थितियों को देखते हुए 1980 का जो कंजरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट है यह पहाड़ी क्षेत्र में लागू नहीं होगा यदि होता भी है तो पहाड़ के हित में पहाड़ की सारी योजनाएं दुरुस्त करने के लिए 1893 का जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लेने की कार्यवाही करें ताकि यह झंझट ही न रहे । मान्यवर, 403 करोड़ रुपये आप पहाड़ को बजट दीजिये या एक हजार करोड़ दीजिये कन्जरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट के रहते पहाड़ का विकास नहीं होगा कृपया इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, वन पंक्षियों के संबंध में थोड़ा सा कहूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम उनके लिए फार्म बना रहे हैं, सेन्चुरीज बना रहे हैं तो मेरा कहना है कि सेन्चुरीज किस तरह से चला रहे हैं इसको देखने की आवश्यकता है खाली सेन्चुरीज बना देने से काम नहीं चलेगा । मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र में आदमखोर बाघ ज्यादा हैं । जिमकर्बेट का कहना है कि बाघ आदमखोर तब होता है जब बूढ़ा हो जाता है या भूखा रहता है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत है पहाड़ पर कैप्टिव फार्म बनाने की जिसमें पहाड़ के जंगल में पाये जाने वाले जीव जन्तुओं को पाला जाय और उनको बाद में जंगल में छोड़ दिया जाय ।

जब तक यह नहीं करेंगे तब तक आज जो जंगलों में पायी जाने वाली स्पेसीज पहाड़ में लुप्त हो रही है, वे लुप्त होती रहेंगी । मलया नाम की चिड़िया हर साल हिमालय से पिथौरागढ़ आती थी लेकिन अब शिकारियों की वजह से विलुप्त होती जा रही है । पहाड़ों में ज्यादा जंगल लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप वहां पर गैस दे दें और बिजली सस्ती कर दें, तो जंगल स्वयं बने रहेंगे ।

आज जरूरत इस बात की हो गयी है कि 10 साल के लिए जंगलों के कटान को बन्द कर दें । आज आसाम से और मलेशिया से लकड़ी आती है । वहां से लकड़ी मंगायें । हम पहाड़ से आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहां पहुंच गये । जब से लखनऊ में आया हूं साफ आसमान नहीं देख पाये हैं । यह धुन्ध धीरे-धीरे बढ़ रही है । यह यहां पर रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होने की निशानी है । प्रदूषण को कम करने के लिए फैक्ट्रियों में ''पाल्यूशन कण्ट्रोल डिवाइस'' लगायें । ''वेस्ट'' को काम में लाने के लिए फैक्ट्री लगायें, वाहनों का कार्बन, साइलेंसर आदि चेक करायें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट को सख्ती से इनफोर्स करें । ट्रैफिक पुलिस जो रखते हैं केवल पैसा वसूली करने वाले आदमी न रखें बल्कि ऐसे लोगों को रखें ताकि वे प्रदूषण को भी देखें । नई सड़कों का जब निर्माण होता है तो उसके दोनों तरफ 300–300 फीट भूमि ले लें, उसे ''प्रोटेक्टेड फारेस्ट'' डिक्लेयर करके उसमें जंगल लगायें । चाहे सड़क हो या नहर हो उसके दोनों तरफ भूमि लें । रेलवे की जितनी जमीन है, जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर जंगल लगायें । वन विभाग की भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाकर वहां पर जंगल लगायें । ग्राम समाज की भूमि को भी ''प्रोटेक्टेड फारेस्ट'' डिक्लेयर कर दें । पाल्यूशन ऐक्ट में एक साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माने का प्राविधान है लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें यह सजा दिया गया हो । इसका मतलब पाल्यूशन ऐक्ट कड़ाई के साथ काम में नहीं लाया जा रहा है । खैर के पेड़ कुछ लिमिटेड आदमियों को दे रहे हैं बाजार भाव पर कहकर जब तक नीलामी

नहीं करेंगे बाजार भाव कैसे निर्धारित करेंगे ? इसके साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 2 मिनट मुझे बोलने का समय दिया, अब जो बातें रह गयी हैं बाद में बोल लूंगा ।

* श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, आपने वन और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह धारणा तथ्यों पर आधारित है कि बस, वन, बंजर, बीहड़, बिजली तथा सार्वजनिक उद्योगों को नियोजित कर दिया जाय तो शायद किसी टैक्स को लगाने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ेगी और सरकार प्राकृतिक सम्पदा तथा निजी साधनों से ही श्रेष्ठ विकास कार्यों को सम्पन्न कर सकेगी । मान्यवर, यह सम्पदा इस प्रदेश में बहुत अधिक है इसको नियोजित करके इस सरकार का काफी काम चलाया जा सकता है मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का इसी आधार पर समर्थन करता हूं कि आज तक जो सरकारें थीं उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और घोर भ्रष्टाचार में फंस कर यह पूरी सम्पदा यह पूरी आय देने वाले साधन कुण्ठित हो गये, हानि देने लगे ।

मान्यवर, जो बजट यहां पेश किया गया है उसमें सरकार की नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है । जो पूर्व की सरकार द्वारा इसमें खराब काम हुए थे उसको यह सरकार ठीक करेगी । मैं आपकी अनुज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीयत अच्छी है परन्तु अभी सरकारी अधिकारियों में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आया है । इसके दो उदाहरण प्रस्तुत कर देना चाहता हूं । जनपद रामपुर की कोसी नदी में काशीपुर की इण्डिया ग्लाकोल फैक्ट्री अपना काला जहरीला पानी डालती है जिसके फलस्वरूप पूरी नदी के किनारे बसे गांवों में भयंकर बीमारी फैल रही है नलों में भी पानी काला आ रहा है । नागरिक व पशु दोनों ही इस भयंकर जल प्रदूषण से त्रस्त हैं । तुरन्त यह जहरीला पानी रोका जावे । इसमें एक सैम्पल लिया गया है, थोड़े दिन पहले लिया गया, मान्यवर, उसकी कड़ाई से जांच करायी जाय और जांच की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय जिससे अधिकारियों को लगे कि अब उनकी उच्चश्रृंखलता बर्दास्त नहीं होगी । इसी प्रकार एक उदाहरण वन विभाग के संबंध में है । अलीगढ़ जिला माननीय मुख्य मंत्री जी का जिला है । अलीगढ़ में जिस एक वनराजिक ने कठोर परिश्रम करके ऊसर बंजर क्षेत्र में खैर के वृक्ष अति अल्प मूल्य में 6 रु० प्रति पेड़ पर लगाये उसको सम्मानित करने के स्थान पर अटैच कर दिया गया । एक उपवनराजिक को चार्ज दिया गया वह उपवनराजिक वही पेड़ 14 रु० प्रति पेड़ पर लगा रहा है । उत्तर प्रदेश शासन से बराबर वहां निर्देश दिये जा रहे हैं । लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है वह सरकार की नीतियों को बदनाम करने पर उतारू है । कोई इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है । ऐसे अधिकारियों को मान्यवर अगर नियंत्रित नहीं किया जायेगा उनको सावधान नहीं किया जायेगा तो सरकार की नीति ठीक होगी, लेकिन काम नहीं चल पायेगा । मान्यवर, आपकी लाल बत्ती से डरते हुए, अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपकी आज्ञा से मान्यवर अधिकारियों को आगाह करता हूं कि सरकार की नीतियों के ठीक प्रकार से पालन करने में सक्षम हों । धन्यवाद ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे वन एवं पर्यावरण के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, लीला राम शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की हालत है अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि शुद्धीकरण के यंत्र लगवाये गये । लेकिन कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिससे पूर्णतया शुद्धि हो जाय पहले भी इस सदन में चर्चा हुई थी । मेरे क्षेत्र में काली नदी का जल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है । वहां पर दौराला शुगर फैक्टरी डिस्टलरी तथा अन्य 12 उद्योग हैं जिसका पानी उस काली नदी में जा रहा है और उसको कोई पशु पी ले तो वह मर जाये इस तरह से जो बड़े उद्योग हैं वह अपना वेस्टेड प्रोडेक्ट्स उसमें डाल रहे हैं और इस ओर में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, अभी मेरठ में गढ़ मार्ग पर यासीन हड्डी मिल गोकुलपुर गांव के पास बनी हुई है तो उससे इतनी बदबू फैल गयी है कि वहां पर मेरठ मेडिकल कालेज जागृति बिहार और शास्त्री नगर में रहने वाले लोगों का जीना दुस्वार हो गया है इतना प्रदूषण वहां पर फैल गया है । सरधना में आबादी में बूचड़खाना और मुर्दा मवेशी खाना मेरे क्षेत्र में हैं तो यह सब समस्यायें हैं जिन्हें रोकने की आवश्यकता है और इसे रोकने के लिये कोई कड़ाई से आदेश नहीं दिये गये हैं जबकि आठ माह पहले इस पर चर्चा भी हुई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

आप छोटे उद्योगों के खिलाफ जैसे चमड़ा उद्योग है, तो कार्यवाही कर देते हैं लेकिन जो बड़े उद्योग हैं, जैसे चीनी मिल और डिस्टलरी हैं उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । इसके अलावा मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि वन विभाग से बड़े पैमाने पर लकड़ियों की चोरी हो रही है और यह चोरी वन विभाग के कर्मचारी की बदौलत होती है । वन विभाग के कर्मचारी लकड़ी की बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है । सब नीचे से ऊपर तक के लोगों को इसकी जानकारी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि वन और पर्यावरण का गहरा संबंध है । वनों के जो कटान हुए हैं, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जमीन का जल स्तर नीचा हुआ है और वर्षा पर इसका प्रभाव पड़ता है तो इन वनों के कटान को रोका जाये और जो वनों की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है जो लोग लीज पर 10 एकड़ जमीन लेते हैं और घेर लेते हैं 50 एकड़ जमीन तो उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । अन्त में मैं विशेष तौर से अपने क्षेत्र में जो काली नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है जो वहां पर मोदी रबर फैक्ट्री, दौराला शुगर फैक्ट्री और पेपर मिल तथा 12 अन्य बड़े जो उद्योग अपना वेस्टेड प्रोडेक्ट्स उसमें डाल रहे हैं, उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय लीला राम शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री का बड़ा आभार प्रकट करता हूं उन्होंने बहुत सी उपयोगी येजनाओं की घोषणा की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक उन लोगों की तरफ भी ध्यान दें जो लोग वनों को लगाते हैं और जो लोग वनों की सुरक्षा करते हैं और उसमें लगे रहते हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं। पहली तो इसमें वह कर्मचारी हैं जो ठूंठ लिपिक, स्टैम्प मुहर्रिर, बैरियर मुहर्रिर, वाचर के नाम से जाने जाते हैं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के शासम काल में इस अल्पकाल में, वह सभी कर्मचारी इस समय कार्य से बाहर कर दिये गये हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। आपने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की आपने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम पर योजना चलायी है जिससे रोजगार का सृजन होगा लेकिन जो 15–15, 20–20, 25–25 वर्षों से वन विभाग में कार्य करते रहे हैं। यह वृक्ष लगाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, लकड़ी माफियाओं से मुकाबला करते हैं आज यह कार्य से निकाल दिये गये हैं क्या इसकी जानकारी राज्य सरकार को है ? मैंने बार-बार निवेदन किया, वह आन्दोलन कर रहे हैं, वह लोग निचले स्तर के हैं, डेलीवेजेज कर्मचारी हैं, वह लोग इस पर राजी हैं कि वेतन भले ही उनको न दें, लेकिन कार्य से हटाया न जाय। हमारे महराजगंज के सारे कर्मचारी निकाल दिये गये हैं। कहा यह जाता है कि धन के अभाव में। माननीय मंत्री जी इन्हें अन्य रोजगारों में तथा वन क्षेत्र के विस्तारीकरण की जो योजना है, क्या उसमें नियोजित करेंगे। मेरा निवेदन है कि उनको नियोजित करना चाहिए।

मान्यवर, वन टागिंया मजदूरों को, जो सैकड़ों से जंगल लगाते रहे हैं,यह रोटेशन में घूमते रहते हैं, अब जंगल लगाने पर रोक लगा दी गयी है यह लोग जंगलों में ही रहते हैं इन्हें आवास की सुविधा दी जाती थी, पीने के पानी की सुविधा दी जाती थी, अब यह सारी सुविधायें बन्द कर दी गयी हैं, गोरखपुर महराजगंज जनपद में इनके 2000 परिवार हैं और इनकी संख्या लाखों में है, यह लोग जंगल क्षेत्र में ही अपनी खेती भी करते हैं, इनको व्यवस्थित करना चाहिए, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इन टागिंया मजदूरों को व्यवस्थित करने का कार्यक्रम चलाना चाहिए और इनसे जंगल लगाने, इनकी सुरक्षा करने का कार्य लिया जाना चाहिए। इनको वोट देने का अधिकार भी मिला हुआ है, लेकिन इनको रेवेन्यू ग्राम घोषित किया गया है, आज भी यह लोग जंगली स्थिति में हैं। यह निचले स्तर के कर्मचारी हैं जैसे ठूंठ लिपिक, बैरियर मुहर्रिर, स्टाम्प मुहर्रिर, वाचर आदि इनके लिए धन उपलब्ध कराया जाय और उनका रोजगार न छीना जाय, उनके हाथ न काटे जायें क्योंकि यही लोग लकड़ी माफियाओं का मुकाबला करते हैं, मान्यवर, यदि यह दो कार्यक्रम कर दिये गये तो जो माननीय मंत्री जी आपने घोषणायें की हैं, तभी सफल होंगी, सार्थक होंगी अन्यथा इनकी अनदेखी करके आप दूसरी कोई योजना आदि चलायेंगे तो वह सफल नहीं होगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि इन दो श्रेणी के लोगों को व्यवस्थित किया जाय, इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं सिर्फ आधे मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, जिस चीज से प्रदूषण रुकता है, उस चीज की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी पुरानी भारतीय परम्परा के अनुसार पहले हवन हुआ करते थे और हवन से प्रदूषण दूर हो जाता था, इसको हमने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, हवन से वर्षा हो जाती है, जिससे प्रदूषण खत्म हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हवन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय और गांव-गांव, शहर-शहर में हवन करवाया जाय, तो इससे प्रदूषण का नामोनिशान ही मिट जायेगा। पहले लोग धार्मिक भावना से पेड़ लगाया करते थे, अब आज के समय में भी इस काम को

किया जाना चाहिए, इससे विपक्ष के लोगों का माथा सही हो जायेगा । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने पर्यावरण व वन विभाग के बजट को जब एक साथ रखा तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दरोगाओं को तो ठीक कर दिया है अब इन विभागों को भी ठीक करने का काम कर रहे होंगे । मैं कुछ सुझाव दूंगा । माननीय मंत्री जी उन सुझावों पर कार्यवाही करने की कृपा करें । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में हड्डी मिलें हैं । जब यहां पर स्व० श्री वीर बहादुर सिंह जी नेता सदन थे तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि इन हड्डी मिलों को हटा दिया जायेगा । अलबत्ता, मैं तो वहां से हट गया परन्तु वे मिलें आज तक नहीं हटीं । आज वहां पर लोगों का रहना दूभर हो गया है । दूसरी समस्या यह है कि सहारनपुर से दूषित पानी कृष्णा और हिण्डन नदियों में आता है । सी० एम० ओ० ने भी इस संबंध में सार्टीफिकेट दिया है कि इससे भूजल दूषित हो रहा है और मछलियां मर रही हैं तथा लोग इस पानी से बीमार हो रहे हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी इस आप ओर ध्यान दें और ठोस कार्यवाही करें ।

श्रीमन्, वन और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, आज प्रदूषण के नाम पर उद्योगों का शोषण हो रहा है । मैं एक मामले में स्वयं भुक्तभोगी हूं । उरई में एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री के एन० ओ० सी० का मामला था । पर्यावरण से वह हो गया था परन्तु जब वह आर० सी० ओ० कानपुर के यहां गया तो वहां पर तीस हजार रुपये की मांग की गयी जबकि उस क्षेत्र में 4-5 इण्डस्ट्रीज और चल रही हैं । जब उनको दिया जा सकता है तो इन्हें क्यों नहीं दिया जा सकता । माननीय मंत्री जी 30 हजार की राशि बहुत बड़ी होती है । एक-दो हजार में काम हो जाय, ऐसी व्यवस्था आप करें । आप तो हंस रहे हैं । मेरा कहना यह है कि आप इस ओर ध्यान दें । आज कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है, जिसमें प्रदूषण न हो । आज एन० ओ० सी० दिलाने हेतु दलाल वहां पर बैठे होते हैं जो पैसा लेकर एन० ओ० सी० दिला देते हैं ।

श्रीमन्, सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में यूकेलिप्टस का रोपण करके वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है । इसे लगाने से हमारा पर्यावरण और बेकार हो रहा है । आज इससे ग्राउण्ड वाटर का लेविल नीचे जा रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि यूकेलिप्टस की जगह पर आप इमारती व फलदार वृक्षों को लगायें । अभी आपने यह भी घोषणा की कि नहर व रेल की पटरी के किनारे-किनारे की जो अन्तिम पंक्ति के पेड़ होंगे, उसका पूरा पैसा किसान को दिया जायेगा । ठीक है, किसान को मिलना चाहिए । परन्तु एक समस्या आयेगी वह समस्या यह है कि किसान पूरी जमीन के पेड़ों के रख-रखाव को ठीक ढंग से नहीं कर पायेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि जमीन पर लगे आधे पेड़ों का पैसा उसको दिया जाय तो इससे उनमें रुचि भी पैदा होगी और वे पेड़ों के रख-रखाव को भी ठीक ढंग से कर पायेंगे ।

श्रीमन्, आज वनकर्मी माफिया लोगों से त्रस्त हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी आपको उनसे ही काम लेना है, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाये, जो आपके वन मजदूर हैं उनको कम से कम इस शासन के द्वारा लागू जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, वह उन्हें दिलाया जाय । किसान पौधशालाओं की बात कही गयी । मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी पौधें इन पौधशालाओं में बिकती हैं । मेरे यहां खेड़ी यूनियन में अशोक नाम के एक लड़के के पास पौधशाला है । उसके वहां से आज तक कोई भी पौध लेने को तैयार नहीं है । हमारे खतौली में एक चीतल फार्म है जहां पर कुछ चीतल व दूसरे

पक्षी रखे गये हैं, परन्तु उनके लिए चारे व खुराक आदि की व्यवस्था नहीं की गयी है । वहां हालत यह है कि अधिकारियों ने कहा कि यह इसलिए किया जाता है ताकि उनकी वृद्धि न हो । तो जहां आप वन्य प्राणियों को रखते हैं वहां चारे और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ चूंकि समय-समय पर मैं माननीय शर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अखिलेश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय लीलाराम शर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूं । अभी माननीय श्याम नारायण तिवारी जी ने महराजगंज के टांगिया और मजदूरों और वन विभाग के लिपिकों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है मैं निवेदन करूंगा कि महराजगंज के अन्तर्गत विशेषकर लक्ष्मीपुर, फरेंदा के जो टांगिया मजदूर हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से बसाने की व्यवस्था की जाय । उन्हें शासन द्वारा गरीबों को प्रदत्त समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जायें ।

माननीय मंत्री जी जो पुलिस विभाग के भी मंत्री हैं उन्होंने जंगलों के अवैध कटान की बात कही और जंगल माफियाओं के विरुद्ध लम्बी चौड़ी बात कही । महराजगंज में आपकी पुलिस जंगल काटने वाले गिरोह के साथ सांठ-गांठ करके जंगलों का अवैध कटान करती है । महराजगंज के बरगदवा थाने में दो माह पूर्व बड़े पैमाने पर वहां के पुलिस कर्मियों ने अवैध लकड़ियों को काट कर ले जाने का प्रयास किया जिसके विरोध में वहां की जनता ने रास्ता जाम कर दिया । जंगल विभाग के कर्मचारियों ने लकड़ियों को पकड़ा और थानाध्यक्ष बरगदवा समेत दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट किया । उप प्रभागीय न्यायाधिकारी के निचलौल जनपद महराजगंज के यहां आज भी रिपोर्ट मौजूद है । बरगदवा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया गया । लेकिन बेचारा रेंजर जिसने जनता के आग्रह पर लकड़ी को बरामद किया उसको दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर दिया । अगर जंगल विभाग में अवैध कटान को रोकना है तो पुलिस विभाग के कुकृत्यों पर भी रोक लगानी पड़ेगी ।

एक बात और कहना चाहता हूं सुनने में आ रहा है कि आप महराजगंज और गोरखपुर में बर्ड सेंचुरी घोषित करने जा रहे हैं । जंगल के बीचो बीच के बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें गांव बसे हैं खासकर सिंसियों, फरेंदा और लक्ष्मीपुर विधान सभा के इलाके में 15–15, 20–20 और 40-40 कि०मी० के बाद गांव बसे हैं अगर आप वहां बर्ड सेंचुरी घोषित कर रहे हैं तो इससे गांवों के लोगों में आवागमन में कठिनाई होगी अगर आपको वहां बर्ड सेंचुरी घोषित करनी है तो उन गांवों को जो बीच में पड़ते हैं उनके दूसरी जगह पर बसाने की व्यवस्था कर दें जहां उनको बसाया जाय वह स्थान जंगल के एक छोर पर हों ।

प्रदूषण के विषय में माननीय मंत्री जी ने चर्चा की मैं आग्रह करूंगा आपने राप्ती नदी का उल्लेख किया तो बड़ी नदियों के साथ-साथ छोटी नदियां जो उनसे मिलती हैं उनमें भी प्रदूषण हो रहा है उसकी तरफ भी ध्यान दें । छोटी-छोटी नदियों में भी प्रदूषण नियंत्रण किया जाय और उनमें नियंत्रण नहीं होगा तो बड़ी नदियों में प्रदूषण नहीं रोक पायेगा । आपने लाल बत्ती जला दी इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय लीलाराम शर्मा के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वन और पर्यावरण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं मान्यवर, वन ही जीवन है । वनों से ही शुद्ध जल और वायु

मिलती है उनकी रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है । खाली स्थानों पर, नदियों और सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ताकि हमें शुद्ध जल और शुद्ध हवा मिलती रहे ।

यहां पर अवैध कटान के बारे में बात आयी मेरा सुझाव है कि पेड़ों का जो अवैध कटान किया जाता है उसमें जिनको पेड़ काटने का काम दिया जाता है वही अवैध कटान करते हैं । इस प्रकार अवैध कटान से एक व्यक्ति का फायदा होता है इसलिए पेड़ काटने की अनुमति केवल वन निगम को ही दी जानी चाहिए । इससे अवैध कटान नहीं होगा और जंगलों की सुरक्षा होगी । मान्यवर, प्रदूषण की बात आती है तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि नदियों के किनारे जितनी बस्तियां बसी हुई हैं वहां पर सुलभ शौचालयों की स्थापना की जानी चाहिए । लखनऊ में जब हम यहां रहते हैं और यहां विधान सभा से रेलवे स्टेशन जाते हैं तो विक्रम और थ्री-व्हीलर के निकले धुवें से हम लोगों का दम घुटने लगता है । इसलिए ऐसे वाहनों के चालकों पर रोक लगायी जानी चाहिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर–

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की जो ज्वलंत समस्यायें हैं उनकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरे जनपद सहारनपुर में एक शराब फैक्ट्री पिलखानी उसके आस-पास के लोग और उसके अन्तर के लोग जब नल से पानी के लिए खींचते हैं तो उस पूरे क्षेत्र के पानी से शराब की बदबू आती है और इतनी आती है कि लोग उसको पी नहीं सकते हैं । हमारे क्षेत्र में दो नदियां कृष्णा और हिण्डेन बहती है । कृणा नदी में तो कई चीनी मिलों व गन्ना मिलों का और दूसरी मिलों का प्रदूषित पानी आता है, जिसके चलते उस नदी की हालत यह हो गयी है कि उसमें कोई गर्भवती पशु, पक्षी और भैंस उसका थोड़ा सा भी पानी पी ले तो उन पशुओं का गर्भपात हो जाता है । यह बड़ा गम्भीर मामला है और इसके जितने शरीर से पानी छू जाता है, वह हिस्सा सड़ना शुरू हो जाता है । मेरे क्षेत्र देवबन्द में एक रणखण्डी गांव है उसके नाले में शुगर फैक्ट्री का इतना बदबूदार और जहरीला पानी बहता है कि जो पशु उसके पानी को पी ले वह मर जाये । ब्लाक नानौता के ग्राम भनेड़ा खेमचन्द्र नाले में जो पानी बहता है वह बहुत ही गरम पानी बहता है । पशु उसमें चल जाते हैं तो वे मर जाते हैं इसको आप गम्भीरता से लें । आपका जो सारा कागजी मामला हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । यह हमारे क्षेत्र का गम्भीर मामला है, आये दिन क्षेत्र में इससे दुर्घटनायें होती रहती हैं इसको आप दिखवा लें तो मैं आपका बड़ा आभारी हूंगा । हमें आज समय नहीं मिलता तो सदन त्याग करना पड़ता ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, श्री लीलाराम शर्मा द्वारा वन विभाग के बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए बोलने का आपने समय दिया आपका आभारी हूं । सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जो बजटरी प्राविधान हुआ है उसको देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष 1,645 करोड़ रुपया रखा गया था जिसे इस वर्ष के लिए 1,578 करोड़ कर दिया गया है । यानी कम कर दिया गया है । ट्राइवेल सब-प्लान के तहत मेरा अनुरोध है कि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र में वन विभाग का एक लाखा मण्डल से लाडा मार्ग है । ग्राम नाडा के लिए यह एक मात्र इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसका सुधार कर मोटर मार्ग बनवाया जाय । राजा जी नेशनल पार्क का काफी बड़ा हिस्सा मेरे जनपद में विशेष रूप से डाइवाला ब्लाक में पड़ता है वहां के निवासियों के सामने इस पार्क को लेकर काफी संकट पैदा हो गया है जंगल के जानवरों से उनके कृषि को बड़ी क्षति होती है लिहाजा उनकी खेती की रक्षा के लिए इसमें आप कुछ प्राविधान करें । पहले यह था कि इलेक्ट्रिक फेसिंग कर दी जाये, मेरा अनुरोध है कि फेन्सिंग लगवाने के कार्य को कर दिया जाये । इसको गम्भीरता से सोचें ।

मान्यवर, वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पुस्तिका दी है जिसमें लिखा है "पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण" तो इसमें मेरा सुझाव है कि मंत्री जी विशेष रूप से चकराता क्षेत्र में फारेस्ट विभाग के जितने डाक बंगलाज हैं जिनका रख-रखाव भी वन विभाग नहीं कर पा रहा है इसलिए इन डाक बंगलों को पर्यटन विभाग को किराये पर दे दें । जिससे उनका रख-रखाव भी हो सकेगा और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन सम्पत्तियों का रख-रखाव भी अच्छी तरह से हो सकेगा ।

मान्यवर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत घेरबाड की योजना पहाड़ों में चलायी गयी है । पहाड़ों में विशेष रूप से पत्थर खदान करके घेरबाड करके प्लान्टेशन लगवाया जाता है । इसमें मेरा सुझाव है पत्थरों से घेरबाड करने के बजाय कटीले तारों की बाड़ लगायी जाय । क्योंकि घेरबाड के लिए जो पत्थरों का खदान किया जाता है वह अपने आप में भू-स्खलन का कारण बनता है ।

मान्यवर, पहाड़ों में जितनी नई सड़कें बनें उनके दोनों तरफ प्लान्टेशन लगाया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि पांच वर्षों तक पेड़ों को क्षति न पहुंचने दी जाय ।

मान्यवर, 1980 का फारेस्ट कन्जरवेशन ऐक्ट जो पहाड़ों में बना है उससे पहाड़ों पर विकास के कार्य अवरुद्ध पड़े हैं यह मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को लिखें कि पांच हेक्टेयर भूमि को ट्रान्सफर करने का अधिकार प्रदेश सरकार को दे दें और यदि प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं दिया जाता है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ स्थित मुख्य वन संरक्षक को ट्रान्सफर करने का अधिकार दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं शर्मा जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । मंत्री जी ने पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत 65,000 हेक्टेयर तक वनीकरण करने और ग्राम सभा में वन समितियां बनाने तथा गांव सभा में सार्वजनिक पेंड़ों में भागेदारी बनाने की योजनायें जो कि वृक्ष लगाने में सहायक होंगी चालू किया है । जो सराहनीय काम है ।

मान्यवर, वनों में जहां अवैध कटान की बात है इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि अवैध कटान माफिया लोग करते हैं और वन इनसे वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मिले रहते हैं और बिना मिले यह काम नहीं हो सकता है । इसलिए मेरा सुझाव है वन विभाग और पंचायत के पेड़ों की अवैध कटान में जो जुर्माना और सजा है वह बहुत कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए । इसमें माननीय मंत्री जी ने वैसे तो घोषणा की है कि कुछ नियमों में परिवर्तन करेंगे लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा जुर्माना और सज़ा होनी चाहिए । जमानत नहीं होनी चाहिए । कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल–

जो चौकियां हैं, वह बहुत पुरानी हैं, पुराने जमाने की बनी हुई हैं । जो फारेस्ट गार्ड हैं .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । (व्यवधान)

(श्री श्याद अली के नाम पुकारे जाने पर श्री श्याद अली व श्री बिन्दु लाल के बोलने पर व्यवधान होने के कारण किसी की बात स्पष्ट नहीं सुनायी दी)

श्री उपाध्यक्ष–

बिन्दु लाल जी आप बैठ जायें मैंने श्री श्याद अली जी को बुला लिया है ।

* श्री श्याद अली–

मान्यवर, श्री शर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । पर्यावरण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूं कि पर्यावरण और प्रदूषण का आज माहौल है । सबसे ज्यादा प्रदूषण वन विभाग के कर्मचारी में है । वन विभाग में डी० एफ० ओ० और रेंजरों ने इस तरह से प्रदूषण फैला दिया है कि आम जनता को इससे किस तरह बचाया जाय । ट्रान्जिट परमिट 50 रुपये में जारी होता है । लेकिन ट्रान्जिट परमिट लेने के लिए लोगों को 50 रुपये की बजाय 500-600 रुपये देने पड़ते हैं । चाहे बांस का परमिट हो, लकड़ी का परमिट हो या फल का परमिट हो । सबका यही हाल है हमारे जनपद प्रतापगढ़ में आंवले की बहुत अच्छी फसल होती है । पूरे प्रदेश और भारत वर्ष में हर जगह मालूम है कि प्रतापगढ़ का आंवला मशहूर है । मान्यवर, इस पर भी ट्रान्जिट परमिट जारी किये जाते हैं जो किसान यहां से बाहर आंवला भेजना चाहता है उसे परमिट लेना पड़ता है । लोगों को पचास रुपये फीस देनी पड़ती है लेकिन पैसे देने के बावजूद भी उनको नहीं दिया जाता है । बांस के लिए भी 50 रुपये की बजाय 500-600 रुपये में परमिट मिल पाता है । इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र भी लिखा था उनसे इस संबंध में जांच कराने के लिए कहा था परमिट में जिस गाड़ी से फल या बांस भेजा जाता है, उसका नम्बर अंकित किया जाता है लेकिन मेरे पास एक ऐसा परमिट आया जिस पर नम्बर अंकित नहीं था मैंने उसकी फोटो कापी भी भेजी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरा निवेदन है कि जो जानकारी मैंने दी है उसके हिसाब से डी० एफ० ओ० या और जो भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और वन विभाग में फैले इस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्ति दिलायी जाय । विधान सभा के सदस्यों को बताया जाय कि किन चीजों के ऊपर ट्रान्जिट परमिट लागू नहीं होंगे । आज गांव के लोगों को नहीं मालूम है, कई माननीय विधायकों को भी नहीं मालूम है । इसलिए वन विभाग द्वारा समस्त सदस्यों को, प्रमुखों को, प्रधानों को सूचना दी जाय कि किस चीज के ऊपर ट्रान्जिट परमिट का प्राविधान नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि मेरे जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में कई गांव हैं जैसे कुडरी और बघौनी (समय 7 बजकर 20 मिनट) तथा इसके आस-पास बहुत से ऐसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांव हैं जहां वन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों तरफ खेत हैं तो किसानों की फसल का भारी नुकसान होगा । यद्यपि यह सही है कि वन मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी सम्पदा है । सबसे ज्यादा मैनपुरी में ऊसर भूमि है अगर कृपा हो जाय तो ऊसर भूमि को चुन लें जो बेकार पड़ी है । उस भूमि को चुन लें इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री जी को रिप्रजेन्टेशन भी दिया था । आप वहां के ग्रामवासियों की बात सुन लें आप वहां पर वन न लगाकर ऊसर जमीन पर लगा लें । मान्यवर, प्रदूषण के संबंध में आदरणीय सदन में कई सबाल उठे । मैनपुरी में मान्यवर, एक ईशा नदी है मैनपुरी में जितनी फैक्ट्रियां हैं उसका गन्दा पानी ईशा नदी में जाता है, जिसकी वजह से जानवर मर जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं । मान्यवर, मैं गुजारिश करूंगा कि जितना गन्दा पानी ईशा नदी में जाता है उसको बन्द करा दें और शुद्धीकरण यन्त्र लगवा दें । जो यह यन्त्र न लगावें उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मान्यवर, आम राइस मिल बहुत बड़ी मिल है मिल का पानी रजबहा में जाता है जिससे रजबहा का पानी गन्दा हो जाता है इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

अगर ऐसी बात है तो मैं समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

किशोरी लाल जी एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री किशोरी लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, वन पर्यावरण प्रदूषण पर बोलने की अनुमति प्रदान की इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । पहले वन विभाग का प्रस्तावित बजट है उसको देख रहा था, चूंकि बोलने का समय ज्यादा नहीं है मैं कम समय में अपनी बात कहूंगा । मान्यवर, जनपद जौनपुर के मड़ियाऊ क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, वन विभाग के द्वारा पेड़ लगाये जा रहे हैं । उपजाऊ जमीन जो है वहां पर कांटेदार बबूल के पेड़ लगाये जा रहे हैं । अगर वहां पर फलदार पेड़ लगाये जायें तो बेहतर होगा । मान्यवर, वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत ज्यादा लगाये जा रहे हैं अमरीका और आस्ट्रेलिया ने यूकीलिप्टस के पेड़ों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, क्योंकि यह पानी बहुत ज्यादा सोखता है । एक सर्वेक्षण में अमरीका और आस्ट्रेलिया में बताया गया कि एक साल तक अगर किसी खेत में यूकीलिप्टस लगाये जायें तो वह भूमि ऊसर हो जायेगी । अगर विश्वास न हो तो जो पंम्पिंग सेट्स लगाये जा रहे हैं, उसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है जो जो यूकलिप्टस के बाग के किनारे है पर्यावरण के बारे में मान्यवर, कहना चाहूंगा । जो बूचड़खाने शहर और कस्बों में खुले हुए हैं उससे पर्यावरण पर बहुत असर पड़ता है । माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करा दें कि जो बूचड़खाने हैं वह शहर और कस्बों से बाहर लगाये जायें यह प्रतिबन्ध उन पर लगा दिया जाय और जो यह बूचड़खाने वाले जानवरों की हड्डियां ऐसे ही फेंक देते हैं तो यह एक जगह इक्ट्ठी की जायं ताकि पर्यावरण पर असर पड़े । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने वन और पर्यावरण दोनों पर अपनी बातें कहीं जिसको मैंने सुना है। जहां तक प्रदूषण की बात है वायु प्रदूषण के साथ-साथ भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वैज्ञानिकों का विचार है कि औसतन 170 मि० मी० वर्षा होनी चाहिए लेकिन उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। आज 70 फीसदी नदियों का जल प्रदूषित हो गया है उसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इस प्रदूषण को दूर किया जाना चाहिए। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने टैम्पो और टैक्सी से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण के संबंध में बात कही। टेम्पो और टैक्सी से कार्बन मोनोआक्साइड तथा सल्फर डाईआक्साइड गैसें निकलती हैं जो स्वास्थ्य तथा वातावरण के लिए हानिकारक हैं। इन गैसों के घनत्व को मापने के लिए जो रीडिंग मशीन होती है उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वाहनों से जो कार्बन या अन्य पदार्थों के कण निकलते हैं उनके लिए गैस एनालाइजर तथा स्मोक एनालाइजर की व्यवस्था करें और जो वाहन पेट्रोल तथा डीजल से चलते हैं उनके द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को दूर करने की व्यवस्था करें।

वनों के बारे में कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में वनों की क्षति हो रही है। देश की तुलना में हमारे प्रदेश में वनों की क्षति अधिक हो रही है। हमारे प्रदेश में वनों की क्षति 221 हजार हेक्टेयर है, महाराष्ट्र में 215 है, केरल में 189 है, मध्य प्रदेश में 180 है, जम्मू कश्मीर में 90 है, राजस्थान में 85 है तथा तमिलनाडु में 65 है। इसको देखने से पता चलता है कि हमारे प्रदेश में वनों की क्षति अधिक हो रही है। वनों की इस क्षति को ध्यान में रखते हुए इस क्षति को रोकने की व्यवस्था करें। माननीय सुन्दर लाल बहुगुणा ने कहा है कि प्रति घण्टे 40 पेड़ लुप्त हो रहे हैं। पेड़ मनुष्य की रक्षा के लिए बड़े जरूरी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने 19 प्रजातियों को लाइसेंस की व्यवस्था से मुक्त किया है गांवों में जो नीम तथा महुआ के पेड़ हैं उनको भी इसमें शामिल करें ताकि ग्रामवासियों को लाभ मिल सके। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वनों की लाखों रुपयों उदाहरण के रूप में उत्तर गोण्डा में काटी की लकड़ी चोरी से काटी जा रही है, मुख्य मंत्री जी चले गये हैं, उनके आदेश से सतर्कता आयोग की जांच हुई है लेकिन प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। सत्तापक्ष के लोगों ने अवैध वन कटान के संबंध में रेज किया है। मैं चाहूंगा कि अवैध कटान को रोकें और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और वन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि सर्व विदित है कि वृक्ष जीवन से जोड़े गये हैं। मिट्टी, पानी तथा वायु इन तीनों चीजों से वन जुड़े हुए हैं। अगर वन न हों तो जीवन खतरे में पड़ जायेगा और गम्भीर खतरा हो जायेगा प्राणि जन का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। हमारी सरकार ने 44.31 करोड़ पेड़ लगवाने की जगह पर 40.65 पेड़ लगाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है अनेक कार्यक्रम वृक्षारोपण की दिशा में चलाये गये हैं जिनके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। 126 स्मृति वनों की स्थापना तथा ग्राम समितियों का गठन करके 3,314 ग्राम समितियों का गठन करके उनके माध्यम से वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था की गयी है यह एक अच्छा कदम है। मान्यवर, दीन दयाल उपाध्याय योजना को गांवों से जोड़कर एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 745 किसान नर्सरियों की घोषणा की गयी है जो एक बहुत अच्छा कदम है। मान्यवर, मैं उत्तरांचल क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। वहां पर 15–15 साल से सड़कें रुकी हुई हैं। वहां पर बाघ ने पिछले 2 साल में डेढ़ सौ लोगों को मारा है।

वन संरक्षण अधिनियम पहाड़ों के लिए अभिशाप है इसको तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए । वहां पर पहाड़ के निवासियों के जो हक और हकूक हैं, ब्रिटिश शासन के समय में जितनी लकड़ी मिलती थी उतनी ही आज मिल रही है जबकि अनेक गांव एक हजार से ज्यादा आबादी का हो गया है इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए । टाइगर प्रोजेक्ट में जो गांव आते हैं उनका पुनर्वास नहीं किया गया है । इनके कारण वन्य जन्तुओं के बीच ग्रामवासियों का जीवन खतरे में पड़ गया है । एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश में अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं उन्हें पहाड़ों में स्थानान्तरित किया जाता है ऐसे लोगों को पहाड़ों पर नहीं भेजना चाहिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं पर्यावरण विभाग के बजट के समर्थन में अपनी बात कर रहा हूं । 65 हेक्टेयर भूमि में वन लगाने की बात और 28 हेक्टेयर भूमि में पेड़ लगाने की बात जो की गयी है वह इस वर्ष की विशेष उपलब्धि होगी । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2 6.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रबन्ध किया गया है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना से 6 गुने अधिक है । मान्यवर, प्रदूषण के लिए जहां उद्योग जिम्मेदार हैं, वहीं पर जो दैनिक जीवन में हम लोग अपने वाहन प्रयोग करते हैं, शौचालयों की व्यवस्था होती है, सब मिलाकर प्रदूषण बहुत अधिक हो जाता है । मेरे छोटे-छोटे दो-एक सुझाव थे । एक सुझाव यह था कि जितने भी उद्योग हैं, उनको औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए व्यवस्था की जाय, सुविधायें दी जायं तो बहुत प्रदूषण दूर हो सकेगा । मान्यवर, कुल 14 हजार उद्योग हैं प्रदेश के छोटे, बड़े, मध्यम श्रेणी के मिलाकर । वर्ष 1991-92 में जो सहमति दी गयी 980 की दी गयी और 982 को अस्वीकृत किया गया । जो अस्वीकृत हुए वे उद्योग नहीं लग पाये, उससे बड़ी औद्योगिक क्षति हुई है । इसी प्रकार से जो एन० ओ० सी० दिये गये हैं उसमें से 1143 अस्वीकृत किये गये । मेरा कहना यह था कि जो औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयां लगती हैं, उनके लिए बोर्ड के द्वारा प्रदूषण दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे औद्योगिक क्षेत्र में लगनी वाली इकाइयों का प्रदूषण दूर करने का खर्चा न हो और उद्योग से थोड़ा-थोड़ा पैसा लेकर लगे धन की पूर्ति की जाये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सतीश भाटिया–

आज स्थिति यह है कि जो हम लोग एन० ओ० सी० के लिए प्रयास करते हैं, इण्डस्ट्रियल यूनिट को मिल नहीं पाती, इसलिए उद्योग लग नहीं पाते । इसलिए एन० ओ० सी० के लिए सरल तरीका बनाना चहिए । इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं माननीय लीला राम शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने यह पर्यावरण के संबंध में बजट प्रस्तुत किया है । जहां जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है वहीं पुलिस प्रदूषण भी बहुत है, इसका ध्यान रखें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, स्वामी नाथ जी जो दूध में जल का प्रदूषण करते हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि हम जल्द ही उसमें सुधार कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो आपस का मामला है कोई दूध में पानी मिलायेगा तो कोई पानी में दूध मिलायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, समय नहीं है । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । दो मुख्य बातें हैं । एक ऐसी नदी देवरिया में छोटी गण्डक है जिसका जल प्रदूषण कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री और भटनी शुगर फैक्ट्री से इतना होता है कि पीने का पानी दूर रहा, मछलियां तक नहीं बचतीं । लेकिन इस संबंध में मेरे और मल्ल जी द्वारा प्रयास करने और आश्वासन के बावजूद प्रदूषण नहीं रुका और शुगर मिलों द्वारा पानी छोड़ दिया गया । कम से कम छोटी गण्डक जो जनपद के बीच से होकर सम्पूर्ण जनपद में बहती है, उस पर रोक लगायी जाय । दूसरे आप जानते हैं कि देवरिया और कसिया के मध्य जो गाड़ियां चलती हैं उसकी ध्वनि से ऐसी स्थिति हो गयी है कि देवरिया के कचेहरी रोड पर बहुत ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है । इस पर रोक लगा दें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम कर दिया । लेकिन कहा जाता है घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलायें । तो कम से कम देवरिया पर ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मिही लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मेरे कुछ छोटे-छोटे सुझाव हैं । मान्यवर, चरखारी में मृग विहार 1987-88 में बनाया गया था, उसमें जितने मृग डाले गये थे, उसमें से एक भी मृग नहीं है, उसके लिए धन और दिलाया जाय । मान्यवर, मृग विहार में और जानवर डाले जायं ताकि वहां की खूबसूरती बढ़ सके । मान्यवर, उसी वन विभाग के पास एक टोला तालाब है, वहां पर कमल लगा हुआ है, उसका कुछ पोरशन ऐसा है कि जो खराब हो गया है, उस तालाब को गहरा करा कर सफाई करायी जाय सड़कों के किनारे पर जो नई सड़कें बनी हैं, उस पर वृक्षारोपण करा दिया जाय । मान्यवर, चरखारी में वन विभाग की ओर से एक डाक बंगला बनाने की मैं मांग करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय लीला राम शर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी योजना के क्षेत्र में जो फल पट्टी योजना के प्लाट बनाकर आवंटित किये गये हैं, वह भूमि वन विभाग की है तथा उद्यान विभाग में फल पट्टी योजना के अन्तर्गत हस्तांतरित की गयी है । उस भूमि पर उद्यान लगाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है । यह सरकारी शर्तों पर खनन अथवा कोई ऐसा कार्य जिससे उस भूमि की क्षति हो, नहीं किया जा सकता है । यहां तक कि उसमें आलू भी पैदा नहीं किया जा सकता । लेकिन जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत स्वार्थ में वशीभूत होकर उस भूमि पर पत्थरों का खनन करने के लिए पत्थरों के एक बहुत बड़े ठेकेदार से मिलकर उसको पत्थर खनन का पट्टा आवंटित कर दिया है । उस ठेकेदार द्वारा जिलाधिकारी के संरक्षण में वन भूमि से होते हुए

साढ़े 7 सौ मीटर लम्बी मोटर सड़क वन भूमि से होते हुए बनायी गयी । उसकी स्वीकृति वन विभाग से नहीं ली गयी और जिलाधिकारी के संरक्षण में उसमें वन संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन करके सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरी उस पहाड़ी को विकृत कर दिया है और वहां पर जिलाधिकारी के संरक्षण में खुलेआम पत्थरों का खनन कर उसे नई टेहरी अथवा दूसरे स्थानों पर बेंच रहा है । स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था जिला उद्यान अधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी ने भी जिलाधिकारी को यह आपत्ति प्रस्तुत की थी कि इस भूमि पर उद्यान लगाने के अलावा खनन का कार्य करना अवैधानिक है । अतः इसे निरस्त कर दिया जाय, लेकिन जिलाधिकारी ने जानबूझकर इसे अभी जारी रखा है और शासन और जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं और यह पत्थर खनन का कार्य निरन्तर जारी है । मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जिलाधिकारी द्वारा इस अवैधानिक कार्य के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय । जिलधिकारी को दण्डित किया जाय, क्योंकि जिलाधिकारी ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है और फल पट्टी योजना को नुकसान पहुंचाया है । खुलेआम भ्रष्टाचार को आश्रय दिया है । इनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्यवाही की जाय और उसके लिए फल पट्टी योजना के अन्तर्गत जो अवैध रूप से खनंन कार्य किया जा रहा है उसे तत्काल रोका जाये और ठेकेदार के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, 1991-92 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राजस्व के कुल व्यय का 2.50 प्रतिशत वन हेतु रखा गया था, जबकि वन की इतनी महत्ता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अव्वल तो इस 3 प्रतिशत इसके लिए होना चाहिए, नहीं तो जो 2.50 प्रतिशत 1991-92 में था, उतना ही 1992-93 के बजट में रखा जाना चाहिए था । इस हमारे वन अधिनियम में कोई भी कानून नहीं है कि आज जो पेड़ को काट दें, तो उसे सजा दी जायगी । आज जो चालान होता है, वह तो कंजरवेशन आफ फारेस्ट ऐक्ट, 1980 के तहत होता है और उसमें पुलिस वाले दफा 379 ता० हि० भी लगा देते हैं । इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं होती है । इसके अलावा लोहघाट, पिथौरागढ़ में पहले जिस तरह देवदार के पेड़ थे, सैकड़ों पेड़ रातोंरात कट गये । वहां पर 500 देवदार के पेड़ काटे गये । ये पेड़ तीन-चार महीने पहले काटे गये थे । वे वन पंचायत के पेड़ थे । बहुत कहने के बाद 379 ता० हि० की दफा लगायी गयी । मेरा निवेदन है कि इस सिलसिले में आपको एक ऐक्ट बनाना चाहिए और ऐसा ऐक्ट बनाना चाहिए ताकि लोग पेड़ काटने से डरें । मान्यवर, आज आप देखें कि कीर्ति नगर, टेहरी गढ़वाल में वन अधिकारियों से मिलकर माफिया लोगों ने 6 हजार पेड़ काट लिए और जिसके बारे में शिकायत चल रही है । वहां पर नाजायज पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए । अभी गोण्डा में आग लग गयी और आग बहुत प्रयास करने के बाद भी बुझ नहीं पायी । मेरी जानकारी में आया है कि वहां पर वह आग जानबूझकर लगवायी गयी है । मान्यवर, जापान से वनों में लग जाने वाली आग को बुझाने के लिए मदद ली गयी और हल्द्वानी में एक आग बुझाने वाला ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया, लेकिन फिर भी वहां की आग बुझायी नहीं जा सकी है, तो ऐसे प्रशिक्षण का क्या औचित्य है ?

मान्यवर, पहाड़ों पर पानी की बड़ी समस्या है । पहले वहां पर बांज के पेड़ लगाये जाते थे, परन्तु अब वह सारे के सारे कट गये हैं जिससे वहां पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है बांज पानी को आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब से बांज कट गये हैं, वहां पर पानी की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, जो युकलिप्टस का पेड़ है यह 140 गैलन पानी प्रतिदिन खींचता है, तो वहां की जमीन का

ऊसर होना लाजमी है । तो इसके लगाने पर प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय लीला राम शर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । नवमान जी ने, मलिक जी ने, श्याम नारायन त्रिपाठी जी ने सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं । निश्चित रूप से विभाग उनके सुझावों पर विचार करेगा और प्रभावी रूप से उनको लागू करने का प्रयास करेगा । इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग के पास न कोई हवाई जहाज है और न कोई हेलीकाप्टर है ।

श्री लीला राम शर्मा–

1990 में मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि विदेशों से हवाई जहाज और हेलीकाप्टर मिला, मैंने पुस्तकालय में पढ़ा है, मैं उसको दिखा सकता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वह एक योजना थी, उसका प्रस्ताव था और वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ और शर्मा जी ने आज की स्थिति पर विचार व्यक्त कर दिये हैं । हमारी सरकार वनों के संरक्षण के लिये गम्भीरता से विचार कर रही है और वन कर्मियों को आधुनिक संयंत्रों से लैस करने पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही इस संबंध में प्रभावी घोषणा की जायेगी । दूसरे वन संरक्षण अधिनियम में अवैध रूप से पेड़ काटने का प्राविधान नहीं है और उसमें जो सजा का प्राविधान है वह बहुत कम है । 6 महीने की सजा और 500 रुपये के जुर्माने का प्राविधान है । यह बहुत कम है, इसको बढ़ाने पर शीघ्र ही विचार किया जा रहा है और इसमें संशोधन करने वाले हैं और जो सामग्री या वाहन अवैध कटान में प्रयोग किया जायेगा, उसको जब्त करने का भी प्राविधान किया जा रहा है । इसके साथ ही साथ मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी जमाने में अवैध कटान हुआ करती थी, यह गम्भीरता पूर्वक मैं कह रहा हूं मान्यवर, लकड़ी माफिया गिरोहों के द्वारा अवैध कटान होगी तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जायेगी और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो उसको दुगुना दण्ड दिये जाने का प्रश्न हमारे विचाराधीन है और जल्द ही उस पर निर्णय होने वाला है । मान्यवर, इसके साथ-साथ हमने एक व्यवस्था की है कि जहां हमको वनों के कटान को सीमित करना चाहिये, अभी माननीय सदस्य ने एक-एक सुझाव दिया कि वनों का कटान 10 वर्षों तक के लिये रोक देना चाहिये, तो मान्यवर, बिना उसको घोषित किये हुए हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि वनों का कटान कम से कम हो, पुराने वृक्षों को जो सूख गये हैं उन्हीं की कटाई की जाती है नये और हरे वृक्षों का कटान किसी प्रकार से नहीं होगा इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

इसके साथ ही अभी माननीय सदस्य अखिलेश सिंह जी ने महराजगंज में वर्ल्ड सेन्चुरी की बात कही। मान्यवर, इस तरह की कोई योजना विचाराधीन नहीं है तो जो शंका उन्होंने व्यक्त की है मैं समझता हूं इसका समाधान उनको हो जाना चाहिये । वनटंगिया मजदूरों की बात आयी है उसकी पूरी व्यवस्था वन विभाग करता था । 1982 के बाद वनटंगिया मजदूरों द्वारा जो वृक्ष लगाये गये थे उनको उखाड़ दिया और वन सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया, इसलिए उनको दी जाने वाली सुविधा बन्द कर गयी है । माननीय लीला राम शर्मा ने एक बात और कही कि भाजपा सरकार आने के बाद जो वहां पर उनके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे यहां पर उनको निकाल दिया गया, यह माननीय किसी सदस्य ने कहा

है । मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के आने के बाद किसी को नहीं निकाला गया वह योजना एन० आर० ई० पी० और आर० एल० जी० ई० पी० योजना के अन्तर्गत कार्यरत थी वह योजना समाप्त हो गयी इसलिए उनको बाहर किया गया है । भाजपा सरकार आने के बहुत पहले यह निर्णय हो चुका था इसलिए यह आरोप निराधार है ।

प्रदूषण के बारे में सरकार गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही कर रही है वन और पर्यावरण दोनों कार्य हैं भविष्य में वातावरण और पर्यावरण ठीक रहे आर्थिक रूप से अपने देश के किसान सम्पन्न हों इस दिशा में कार्यवाही हो रही है और मैं समझता हूं कि माननीय लीला राम शर्मा भी इसमें गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, किसानों के हिमायती हैं, वह वनों के लगाये जाने के भी हिमायती हैं, इसलिए मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । (व्यवधान)

मान्यवर, प्रदूषण के बारे में कहंगा कि काशीपुर की इण्डिया ग्लारकोल फैक्ट्री की चर्चा हुई तो उसकी जांच करा ली जायेगी । हरेन्द्र मलिक जी और दो सदस्यों ने उल्लेख किया है कि वहां पर प्रदूषण हड्डी के कारखाने की वजह से हो रहा है तो उसकी जांच करा लेंगे । माननीय स्वामी नाथ यादव की आशंकाओं को निर्मूल करना चाहता हूं । मान्यवर, वहां की छोटी गण्डक और राप्ती की चर्चा हुई तो वहां पर जिन आदमियों द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है उसकी जांच आयुक्त, गोरखपुर को दे दी गयी है और उनसे कहा गया है कि एक माह के भीतर वह अपनी आख्या सरकार को प्रस्तुत कर दें । सरकार सकारात्मक कार्यवाही इस दिशा में कर रही है इसलिए मैं माननीय लीला राम शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री भगवती सिंह–

आप जानते हैं कि आज से बहुत पहले गांव में गलियारे होते थे, उनके किनारे जिनकी जमीन थीं वे वृक्ष लगाते थे, कालान्तर में जिला परिषद् ने ग्रहण कर लिया । इस आधार पर कि वृक्ष रहेंगे, लेकिन फल और लकड़ी बीनने का अधिकार उनको रहेगा बाद में वह पी० डब्लू डी० को ट्रान्सफर हुआ, पी० डब्लू डी० ने वन विभाग को सौंप दिया । जानना चाहता हूं कि वन विभाग को जो पेड़ सौंपे गये हैं वहां काश्तकारों को बचाने का और काटने का अधिकार नहीं है, उन्हें लकड़ी लेने और फल लेने का अधिकार है, तो क्या प्रदेश में विशेषकर उन्नाव में जो लकड़ी की रिपोर्ट है और काश्तकार लेना चाहते हैं तो वन विभाग की तरफ से चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है, मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि किसानों को क्या वही सुविधा उपलब्ध रहेगी कि वे लकड़ी बीन सकते और फल खा सकते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

विशारद जी का आभारी हूं कि वे एक प्रकरण हमारे संज्ञान में लाये हैं उनकी भावना के अनुसार मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा० लीला राम जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लीला राम शर्मा–

नहीं मान्यवर, ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त 81,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 82,38,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग (जारी)

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि–

31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,59,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । श्रीमन् आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विकास विभाग के 92-93 के आय व्ययक को इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । मैं मूलतः उत्तरांचल क्षेत्र का ही निवासी हूं इसलिये वहां की समस्याओं के संबंध में जानकारी रखता हूं । चूंकि उत्तरांचल विकास विभाग उत्तरांचल क्षेत्र की सभी विभागों की योजनाओं को स्वीकृत करता है, इसलिये सारे विभागों की विस्तृत जानकारी यहां पर दूं इतना समय आप मान्यवर, नहीं देंगे मुख्य रूप से कछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश का उत्तरांचल भाग जो प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर हैं इसका 66 प्रतिशत भाग वन भाग हैं इसकी गौरवशाली परम्परा रही है । वेदों और पुराणों में यह देव लोक से जाना जाता है गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां यहां से निकलती हैं । बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री, गंगोत्री, छोटा कैलाश, पूर्णागिरी जैसे पवित्र धाम हमारे यहां पर स्थित हैं ।

(इस समय 7 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मान्यवर, इसके साथ ही इस पर्वतीय उत्तरांचल भूभाग में नैसर्गिक सौन्दर्य के अपार भण्डारण हैं बहुत सुन्दर क्षेत्र हैं जिसमें रूपकुण्ड, हेमकुण्ड, फलों की घाटी, रानीखेत, कौसानी लोहाघाट बेरीनाग रमणीक स्थल हैं और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर, मिलम, नामिक, पिण्डारी, गोराम प्रमुख रूप से हैं,

मान्यवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे इसी क्षेत्र से प्रारम्भ होती हैं । मान्यवर, इस क्षेत्र का सामरिक महत्व भी है । 2-2 देशों की सीमायें हमारे इस क्षेत्र से मिलती हैं अगर हम यह देखें कि यह पूरे देश प्रदेश की हृदय स्थली है, आत्मा है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । परन्तु श्रीमन् आजादी के 44 वर्षों के बाद भी विकास की दौड़ में यह भूभाग काफी पिछड़ गया, अविकसित है । मैं यह नहीं मानता हूं कि विकास की योजनायें वहां शुरू नहीं की गयी, बहुत सारी योजनायें शुरू की गयी हैं लेकिन उनमें मूलभूत रूप से कुछ खामी रही जिसका फायदा वहां की जनता को नहीं मिला ।

आज इस क्षेत्र में बेरोजगारी समस्या प्रमुख रूप से एक विभीषिका बन गयी है सारे नौजवान रोजगार के लिये भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं । वन संरक्षक अधिनियम पर्यावरण की वजह से कोई बड़े-बड़े उद्योग वहां लग नहीं सकते । फारेस्ट बेस्ट इंडस्ट्री उसके आधार पर उद्योग लगाये-वन संरक्षण अधिनियम उसकी इजाजत नहीं देता है । सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जायें तो वहां महिलाओं और बच्चे तथा वृद्ध मिलते हैं, नौजवान पलायन कर रहे हैं । आज यह स्थिति जो वहां पर है यह सारे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है । ईश्वर न करे कभी कोई विदेशी आक्रमण हम पर हों तो हमारे क्षेत्र की जनता जो आजीविका से त्रस्त है अविकसित वह भूभाग है जिसका मनोबल गिरा है कैसे अपने देश और प्रदेश की रक्षा कर सकती है ।

मान्यवर, जो पिछली विकास की योजनायें चलाई गयी उनमें बड़ी मूलभूत खामियां रहीं । पेयजल की योजनायें चलाई गयीं, जो सर्वे किया गया, उसके हिसाब से लगभग 15 हजार गांवों में से मुश्किल से 520 गांव हैं जो अभाव ग्रस्त हैं, जहां पेयजल को सुलभ कराना है जो अभावग्रस्त गांव हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो अधिकांश पेयजल की योजनायें खराब पड़ी हैं सारे गांव अभी भी अभावग्रस्त हैं जो पेयजल की योजनायें चालू की गयीं वह सूखी योजनायें थी । सम्मानित सदन के सामने यह बातें इसलिये रख रहा हूं ताकि उस भू भाग की वास्तविक जानकारी सदन को दी जा सके । पिछले शासन में आदेश हुये जो योजना जैसी है जल निगम से जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दी जाय और जल संस्थान को उसके लिये न तो धनराशि आवंटित की गयी और न ही उसे स्टाफ दिया गया । वैसे ही हाल शिक्षा का भी है । उच्च शिक्षा में जो विद्यालय खोले गये हैं उसमें विषय नहीं है बच्चों को बैठने के लिये भवन नहीं है, वहां पर भूमिहीन विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा में 450 अपूर्ण भवन बने हुये हैं तथा 300 विद्यालय भवनहीन हैं, अध्यापकों की कमी है, प्रधानाचार्य नहीं हैं, विषयों की कमी हैं, स्टाफ की कमी है तो यह स्थिति जब से हम सत्ता में आये देखने को मिली तो इसको हम देख रहे हैं, यही स्थिति सड़कों व पुलों की भी है । उन सभी की दशा बड़ी ही दयनीय हो गयी है । वहां 300 करोड़ रुपये का स्लिप ओवर है, वन संरक्षण अधिनियम के कारण अधिकांश सड़कें रुकी पड़ी हैं उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण वहां के लोगों में असंतोष है । योजना में प्रतिवर्ष संसाधनों की कमी हो रही है ।

स्वास्थ्य की भी बड़ी बुरी हालत है वहां पर अधिकांश अस्पताल भवनहीन हैं, डाक्टर्स की वहां पर कमी है, नर्सों की व स्टाफ की कमी है, वहां पर दवाओं का अभाव है और ऐसी ही स्थिति विद्युत की है। वहां पर अधिकांश ट्रांसफार्मर फुके पड़े हुए हैं लगभग 75 प्रतिशत ट्रांसफार्मर बेकार पड़े हैं अधिकांश तो छूटे हुये हैं, बिजली की लाइनें फुक गयी हैं और सम्पूर्ण उत्तरांचल का लगभग 75 प्रतिशत विद्युतीकरण का भाग अंधकार में डूबा हुआ है । वहां पर वोल्टेज की कमी है और ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बन्द पड़ा हुआ है, जिस ठेकेदार ने काम किया उसका भुगतान नहीं किया गया है, लकड़ी के पोल सड़ गये हैं, तार लटक गये हैं, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, तो ऐसी । ति में सिंचाई की भी सारी योजनायें लटक गयी हैं, उसकी बड़ी दुर्दशा है और यही स्थिति सब विभागों की है ।

मान्यवर, अधिकांश नहरें वहां पर खराब पड़ी हैं, उनकी मरम्मत व पुनर्गठन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, टेल इन्ड तक पानी पहुंच नहीं पाता है, हाइड्रोम बने हैं, पर सब खराब हैं, उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, वहां पर अधिकांश पद रिक्त पड़े हुये हैं, इसका कारण है कि मैदानी क्षेत्रों से लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर साधनों का अभाव है तो ऐसी स्थिति में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आयी तो उसने उत्तरांचल राज्य के गठन का प्रस्ताव कर संकल्प केन्द्र को भेजा है ताकि इस उत्तरांचल क्षेत्र का द्रुतिगति से विकास हो सके जो बहुत ही सराहनीय कार्य है ।

मान्यवर, इस सम्मानित सदन को पता है कि गत वर्ष हमारे प्रदेश को जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना हमको करना पड़ा था । उत्तरांचल विकास के लिये गत वर्ष 357.01 करोड़ का प्लान परिव्यय प्रस्तावित था । 182.01 केन्द्रीय सहायता केन्द्रांश की धनराशि सम्मिलित थी । प्रदेश की योजना आकार में की गयी कटौती के कारण योजना की स्वीकृतियां 260 करोड़ तक सीमित करनी पड़ी, इसके बावजूद हमारी सरकार ने प्लान सीलिंग के बाहर की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गयी जो मैं सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 4.16 करोड़ रुपये की लागत से महायोजना स्वीकृत की गयी । तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिये यात्रा मार्ग पर सुलभ शौचालय/रैन बसेरा का निर्माण किया गया है, पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, बद्रीनाथ में बस स्टैण्ड का निर्माण किया गया है, बद्रीनाथ में पांच सौ शैय्याओं के आवास गृह का निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त जोशीमठ, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है । जनपद चमोली में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये औली रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, इस कार्य को पिछले दिनों कतिपय कारणों से रोक दिया गया था । इसी तरह रुकी लिफ्ट के लिये 53 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है, इस कार्य को भी रोक दिया गया था, परन्तु सरकार ने सत्ता में आते ही इन कार्यों को पुनः प्रारम्भ किया । पिछले वर्ष हमने औली विन्टर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के संचालन के लिये 4.14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी, यह सभी कार्य अब पूर्ण होने की स्थिति में हैं । मान्यवर, पर्यटन ग्रिड योजना के अन्तर्गत पर्यटक/तीर्थ स्थलों के निवास की दृष्टि से पेयजल, बिजली, आवासीय व्यवस्था, सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त संचार संसाधनों के लिये भी अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को एयर मैप पर लाने के लिये हवाई पट्टियों का निर्माण कराया जा रहा है, इसके अतिरिक्त पौड़ी व शीतलाखेत दो स्थानों को नये पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गयी है और उसके लिये धनराशि की व्यवस्था की जा रही है ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों को 3 कक्षों के निर्माण हेतु 126 लाख रुपये और 2 कक्षों हेतु 50 लाख रुपये दिये गये । इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिये 38 नये हाईस्कूल और 20 नये इण्टर कालेज खोले गये हैं । जहां तक महाविद्यालयों का प्रश्न है, इस संबंध में भी महाविद्यालयों के लिये भी भवनों, प्रयोगशालाओं, साज-सज्जा, पुस्तकालयों, चहारदीवारी आदि के लिये भी धनराशि आवंटित की गयी । मान्यवर, गत वर्ष प्राकृतिक आपदा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त योजनाओं को पुनर्स्थापित करने के लिये उत्तरांचल विकास विभाग की ओर से काफी काम किया गया । आप अवगत हैं कि भूकम्प से हमारे इस क्षेत्र में जानमाल की काफी क्षति हुई थी । उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल खोलकर राहत कार्य किया, इस पर कई बार सम्मानित सदन में चर्चा हो चुकी है, मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति को

39 लाख रुपया दिया गया । गढ़वाल मंडल विकास निगम को क्षतिग्रस्त विश्रामगृहों की मरम्मत के लिये उचित धनराशि की व्यवस्था कराई गयी ।

मान्यवर, आवागमन की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए 2 वन मार्गों को, जो काफी समय से लम्बित हैं, कोड़िया किमसार के लिये 22 लाख रुपये और सोनी-तितालीखेत, चमड़खान के लिये 28.80 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी । मान्यवर, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त खाद्य गोदामों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिये 20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये । इसी प्रकार भेड़ पालकों को, बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ऊन बैंक की स्थापना करने हेतु 28 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी । मान्यवर, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अल्मोड़ा में होटल मैनेजमेंट व कैटरिंग संस्थान की स्थापना की गयी है । पंडित दीनदयाल रोजगार योजना के अन्तर्गत न्यू माडल चरखा योजना के लिये 23.95 लाख रुपया दिया गया, इसके अन्तर्गत 800 चरखों का वितरण, 100 करघों का वितरण और 1,500 महिलाओं, व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा । श्रीमन् जड़ी बूटी के विकास तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना की गयी है । उत्तरांचल विकास के लिये वर्ष 92-93 में 405 करोड़ रुपये की योजना रखी गयी है, इसमें से 200 करोड़ भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में मिलने की सम्भावना है । इस वर्ष हमारी सरकार की कुछ प्राथमिक मान्यतायें हैं, जैसे योजनाओं, परियोजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हो, क्षेत्रों के सन्तुलित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये प्रतिबद्ध है, आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं की कमी को यथासम्भव पूरा करना, उत्पादन एवं स्थानीय आय में वृद्धि के लिये योजना कार्यक्रमों का विस्तार । विकास ग्रामोन्मुखी व योजनापरक हो ताकि अंचल के लोगों की पलायनवादी प्रवृत्ति को कम किया जा सके । वर्ष 92-93 में कुल योजना परिव्यय का लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों के विकास कार्यक्रमों पर व्यय किया जायेगा । पुरानी दोषपूर्ण, खराब, जीर्ण-शीर्ण योजनाओं का पुनर्गठन, नव निर्माण, रख-रखाव तथा विस्तार किया जायेगा ।

मान्यवर, आठवीं योजना के प्रारम्भिक वर्ष 92-93 में हमारे विकास की जो प्राथमिकतायें हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि जो पुस्तक हमने आपको दी है उसमें विस्तार से इनको दिया गया है । 1992-93 में विकास के कार्यक्रमों को अधिक कारगर और लाभप्रद बनाने के लिये कुछ नई योजनाओं का उल्लेख मैं इस आदरणीय सदन में अवश्य करना चाहूंगा । कृषि विकास के लिये राजमा और दलहन उत्पादन हेतु विशेष योजनायें चलायी गयी हैं सुरक्षित अन्न भण्डारण के लिये बखारियों और त्रिपालों के लिये भी प्राविधान किया गया है और उन्नतशील बीजों की भी व्यवस्था की जा रही है । बागवानी के विकास को बढ़ावा देने के लिये सब्जी उत्पादन के लिये बीज ग्राम की योजना बनाई गई है । अलंकृत बागवानी एवं पुष्प विकास हेतु योजना बनायी गयी है । मसाले की खेती के प्रोत्साहन हेतु योजना बनाई गई है । विभिन्न बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजना बनाई गई है । पर्वतीय क्षेत्र में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और इसके मारकेटिंग की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो सकती है । पुराने सेब उद्यानों के जीर्णोद्धार की योजना भी बनाई गयी है । सहायक व्यवसायों में वृद्धि के लिये पशुपालन/डेरी विकास के कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जा रहा है । इसके तहत चारा अनुसंधान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना बनाई गयी है । पशुपालन विकास हेतु नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना की गयी है । वर्तमान प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की योजना बनाई गयी है । अंगोरा शासक प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं नये प्रक्षेत्रों की स्थापना की जायेगी दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन,

और विस्तार किया जायेगा । सहकारी चारा विकास एवं पशु प्रबन्ध योजना हेतु भी प्राविधान किया गया है ।

मत्स्य विकास के लिये नई हैचरियों की स्थापना की जायेगी । मत्स्य प्रक्षेत्रों के आधुनिकीकरण की योजना भी बनायी गयी । मत्स्य विकास केन्द्रों के विकास व विस्तार हेतु भी प्राविधान किया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय रोजगार योजना के अन्तर्गत वन विभाग की जैविक तथा बायोटि अवरोधों के पुनर्उत्थान योजना के तहत अधिकतम रोजगारों के अवसर प्रदान किये जायेंगे । इसके तहत 6.4 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये जायेंगे । लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र की स्थापना की जायेगी । कालीन बुनाई प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा । राज्य पूंजी उत्पादन योजना लागू की जायेगी । आई० टी० आई० तथा पोलिटेक्निक में प्रशिक्षित व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उत्पादन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सहायता दी जायेगी । इसके अलावा मान्यवर, वहां पर ऊन का काम बहुत अधिक होता है । इसलिये वहां पर ऊन का काम अधिक होता है इसलिये वहां ऊन बैंक की स्थापना की गयी है । रेशम कोया भंडारण हेतु कोया गोदामों के निर्माण हेतु व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है । इसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा व शिल्पकाल प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप बनाने हेतु वर्तमान संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा । भवन निर्माण व साज सज्जा की पूर्ति की जायेगी । नये व्यवसायों तथा सीटों में वृद्धि के लिये प्राविधान किया जायेगा । दूर-दराज तथा असेकित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हेतु नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा कुछ प्रमुख चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्रीमन्, अनुसूचित जाति/जन जाति के कल्याण हेतु कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जा रहा है । इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा हेतु छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा । राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के रख-रखाव व उनके स्तर को ऊंचा करने के लिये तथा लघु निर्माण कार्यों की व्यवस्था की जायेगी । जोशीमठ, अम्बाड़ी व बलुआकोट में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के लिये भवन निर्माण की व्यवस्था की जायेगी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मंस्यारी का उच्चीकरण किया जायेगा । गुलरभोज में जूनियर हाई स्कूल स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जायेगी । राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्राविधान किये जा रहे हैं । वृद्धि एवं अशक्त महिलाओं के लिये जनपद अल्मोड़ा में सन्त गृह की स्थापना की जायेगी । शारीरिक रूप से अक्षम तथा विकलांग छात्रों तथा विकलांग व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जा रही है । महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के हेतु चमोली तथा अल्मोड़ा में महिला साक्षरता योजना हेतु 20 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

एक सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना की जा रही है ।

उत्तरांचल क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ हो वहां का विकास प्रशासन प्रबन्ध और संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ हो ताकि योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो इसके लिये अल्मोड़ा व श्रीनगर में स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्सनल बनाया जा रहा है । इनमें आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जा रही है । इनके भवनों के निर्माण हेतु प्राविधान किया जा रहा है । इनके द्वारा योजनाओं की संरचना उनके क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने व उनके समन्वय व मूल्यांकन में इससे मदद मिलेगी । विभिन्न विभागों के

जो कैम्प आफिस लखनऊ में है उनको धीरे-धीरे उत्तरांचल में स्थानान्तरित किया जा रहा है। उत्तरांचल के लिये नियुक्त विभिन्न अतिरिक्त विभागाध्यक्षों को विभागाध्यक्षों के पूर्ण अधिकार दिया जाना भी आवश्यक है ताकि वह अतिरिक्त विभागाध्यक्ष, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में स्थित विभागाध्यक्षें के निर्देश पर निर्भर न रहें।

मान्यवर, मैं सम्मानित सदन के माध्यम से उत्तरांचल विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं क्योंकि उत्तरांचल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आने में संकोच करते हैं क्योंकि उनको कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है क्योंकि वह हाथ जोड़-जोड़ कर विभिन्न विभागों से आये हैं इसलिये वहां अधिकारी आने में संकोच करते हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिये मैं यहां पर कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं।

इसके साथ ही मैं थोड़ा और समय लूंगा क्योंकि इस वर्ष हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, उनकी जानकारी भी सम्मानित सदन को देना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल श्रोतों की कमी हो रही है। तो उसके लिये हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम पेयजल व सिंचाई दोनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया है। एकल ग्राम पेयजल योजना (सिंगिल विजेल स्कीम) का रखरखाव व संचालन का कार्य ग्राम सभा द्वारा ही किया जाय। पेयजल व सिंचाई की पूर्ण रूप रेखा से बन्द योजनाओं के पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा जीर्णोद्धार हेतु अलग से योजनायें तैयार कराई जायेंगी। शिक्षा में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के भवनों का निर्माण बहुत समय से लम्बित पड़ा था अब हमने निर्णय लिया है कि इसका निर्माण ग्राम सभा से कराया जायेगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की व्यवस्था विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा कराया जायेगा।

सिंचाई विभाग की नहरों के ओवर हेड के निकट स्थान का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा ताकि पर्यटकों के लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन सकें। पैदल पुलों का निर्माण अधिक से अधिक किया जाय ताकि दूर दराज के ग्रामीण लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत पारेषण तथा वितरण प्रणाली में सुधार के निर्देश दिये हैं और पुराने 11/33 के० वी० सब-स्टेशनों का सुधार तथा जीर्णोद्धार करके विद्युत उपलब्धता की बाधाओं को दूर किया जायेगा।

मान्यवर, मैंने उत्तरांचल क्षेत्र के विकास के लिये हमारी वर्तमान सरकार ने जो कार्यक्रम प्रमुख रूप से जनहित में रखे हैं उनको सम्मानित सदन के समक्ष रखा और मुझे आशा और विश्वास है सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों के सुझाव आयेंगे जिससे उत्तरांचल की द्रुतगति से विकास होगा और वहां के लोगों को तथा उस क्षेत्र को नयी गति मिलेगी।

श्री भारत सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95 उत्तरांचल विकास विभाग के अधीन अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा उत्तरांचल काली नदी के कालिंदी नदी तक 8 जिलों का क्षेत्र है जो अपनी नैसर्गिक सुन्दरता के लिये विश्व में प्रख्यात है। जहां से गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियां निकलती हैं और इस देश को उरबरा बनाती हैं, लेकिन भौतिक साधनों का यहां अभाव है जिसके कारण यह पिछड़ा रहा और उसी के कारण यहां की कृषि, भौगोलिक समस्या और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति भिन्न है।

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

उसको देखते हुए 1974-75 में पृथक विभाग पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० हेमवती नन्दन बहुगुणा के कारण उसका निर्माण हो सका उस समय उससे यह अपेक्षा की गयी थी कि इससे पर्वतीय क्षेत्र का विकास बड़ी द्रुतगति से होगा। उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि उसका नियोजन कार्य संचालन एवं अनुश्रवण आदि का कार्य वहां के ही जन प्रतिनिधियों के द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में पर्वतीय विकास परिषद् गठित की गयी थी और यह व्यवस्था की गयी थी कि पर्वतीय विकास मंत्री उस परिषद् का उपाध्यक्ष होगा और उसमें इस सदन के पर्वतीय सदस्य और सांसद सदस्य के रूप में रहेंगे। उसका कार्य प्रारम्भ में तो बहुत अच्छी प्रकार से चला, कार्य आगे बढ़ा और प्रगति होती जान पड़ी लेकिन धीरे-धीरे उसका काम धीमा पड़ा गया जो आगे चलकर करीब-करीब समाप्तप्राय हो गया। मेरे विचार से शुरू में वहां का विकास तो हुआ लेकिन लंगड़ा विकास हुआ उसका लाभ पर्वतीय लोगों को नहीं मिला, वहां के लोगों की अपेक्षायें पूरी नहीं हुईं। आज भी सारे का सारा विकास रुका हुआ है।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने एक बात कही और उस बात के लिये मैं तो मंत्री जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उसने कम से कम इस बात के औचित्य को समझा कि वहां की पृथक और विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश को देखते हुए इसका एक पृथक राज्य होना चाहिये और उसने इस पृथक राज्य को उत्तरांचल का नाम दिया है। लेकिन जिस प्रकार से उसका प्रस्ताव मात्र हुआ उसे मैं समझता हूं कि इस विषय में इसकी नीयत सही नहीं है केवल प्रस्ताव मात्र से उत्तरांचल प्रदेश नहीं बनेगा। उसका प्रारूप क्या होगा और किस प्रकार से उसका क्या नियोजन होगा आदि ये सारी बातों का प्रस्ताव जब तक केन्द्र सरकार को नहीं जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। प्रस्ताव से कोई काम बनने वाला नहीं है इसमें इनकी नीयत मैं उससे साफ नहीं मानता हूं कि केन्द्र में जो नेता विरोधी दल होता है, जिसे सैडो प्राइमिनिस्टर कहते हैं की ओर से इसके संबंध में कोई प्रस्ताव संसद में नहीं रखा गया। इसलिये इनकी नीयत पर हमेशा शंका होती है।

इस सरकार की सीमाओं के अन्दर की जो समस्यायें हैं उनको यदि यह सरकार सही रूप में हल करती तो मैं समझता कि यह सरकार उत्तरांचल बनाने की पक्षधर है। इसके लिये एक अलग विभाग है लेकिन इस विभाग में जो भी कर्मचारी या अधिकारी आता है, अपने मन से नहीं आता है जिस तरह से हमारे 8 पर्वतीय जिलों में सरकारी अधिकारियों को प्रमोशन, पनिशमेंट और प्रोवेशन के फलस्वरूप उन्हें यहां भेज दिया जाता है वह इसे कालापानी समझते हैं सचिवालय में ही जो अच्छे अधिकारी नहीं होते हैं, उनको वहां रख जाता है। इसीलिये उनका मन वहां नहीं लगता है। इस पर्वतीय विभाग की मंशा यही थी कि यह विभाग स्वतंत्र रूप से काम करेगा, किन्तु यह नहीं कर पा रहा है। मंत्री जी के पास इसके लिये प्रशासनिक अधिकार नहीं है। उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। नीचे के अधिकारियों से काम नहीं ले पाते हैं। इसीलिये पहाड़ों का विकास लंगड़ा और लूला है। अगर मन से और ईमानदारी से सरकार चाहती है कि उत्तरांचल का विकास हो तो हमको अधिकार मिले और हमारे मंत्री जी को मिले। साथ ही पर्वतीय विकास का मंत्री कैबिनेट रैंक का मंत्री होना चाहिये, ताकि वह कैबिनेट में नीतियों पर निर्णय ले सके, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है इसीलिये मंत्री जी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है।

अभी बजट की बात आई तो उत्तरांचल के लिये 375 करोड़ रुपये का बजट रखा गया लेकिन उसके बाद अब कहा गया कि 357 करोड़ रुपये उसका बजट होगा लेकिन आज तक केवल 260 करोड़

रुपये का परिव्यय मिला है । तो 97 करोड़ रुपये कम मिला है । इस प्रकार विकास के बारे में आपकी जो संवेदनशीलता है, जो उत्तरदायित्व है और सरकार तो चाहती है लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है । वित्त मंत्री जी ने 405 करोड़ रुपये का बजट दिया लेकिन दूसरे साल यह 240 करोड़ रुपये ही रह जायेगा । केवल जनता को दिखाने के लिये यह किया गया है । इसलिये वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपका वित्त मंत्रालय हमारे कार्यों में लगातार रोड़ा अटकाता रहा है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पर्वतीय परिषद् की मीटिंग में घोषणा की थी कि यहां पर अलग से हमारे विभाग में एक विशेष सचिव रैंक का वित्त विभाग में अधिकारी होगा । जो वहीं पर तुरन्त जो आवश्यकतायें हैं और मिनी सचिवालय द्वारा जो प्रस्ताव होंगे उनको तुरन्त स्वीकार कर देंगे । लेकिन आज देखते हैं जिले में पर्वतीय विकास मंत्रालय से 300 मीटर की दूरी पर आपका विभाग है । लेकिन उसमें 3-3- महीने तक हमारे विभाग से जो प्रस्ताव आते हैं उनको वित्त मंत्रालय पास नहीं होने देता है ।

मेरी जानकारी में है आपके वित्त मंत्रालय में वहां कुछ परसेंटेज दिया जाता है इसलिये जहां हमारे प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में आते हैं उन्हें वह पास नहीं होने देते हैं इसलिये समझता हूं कि हमारा जो विकास रुका है उसका कारण आपका वित्त विभाग है । इसलिये अपेक्षा है कि इस कमी को वित्त विभाग दूर करने का प्रयास करेगा । मान्यवर, 7 सितम्बर को मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बजट जो पास करती है तो उसके आदेश तुरन्त भेजेगी । और 30 सितम्बर, तक खर्च करने का प्रयास किया जायेगा । जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के बजट वित्त वर्ष के आखिरी महीने, आखिरी दिन और आखिरी घंटे में जी० ओ० होते थे और पैसा खर्च किया जाता था । लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की यह घोषणा कागजों तक ही रही है और वह घोषणा पूर्ववर्ती सरकारों की तरह वित्त वर्ष के अखिरी महीने, आखिरी दिन और आखिरी घण्टे में ही जी० ओ० बने हैं । मुख्य मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि मंसूरी, देहरादून और नैनीताल के अधिकारी यहीं रहना चाहते हैं । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी मुख्यालय पर रहने वाला अधिकारी मण्डल में जायेगा लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं हुआ है ।

मंत्री जी ने कहा कि 300 करोड़ रुपये का प्राविधान सड़कों के लिये था वन अधिनियम के कारण सड़कें नहीं बनी मेरा कहना है कि यह 300 नहीं 450 करोड़ रुपये का होगा सड़कें आज तक नहीं बन पाई हैं । हमारे यहां पहाड़ में वन अधिनियम 1980 जो है, इसे काला कानून की संज्ञा देते हैं, उसके अनुसार सड़कें रुकी पड़ी हैं । हमारे पहाड़ में लोगों के लिये यातायात का मुख्य साधन सड़कें ही हैं । अगर सड़कें रुक जाती हैं तो सारे का सारा विकास रुक जाता है । 1980 के बाद आज 1992 यानी कि 12 साल बीत जाने के बाद भी जो सड़कें मंजूर थीं वन संरक्षण अधिनियम के कारण पूरी नहीं हुई हैं । मेरा सुझाव है कि अगर वन संरक्षण अधिनियम के तहत यह सड़कें नहीं बन सकतीं हैं तो उसके विकल्प के रूप में उसी दूरी से उतने ही परिव्यय में उस इलाके के लोगों के लिये सड़क का निर्माण कराया जाय । इस इलाके के लोगों को आशा है कि सड़क मंजूर है कभी न कभी बन जायेंगी । लेकिन कछुवे की चाल से जो कार्य हो रहा है उससे उनकी आशायें कभी फलीभूत नहीं हो पायेंगी । सड़कें मंजूर होने के 12 वर्ष बाद भी काम ज्यों का त्यों रुका पड़ा है । फारेस्ट विभाग के द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है । हिमांचल प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है । कश्मीर और जो अन्य प्रान्तों के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां भी यही हो रहा है । जो रुपया पी० डब्लू० डी० को देना है वह वन विभाग को देकर सड़कों का निर्माण कराया जाय । इसके लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरुरत नहीं है ।

आपने यह भी कहा कि झूला पुल बनाये जायेंगे ठीक है कि नदियों पर झूला पुल बनाये जायं लेकिन जो परिव्यय है उससे तो लगता नहीं है कि आप यह काम भी कर पायेंगे मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां हैं आपने जो संकल्प 405 करोड़ रुपये का दिया है वह पूरा हो और इसके साथ ही साथ पिछले साल का एक अरब रुपये का जो बाकी है उसे भी दिया जाय और शेष बची योजनाओं को और कार्यक्रमों तथा सरकार की जो घोषणायें थीं उनको पूरा किया जाय । हम लोगों ने उत्तरांचल की मांग की थी । हमारा हिमांचल प्रदेश सन् 47 में सबसे पिछड़ा था । आज उसकी क्या हालत है । आज वह पूरे देश में आमदनी के हिसाब से छठवां प्रदेश हैं । वहां सौ प्रतिशत गांवों में पेयजल की समस्या नहीं है, वहां पानी की समस्या नहीं है, वहां विद्यालयों की समस्या नहीं है । हमारे यहां का और उनके यहां का भूगोल एक सा है । एक सी परिस्थितियां हैं, हम चाहते हैं कि वहीं के पैटर्न पर हमको भी सुख सुविधायें उपलब्ध कराई जायं । उनका 1552 करोड़ रुपये का बजट है उनकी बराबरी हम नहीं कर पायेंगे । सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने यह बात रखी जाय कि अगर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहती है तो हिमांचल प्रदेश के बराबर देने का वायदा पिछली सरकार ने किया था उस पर सरकार किसी तरह से विचार करे ।

सड़कों की मुख्य समस्या है वहां लोगों ने गाड़ियां नहीं देखी हैं । 50-50, 60-60 किलामीटर पैदल चलना पड़ता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें सड़कों के निर्माण के लिये पर्याप्त बजट का प्राविधान किया जाय । इसी तरह से पेयजल की बात हम करते हैं । पहाडों का दुर्भाग्य है कि गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियां निकलती हैं, वहीं के निवासी आज प्यासे हैं । उन्हें पानी नहीं मिल रहा है । पेयजल की समस्या बनी हुई है । गांवों में नल हैं परन्तु पानी नहीं है । लोगों को पानी से मतलब है, नलकों से नहीं । जो योजनायें हैं, वह अधूरी पड़ी हैं, गढ़वाल और कुमायूं मण्डल के भी दो हजार गांव पानी की समस्या से ग्रसित हैं, आपने यह भी कहा है कि हमने गांवों की योजनाओं को ग्राम सभा को ट्रान्सफर कर दिया है । लेकिन वह लोग उन योजनाओं को नहीं लेंगे । जब तक कि आप उन्हें ठीक ठाक करके न दें । मैं समझता हूं बहुत से ऐसे गांव हैं जो चोटी में हैं । घाटी में पानी है लेकिन चोटी में नहीं । इसके लिये लिफ्ट पम्प के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है ।

यहां पर एक विचार दिया "रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम" मैं समझता हूं कि जो आइडिया दे रहे हैं, आपने यह जांच की कि साल भर में रेन वाटर का औसत क्या है ? मैं सही बात कहना चाहता हूं कि यह व्यवहारिक नहीं है । रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम पर सुझाव दिये जाने चाहिये, मैं समझता हूं कि कम से कम हिमालय के ऊपरी भाग में यह बात लाभदायक हो सकती है लेकिन तराई क्षेत्र में यह बात व्यवहारिक नहीं है । इसलिये इस स्कीम को रोक दिया जाय । जो पुरानी स्कीमें हैं उन्हें ठीक किया जाय ।

मान्यवर, टूरिज्म के बारे में सभी जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के पहाड़ बहुत सुन्दर हैं । मान्यवर, 1936 में जब पहाड़ पर जवाहर लाल नेहरू जी गये थे अल्मोड़ा भी गये थे, तो उन्होंने कहा था कि स्विटजरलैण्ड से भी ज्यादा सुन्दर यह जगह है । वहां झरने और नदियां हैं, यहां विभिन्न प्रकार के जन्तु हैं, सौन्दर्य स्थल है वहां देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, जहां तक मान्यवर, ट्रैकिंग की बात है, रिवर रिफ्टिंग की बात है, तो हिलैरी तेनसिंह जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी हिलेरी ने सागर से आसमान तक वाटर रिफ्टिंग का अभियान चलाया था जिसको देखने के लिये हजारों लोग आये थे । नन्दप्रयाग में जहां पानी का बहुत तेज बहाव था वहां पानी के विपरीत इसको करके, जोखिम भरा काम करके लोगों को आकर्षित किया था, तो मान्यवर, टूरिज्म के लिये अच्छे स्थानों का चयन किया जाय

मंसूरी और नैनीताल को बहुत सुन्दर स्थान माना जाता है, जबकि यह बहुत सुन्दर नहीं रह गये हैं, स्लम हो गये हैं मैं समझता हूं कि नये पैटर्न के हिसाब से इसको बनाया जाय, आप जो पर्यटक नगर बना रहे हैं वहां स्थानीय आर्कीटेक्ट के अनुरूप मकान बने, हाट बनायें, उसके अनुसार सुन्दर नगर बनेंगे ।

मान्यवर, पौड़ी के लिये एक पैसा नहीं दिया गया है । मैं पौड़ी से आ रहा हूं वहां के चेयरमैन कह रहे थे कि पैसा नहीं दिया गया जबकि मैंने काम करवा दिया है मान्यवर, पर्यटक नगर के विकास के लिये पैसा देना चाहिए दो नगरों का विकास तो करा ही दें । आप एक सर्वेक्षण करा लीजिये सर्वेक्षण में नये नगरों का चयन करें । आर्थिक रूप से कृषि उपयोगी नहीं है आपने कहा कि उत्तरांचल में मंत्री जी ने कहा जितने विभाग उत्तर प्रदेश में हैं उतने हमारे पर्वतीय अंचल के पास हैं हमारे प्रदेश में स्टेट विद-इन स्टेट हैं ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में अधिक चर्चा बलात्कार, डकैती, सुरक्षा, आगजनी के बारे में होती है लेकिन यह चीजें हमारे इलाके में नहीं हैं । मैं वहां के विकास के बारे में कह रहा हूं जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिये । मैं पर्यटन की बात कर रहा था । वहां पर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तमाम स्थान हैं जहां पर नैसर्गिक सुन्दरता है । ऐसे सुन्दर स्थानों पर पर्यटन की व्यवस्था करनी चाहिये । हमारे यहां कारबेट नेशनल पार्क है जहां पर दुनियां भर के लोग आते हैं मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग वहां जरूर जायं । आप और सरकारी अधिकारी बद्रीनाथ और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री पुण्य कमाने के लिये सरकारी खर्चे पर जायेंगे लेकिन किसी दूरस्थ गांव को नहीं जायेंग । अगर वह पहाड़ के किसी दूरस्थ को जायें तो उन्हें पता चलेगा कि वहां की पीड़ा क्या है और वहां की सुन्दरता क्या है ।

इसी तरह से हमारे यहां हिमालय में सफेद भालू, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, मुनाल पक्षी आदि तमाम जानवर पाये जाते हैं जो दुर्लभ हैं । इसी तरह से हमारे यहां फूलों की घाटी है जिसकी सुन्दरता देखने सारी दुनियां से लोग आते हैं वहां पर पर्यटकों को कोई सुविधायें नहीं हैं आपने पर्यटन को उद्योग माना है तो उसका विकास करें । हमारे यहां पंचतारा होटल बन रहे हैं । बद्रीनाथ में कंक्रीट और सीमेंट के भवन बन रहे हैं । यह स्थान भूगर्भ रेखा के अन्दर है वहां पर वैसा हादसा हो सकता है जैसा कि उत्तरकाशी में हुआ है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां के स्थानीय पैटर्न पर भवन बनाये जायं ।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अनेक प्रकार की उपयोगी जड़ी बूटियां मिलती हैं, जटामासी, उतीस, सोमया, बन ककड़ी आदि बहुमूल्य जड़ी बूटियां पायी जाती हैं । आपने जड़ी बूटी शोध संस्थान की घोषणा की है मैं समझता हूं कि इससे वहां बड़ा भारी लाभ मिलेगा । चरक ऋषि जो आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे उनका आश्रम हमारे यहां है जहां पर शोध होता था । हमारे यहां अस्पताल नहीं हैं लेकिन दिल्ली से निराश होकर आने वाले लोगों के रोग हमारे यहां की जड़ी बूटियों से ठीक हो जाते हैं । कैंसर और गठिया बाई जैसे असाध्य रोगों का इलाज हमारे यहां पायी जाने वाली जड़ी बूटियों से होता है और यह मर्ज ठीक हो जाते हैं । इसलिये इस तरफ ध्यान देकर व्यवस्था करें यह मेरा निवेदन है । मान्यवर, हार्टीकल्चर के बिना पहाड़ों का विकास नहीं होगा । हमारे यहां हार्टीकल्चर का जितना पोटेंशियल है वह यह है कि जहां 12 हजार फीट की ऊंचाई है वहां का जो टेम्परेचर है और तराई में एक हजार फीट की ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्रफल में सब प्रकार की जो जलवायु है, टैम्परेचर है, क्लाइमेट है, इसके कारण वहां को फल पट्टी का स्वरूप देना चाहिये । मेरा सुझाव है कि पहाड़ों में हार्टीकल्चर को उद्योग का दर्जा दिया जाय । इसमें लांग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और सब्सिडी देना

चाहिये । मैं हार्टीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एशिया का सबसे बड़ा भरसार का बगीचा समाप्त हो रहा है । चौबटिया का सेब का बगीचा समाप्त हो रहा है बात आयी कि अच्छे सेब नहीं होते । हमारे सेब जब बम्बई और कलकत्ता एक प्रदर्शनी में गये थे तो हमारे यहां के सेब को हिमांचल का सेब कहा गया था । हिमांचल से लगे इलाके का सेब कलकत्ता में हिमांचल से कम नहीं है, लेकिन हिमांचल ने अपने को एप्पल स्टेट बनाया है । उसका प्रचार प्रसार किया है सारी व्यवस्था की है । हमारे यहां क्या हो रहा है आप पैदा कर रहे हैं । बहुत पैदा होता है लेकिन मार्केटिंग, विपणन, रखरखाव, भण्डारण और प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है । बेस सही नहीं है तो लोग क्यों पैदा करेंगे ।

जहां तक हार्टीकल्चर का सवाल था, सारे देश के लिये अनेक प्रकार के फल अखरोट, बादाम जो कम मिलते हैं, हमारे यहां हो सकते हैं । केसर की खेती हो सकती है, लेकिन नहीं की गयी । जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव कर रहे हैं कि नये बगीचे लगाये जायें, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिये आपको जो लोग लगावें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए । अरबों रुपया पहाड़ों पर वनीकरण के नाम पर खर्च हो रहा है । उनको हार्टीकल्चर पर खर्च करें तो वनीकरण हो जायेगा और इण्डस्ट्रीज भी डेवलप हो जायेंगी । क्यों नहीं करते उनकी व्यवस्था वहां की परिस्थिति के अनुरूप नहीं बनायेंगे, उनके भूगोल के अनुरूप नहीं बनायेंगे तब तक कुछ कार्य नहीं कर सकेंगे । केवल आंकड़ों में इस विभाग के बनते-बनते 18 साल के आंकड़े पेश कर दिये । हर सरकार कहती है कि ऐसा कर दिया, लेकिन जो उनका लाभ मिलना चाहिये था, अभी तक नहीं मिला है । यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, उद्योगों के बारे में हमारे यहां उद्योगों की कोई सम्भावना नहीं है उद्योग लगाने का प्रश्न हमारे यहां नहीं है । उद्योग का जहां तक सवाल है, हमारे यहां बड़े-बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं । जो उद्योग लगते हैं, वन अधिनियम से बन्द हो गये जो उद्योग लगते थे, कुछ प्रदूषण के कारण नहीं लग सकते ।

पहाड़ में इलेक्ट्रानिक्स का विकास किया जायेगा, यह कहा गया था, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा प्रगति नहीं की गयी, जिसके कारण वहां का जो विकास है, बिल्कुल रुक गया है । मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर, हमारा विकास तब तक सम्भव नहीं है, जब तक इस तरह के लोग नहीं आयेंगे जो संवेदनशील हों, जो अपना उत्तरदायित्व समझें, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था के लिये हिल कैडर जब तक नहीं बनायेंगे लागू नहीं करेंगे, तब तक ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिनको दण्ड के लिये पहाड़ भेज दें । जो प्रशासनिक अधिकारी ठीक नहीं होगा उसको पहाड़ भेज देंगे । हमारी मांग है कि हिल कैडर कर दीजिये ताकि अधिकारी पूर्ण मनोयोग से काम करें ।

हमारे यहां स्वास्थ्य सेवायें बहुत कम हैं हवा पानी न मिलता तो, प्रदूषण होता तो मैं समझता हूं कि वहां जनसंख्या की आज से आधी स्थिति होती । स्वास्थ्य के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर जो डिस्पेंसरी होती है, मैदानी पैटर्न पर होती है । मैं कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भौगोलिक स्थिति है, दूरी को देखते हुए वहां पर अस्पताल होने चाहिये, डिस्पेंसरी होनी चाहिये । गत वर्ष 4-5 करोड़ रुपया असपतालों के भवनों के लिये स्वीकृत किया गया था, हमारी अपेक्षा है कि हरे बांस से भवन बनाये जायं, लोक निर्माण विभाग से बनाये जायं । हमारी जो कमिश्नरी या हेडक्वार्टर है, जहां पर महिला और पुरुष चिकित्सालय भवन बनने थे, धन स्वीकृत नहीं किया गया है, श्रीकोट में 200 बेड का जो अस्पताल बनाया गया है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर कोई डाक्टर नहीं है, और न कोई बेड है । मान्यवर, विद्युत के बारे में कहना चाहता हूं जो विद्युत आज हमको यहां से उपलब्ध होती है, वह पहुंचते-पहुंचते पहाड़ों के थोड़े अन्तराल पर सैकड़ों किलो मीटर की दूरी पर जाती है, तो छोटा सब स्टेशन वहां पर बना दिया जाय और सबसे ज्यादा पहाड़ों के विकास के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो

प्रस्तुत योजनायें हैं, हमारे यहां नदी घाटियों में इतना पानी है कि माइक्रोहाइड्रो स्कीम के माध्यम से बिजली पैदा की जाय। ऐरो जनरेटर (पवन बिजली) लगा दी जाय। तीसरा विकल्प और ऊर्जा के लिये अधिक धन की आवश्यकता है, इसके लिये वहां पर धन दिया जाय।

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र भारत का माल कहा जाता है और देवात्मा कहा जाने वाला यह क्षेत्र धरती पर स्वर्ग के समान है, किन्तु धरती पर स्वर्ग के समान इस क्षेत्र में आज भी तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर न शिक्षा है, न सड़क है और एक बूंद पानी को तरसते, भटकते हैं लोग दर-दर, आंख से आंसू बरसते।

मान्यवर, मैं अभी माननीय भारत सिंह के कटौती के प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुन रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस दल से श्री भारत सिंह जुड़े हैं, उसी दल ने किस स्थिति में इस प्रदेश को दिया कि कविता की दो पंक्तियों में लिखे खम्भे खड़े, बिजली नहीं नल बिछे, पानी न मिला है, पिछली सरकारों की उपेक्षा ने तो पहाड़ का तन बदन ही छिला है।

मान्यवर, मैं मुक्त रूप से स्वीकार करता हूं कि अभी भी पहाड़ के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, विगत 40–44 सालों की उपेक्षा का शिकार पहाड़ इसलिये भी विकास नहीं कर पाया क्योंकि उच्च अधिकारी अपने--अपने कैम्प कार्यालयों को लेकर लखनऊ जैसे शहरों में डटे रहते थे और क्षेत्र में नहीं आते थे। परिणाम यह होता था कि छोटे अधिकारी, कर्मचारी भी गांव तक नहीं जाते थे और भारी भरकम राशि का 25 प्रतिशत हिस्से का भी सदुपयोग नहीं हो पाता था, उत्तरांचल क्षेत्र की उपेक्षा एवं सभी स्थितियों से मा० मुख्य मंत्री जी को 7 सितम्बर, 91 का हम उत्तरांचल के विधायकों ने अवगत कराया था पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए मा० मुख्य मंत्री ने तत्काल घोषणा की थी कि तत्काल उच्चाधिकारी अपना कैम्प कार्यालय तोड़कर अपने-अपने मुख्यालयों में चले जायं और इसे शासनादेश समझें और इसी के परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग के अपर निदेशक कार्यालय गैरसेड़ में पूरी सहमति पर ले जाया गया था जिसका कि स्वयं माननीय उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया और तीन-तीन मंत्री उस कार्यालय में उपस्थित थे, किन्तु दुर्भाग्य से आज तक वह अपर निदेशक गैरसेड़ में नहीं बैठे हैं, मान्यवर, जैसा कि माननीय भारत सिंह ने कहा कि भा० ज० पा० उत्तरांचल के प्रति गम्भीर नहीं है वह तो इसी सदन में रहते हैं, और कई बार भी मुख्य मंत्री ने अपना भाषण दिया, हर बार उत्तरांचल के प्रति वचनबद्धता को दोहराया, केन्द्र सरकारी के संज्ञान में भी सक्रियता से इस बात से लाया गया है। इसी का परिणाम है कि केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनेक बिन्दुओं पर आख्या मांगी है। पिछले 40–44 सालों में घुटती हुई विकास के लिये तड़पती उत्तरांचल की जनता ने उत्तरांचल के पक्ष में जो जनादेश किया है उस जनादेश में भा० ज० पा० ने स्वीकार कर उत्तरांचल प्रदेश बनाने की कटिबद्धता को दोहराया है इसके लिये मैं भा० ज० पा० सरकार को उत्तरांचल क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि इतना बजट होने के बावजूद भी पर्वतीय क्षेत्र विकास की दृष्टि से छटपटा रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर योजनाओं के कार्यान्वियन की नितान्त कमी है और वहां पर जो बजट दिया गया है, उसका 25 प्रतिशत ही वहां पर उपयोग नहीं हो पाया है, जिसको उन्मुक्त रूप से सभी लोग स्वीकार करते हैं।

मान्यवर, जितने भी उच्च अधिकारी वह सभी कैम्प बनाकर लखनऊ में रहते हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं और वह लोग बहुत कम पहाड़ों पर जाते हैं और मान्यवर, जब अधिकारी ही नहीं जाते हैं, तो

उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी लापरवाही करते हैं और काम पर नहीं जाते हैं और काम को ठीक से नहीं करते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 7 सितम्बर को यह कहा था कि जितने भी कैम्प कार्यालय लखनऊ में हैं, वह सभी अपने क्षेत्र में जायें, इसको शासनादेश समझा जाये । उदाहरण देखिये कि अपर शिक्षा निदेशालय उत्तरांचल को गैरसेड़ ले जाया गया और 3-3 मंत्रियों ने उसका उद्घाटन किया है, लेकिन अभी तक वहां पर कार्यालय ठीक से स्थापित नहीं हो पाया है और इसी का परिणाम है कि 40–45 वर्षों बाद भी पहाड़ विकास के लिये छटपटाता नजर आ रहा है । हमारी सरकार ने उत्तरांचल को प्रदेश बनाने के बारे में सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार तो कर ही दिया है तो मान्यवर, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जितने भी उत्तरांचल के विभागाध्यक्ष हैं उन सभी को पूर्ण अधिकार दे दिये जायें अगर ऐसा कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उत्तरांचल का विकास होगा । जिस प्रकार उद्यान विभाग में उत्तरांचल में अलग निदेशालय है और उसका सीधा सम्बन्ध शासन से है उसी प्रकार सभी विभागों में होना चाहिये ।

मान्यवर, मैं स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं । मान्यवर, विद्यालय है लेकिन वहां पर अध्यापक नहीं हैं । स्कूलों में 5-5 और 6-6 सालों से विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक नहीं हैं न सी० टी० में न एल० टी० में और न ही प्रवक्ता हैं लेकिन फिर भी छात्र प्रथम आ रहे हैं, तो इस पर हमें विचार करना होगा कि इस पीढ़ी को हम कहां ढकेल रहे हैं, जो अध्यापकों की कमी है, उसको तत्काल पूरा करना होगा । मान्यवर, पहाड़ों पर जल की समस्या है, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा और पेयजल की समस्या को दूर करना होगा । एक शासनादेश के तहत जल निगम ने अनेक योजनाओं की जो जिस स्थिति में थीं जल संस्थान को स्थानान्तरित कर दी थीं तमाम योजनायें अधूरी हैं और जल संस्थान बना रहा हूं और न जल निगम इस विवाद को दूर होना चाहिये और पेयजल संकट का समाधान करना नितान्त आवश्यक है ।

मान्यवर, वन अधिनियम पहाड़ों के लिये अभिशाप है । यहां पर 10–15 वर्षों से सड़कें पड़ी हुई हैं और वन विभाग तथा दूसरे विभागों में पत्राचार होता रहता है, लेकिन परिणाम नहीं निकल पाता है । वन अधिनियम एवं वन्य जन्तु संरक्षक अधिनियम पहाड़ के लिये अभिशाप हो गया है, इसे लचीला बनाया जाना चाहिये नहीं तो विकास के लिये छटपटाती जनता कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है। मान्यवर, एक ओर तो उत्तरांचल क्षेत्र को स्वर्ग कहा जाता है और दूसरी ओर प्रदेश भर में सर्वाधिक भ्रष्ट अधिकारी को सजा के रूप में उत्तरांचल में भेजा जाता है, मेरा आग्रह है कि इतने सुन्दर क्षेत्र को कारागार का रूप न दें । इस प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी वहां पर भ्रष्टाचार फैलाने के सिवाय और कोई काम नहीं करते । माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में हवाई पट्टी बनायी जायेगी, शीतलाखेत व पौड़ी को पर्यटन स्थल और जोशीमठ में रज्जू मार्ग बनाये जायेंगे इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । एक सुझाव और है कि माननीय मंत्री जी केवल कोषाधिकारी के रूप में काम करते हैं, इनको आर्थिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के अधिकार होने चाहिये तभी वहां पर काम हो सकेंगे ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आदरणीय श्री भारत सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव के क्रम में कहना चाहता हूं कि माननीय उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री द्वारा उत्तरांचल के विकास व अविकास के संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम अपने आपको पर्वतीय क्षेत्रों से इमोशनली अटैच महसूस किया उन तमाम दिक्कतों से जो विभिन्न पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की हैं । मान्यवर, जैसा कि कहा गया है कि इस देश और प्रदेश के अन्दर और समाज के अन्दर नीतियों की कमी कभी नहीं रही है और उसी तरह से वर्तमान भा० ज० पा० सरकार में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नीतियों की कोई कमी नहीं है लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार की नीति के साथ-साथ नीयत किस तरह की है ।

(इस समय 9 बजकर 2 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, 8 पर्वतीय जनपदों के लोगों की काफी लम्बे अर्से से एक मांग रही है कि इन 8 जिलों का एक प्रदेश बनाया जाय । यह मांग उचित है लेकिन यह एक बहुत ही गहन विचार विमर्श का विषय था कि आठों पर्वतीय जनपदों के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप अगर कार्यवाही होती तो पहले इस महत्वपूर्ण विषय पर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता थी लेकिन जिस तुरत फुरत में इस प्रस्ताव को पारित किया गया उसके पीछे जो मंशा थी वह संदिग्ध है ऐसा लगता है कि एक पोलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिये, पोलिटिकल लाभ लेने के लिये इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, मैं एक सवाल करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की वास्तव में अलग प्रान्त बनाये जाने की इच्छा थी, अगर उसके पीछे साफ नियत थी तो जहां तक प्रान्त बनाये जाने का सवाल है वह तो केन्द्र सरकार के हाथ में है तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि प्रदेश सरकार को पहले वह कार्य करना चाहिये जो उसके खुद के अधिकार क्षेत्र में हो । उसी क्रम में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार के खुद के हाथ में उत्तरांचल विभाग जो पहले से पर्वतीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता था जिसका पहले से बजट यह बजट है तो क्यों नहीं उसको समस्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दे दिये गये और केवल राजनीतिक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये विभिन्न विभागों के कार्यालयों को पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बिखेरा जा रहा है । इससे यह सर्वविदित हो गया है कि इसमें होने वाला कुछ नहीं है इन तिलों से तेल निकलने वाला नहीं है क्योंकि विभिन्न विभागों के कार्यालयों को पर्वतीय क्षेत्र में रेवड़ी की तरह बिखेर दिया गया कोई पौड़ी में, तो कोई देहरादून में, कोई रामगढ़ में, कोई नैनीताल में, कोई अल्मोड़ा में, कोई गोपेश्वर में तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासन के कार्य के बारे में यह इस्टेब्लिस्ड बात नहीं है कि इंटर डिपार्टमेंट कोआर्डिनेशन की जरूरत होती है । हाल यह है कि कृषि विभाग को कहीं भेज दिया, शिक्षा विभाग को कहीं भेज दिया, प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय को नैनीताल में भेजे जाने का मूड है तो इस तरह से सभी कार्यालयों को बिखेर करके भेज दिया जायेगा तो जनता को अपने कार्यो के संबंध में भारी कठिनाई होगी । यहां कम से कम जनप्रतिनिधि लखनऊ आकर के सभी विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क कर लेता है । परन्तु इस तरह से अगर राजनीति को मद्देनजर रखते हुए कार्यालयों को बिखेरा जाता रहा तो लोगों को दिक्कत पड़ेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मान्यवर, दो जोनल सेक्रेटेरियट वर्तमान में कामजों पर हैं जिसमें एक कुमायूं मण्डल का है और एक गढ़वाल मण्डल का है तो इन जोनल सेक्रेटेरियट को एडमिनिस्ट्रेटिव व फायनेन्सियल पावर देकर के और सक्षम अधिकारियों को बैठाकर देखें वहां का आदमी यह महसूस करेगा कि यह जोनल सेक्रेटेरियेट ही उनके लिये शासन और प्रशासन है अगर केवल कार्यालय खोल दिया गया तो उससे कोई फायदा नहीं है । जैसा कि अभी अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा विभाग एडीशनल डाइरेक्टर हिल्स आज भी लखनऊ में बैठते हैं, दूसरे एडीशनल डाइरेक्टर्स हैं कोई गोपेश्वर, कोई पौड़ी, तो कोई देहरादून में बैठते हैं, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि उत्तरांचल के अन्दर बड़ा अभाव है सड़कों और पुलों का जिसके कारण वहां का विकास अवरुद्ध है । 1991-92 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी मोटर मार्ग और हल्के वाहन मार्ग जो स्वीकृत किये गये हैं, उनका विस्तार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे कुछ लम्बाई के स्वीकृत हैं । पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर विकास खण्ड कालसी व चकराता 100 प्रतिशत जनजाति की आबादी वाले क्षेत्र हैं 50 प्रतिशत विद्यालयों में आज भी अध्यापक नहीं हैं,

कागजों पर हैं परन्तु वहां पर विद्यालयों में अध्यापक जाते ही नहीं हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालसी, नागथात, चकराता, लखदाढ़, साहिया और त्यूनी में इण्टर कालेज हैं । मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा और वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में भी है कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जहां भी इण्टर कालेज और डिग्री कालेज हैं, वहां पर छात्रावास की स्थापना की जायेगी । यहां पर छात्रावासों की नितान्त आवश्यकता है, कृपया इसकी व्यवस्था करायें । पेयजल की समस्या के संबंध में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नागथात स्थान है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहां पर लिफ्ट पेयजल योजना की व्यवस्था की जानी चाहिये । चकराता एक छावनी क्षेत्र है, ब्रिटिश काल से ही और आज भी वह एक ''रेस्ट्रिक्टेड'' एरिया है । चकराता में सिविलियन गतिविधि की इजाजत कम दी जाती है जिसके कारण वहां के लोगों का कारोबार सीमित हो गया है, विकास की सम्भावनायें नहीं हैं । काफी समय से वहां के लोगों की मांग है कि परोड़ी और राम लाल गार्डेन में नया चकराता टाउन के नाम से एक सुन्दर टाउन बसाया जाय । इसके लिये लिफ्ट पेयजल योजना की व्यवस्था की जानी चाहिये । नया प्रसार विकास नगर और डाक पत्थर ऐसे क्षेत्र हैं जहां लम्बे अर्से से महाविद्यालय की मांग की जाती रही है । मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि डाक पत्थर विकास नगर क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत राजनीति की है, काफी बयानबाजी मंत्रियों ने जाकर की आज की तारीख तक वित्तीय स्वीकृति डाक पत्थर महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में नहीं दी गयी है। मैं फिर से जोर देकर अनुरोध करूंगा कि विकास नगर डाक पत्थर क्षेत्र में महाविद्यालय इसी शिक्षा सत्र से प्रारम्भ कर दें । जनजाति क्षेत्र सारिया में महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में तमाम आन्दोलन हुए मैंने भी उसमें शिरकत की थी 47 दिन तक जेल में रहा परन्तु आज की तारीख तक वहां महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी वह जनजाति क्षेत्र है सारिया चकराता क्षेत्र में महाविद्यालय अवश्य खोलने की कृपा करें । आश्रम पद्धति विद्यालयों का संबंध पूरे प्रदेश में मेरे क्षेत्र से सर्वाधिक है । आश्रम पद्धति विद्यालयों को खोले जाने की बात कई मौकों पर उत्तरांचल विकास मंत्री ने कही मेरे क्षेत्र के अन्दर जहां कालसी चकराता 100 फीसदी जनजाति आबादी वाला क्षेत्र है वहीं पर विकास नगर सहसपुर में बोक्सा जनजाति की काफी बड़ी आबादी है, वहां जनजाति के लिये आश्रम पद्धति विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है । कम से कम एक प्राइमरी स्तर तक या जूनियर हाई स्कूल तक आश्रम पद्धति विद्यालय विकाससागर और सहसपुर में खोलने की कृपा करें । जहां तक आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवनों का सवाल है.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मेरे क्षेत्र में कालसी टियूनी लाखा मण्डल में जो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं, वहां किसी में भी विद्यालय का भवन नहीं है इन आश्रम पद्धति के विद्यालयों के भवनों को जरूर बनाया जाय इसके साथ-साथ एक-एक छात्रावास भी बनवाने की कृपा करें । चकराता एरिया हिमांचल के बार्डर से लगा हुआ है माननीय भारत सिंह रावत जी ने हिमांचल राज्य की बात कही एक तुलनात्मक अध्ययन किया । मान्यवर, मेरे क्षेत्र का बाडरिंग एरिया है, उसमें जो जुबल कोटखाई है वह एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज है वह एक सेब बागवानी के आधार पर क्षेत्र बना हुआ है, चकराता क्षेत्र उससे बाडरिंग है क्या वजह है कि वहां पर सेब बागवानी का विकास नहीं हो सकता है सरकार प्रोत्साहन दे काश्तकारों को प्रोत्साहित करें वहां चकराता में सेब बागवानी को प्रोत्साहित किया जा सकता है । चकराता क्षेत्र के

अन्दर पर्यटन के लिहाज से कोई स्थान नहीं बनाया गया है । मैंने वन विभाग के मामलों पर भी कहा था। चकराता क्षेत्र के अन्दर वन विभाग के विश्राम गृह बड़े-बड़े रमणीक स्थानों पर हैं जिसको पाना बहुत दुर्लभ है मेरा कहना है कि जो यह विश्राम गृह हैं इनको पर्यटन विभाग को दे दिया जाय लीज पर दे दीजिये ताकि पर्यटकों का आवागमन का सिलसिला शुरू हो जो पर्यटक आते हैं, उनका जो खर्च होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है उससे वहां के लोगों की आमदनी होगी इसके साथ ही प्रस्तुत कटौती पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय किशोरी श्याम जी आपका पहाड़ से तो कोई रिश्ता नहीं है ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, यह लोग बहुत वहां की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई वहां नौकरी नहीं करना चाहता । मेरा वह क्षेत्र देखने को मन हो रहा है ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, माननीय किशोरी श्याम जी का वहां से रिश्ता है, शादी के बाद वे वहां ही गये थे ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, आपने मुझे उत्तरांचल विकास विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

मान्यवर, उत्तरांचल के बारे में माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा जो बजट रखा गया है, उस पर कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध कर दूं कि आज यह उत्तरांचल का बजट है कृपया लाल बत्ती जालने में थोड़ा ध्यान रखियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आप संकेत करेंगे तभी जलेगी ।

विधान मण्डल कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

* श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, उत्तरांचल की तो समस्या इतनी अथाह है जैसी पहाड़ों के बारे में कल्पना होती है वैसी ही हमारे उत्तरांचल की समस्या एक बहुत बड़ा पहाड़ है उसका हम इस विधान सभा में रहकर, या यहां पर बैठकर वर्णन नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, आज तक पहाड़ों के बारे में बातें तो बहुत हुईं लेकिन वहां के विकास के बारे में कोई रूप रेखा तय नहीं की गयी । मुझे दुख इस बात का है कि आजादी के चौवालीस पैंतालीस वर्ष के बाद भी आज तक वहां के विकास के बारे में जो पैटर्न अपनाया गया है उससे वहां का विकास होने वाला नहीं है । मैं स्पष्ट रूप से यह देना चाहता हूं कि आज तक जो कल्पना विकासं की की गयी, जिन लोगों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की, जिन लोगों का यह दायित्व था, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे लोग पहाड़ों के बारे में जानते तक नहीं थे । लखनऊ में बैठकर पहाड़ों के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा अन्याय होगा । मान्यवर, ऐसे लोग इस उत्तरांचल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास का बोझ लादे हुए हैं, जिन्हें पहाड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह योजनायें बनाते हैं, उत्तरांचल के विकास के बारे में सोचते हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि पहाड़ का विकास पहाड़ के लोगों की सहभागिता से ही हो सकता है। यह जो विकास की बात करते हैं यह सब कल्पना एक कोरी कल्पना है। एक उदाहरण देना चाहता हूं जब हम पहाड़ पर पीने के पानी की बात करते हैं, हमारे सामने कई समस्यायें हैं अधिकारियों ने कहा कि हमने हैण्ड पम्प लगाकर पीने का पानी वहां पर पहुंचा दिया है तो यह गलत है, यह उनकी कपोल कल्पना है तो इस प्रकार का विकास पहाड़ों पर होता है।

अभी चार साल पहले की बात है कांग्रेस के टाइम में जिस प्रकार का पहाड़ों का विकास हुआ। वहां पर प्रौढ़ शिक्षा के लिये दूर दराज के गांव हैं, उनमें प्रौढ़ शिक्षा के जो प्रेरक होते हैं उनके जाने के लिये साइकिल दी गयी, जहां पर पहाड़ में पैदल चलना कठिन होता है वहां पर उन लोगों के लिये साइकिलें दी गयीं और आज भी वह साइकिलें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में पड़ी जंग खा रही हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से पहाड़ों का विकास उस समय हो रहा था। मान्यवर, माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें पहली बार ईमानदारी के विकास के बारे में सोचा गया है। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, इसमें कोई बड़प्पन वाली बात नहीं कह रहा हूं जो इसका अव्यवस्थित रूप था उसमें पचास प्रतिशत का सुधार हुआ है।

जहां स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिये जाते थे, तो वह खाली बस्ता लेकर जाते थे, खाली हाजिरी के लिये जाते थे, न तो उनके बैठने के लिये कोई व्यवस्था थी और न ही अध्यापक थे, वह खाली तफरीह के लिये जाते थे तो हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और वहां पर अध्यापकों और अन्य चीजों के लिये व्यवस्था की है। इसी प्रकार से वहां के अस्पतालों की स्थिति थी, खूब घोषणायें की गयी थीं, लेकिन वहां पर डाक्टर्स नहीं थे, एक झाड़ू लगाने वाला स्वीपर डाक्टर का काम किया करता था तो यह हालत कर रखी थी। मान्यवर, यह मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं।

[समय 9 बजकर 20 मिनट]

वहां पर जो सफाई कर्मचारी होता है, वह उन डिस्पेंसरीज में, हास्पिटल के डाक्टर्स का काम करता है और उन अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिलती है। किसी के पेट मे दर्द है किसी को बुखार है, किसी की टांग टूट गयी, सभी बीमारियों में वही दो पैसे वाली गोली दे दी जाती थी। यदि कहीं कोई दवायें रहती भी थीं, तो बिना पैसा लिये दवा मिलती नहीं थी।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पर्वतीय क्षेत्र के हास्पिटल, डिस्पेंसरीज में डाक्टरों की नियुक्ति कर दी है। मान्यवर, इस प्रकार से बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिये सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, योजना बनती थी, उसमें ठेकेदार, इंजीनियर मिलकर बंटाधार कर देते, तो यह तो हमारी आप बीती है, अगर उसका पूरा-पूरा बखान भी करें, तो उसके लिये महीनों का समय लग जायेगा और मैं समझता हूं कि ऐसा करना औचित्यपूर्ण भी नहीं होगा। इसी प्रकार से गांवों में पेयजल योजना बनती है, उसमें इंजीनियरों का यह उद्देश्य नहीं होता कि पानी पहुंचाया जाय। उनका उद्देश्य यह होता है कि गांव में नल पहुंच जाय, पानी पहुंचे या न पहुंचे, केवल कागजों में योजना बन जाये इसी तरह से कोई भी बिल्डिंग बनती है, उसकी जड़ में बुनियाद में ही बेईमानी घुस जाती है और सरकार के विकास की कल्पना निरर्थक हो जाती है।

मान्यवर, पहाड़ों की जो समस्यायें हैं, उसमें से बेसिक स्कूलों के बारे में बताना चाहता हूं। सितम्बर में एक बैठक हुई थी, उसमें कई स्कूलों के लिये सरकार ने धन की व्यवस्था की थी, उन बेसिक स्कूलों को अब तक बन जाना चाहिये था। इसी प्रकार से सीनियर स्कूलों का 63 लाख रुपया पी० एल० ए० में पड़ा हुआ है। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन विद्यालयों का पैसा यहां पी० एल० ए० में पड़ा हुआ है, उसको निकालकर उसका सदुपयोग किया जाय, वह पैसा अनावश्यक रूप से यहां पड़ा हुआ है, उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में हिल कैडर लागू किया जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे टिहरी जनपद में मई, 1991 में 59 डाक्टरों की कमीशन के द्वारा नियुक्ति हुई। कुल 15 डाक्टरों ने वहां ज्वाइनिंग दी और 15 जो नियुक्त भी हुए, बाद में वह भी गायब हो गये। आज वह लखनऊ में मिलते हैं, कहीं किसी विधायक के पास जा रहे है, किसी मंत्री के पास जा रहे हैं, किसी सचिव के पास जा रहे हैं और किस लिये कि हमारा स्थानान्तरण कर दो।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय, जिसमें एक निश्चित समय सीमा हो कि इतने वर्ष आपको वहां रहना ही है, उनके लिये बाध्यता होनी चाहिये कि वह कुछ वर्ष रहकर जनता के काम को करें उनकी सेवा करें, अपने दायित्व को पूरा करें अन्यथा यही होगा कि नियुक्तियां होंगी और लोग ज्वाइनिगं देकर इधर उधर घूमते रहेंगे। मान्यवर, वहां पर जो कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसका भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। महीने के आखिर में कर्मचारी वेतन लेने के लिये वहां जाता है, और रजिस्टर पर दस्तखत करके अपनी उपस्थिति दिखाकर पैसा ले लेता है इसके लिये हिल कैडर की व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार से मान्यवर, यह बहुत सी बातें हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में रिंगाल उद्योग के विकास की बहुत सम्भावनायें हैं, एक दिन मैं यहां एक हैट लगाकर आया था, लोग मुझसे बहुत पूछने लगे कि यह क्या है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में रिंगाल बहुत पैदा होता है, रिंगाल का हस्तकला के रूप में एक छोटे उद्योग के रूप में महत्व है उसके विकास की बहुत सम्भावनायें हैं गांवों में उसका व्यवसाय किया जाता है और इससे लोगों की आजीविका चलती है, इसलिये इसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्र में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ करने की आवश्यकता है। अब अपने विधान सभा क्षेत्र टिहरी की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टिहरी जनपद मात्र एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जो शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं के बारे में काफी उपेक्षित रहा। अब विद्यालयों को ही आप ले लीजिये। वहां पर मात्र एक राजकीय डिग्री कालेज है, जहां पर आर्ट साइड से बी० ए० तक की शिक्षा दी जाती है। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अंजनी सैंण, लम्ब गांव व धनसाली में एक-एक महाविद्यालय खोला जाय ताकि एक सन्तुलन बना रहे।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण समस्या यह भी है कि आज वहां पर पंजाब व हरियाणा से लोग वहां पर आ रहे हैं। मैं कोई अलगाव वाद की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक हकीकत है कि आज तक पर्वतीय क्षेत्र की अपनी जो एक विशेष पहचान थी, उसको नष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। वहां पर छद्म नामों से ईसाई मिशनरी के लोग जमीनों का सौदा कर रहे हैं छद्म नामों से संस्थायें खोली जा रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उत्तरांचल सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर शत्रु हमेशा हमारे देश पर आंख लगाये हुए हैं। इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार उत्तरांचल क्षेत्र में जो ये राष्ट्रद्रोही संस्थायें काम कर रही हैं, इन पर रोक लगाई जाय।

माननीय मंत्री जी ने बेमौसमी सब्जियों की बात यहां कही । टिहरी जनपद में चम्बा मसूरी फलपट्टी वाला क्षेत्र है । यहां का सारा आलू सड़ जाता है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बरसात में जो बेमौसमी आलू पैदा होता है, उसको रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिये । ताकि कृषकों को लाभ मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ श्री रावत जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने पहाड़ की जनता के खिलाफ काम किया है । इन्हें तो बजट को बढ़ाने के लिये कहना चाहिये था । मेरा अनुरोध है कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर विकास की प्रक्रिया में इस सरकार का साथ दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बची सिंह रावत–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तरांचल के बजट पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, सबसे पहले 12 अगस्त, 1991 को इस सम्मानित सदन से उत्तरांचल के पृथक राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ उसके संबंध में सदन में चर्चा हुई । हमारे माननीय भारत सिंह रावत और मुन्ना चौहान जी ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये उससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उत्तरांचल राज्य की आवश्यकता वह भी महसूस करते हैं । भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पहल कर यह प्रस्ताव पारित किया जो निश्चित ही 12 अगस्त, 1991 का प्रस्ताव है पृथक राज्य का वह इस सम्मानित सदन का ऐतिहासिक दिन था । यहां पर एक आशंका उठी है कि प्रस्ताव का प्रारूप और उसके औचित्य के संबंध में क्या कार्यवाही हुई तो मैं बताना चाहता हूं जो मुझे जानकारी है इस संबंध में केन्द्र सरकार से औचित्य के प्रश्न पूछे गये और उसके प्रारूप के संबंध में जानकारी की गयी है और यहां उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पत्रावली केन्द्र को भेजी जा चुकी है ।

यहां पर हिल कैडर की बात आयी । मैं आभारी हूं । नियम 51 के अन्तर्गत इस संबंध में सूचना आपके द्वारा स्वीकार की गयी है जिसके लिये 11 मई को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वक्तव्य आयेगा और उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

एक और समस्या विद्युत के संबंध में है माननीय मंत्री जी ने भाषण भी उस संबंध में किया आज पर्वतीय क्षेत्र में हर जगह लो वोल्टेज की समस्या है । घरों में प्रकाश भी ठीक से नहीं हो पाता है । इसके अलावा सबसे मुख्य समस्या जल संकट की है लो वोल्टेज के कारण हमारे जो जल के पम्प स्टेशन हैं जिनको 24 घंटा काम करना होता है वह केवल 8, 10 घंटे ही चल पाते हैं जिनसे 100 दो सौ गांवों तक पानी पहुंचना है वह काम नहीं करते हैं और वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता है । इसके लिये 200 और 132 के० वी० स्टेशन बनने थे जो नहीं बन पाये हैं । 7वीं पंचवर्षीय योजना में 220 के० वी० स्टेशन अल्मोड़ा के लिये और 132 के० वी० स्टेशन रानीखेत और लोहाघाट के लिये स्वीकृत हुए थे लेकिन इन पर कार्यवाही नहीं हुई । तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर अवश्य विचार करें ।

आज के पहले सम्पूर्ण क्षेत्र में कहा जाता था कि इधर 5, 10 सालों में पर्वतीय क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन पिछले 9, 10 महीनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे क्षेत्रों के लिये जो कार्यशैली अपनाई है उसके परिणाम सामने आने लगे हैं और जगह-जगह चाहे वह सड़क निर्माण का कार्य हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो या सिंचाई योजनायें हों उनमें कार्य की गति में तेजी आयी और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । जिससे कार्य सुचारुरूप से चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जागरूक हैं जो समय-समय पर इसकी जानकारी देते हैं ।

शिक्षा के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालय के भवन इतने वर्षों से नहीं बन रहे हैं, तो उसमें भी 1991-92 में जो स्वीकृतियां हुई हैं, उससे कम से कम 100 विद्यालयों को इस मद में स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसी तरह से अन्य विभागों में भी सुचारु रूप से कार्य चल रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल का वायदा पूरा करेगी । इन शब्दों के साथ माननीय उत्तरांचल विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहाड़ के बजट पर मैदान के भी एक माननीय सदस्य श्री राम औतार शाक्य अपने विचार रखना चाहते हैं । वह इसके लिये बड़े उत्सुक हैं, इसलिये मैं उनको अवसर दे रहा हूं । शाक्य जी केवल दो मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शाक्य जी पर कहा है आगरा के किसी विधायक पर नहीं कहा है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मेरी चिन्ता इस बात पर है कि कहीं हम बहस करते-करते मैदान बनाम पहाड़ की लड़ाई में न उलझ जायें। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है कि भाषा के नाम पर प्रान्तों का बंटवारा हुआ और भाषा के नाम पर ही पंजाब बना और आज वहां पर अलगाववाद की स्थिति पैदा हो रही है । मेरी चिन्ता इस बात की है कि कहीं उत्तरांचल के निर्माण के बाद भी भारत की मुख्य धारा से अलग न हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह उत्तरांचल के विकास से संबंधित बजट है ।

श्री राम औतार शाक्य–

आपने कुछ छेड़खानी कर दी है, और मैदान की बात कह कर कह दिया कि मैदान के सदस्य को बोलने का अवसर दिया, इसलिये मेरे मन की भावना यही है जैसा कि अभी कुछ ऐसा प्रकरण चला कौन नहीं चाहता है कि वहां पर उद्योग लगें और वहां की बेरोजगारी समाप्त हो, वहां पर सड़कों का निर्माण हो और फूलों की घाटी पर फले फूले, जो भारत की सुन्दरता का एक मुख्य स्थान है । जो आपने बजट प्रस्तुत किया है इसमें आपकी नीयत साफ है, लेकिन मेरी चिन्ता इस बात की है कि जितना रुपया इसके लिये एलाट किया है वह रुपया जमीन पर नहीं आ पायेगा । आपने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो मदें निर्धारित की हैं, उसका यदि सौ फीसदी रुपया पहाड़ों में जमीन पर आ जाये तो मैं आपका बहुत आभारी हूंगा । लेकिन आपकी नीयत वोटों की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता पर केन्द्रित है और जो आपने पिछली बार संकल्प दिया था कि उत्तरांचल प्रदेश बनायेंगे वह आप बनाना भी नहीं चाहते हैं ।

कहीं ऐसा न हो कि आप पर्वत निवासियों को देश की मुख्य धारा से अलग कर दें। मान्यवर, पर्वतीय संवर्ग में कुछ अध्यापक मैदानी संवर्ग के हैं, जिनके उत्पीड़न की कार्यवाही वहां के लोगों द्वारा होती है जो पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यगण हैं उनको इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वहां पर ऐसा वातावरण बने जिसमें पहाड़ी और मैदानी संवर्ग के अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी व अधिकारी आपस में मिल जुल कर रहें। अब मैं इस पर और अधिक न कह कर कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मातवर सिह कण्डारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तरांचल विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। यहां पर शाक्य जी ने कुछ बातें कहीं हमारी पीड़ा विकास के लिये है, न भाषा का झगड़ा है न क्षेत्र का झगड़ा है। बल्कि पीड़ा है तो हम विकास के लिये तड़फ रहे हैं। वह देव भूमि है प्रकृति ने वहां अपार सम्पदा खनिज सम्पदा दी है, लेकिन उसका दोहन सही ढंग से आज तक नहीं हो पाया है। हम और हमारी सरकार चाहती है कि उत्तरांचल का विकास हो। वहां पर जड़ी बूटियों का अपार भण्डार है गंगा यमुना का शीतल जल बहता है। उस पानी का सही उपयोग हो, वहां पर माइक्रो हाइडिल लगे, इंडस्ट्री लगे, सीमेन्ट उद्योग लगे और माचिस का उद्योग लगे। मानयवर, आज पर्वतीय क्षेत्र की सम्पदा का सही ढंग से दोहन नहीं हो पा रहा है। चूंकि हम गरीब हैं इसलिये वहां सीमेन्ट और अन्य उद्योग धन्धे लगा सकते हैं। इसलिये सुझाव है कि उत्तरांचल में राजकीय उद्योग राजकीय कृषि फार्म, राजकीय कल उद्यान और राष्ट्रीय उद्योग धन्धे लगाये जायं ताकि यहां ये लोग जो पलायन कर रहे हैं, वह वहां रह सकें। मान्यवर, हिमांचल प्रदेश 20 वर्ष पहले हमसे पिछड़ा था लेकिन इन 20 सालों में वहां की सरकार ने ऐसी योजनायें ढूंढी और कार्यान्वयन की जिसके कारण वह हमसे समृद्धशाली है। इसलिये मेरा सुझाव है वहां एक दल हिमांचल प्रदेश भेजा जाय जो पता लगाये कि उन्होंने कृषि ,बागवानी के क्षेत्र में कैसे उन्नति की और किस तरह यहां काम किया गया जिससे हमारा विकास हो सके और हम आगे बढ़ सकें। हिमांचल प्रदेश हमारे लिये प्रेरणा स्रोत है, मान्यवर, पहाड़ में भूकम्प आया और हमारी सरकार ने वहां के लिये ऐतिहासिक राहत पहुंचाई लेकिन कुछ लोग राहत से वंचित रह गये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो लोग रह गये हैं, उनको भी राहत पहुंचाई जाय।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री लीला राम शर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय रावत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अभी श्री जोशी जी कह रहे थे कि लखनऊ में बैठकर पहाड़ के सिलसिले में बजट बनाया जाता है । तो पहाड़ का विकास कैसे होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसी बात को लेकर 1974 में उत्तराखण्ड विकास परिषद् का गठन किया गया और उस समय मंशा थी कि पहाड़ के जितने विधायक हैं उनकी राय लेकर यह परिषद् पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना बनाये और उसके बाद पैसा उपलब्ध करायें और फिर विभागों को वह पैसा दें । उसके बाद वह योजनाओं को कार्यान्वित करायें । लेकिन दुर्भाग्य है जबसे भा० ज० पा० सरकार आई है उसके मंत्री महोदय विधायकों से बात करने की जरूरत नहीं समझते और आज उन्हीं की पार्टी के सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ में बैठकर पर्वतीय क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे ? उनका कहना ठीक है ?

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र के जल निगम और जल संस्थान बने हैं । इनका उद्देश्य बिल्कुल सही था कि जल निगम योजना बनाये और जल संस्थान उसको चलाये । लेकिन यह पहली बार देखने को मिला कि एक विभाग का इंजीनियर दूसरे विभाग के इंजीनियर को घूस देता है और उसी कारण आज पहाड़ों में जितनी पेयजल योजनायें हैं वह 80 प्रतिशत खराब हैं । इसलिये जरूरत है जल निगम और जल संस्थान, दोनों को मिलाकर एक संस्था बनाया जाय ताकि एक विभाग की ही जिम्मेदारी रहे ।

मान्यवर, आज बजट को देखें तो उत्तरांचल में सिविल योजना के लिये जो बजट रखा गया है । उसका 60 प्रतिशत भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय रखा है और 40 प्रतिशत जो बचता है उसमें 20 प्रतिशत कमीशन में चला जाता है और जो 20 प्रतिशत बचता है उसमें आप देखें कि कितना विकास का काम होगा ।

आज जरूरत इस बात की है कि यदि उत्तरांचल का सही तरीके से विकास करना चाहते हैं तो दो बातें हैं एक तो आप यह कह दें कि आप उत्तरांचल का विकास नहीं कर सकते उत्तरांचल राज्य अलग बना दीजिये । हम अपने क्षेत्र का विकास अलग से कर लेंगे । सरकार को यह सोचना होगा कि इसका विकास करना उसकी जिम्मेदारी है या फिर इसे अलग राज्य बना दिया जाय वहां के लोग खुद उसका विकास कर लेंगे । जब तक प्रदेश के अन्दर उत्तरांचल है, इसके विकास की जिम्मेदारी प्रदेश की है । आज उत्तरांचल में कितना भ्रष्टाचार फैल गया है कि उसके विकास की बात कैसे की जा सकती है । प्रतिनिधियों की बात सुनने के लिये मंत्री जी तैयार नहीं हैं । अधिकारी वर्ग मनमौजी कर रहे हैं । ऊपर से रवैया यह है कि पहाड़ पर जाना नहीं चाहते हैं, यदि चले गये तो फिर लौटने का नाम नहीं लेते हैं । लखनऊ आकर कहते हैं कि हमारा ट्रान्सफर न किया जाय । खाली टीन के डिब्बे लेकर पहाड़ों पर जाते हैं परन्तु जब वहां से वापस आते हैं तो गाड़ियों और ठेलों पर उनका सामान भर कर आता है । आज पहाड़ों को लूटा जा रहा है । आप 403 करोड़ रुपये की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि 403 करोड़ रुपये की बात न करिये लेकिन कुछ काम कुछ विकास वहां पर कीजिये । जैसे कि सब्जी है, वहां पर सब्जियां पैदा करके दिखाइये ताकि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो सके ।

पहाड़ों में सड़कों की जरूरत है । आप पर्यटन की बात करते हैं । पिथौरागढ़ कितनी सुन्दर जगह है । लोग कहते हैं कि काश्मीर भी कुछ नहीं है इसके सामने । लेकिन मान्यवर, कोई भी पर्यटक 154 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर वहां नहीं जा सकता । यदि टनकपुर से पंचेश्वर होते हुए सड़क बना दी जाय काली नदी के किनारे से तो जो 154 किलोमीटर की दूरी है वह 100 किलोमीटर हो जाय और 7 किलोमीटर की चढ़ाई रह जायेगी । अगर सड़कें बना दी जायें तो पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास हो सकता है । जो वहां की बुनिवादी जरूरत है उसका विकास करना चाहिए । वहां की वस्तुस्थिति को वहां के लोगों के भविष्य को समझने के लिये जरूरी है । वहां के लोगों के भावनाओं का भविष्य को समझकर आपको योजनायें बनानी पड़ेगी । पहाड़ों पर पर्यटक जाना चाहेंगे पर बिना सुख सुविधाओं के सहूलियत के वह वहां कैसे पहुंच सकते हैं । उनको भी सहूलियत चाहिए । जब तक वहां पर सड़कें अच्छी नहीं होंगी कोई भी पर्यटक वहां नहीं जायेगा ।

मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि उत्तरांचल के विकास के लिये सही मायनों में सोचना पड़ेगा । खाली 403 करोड़ रुपये देकर हमको सन्तुष्ट कराने की जरूरत नहीं है । हम चाहते हैं कि वहां पर विकास के कार्य हों । पानी की वहां पर समस्या है । लिफ्ट पम्प लगावाकर उसे दूरे किया जाय । सड़कों के लिये पी० डब्ल्यू० डी० से वन अधिनियम की वजह से नहीं बनती हैं तो वन विभाग को पैसा देकर उनसे सड़कें बनवाई जायं ताकि जो पैसा सड़कों का डम्प पड़ा है वह यूटीलाइज हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ में श्री भारत सिंह रावत द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

सदन की दीर्घा में नारे लगाने वाले व्यक्तियों को छोड़े जाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी जवाब दें । इसके पहले एक आवश्यक प्रकरण ले रहा हूं । सदन को सूचना । डिप्टी मार्शल, विधान सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 6 मई, 1992 को अपरान्ह 1 बजकर 46 मिनट पर जब माननीय श्री स्वामी नाथ यादव कृषि विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय भाषण दे रहे थे, दर्शक दीर्घा-2,3 एवं 4 में बैठे हुए कतिपय दर्शकों जिनकी कुल संख्या–7 है, ने उक्त दर्शक दीर्घाओं में खड़े होकर नारे लगाये । दीर्घाओं में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें तुरन्त हिरासत में ले लिया तथा नारे लगाने से रोका और दीर्घाओं से बाहर ले गये । उक्त व्यक्तियों से की गई पूछताछ से प्राप्त जानकारी, जारी प्रवेश पत्र तथा माननीय सदस्यों जिनकी संस्तुति पर प्रवेश पत्र जारी किये गये, का विवरण निम्नलिखित है । 1–श्री रमाशंकर तिवारी पुत्र श्री बिन्दा प्रसाद तिवारी, मोहल्ला–रामपुरी, जिला–उन्नाव । प्रवेश पत्र संख्या–9836 श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (एटा) की संस्तुति पर जारी किया गया । 2–श्री अनिल श्रीवास्तव, पुत्र श्री शिवनाथ श्रीवास्तव कोआपरेटिव गली, तरीमपुर, जिला–सीतापुर। प्रवेश पत्र सं०–9837 श्री राजेन्द्र सिंह (एटा) की संस्तुति पर जारी किया गया । 3–कु० सुमन सिंह पुत्री श्री मदनपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट–हरपालपुर, जिला–हरदोई । प्रवेश पत्र संख्या–9838, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (एटा) की संस्तुति पर जारी किया गया । चौथा श्रीमती मालती मिश्रा पत्नी श्री राम केवल मिश्रा, मानक नगर, तेजीखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ । प्रवेश पत्र संख्या–9839, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान (एटा) की संस्तुति पर जारी किया गया । पांचवा श्री सुधीर बेकस, पुत्र श्री शिव दत्त, अहमदपुर, पो०–आशानन्द, जिला–रायबरेली । प्रवेश पत्र संख्या–9840, श्री प्रताप सिंह सैनी (मुरादाबाद) की संस्तुति पर जारी किया गया । छठा श्री गिरीश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री दयानन्द मिश्रा, आफिसर्स कालोनी, कैण्ट वाराणसी । प्रवेश पत्र सं० 9841 श्री प्रताप सिंह सैनी (मुरादाबाद) की संस्तुति पर जारी किया गया । सातवां श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह,

ग्राम व पोस्ट–खेड़ा जलालपुर, जिला–बदायूं । प्रवेश पत्र संख्या–9845, श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) की संस्तुति पर जारी किया गया ।

इन व्यक्तियों द्वारा नारे लगाने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ है । उक्त सभी दर्शक इस समय डिप्टी मार्शल की अभिरक्षा में । उपरोक्त सर्वश्री रमाशंकर तिवारी, अनिल श्रीवास्तव, कु० सुमन सिंह श्रीमती मालती मिश्रा, सुधीर बेकस, गिरीश चन्द्र मिश्रा तथा शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दर्शक दीर्घाओं में नारे लगाकर अपने आचरण से सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया है । यद्यपि इनका यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है तथापि ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं होगा । उक्त सभी सातों व्यक्ति इस समय डिप्टी मार्शल की अभिरक्षा में हैं अतः यदि सदन सहमत हो तो अब इन्हें छोड़ दिया जाय ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्हें छोड़ दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 6 मई, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 7 मई, 1992 से 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं–

1–दिनांक 7 तथा 8 मई, 1992 के लिए निर्धारित अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान की मांगों को दिनांक 7 मई, 1992 को रखा जाय और इन पर विचार एवं मतदान हेतु 7 एवं 8 मई, 1992 को डेढ़ दिन नियत किया जाय । अनुदान संख्या 2–आवास विभाग, अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग तथा अनुदान संख्या 87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान दिनांक 8 मई, 1992 को आधा दिन रखा जाय । दिनांक 7 एवं 8 मई, 1992 के लिए निर्धारित अन्य विभागों की अनुदानों की मांगों को (जिन पर विवाद नहीं होना है) दिनांक 8 मई, 1992 को रखा जाय ।

2–दिनांक 7 एवं 8 मई, 1992 को नियम 56, नियम 300 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं । परन्तु डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं के कृत्रिम अभाव विषयक सूचना पर सदस्यों एवं शासन के विचार सुने जायेंगे ।

3–प्रक्रिया नियमावली के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत अवशिष्ट समस्त प्रस्ताव, वक्तव्य तथा चर्चाएं दिनांक 12 तथा 13 मई, 1992 को असरकारी कार्य के उपरान्त रखी जांय ।

4–सदन का दिनांक 7 मई, 1992 से 13 मई, 1992 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

<u>मई, 1992</u>

7 गुरूवार — 1–उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।

2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

8 शुक्रवार 1–उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार एवं उसका पुनः पारण–आधा घण्टा ।

2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

9 शनिवार
10 रविवार
बैठक नहीं होगी

11 सोमवार 1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–4 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

12 मंगलवार (1) असरकारी दिवस (असरकारी विधेयक)

(2) अवशिष्ट प्रस्ताव, वक्तव्य तथा चर्चायें ।

13 बुधवार (1) असरकारी दिवस (असरकारी संकल्प)

(2) अवशिष्ट प्रस्ताव, वक्तव्य तथा चर्चायें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आदरणीय सदन में माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग (क्रमागत)

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं । चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी ने मेरी बातों का समर्थन किया है । मान्यवर, यहां पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं, हमारे यहां योजनायें ठीक से नहीं चलती हैं इसका मुख्य कारण यह है कि वित्त मंत्रालय से नानप्लान बजट नहीं मिलता है । इसलिये चाहे सड़क हो, नहर हो, अस्पताल हो, नान प्लान में पैसा न मिलने के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है । मेरा निवेदन है कि नार्म्स के मुताबिक नान प्लान बजट देने की व्यवस्था करें । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पहाड़ पर जलागम काम करता था । उस पर विश्व बैंक

का एक अरब रुपया खर्च हुआ है । अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल में योजना समाप्त होने वाली है वहां पर इससे जो परिसंपत्तियां हैं वह किसको स्थानान्तरित होंगी यह व्यवस्था नहीं की गयी है । यह बहुत बड़ी सम्पत्ति है जो जलागम द्वारा पैदा हुई है इसकी व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, जैसे गंगा नदी पवित्र है उसी प्रकार से गंगाजल पवित्र माना जाता है । दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं, जैसे केरल, आन्ध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में गंगा का पानी, गंगोत्री का पानी जाता है । सदियों से गंगा और गंगाजल के साथ भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनायें जुड़ी रही हैं । और उसका बाकायदा उपयोग होता है, क्योंकि गंगाजल के बारे में कहते हैं कि प्रदूषण होता ही नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों में उसका उपयोग होता है जो लोग प्रयाग, हरिद्वार वाराणसी में गंगाजल नहीं ले पाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा व्यापार हमारे यहां होता है । सरकार उसका व्यापार बन्द करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा उद्योग है । यह केवल व्यापार के रूप में नहीं, लाखों करोड़ों लोग जिनके घरों में धार्मिक अनुष्ठान के लिये गंगाजल प्राप्त होता था, वे उससे वंचित हो जायेंगे और इससे जो भावनायें जुड़ी हैं लोग उससे वंचित हो जायेंगे । यह कदम उचित नहीं है ।

चाय की खेती के बारे में मंत्री जी ने एक भी बात नहीं कही । उन्होंने कहा होता तो मैं नहीं कहता। चाय का देश से काफी निर्यात होता था और करोड़ों रुपया आता था, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है और लोग चाय इतनी पीते हैं कि हमारी खपत ही नहीं पूरी हो पाती अंग्रेजी जमाने में दून घाटी में बेनीबाग ग्वालदम में चाय के बगीचे लगाये गये थे वहां पर चाय के बगीचे लगाये जायें । इससे देश आर्थिक रूप से आगे जायेगा और निर्यात के लिये बहुत बड़ा अवसर मिल जायेगा और चाय स्वयं हमारी खपत के लिये भी मिल जायेगी । मैं समझता हूं कि इसको प्रोत्साहन दिया जाय । मान्यवर, विद्यालयों के बारे में, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका ध्यान मैं शिक्षा क्षेत्र में होने वाली बाधाओं की ओर दिलाना चाहता हूं । लगभग 273 विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं और 1200. 1300 के लगभग लेक्चरर नहीं हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि वहां पर अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की व्यवस्था जुलाई से पहले होनी चाहिये । एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो भवन विहीन विद्यालय हैं, 430 की संख्या बताई गयी, मैं समझता हूं कि इसको कम करने के लिये अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग का तमाम पैसा पी० एल० ए० में जमा है, जब कि वहां पर भवनों के लिये पैसा नहीं है, उसको अवमुक्त करने की कृपा करें ।

एक बात पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह जो वित्त मंत्रालय है और हमारा बजट है इसका किस्सा उसी तरह से हुआ जैसे गंगा शिव जी की जटा में उलझ गयी और थम गयी, उसी तरह से हमारा तमाम विकास रुका है । यहां पर भू-संरक्षण की बात है, उसको वहां अब भू-भक्षक कहते हैं । पहाड़ खोद कर भू-संरक्षण हो रहा है और करोड़ों का गबन है । उधर के भी सदस्य मानते हैं, माननीय मंत्री जी ने शासनादेश निकाला कि यह रुपया जिलाधिकारी के फंड से दिया जायेगा लेकिन उसमें सीधी कमीशनबाजी है रुपया विभाग को मिलता है और उसका शत प्रतिशत दुरुपयोग हो रहा है । मैं चाहूंगा कि इस पर जवाब आ जाय और इसमें जवाब दें कि स्वयं अपने शासन का जो शासनादेश किया था उसका परिपालन क्यों नहीं हो रहा है । यह मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

अब भूकम्प के बारे में, भूकम्प आया, सब जानते हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है बधाई देना चाहता हूं, राजनीति के परे बात है, लेकिन वहां बहुत बड़ी बंगलिंग भी की गयी । एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर जानवरों की बीमारी की बात आई, बीमारी के लिये दवा जानी थी एकदम से

65 लाख से मिनरल साल्ट के रूप में तमाम बोरे खरीदे गये कोटद्वार भावर में शोध सेन्टर हुआ है, उसका कार्य जल्दी आरम्भ किया जाय । कोटद्वार भावर में विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के०वी० का सब स्टेशन शीघ्र बनाया जाय और उसमें कहा जाता है कि 30 प्रतिशत का कमीशन था, जिसे अधिकारी ने ले लिया, इसकी भी जांच की जाय कि किस तरह से भूकम्प के नाम पर यह काम हो रहा है । कोटद्वार भावर में पेयजल का भयंकर संकट है । वहां के जो चीफ इंजीनियर जल निगम के हैं, उनका कहना है कि वहां के पानी के सोते सूख गये हैं, ट्यूबवेल लगाये जायं मैं अधिक समय न लेकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के पेयजल के संकट को दूर करने के लिये कारगर उपाय किया जाय मैं अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं । हमारे जो मंत्री जी हैं, उन्होंने मेरे पक्ष की ही बात यहां पर रखा है । इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)–

मान्यवर, उत्तरांचल विकास के संबंध में माननीय भारत सिंह रावत, माननीय रमेश चन्द्र पोखरियाल, माननीय मुन्ना चौहान, माननीय लाखी राम जोशी, माननीय बच्ची सिंह रावत, माननीय राम औतार शाक्य, माननीय मातवर सिंह कण्डारी, माननीय लीला राम शर्मा आदि माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं । आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उत्तरांचल क्षेत्र के संबंध में कुछ प्रमुख बाते हैं, जिनका उत्तर देना आवश्यक है । हमारे कुछ माननीय सदस्य लीलाराम शर्मा जी ने और माननीय मुन्ना सिंह चौहरन ने यह शंका जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनैतिक लाभ के लिये उत्तरांचल का प्रस्ताव लाई है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वह सरकार उत्तरांचल राज्य के गठन के लिये बहुत ही गम्भीर है । केन्द्र सरकार ने बहुत कुछ बिन्दुओं पर इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये हमसे पूछा है और केन्द्र सरकार को मार्च के महीने में इसका उत्तर भेज दिया गया । मान्यवर, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक अहमदाबाद में हुई थी, उसमें उत्तरांचल राज्य के शीघ्र गठन की मांग की गई थी । माननीय भारत सिंह रावत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, और शर्मा जी इस बात को पुरजोर ढंग से अपनी पार्टी में उठायेंगे । हम स्वीकार करते हैं, कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास में वन अधिनियम बाधक नहीं बनना चाहिये हमारी सरकार ने पहले जब हमारा सत्र चला था, उसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का संकल्प दोहराया था, मैं अपने बड़े भाई से इसमें भी मदद मांगूगा वह इसमें भी हमारी मदद करें । क्योंकि यह अधिनियम भी केन्द्र सरकार का बनाया है । शर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया है कि हिमांचल प्रदेश के बराबर केन्द्र से हमें नहीं मिल रहा है जबकि क्षेत्रफल लगभग बराबर है लेकिन केन्द्र सरकार से हमको कितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी तो उस समय केन्द्र में सिद्धान्ततः यह बात स्वीकार की गयी थी कि जितना पैसा हिमांचल प्रदेश को दिया जायेगा उतना ही पैसा उ० प्र० के इन पर्वतीय जिलों को भी दिया जायेगा, लेकिन आज उसमें अन्तर है । हमें पिछले तीन वर्षों से लगातार 182 करोड़ रुपया ही दिया जा रहा है और हम अपने सभी सम्मानित सांसदो के द्वारा भारत सरकार से निवेदन करने जा रहे हैं कि इस विषय पर वह हमारी मदद करें । आपने यह शंका जाहिर किया एकल ग्राम पेयजल योजना जो है, उसको हम ग्राम सभाओं को चालू हालत में हस्तान्तरित करेंगे । जलागम योजनाओं व बनीकरण योजनाओं के द्वारा फूलदार पौधों को रोपण कराया जा रहा है । माइक्रोहाइड्रिल व नेडा के द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है । हम इसे बढ़ाना चाहते हैं । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । मान्यवर, डाक पत्थर महाविद्यालय खोलने की बात कही है और कहा है उसमें राजनीति की जा रही है, लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं है मान्यवर, पिछली सरकारों ने बार-बार घोषणायें की हैं कि विद्यालय

लेकिन खोले नहीं गये । मेरी सरकार इसको बड़ी गम्भीरता से ले रही है । माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा जाहिर की है ।

श्री मुन्ना लाल चौहान–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पेयजल समस्या की ओर जो बात बताई, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जो रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम है, वह तभी सफल हो सकता है जब फ्रिक्वेस्ट रेन्स न हों । पहाड़ों पर 9-9 महीने सूखा पड़ जाता है, तो यह कैसे वहां पर सफल हो सकता है। दूसरी यह तो कीस्ट्रल एरियाज में कामयाब है । इसलिये इसे लागू करने से पहले पुनर्विचार कर लिया जाय । दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी बेचैन हो रहे थे जन जातियों के सभी छात्रों के छात्रवृत्ति का जी० ओ० तो जारी हो गया परन्तु जो छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये धन का प्राविधान है और जो मांग है वह कन्सिटेन्ट नहीं है मंत्री जी इसको भी अपने जवाब में बता दें ।

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

एक माननीय सदस्य ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, कि उत्तरांचल राज्य के नाम पर इसे देश की मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है । मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र के लिये ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अगर माननीय सदस्य ध्यान दें तो आजादी के पहले और आजादी के बाद उत्तरांचल के लोगों ने इस देश की रक्षा हेतु बहुत ही बड़े कीर्तिमान स्थापित किये हैं । उन्होंने देश की रक्षा के लिये कीर्तिमान स्थापित किये हैं, और स्वतंत्रता संग्राम में भी कीर्तिमान स्थापित किये हैं और वहां का बच्चा-बच्चा अपने देश के लिये, अपने समाज के लिये मर मिटने के लिये तैयार रहता है । उत्तरांचल की स्थापना के बाद इस क्षेत्र का द्रुतगति से विकास होगा । भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां के लोगों की पीड़ा को समझते हैं, और उसको स्वीकार किया है । शर्मा जी ने यह शंका जाहिर की है कि पर्वतीय क्षेत्र का सारा पैसा भ्रष्टाचार में बरबाद कर दिया जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी अब ईमानदार लोगों के हाथ में आयी हैं, और उसका विकास होगा । मान्यवर, अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में कहा गया, तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जुलाई से सभी अध्यापकों की नियुक्तियां की दी जायेंगी । भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तरांचल के विकास के लिये गम्भीर है । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 283 डाक्टर कमीशन के आये और माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया कि सारे के सारे डाक्टर पर्वतीय क्षेत्र में भेज दिये जायें । यह उनकी ईमानदारी की सोच है मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में कुछ रुपया स्वीकार किया गया है, उससे छात्रवृत्ति दी जायेगी । सारी बातें तो स्वीकार कर ली गयी हैं, अब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रावत जी क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ।

श्री भारत सिंह रावत–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,59,61,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 6-5-1991 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुयीं । पहली सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की प्रदेश की केन यूनियनों एवं गन्ना विकास परिषदों के घाटे में चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, दूसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" की प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय में अपर शिक्षा निदेशक के विधिवत् रूप से न बैठने से उत्पन्न स्थिति के संबंध है । में इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण की प्रदेश के होम्योपैथी निदेशक कार्यालय में कथित रूप से व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, चौथी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन व कृष्णा नदी के जल के बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया, पांचवीं सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा विवाद के कारण भूमि की अवैध कब्जेदारी इत्यादि की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया । उपरोक्त 5 सूचनायें जो मैंने पढ़कर सुनाई हैं इन सूचनाओं के अतिरिक्त शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी ।

माननीय नेता विरोधी दल एवं श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं के कृत्रिम अभाव विषयक सूचना अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व की है । मा० अध्यक्ष ने आज प्रश्नकाल में इस विषय को उठाये जाने पर यह निर्देश दिया था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नगत मामले में जानकारी प्राप्त कर लें । विरोधपक्ष के नेताओं के अनुरोध को देखते हुये इस सूचना के विषय पर दिनांक 7 मई, 1992 को माननीय सदस्यों तथा शासन के विचार सुनूंगा ।

जनपद गाजीपुर के थाना मरदह चौकी भेटेहू के अन्तर्गत पुलिस की गोली से छात्र प्रमोद कुमार सिंह की मृत्यु विषयक नियम 51 की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजना मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

9 जनवरी, 1991 को पूर्वाह्न 10.00 बजे गाजीपुर की ओर से ...

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

[संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।]

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मऊ जा रही निजी बस संख्या यू० एच० एच० 321 से यात्रा कर रहे कुछ छात्रों एवं ड्राइवर के बीच थाना मरदह के अन्तर्गत पुलिस चौकी भटेहू के समीप किराये के लेन-देन को लेकर विवाद और मारपीट हुई जिसके फलस्वरूप भटेहू की पुलिस दो छात्रों अजीत कुमार सिंह एवं त्रिभुवन सिंह तथा बस चालक राजाराम को धारा 151 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर मरदह थाना ले गयी जो पुलिस चौकी भटेहू से 5-6 किलोमीटर दूर है । जब इस बात की सूचना जनपद मऊ पहुंची जहां वे छात्र पढ़ते थे, तो प्रतिक्रिया स्वरूप छात्रों के समूह ने पुलिस चौकी भटेहू पहुंच कर उसका घेराव किया, यातायात को अवरुद्ध कर नारेबाजी करते हुये पथराव किया तथा पुलिस चौकी के सामने की झोपड़ी में आग लगा दी । छात्रों की अनियंत्रित भीड़ पर सीमित संख्या में उपस्थित पुलिस ने नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन भीड़ के उग्र एवं आक्रामक रूप को देखते हुये पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ 4 राउन्ड फायर किया गया जिससे दो छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा पुत्र श्री कैलाश कुमार सिंह तथा अन्य प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री कन्हैया सिंह पुलिस की गोली से घायल हो गये । घायल छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह, जिसका उपचार जिला अस्पताल गाजीपुर के पश्चात् वाराणसी में हो रहा था, की दिनांक 9-10 जनवरी, की रात्रि में मृत्यु हो गयी ।

2–दिनांक 9-1-92 को इस घटना के संबंध में थाना मरदह पर मु० अ० सं० 15/92 धारा 147/323/336/436/307/427 व 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट तथा आरक्षी नागेन्द्र तिवारी एवं आरक्षी ईश नरायन के विरुद्ध मु०अ०सं०/15ए/92 धारा 307 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । एक छात्र की मृत्यु हो जाने के बाद मु० अ० सं० 15ए/92 दिनांक 11-1-92 को धारा 302 भा० दं० वि० का परिवर्तन कर दिया गया ।

3–घटना के दिन ही मामले की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये जो परगनाधिकारी, सदर द्वारा की जा रही है, पुलिस चौकी पर नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया । मु० अ० सं० 15ए/92 धारा 302/307 के नामजद अभियुक्त आरक्षी नागेन्द्र तिवारी एवं आरक्षी ईश नरायन ने दिनांक 15-1-92 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा जमानत पर मुक्त हुये ।

4–मृतक प्रमोद कुमार सिंह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था । घटना के पश्चात् यह मांग की गयी कि उसके चचेरे भाई को सेवायोजित किया जाये । अतः मृतक के चचेरे भाई राजेश कुमार सिंह पुत्र श्री मारकण्डेय सिंह निवासी घरिया थाना मरदह की सहायक लेखाकार के पद पर राजस्व विभाग तहसील सैदपुर में नियुक्ति की गयी है । मृतक के पिता को 10,000.00 रुपये की आर्थिक सहायता जनपद स्तर से तथा 20,000.00 रुपये की अनुग्रह राशि मुख्य मंत्री कोष से भी स्वीकार की गयी है ।]

श्री सुरेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि उन्हें गाजीपुर में नियमित में 3 माह के लिये किया गया था, यह सही है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो वक्तव्य में दिया गया है, वह सही है ।

(समय 10 बजकर 20 मिनट)

(श्री सुरेन्द्र सिंह के खड़े रहने से व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो वक्तव्य में है, सही है ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा पुनः बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीन की पुलिस चौकी असावर (दुबिहा) की श्रीमती जानकी देवी के साथ हुये बलत्कार विषयक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

दिनांक 16-2-92 को श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री नन्दलाल ग्राम दुबिहा.....

श्री उपाध्यक्ष–

यदि सदन की सहमति हो तो इसे पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

। थाना करीमुद्दीन पुर, जनपद गाजीपुर ने थाना कोतवाली, गाजीपुर में लिखित रूप से सूचना दी है कि दिनांक 15-2-92 को रात्रि 09.00 बजे चौकी पर काम करने वाले मुटुर पुत्र राम सूचित राम निवासी ग्राम दुबिहा थाना करीमुद्दीन पुर तथा आरा मशीन पर काम करने वाले मुनीब निवासी मुहम्मदाबाद ईशीपुर उनके घर में दरवाजा खोलकर घुस आये और उनसे बोले कि चौकी पर दीवान बुला रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती घर से ले जाकर अरहर के खेत में दोनों ने बलात्कार किया । उसके बाद चौकी से पूछताछ करके छोड़ दिया । इस सूचना पर थाना कोतवाली गाजीपुर में दिनांक 16-2-92 को मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाना करीमुद्दीन भेजी गयी । जहां मुकदमा अपराध संख्या 27/92 धारा–376/504 भा० दं० वि० का पंजीकृत किया गया तथा श्रीमती जानकी देवी का डाक्टरी मुआइना कराकर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

अभियुक्तगण मुटुर एवं मुनीब को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

2–अभियोग की विवेचना के दौरान ग्राम प्रधान दुविहा के पत्र के साथ श्रीमती जानकी देवी का शिकायती प्रार्थना-पत्र भी पुलिस को प्राप्त हुआ जिसमें पुलिस चौकी असावर में नियुक्त दो पुलिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आरक्षियों की भी भूमिका संदिग्ध बताई गयी थी । इसके आधार पर घटना की जांच महिला उप निरीक्षक श्रीमती शकुन्तला देवी को दी गयी । उन्होंने दिनांक 19-2-92 को ग्राम दुबिहा में जाकर स्वयं श्रीमती जानकी देवी एवं ग्राम की अन्य महिलाओं तथा नागरिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उक्त घटना की जांच एवं छानबीन की । उस समय तक श्रीमती जानकी देवी ने किसी पुलिस कर्मी को घटना में सम्मिलित होना नहीं बताया था ।

3– इसके उपरान्त बलात्कार की घटना में पुलिस कर्मियों के सम्मिलित होने के आरोप की जांच क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद से कराई गयी । उनकी जांच आख्या के अनुसार बलात्कार की घटना में पुलिस कर्मियों का सम्मिलित होना नहीं पाया गया तथा घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्रीमती जानकी देवी के ससुर श्री जगन्नाथ गुप्ता ने दिनांक 15-2-92 को करीब 8 बजे रात्रि पुलिस चौकी असावर पर आकर मौखिक सूचना दी कि उनके घर में बदमाश हैं । इस सूचना पर कान्स० नन्दलाल यादव एवं कान्स० चन्द्र मोहन तिवारी उपरोक्त दोनों अभियुक्त मुटुर व मुनीब को लेकर श्री जगन्नाथ गुप्ता के घर पर पहुंचे तो वहां पर कोई बदमाश नहीं मिला और सभी लोग पुलिस चौकी वापस चले आये । आरक्षियों ने वास्तविकता की जानकारी के लिये मुटूर तथा मुनीब को पुनः जगन्नाथ गुप्ता को पुलिस चौकी में बुलाने के लिये भेजा जिस पर श्री जगन्नाथ गुप्ता स्वयं न आकर उन्होंने अपनी पतोहू श्रीमती जानकी देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को चौकी पर भेजा । जब श्रीमती जानकी देवी पुलिस चौकी पर आयी तो उस समय रात के 10 बज रहे थे, उस समय भी बलात्कार की घटना के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था ।

4–मुकदमें की विवेचना से अभियुक्तगण मुटुर एवं मुनीब के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 1-3-92 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।]

जनपद गाजीपुर की जमानियां तहसील के परगनाधिकारी कार्यालय में अहलमद के साथ हुयी मारपीट के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जनपद गाजीपुर के परगनाधिकारी जमानियां के कार्यालय में तैनात राजस्व अहलमद श्री महेन्द्र प्रसाद के साथ.....

श्री उपाध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[दिनांक 24 मार्च, 1992 को 11.20 बजे पूर्वाह्न कार्यालय अवधि में श्री शम्भू नाथ राय, एडवोकेट के साथ मारपीट हुई जिसके विरोध में जनपद की चारों तहसीलों सहित कलेक्ट्रेट गाजीपुर में दिनांक 31 मार्च, 1992 तक हड़ताल रही । जिलाधिकारी द्वारा घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराये जाने के

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आदेश पारित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च, 1992 को हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गाजीपुर ने की । दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से कलेक्ट्रेट गाजीपुर एवं अन्य कार्यालयों में कार्य सामान्य रूप से चल रहा है ।]

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी निवुक्तियों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मा० स्वामी नाथ यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर इस आशय की शिकायतें की गयी थीं कि.....

श्री उपाध्यक्ष–

यदि सदन की सहमति हो तो इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* श्री राजनाथ सिंह–

[देवरिया जनपद के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धतंत्रों द्वारा बिना पद सृजित कराये जिला विद्यालय निरीक्षक की सांठ-गांठ से अध्यापकों की नियुक्तियां कर ली गयी हैं । वर्ष 1990 के एरियर के रूप में एक करोड़ रुपया का भुगतान कराया गया है तथा प्रति माह शासन पर सात लाख रुपये का व्यय भार पड़ रहा है । ऐसे जो अध्यापक नियुक्त किये गये हैं, वे प्रबन्धतंत्र के परिवार के ही सगे सम्बन्धी हैं, जिन्होंने कभी अध्यापन कार्य नहीं किया ।

2–उक्त मामले में जो प्रारम्भिक जांच आख्या प्राप्त हुई, उससे विदित होता है कि देवरिया जिले मे अब तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित बीस विद्यालयों में 110 अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र द्वारा फर्जी तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है :–

विद्यालय का नाम	नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या
1–शहीद मधुवन करामद इण्टर कालेज, खीरीवारी	10
2–मु० हुसैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवलपुर	9
3–पंडित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज महुआवारी	9
4–मुनराजी देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआवारी	2
5–इण्टर कालेज, सुतावर	8
6–बाबू इण्टर कालेज, सलेमपुर	6
7–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेमा	6
8–इण्टर कालेज पिण्डी	6
9–बाबा राघवदास कृषक इण्टर कालेज, भाटपाररानी	8
10–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर बुजुर्ग	8

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

11–कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कड़सरवां बुजुर्ग	5
12–एस० डी० इण्टर कालेज, मठलर	5
13–ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एकडंगा	6
14–श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाता	7
15–शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विन्द, वलिया	3
16–जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुरैनी परसिया	5
17–इण्टर कालेज, चकरवा वरसीपार	4
18–हरीराम ओंकारमल खेतान इण्टर कालेज, लक्ष्मीगंज	4
19–महात्मा गांधी इण्टर कालेज, सखवनिया	5
20–दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देवरिया	2
योग	118

3–उक्त सभी विद्यालयों के संबंधित अध्यापकों/प्रबन्धकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपनी नियुक्तियों के संबंध में रिट याचिकायें योजित कर रखी हैं, जिनमें से निम्नलिखित सात विद्यालयों में कथित फर्जी रूप से नियुक्त हुये अध्यापकों को वेतन का भुगतान मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है :–

1–मु० हुसैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नवलपुर

(रिट याचिका संख्या 30502/90 तथा 31646/90 छः अध्यापकों द्वारा)

2–पंडित जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुआवारी

(रिट याचिका संख्या 12473/90 तथा रिट पिटीशन संख्या 11807/89 तीन अध्यापकों द्वारा)

3–बापू इण्टर कालेज, सलेमपुर

(रिट याचिका संख्या 2926/90, 32631/90, 31645/90 तथा रिट याचिका नोटिस संख्या 30501/91–छः अध्यापकों द्वारा)

4–उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नेमा

(रिट याचिका संख्या 21460/90, 23307/90 तथा 29262/90 छः अध्यापकों द्वारा)

5–बाबा राघवदास कृषक इण्टर कालेज, भाटपाररानी

(रिट याचिका संख्या 32624/90–आठ अध्यापकों द्वारा)

6–हरीराम ओंकारमल खेतान इण्टर कालेज, लक्ष्मीगंज

(रिट याचिका संख्या 22854/89–चार अध्यापकों द्वारा)

7–मुसराजी देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महुआवारी (दो अध्यापकों द्वारा ।)

4–उक्त सात विद्यालयों में कथित फर्जी रूप से नियुक्त हुये अध्यापकों को वर्ष 1989-90 में रुपया 12,943.00 (सात अध्यापकों को) वर्ष 1990-91 में रुपया 3,23,478.00 (पैंतिस अध्यापकों को) वर्ष 1991-92 में रुपया 2,45,715.00 (पैंतिस अध्यापकों को) तथा चालू शिक्षा सत्र में रुपया 55,962.00 (सत्ताइस अध्यापकों को) वेतन एवं भत्ते के रूप में भुगतान किया जा चुका है । अब तक कुल 12,38,098.00 रुपया का भुगतान हुआ है ।

5–जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने स्पष्ट रूप से अपनी आख्या में सूचित किया है कि उपर्युक्त उल्लिखित बीस विद्यालयों में 118 अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन करके उनके द्वारा नहीं दिया गया है, सभी नियुक्तियां सी० टी० वेतनक्रम के पदों पर (इस संवर्ग को दिनांक 11 अगस्त, 1989 के शासनादेश के द्वारा मृत घोषित किया जा चुका है) सुनियोजित ढंग से विद्यालय में बिना किसी पद रिक्तता के फर्जी तथा झूठे कथानकों की रचना कर पूर्व तिथियों में की गयी दर्शाई गयी है । उल्लिखित याचिकाओं के साथ जो पत्रजात आदि संलग्नकों के रूप में संलग्न किये गये हैं, उनके अवलोकन से पता चलता है कि प्रबन्धक की ओर से 1988 में किसी समय, किसी न किसी कारणवश पद रिक्तिता की झूठी सूचना भेजने का फर्जी पत्र तैयार कर उस पर कार्यालय को प्राप्त कराये जाने की रसीद फर्जी तौर पर अंकित कर ली गयी है । दूसरे चरण में पद रिक्तियों की तथा कथित रूप से भेजी गयी सूचना पर जिला विद्यालय निरीक्षक को नियुक्तियां करने हेतु स्मरण-पत्रों को भेजा जाना दर्शाया गया है । यह सब कार्यवाही भी फर्जी तौर पर पूर्व तिथियों में की गयी है । तीसरे चरण में प्रबन्धक द्वारा स्वयं नियुक्तियां कर लिया जाना फर्जी तौर पर पूर्व तिथि में दर्शाया गया है । चौथे चरण में जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नवम्बर/दिसम्बर, 1990 या जनवरी, 1991 में पूर्व उल्लिखित सभी पत्रों को एक्नोलेज करते हुये एक फर्जी पत्र निर्गत किया जाना दर्शाया जाता है, जिसमें सी० टी० पद मृत घोषित होने तथा नियुक्तियों पर रोक होने के कारण अनुमोदन देने में असमर्थता व्यक्त की गयी है, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा कोई पत्र किसी भी चरण में उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं हुआ । ऐसी याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर इस तथ्य को मा० उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है । उपरोक्त फर्जी पत्रजात वादीगण द्वारा प्रबन्धतंत्र की मिली भगत से तैयार किये गये प्रतीत होते हैं । इस षड्यंत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के भी कुछ लोग सम्मिलित रहे हैं, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता ।

6–ऊपर जो फर्जी रूप से नियुक्त किये गये अध्यापकों की संख्या दी गयी है उसे अन्तिम नहीं कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त भी अन्य कुछ मामले हो सकते हैं, जो व्यापक खोजबीन करने पर प्रकाश में आ सकते हैं । इस कारण इस मामले में गहराई से व्यापक जांच पड़ताल किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है । शिक्षा निदेशालय के ऊपर शिक्षा निदेशक स्तर के एक अधिकारी को मामले में विस्तृत जांच करके आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है । यदि आवश्यकता होगी तो प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग या किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से भी कराई जायेगी ।

7–मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संबंधित विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध तथा मामले में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज करायें । चूंकि मामले में

रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में योजित/विचाराधीन हैं, इसलिये जो भी कार्यवाही की जायेगी वह मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होंगी ।]

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसमें 12,38,09,800 रुपये का घोटाला है । शिक्षा मंत्री से और सरकार से यह चाहूंगा कि अपराध अनुसंधान शाखा या जैसे भी हो इसका पर्दाफाश कर दें और दोषियों को दण्डित करें ।

श्री राजनाथ सिंह–

इसमें एफ० आई० आर० दर्ज किये जाने के आदेश मेरे द्वारा किये जा चुके हैं । जहां तक अपराध अनुसंधान शाखा से जांच कराये जाने की बात है, मैं इसका परीक्षण करा लूंगा । और यदि आवश्यक हुआ तो इस शाखा द्वारा जांच करायी जायगी ।

[illegible] के कार्यालय को [illegible] के चौखुटिया में स्थापित करने की [illegible] बची सिंह रावत द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 7-9-91 को उत्तरांचल क्षेत्र की बैठक में यह घोषणा की थी.....

श्री उपाध्यक्ष–

यदि सदन की सहमति हो तो इस संलग्न वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

* श्री राजनाथ सिंह–

[कि उत्तरांचल क्षेत्र के मण्डलीय कार्यालय उत्तरांचल क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे यह भी बताया गया कि इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद् कुमायूं मण्डल के कार्यालय को जिला मुख्यालय बरेली से स्थानान्तरित कर अल्मोड़ा जनपद में विकास खण्ड चौखटिया में स्थापित करने का प्रस्ताव अपर निदेशक शिक्षा (उत्तरांचल) के द्वारा दिनांक 17-9-91 को किया गया था, जिसके लिये भूमि का प्रस्ताव भी शासन को दिया जा चुका है । माननीय विधान सभा सदस्य श्री बची सिंह रावत ने यह भी सूचित किया है कि इस कार्यालय को स्थानान्तरित न किये जाने से जन विश्वास में कमी आ रही है और जनता में तीव्र रोष व्याप्त हो रहा है । अतः जनहित में मा० मुख्य मंत्री जी घोषणा का आदर करते हुये माध्यमिक शिक्षा परिषद् कुमायूं मण्डल के कार्यालय का जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया में स्थापित करने की कृपा की जाय ।

2–इस संबंध में स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा उत्तरांचल क्षेत्र के मण्डलीय कार्यालय क्षेत्र में स्थापित किये जाने की दिनांक 7-9-91 को घोषणा के संबंध में कोई सूचना प्राप्त जानकारी के अनुसार मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं पर अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यालय को नहीं

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*

है । जहां तक माध्यमिक शिक्षा परिषद् कुमायूं मण्डल के कार्यालय को जिला मुख्यालय बरेली से स्थानान्तिरित कर अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में स्थापित करने का प्रश्न है, इस संबंध में यह अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का मण्डलीय स्तर पर कोई कार्यालय नहीं है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप इसे चार क्षेत्रीय कार्यालयों में बांटा गया है । जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के अन्तर्गत 3 मण्डलों-बरेली, मुरादाबाद तथा कुमायूं मण्डल के कार्य सम्पादित किये जाते हैं । अतः अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कुमायूं मण्डल के कार्यालय को बरेली से स्थानान्तरित कर अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता है । अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-11-91 में यह प्रसताव अवश्य प्रेषित किया गया था कि कुमायूं मण्डल तथा गढ़वाल मण्डल के लिये एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय चौखुटिया (अल्मोड़ा) एवं नरेन्द्रनगर (टिहरी) के पृथक से खोला जाय । इस प्रस्ताव का परीक्षण किया गया । चूंकि वर्तमान समय में वित्तीय संसाधनों की कमी है, अतः उक्त नये कार्यालय स्थापित किया जना सम्भव नहीं पाया गया । जहां तक बरेली स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित कर चौखुटिया में स्थापित करने का प्रश्न है, यह सम्भव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के अन्तर्गत 3 मण्डल–कुमायूं, मुरादाबाद तथा बरेली के परीक्षार्थियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्ना होते हैं, अतः इस कार्यालय को चौखुटिया में स्थापित कर देने से मुरादाबाद तथा बरेली दो मण्डलों के बहुसंख्यक परीक्षार्थियों को असुविधा होगी । इस वर्ष कुमायूं मण्डल में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 82,241 है जबकि मुरादाबाद तथा बरेली मण्डलों से कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1,96,624 है । अतः मात्र 82,241 परीक्षार्थियों के लिये पूरे कार्यालय को चौखुटिया एक विकास खण्ड है तथा जिला मुख्यालय से सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित है जबकि बरेली रेल व सड़क मार्गों से जुड़ा होने के कारण आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

3–उपरोक्त स्थितियों को देखते हुये माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बरेली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को चौखुटिया स्थानान्तरित करने का न तो कोई औचित्य है और न यह बहुसंख्यक परीक्षार्थियों के लिये सुविधाजनक ही होगा ।]

दिनांक 26 फरवरी, 1992 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 मत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री सुरेन्द्र सिंह–

इस कार्य के लिये 84-85 में 19 लाख रुपया सिंचाई विभाग द्वारा जमा किया गया लेकिन अभी तक सेपेरेट फीडर नहीं लगाया गया । इसकी पूरी क्षमता 160 क्यूसेक पानी देने की है । सेपेरेट फीडर न लगने के कारण इसकी स्थिति खराब हो गयी है । माननीय मंत्री जी में कहना चाहूंता हूं कि 1984-85 के बीच में आज तक सेपरेट फीडर नहीं लग पायी है । माननीय मंत्री जी कितने दिनों में लगवाने की व्यस्था करेंगे ? इसको केवल 4 घण्टे बिजली मिलती है, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सारी बात आ गयी, अब माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रवि कान्त गर्ग)–

जो उत्तर आया है, वह इस प्रकार है–देवकली पम्प नहर को 132 केवी० विद्युत उपकेन्द्र जौहरगंज से विद्युत आपूर्ति की जाती थी तथा जौहरगंज विद्युत उप केन्द्र 132 केवी० साहूपुर जमानियां गाजीपुर लाइन से पोषित होता था, उपरोक्त लाइन की लम्बाई और उस पर जुड़ा भार अधिक होने के कारण जौहरगंज विद्युत उप केन्द्र को समुचित वोल्टेज नहीं उपलब्ध होता था। इस कारण पम्प नहर पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती थी।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु दिनांक 28-10-91 को जौहरगंज विद्युत उपकेन्द्र साहूपुर मऊ 132 के वी० लाइन को महाराजगंज के पास टेप करके जोड़ दिया गया है और वर्तमान में पम्प नहर को समुचित वोल्टेज की विद्युत आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर, इस संबंध में मैंने अधिशासी अभियन्ता को निरीक्षण हेतु भेजा और जांच कराई मरदह पम्प कैनाल के संबंध में यह बात आयी कि बुद्धोपुर जहां पर पम्प लगा हुआ है वहां पर पर्याप्त जलस्तर न होने की समस्या है यह जलस्तर देवकली पम्प कैनाल जौहरगंज पर मेनटेन किया जाता है जहां पर विद्युत आपूर्ति की कोई शिकायत नहीं है। मान्यवर, प्रत्येक द्वितीय मंगलवार को सिंचाई बंधु की बैठक भी होती है उसमें भी कभी भी इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि वहां आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है।

विरनो विद्युत केन्द्र रूरल फीडर से फीड होने के बावजूद मरदह पम्प कैनाल के लिये रोजाना लगभग 19 घंटे औसत विद्युत आपूर्ति की जाती है। अतः वहां पर मान्यवर, कोई समस्या नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी अभी नौजवान सदस्य हैं, दूसरी बार आये हैं सत्य से परे बात क्यों कह रहे हैं। जौहरगंज और मरदह कहां है। मरदह के लिये सिंचाई विभाग ने 84-85 में 19 लाख रुपये जमा कर दिया। आप कह रहे हैं कि जौहरगंज की दूसरी लाइन है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसलिये मेरा प्रश्न था उस पर कृपया इतना बता दें कि सेपरेट फीडर निर्माण कब तक हो जायेगा, सिंचाई बंधु की मीटिंग की बात आपने कही न उसमें कई बार इसको उठाया गया। मान्यवर, सुन तो लें।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, विरनो विद्युत उपकेन्द्र जहां से फीडर को फीड किया जाता है वहां पर अभी 19 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मेरे पास रिकार्ड मौजूद है जिनके आधार पर औसत 19 घंटे की आपूर्ति की बात सामने आयी है कभी-कभी 24-24 घंटे सप्लाई हुई है इसलिये नये फीडर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

सिंचाई विभाग का पैसा जमा है वह तो सेपरेट फीडर के लिये जमा है आपके पास.....

श्री रविकान्त गर्ग–

मरदह में कहा गया कि जो वहां समस्या थी वोल्टेज की समस्या का निदान अक्टूबर माह में किया जा चुका है वर्तमान में वहां कोई समस्या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह चर्चा समाप्त हुई।

[illegible] 8 [illegible], 1992 को पूछे गये [illegible] संख्या 2 वाली "[illegible]" के संबंध में [illegible] [illegible] [illegible] पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 17 को माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
6 मई, 1992

[illegible],
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

[illegible] "[illegible]"

(देखिये अता० प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible]

विकास खण्ड	नलकूपों की संख्या
1–मुसाफिर खाना	49
2–जगदीशपुर	23
3–बाजार शुक्ल	12
4–बल्दीराय	47
5–अमेठी	37
6–भादर	47
7–संग्रामपुर	33
8–भेटुआ	59
9–गौरीगंज	5
10–शाहगढ़	37
11–जामो	28
12–धनपतगंज	16
13–कूड़ेभार	19
14–दूबेपुर	60
15–कुड़वार	22
16–भदैया	44
17–जयसिंहपुर	51
18–दोस्तपुर	32
19–अखंडनगर	41
20–कादीपुर	98
21–लभुआ	33
22–प्रतापपुर कमैचा	10
योग ..	803

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०–55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

संलग्नक "क"

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के पत्रांक–453 अनुभाग 10/46 बी-डब्लू/इन्द्रलोक विस्तार दिनांक 26-6-91 द्वारा आवंटित आवासों में अवैध रूप से कब्जा किये हुए कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	भवन संख्या (इन्द्रलोक)	दण्डित किराया की धनराशि माह 3/92 तक
1	श्री मोहन सिंह	11/145	रु० 3916.00
2	श्रीमती अरुणा दत्ता	11/147	रु० 3756.00
3	श्री जे० एस० केसरवानी	11/152	रु० 2937.00
4	श्री एस० के० सब्बरवाल	11/154	रु० 2817.00
5	श्री ए० एस० पाण्डे	11/35	रु० 10770.00

संलग्नक "ख"

मुख्य अभियन्ता विद्युत के पत्रांक 453-अनुभाग 10/46 बी० डब्लू/इन्द्रलोक विस्तार दिनांक 16-6-91 द्वारा अवैध कब्जाधारी कर्मचारियों को हुए भवन आवंटन का विस्तार

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद	भवन संख्या	अन्य विवरण
1	श्रीमती निर्मला गुप्ता	दै० श्रे० लि०	11/35	मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के पत्रांक–895-अ/दस/आवास, दिनांक 5-12-91
2	श्री संजय गंगल	अ० व० स०	11/58	परिषद् आदेश संख्या–3185-जी० ए०/रा०वि०प०-12/91, 13 जी० ए० 90 दिनांक 16-10-1991
3	श्री दया शंकर शर्मा	अ०व०स०	11/55	तदैव

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० सं० 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में निर्मित राजकीय नलकूपों का ग्रामवार विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम	ब्लाक का नाम	नलकूप संख्या/समूह
1	सीतारामपुर	शोहरतगढ़	13 एन० जी०
2	बरगदवा	नौगढ़	21 एन० जी०
3	सिरवन	तदैव	26 एन० जी०
4	शाही	तदैव	27 एन० जी०
5	जोगिया	जोगिया	15 एन० जी०
6	करहना	तदैव	24 एन० जी०
7	जोगीवारी	तदैव	28 एन० जी०
8	हरैया	तदैव	35 एन० जी०
9	जोगिया	तदैव	37 एन० जी०
10	नगरा	तदैव	48 एन० जी०
11	करौदा मसना	तदैव	49 एन० जी०
12	सिरसिया	तदैव	110 एन० जी०
13	मुडिया	बढ़नी	11 एन० जी०
14	परसा	तदैव	16 एन० जी०
15	जगघरा	तदैव	32 एन० जी०
16	औरहवा	तदैव	33 एन० जी०
17	टेकहरी खुर्द	तदैव	38 एन० जी०
18	सकरौरा	तदैव	39 एन० जी०
19	तुलसिया	तदैव	41 एन० जी०
20	आकरहरा	तदैव	44 एन० जी०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र० सं० 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

देवरिया जनपद के गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना पूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति दिनांक 13-4-1992 तक

क्र-सं०	नाम चीनी मिल	गन्ना क्षेत्रपल (हजार एकड़ में)	पेरे गये गन्ने की (लाख कु० में)	गन्ना मूल्य (लाख रुपये में) देय	भुगतान	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
			निजी क्षेत्र			
1	रामकोला (पी)	24.95	23.33	1029.89	236.83	793.06
2	पडरौना	32.25	34.08	1510.04	912.55	597.49
3	कप्तानगंज	27.30	33.33	1491.75	996.80	495.75
4	कठकुइयां	19.66	15.77	699.28	412.25	287.03
5	सेवरही	43.66	21.50	931.80	579.75	352.05
6	गौरी बाजार	13.63	8.77	392.13	228.53	163.60
7	प्रतापपुर	16.17	14.44	627.75	441.28	186.47
योग निजी क्षेत्र की मिलें ..		177.62	151.22	6682.64	3807.19	2875.45
			सरकारी क्षेत्र की मिलें			
8	छितौनी	15.26	11.64	496.71	311.89	184.82
9	खड्डा	24.50	21.48	949.71	620.69	329.02
10	लक्ष्मीगंज	14.50	11.81	531.72	279.19	252.53
11	रामकोला (के)	15.60	11.57	520.85	350.00	170.85
12	भटनी	16.39	13.92	602.26	244.26	358.00
13	देवरिया	18.82	10.16	435.67	286.14	149.53
14	बैतालपुर	15.57	8.94	408.51	269.35	139.16
योग सरकारी क्षेत्र ..		120.64	89.52	3945.43	2361.52	1583.91
			अन्य जनपदों की पूर्ति			
1	सरदारनगर (हाटा-कसया, गौरीगंज बाजार से)	27.40	28.62	1182.78	491.50	691.28
2	पिपराइच (कप्तानगंज से)		0.13	6.00	6.00	--
3	वगहा (खड्डा से)		0.06	2.52	--	2.52
	योग ..	27.40	28.81	1191.30	497.50	693.80
	कुल योग ..	325.66	269.55	11819.37	6666.21	5153.16